नवम माला,

6 मार्च, 1991
फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 30-8-91

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 6 मार्च, 1991/15 फाल्गुन, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
कवर पृष्ठ	प्रथम	"वम" के स्थान पर "नवम" पढ़िये।
4	4	"श्री भवानी शंकर होटा" के स्थान पर "श्री
5 एवं	19	भवानी शंकर होटा" पढ़िये।
16 एवं	नीचे से पंक्ति4	
4	7	"सबाल" के स्थान पर "सवाल" पढ़िये।
5	6	"श्री संतोष कुमार गगवार" के स्थान पर "श्री संतोष कुमार गंगवार" पढ़िये।
6	7	"श्री राजेन्द्र अग्निहोश्री" के स्थान पर "श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री" पढ़िये।
57	4	"श्री युसुफ वेग" के स्थान पर "श्री युसुफ बेग" पढ़िये।
84	नीचे से पंक्ति6	"श्री राव बोरेन्द्र सिंह" के स्थान पर "राव बीरेन्द्र सिंह" पढ़िये।
87	16	"श्री बसंत साठे" के स्थान पर "श्री वसंत साठे" पढ़िए"।
101	4	"के एस. चावडा" से पूर्व श्री जोडिए।
168	नीचे से पंक्ति4	"क्वा" के स्थान पर "क्या" पढ़िए।
213	7, 12	"कापोरेशन" के स्थान पर "कार्पोरेशन" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 14 सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 8 बुधवार, 6 मार्च, 1991/15 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			**1–6**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 143			
प्रश्नों के लिखित उत्तर			**6—318**
तारांकित प्रश्न संख्या : 141,142 और 144 से 160	...	...	6—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1590 से 1699, 1701 से 1799 और 1801 से 1816			28—318
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...		**318–320**
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	....	...	**320**
तेरहवां प्रतिवेदन			
समिति के लिए निर्वाचन		...	**320—322**
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड			

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

		पृष्ठ
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	....	322—346
	...	359—366
श्री जी० एम० बनातवाला	....	323—336
श्री युवराज		336—337
श्री के० मानवेन्द्र सिंह	...	338—342
श्री नन्दू थापा		342
श्री राम कृष्ण यादव	...	343—346
श्री चन्द्र शेखर	...	359—365
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91	....	346—347
विवरण		
देश में संवैधानिक संकट के बारे में		347—359

लोक सभा

बुधवार, 6 मार्च, 1991/15 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री।
श्री बनवारी लाल पुरोहित।
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट।
श्री काशीराम राणा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

*143. **श्री काशीराम राणा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान को यह दर्जा कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की पहली सितम्बर, 1990 को हुई, बैठक में यह सिफारिश की गई कि राष्ट्रीय संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया जाए।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, हमारे उप-राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने और राममूर्ति कमेटी ने सरकार को.... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : समर्थक लोग कहां हैं, जिनके बल पर सरकार चल रही है वे कहां हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारा ताल्लुक आम सदस्यों के साथ है, आप सब हैं।

श्री काशीराम राणा : मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रीय संस्कृत बोर्ड को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जायें और यह सिफारिश इस बोर्ड के अध्यक्ष हमारे उप-राष्ट्रपति जी ने और राममूर्ति कमेटी ने की थी। इसके अन्तर्गत क्या सरकार ने केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की जो सिफारिश है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए केबिनेट में निर्णय लेने का विचार किया है, अगर किया है तो उसकी जानकारी हमें दें।

श्री राजमंगल पांडे : मान्यवर, हमने डी० एल० चतुर्वेदी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी इस बात की बैठायी है कि क्या इसको हम नेशनल इम्पार्टेंस के लिए इंस्टीट्यूशन्स होते हैं या कोई इसका कमीशन बनाते हैं, वह तीन महीने अन्दर रिपोर्ट मांगी गयी है। पहली सितम्बर, 1990 को यह हुई है। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि तीन महीने के अन्दर जो उसकी सिफारिशें हों, वह सदन के सामने रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : राणा जी, सैकिण्ड सप्लीमेंटरी क्वश्चन !

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मुझे कोई सन्तोष नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सरकार संस्कृत संस्थान के विद्यालय खोलने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए मैं कुछ आगे नहीं पूछना चाहता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री हरीश पाल, श्री मित्रसेन यादव, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा श्री यादवेन्द्र दत्त, श्री के० प्रधानी, श्री लरंग साय, श्री पी० एम० सईद, श्री बी० एम० रेड्डी, श्री एस० कृष्ण कुमार, श्री अमृतलाल बल्लभदास तारवाला।

प्रो॰ मधु दण्डवते : ऐसा लगता है कि प्रश्नकाल गिर गया है। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार गिर गई है, लेकिन प्रश्नकाल गिर गया है। अतः, अच्छा यही है कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, उत्तर कौन देगा, मिनिस्टर कौन है आश्वासन कौन देगा ? ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो॰ राम गणेश कापसे : केवल एक ही प्रश्न है कि यह सरकार कब जा रही है······ (व्यवधान)

प्रो॰ मधु दण्डवते : श्रीमान्, अगर प्रश्न पूछने के लिए कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, तो अगले विषय···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यहां मैं हूं, हाउस है, तो फिर आपको क्या है। आप सवाल कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो॰ मधु दण्डवते : मैंने आपसे केवल यह अनुरोध किया था कि····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक प्रश्न सूची समाप्त नहीं हो जाती, मुझे तो सदस्यों को पुकारना ही है·········

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, 54 लोगों की सरकार नहीं हो सकती, पांच सौ लोगों में से 54 लोगों की सरकार नहीं हो सकती। ··· (व्यवधान)····

आप वोट ऑफ थैंक्स पर कहिए। क्वश्चन आवर कॉलेप्स हो गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री आनन्द सिंह
श्री माधवराव सिंधिया
श्री सन्तोष कुमार गंगवार

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : 'क्वश्चन आवर' कालैप्स हो गया है, आप आगे कार्यवाही शुरू कीजिए। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भागेन्द्र झा
श्री राजवीर सिंह

श्री भवानी शंकर होटा : किससे पूछना है, श्रीमन् ? सरकार कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह सवाल देश के बारे में है और यहां सरकार ही नहीं है ।... (व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० वेंकटेश काबड़े
श्री नानी भट्टाचार्य

[हिन्दी]

श्री नानी भट्टाचार्य : जब सरकार ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, तो "नो क्वश्चन ।"

श्री कालका दास : आप सरकार की दशा तो देखिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० के० वी० थामस
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
,, बनवारी लाल पुरोहित
,, प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट
,, हरीश पाल
,, मित्रसेन यादव
,, उपेन्द्र नाथ वर्मा
,, यादवेन्द्र दत्त
,, के० प्रधानी
,, लरंग साय
,, पी० एम० सईद
,, बी० एन० रेड्डी
,, एस० कृष्ण कुमार

श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला
,, एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री आनन्द सिंह
,, माधवराव सिंधिया
,, सन्तोष कुमार गंगवार
,, योगेन्द्र झा

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अब इनको पता चला कि कांग्रेस (इ) क्या है ? ····**(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : अब पता चला कांग्रेस (इ) क्या होती है ? जो चरण सिंह के साथ हाल किया था, वही इनके साथ हुआ है ? ····**(व्यवधान)**····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजवीर सिंह ।

[हिन्दी]

राजवीर सिंह जी, आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ?

श्री राजवीर सिंह : सरकार कहां है ? इस देश में सरकार ही नहीं है तो सवाल कहां होंगे ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भवानी शंकर होटा
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
डा० वेंकटेश काबड़े
श्री नानी भट्टाचार्य
प्रो० के० वी० थामस

अब कार्यसूची की अगली मद पर विचार किया जाएगा ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है, सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में व्यवस्था है कि प्रश्नकाल के समय, प्रश्न सूची में दर्ज प्रश्नों के सदस्य यदि उपस्थित नहीं हैं या वे प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो अध्यक्षपीठ केवल एक बार ही प्रश्नों को दोहराएंगे और ऐसा करने के पश्चात्, प्रश्नकाल समाप्त हो गया माना जाता है और उसके पश्चात् सूची के अनुसार सभा के कार्य पर चर्चा की जाती है । अत:, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कि माननीय सदस्य सवाल पूछना नहीं चाहते।

[अनुवाद]

मैं अगला विषय ले रहा हूं।

प्रश्न सूची समाप्त हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली को अन्यत्र ले जाना

[हिन्दी]

*141. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली को आगरा ले जाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। इसका एक क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली में स्थित है। इस केन्द्र को अन्य बातों के साथ-साथ "विदेश में हिन्दी के प्रसार" की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उन विदेशी छात्रों के लिये, जिन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं, हिन्दी शिक्षण योजना को आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के दिल्ली स्थित केन्द्र के इस विशेष क्रिया-कलाप को इसके मुख्यालय में बेहतर अवस्थापना और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण वहां स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

पिछड़े क्षेत्रों में जनता कपड़े का उत्पादन

[अनुवाद]

*142 **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों और देश के अन्य भागों में जनता कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने और क्या प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का समाज के अधिक निर्धन वर्गों के लोगों में जनता कपड़े के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्कता समिति स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत उत्पादन को अधिक विकेन्द्रीकृत बनाने का प्रस्ताव है और ऐसा राज्यों की जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा जिससे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली जनता की कपड़े की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। एक सुदृढ़ राज्य स्तरीय मानीटरिंग तंत्र बनाया गया है ताकि उत्पादन में लगे बुनकरों को रोजगार प्रदान किया जा सके तथा नियमित उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके तथा साथ ही जनता कपड़े के वितरण का प्रभावकारी ढंग से पर्यवेक्षण किया जा सके। जनता कपड़े पर स्वीकार्य उपदान की दर को अभी हाल ही में बढ़ाकर 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में तथा विशेषकर पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ते ऊनी कपड़े की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम्बलों, शालों, लोईयों आदि जैसी ऊनी वस्त्र मदों के उत्पादन पर 13.60 रु० प्रति वर्ग मीटर का उच्चतर उपदान दिया जाता है।

(ग) समाज के गरीब वर्गों को जनता कपड़े का उत्पादन उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्रियान्वयन राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय तंत्र बनाया गया है। राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव/विभाग का सचिव होता है और इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व किया जाता है जिसमें नागरिक आपूर्ति विभाग का सचिव शामिल है क्योंकि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभारी है।

(घ) उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। राज्य में निर्मित कुल जनता कपड़े में से 85 प्रतिशत कपड़ा सार्वजनिक वितरण एजेंसियों की प्रणाली के अनुरूप एजेंसियों द्वारा वितरित किया जाना अपेक्षित है। वितरण कार्य राज्य शीर्ष समितियों द्वारा किया जाता है जिनके ग्राम पंचायत स्तरों पर बिक्री केन्द्र हैं। शुरूआत के तौर पर देश के कुछ पिछड़े जिलों में प्रायोगिक आधार पर जिला स्तरीय समितियां गठित करने के सुझाव की जांच की रही है।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से अन्यत्र ले जाना

*144. **श्री हरीश पाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कार्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए शहरों में स्थानान्तरित करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इन शहरों का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले शहरों में स्थानांतरित/स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित कार्यालयों का विवरण।

अभी हाल ही में अप्रैल, 1990 में पोस्टल स्टाफ कालेज गाजियाबाद में स्थानांतरित किया गया है। निम्नलिखित अन्य कार्यालय भी स्थानांतरित किए जाने हैं :

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	जहां स्थानांतरित किया जाना है
1	2	3
1.	तट रक्षक (मुख्यालय)	गाजियाबाद
2.	अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, डाक विभाग	गाजियाबाद
3.	निरीक्षण निदेशालय, उत्तरी निरीक्षण आपूर्ति विभाग	गाजियाबाद
4.	सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत प्रकाशन प्रभाग, फिल्म प्रभाग, संगीत तथा नाटक प्रभाग तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय	गाजियाबाद
5.	गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत नेशनल क्राइम रिकार्डस् ब्यूरो	किसी भी डी०एम०ए० कस्बे में
6.	प्रकाश स्तंभ तथा प्रकाश पोत विभाग	नोएडा
7.	केन्द्रीय अनुसंधान तथा रोजगार प्रशिक्षण सेवा-संस्थान, श्रम मन्त्रालय	नोएडा
8.	औद्योगिक विकास विभाग के भुगतान आयुक्त	किसी भी उपयुक्त स्थान पर जैसे गुड़गांव
9.	प्रकाशन विभाग	फरीदाबाद
10.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान	गाजियाबाद
11.	नेशनल एकैडेमी आफ कस्टम, एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स	फरीदाबाद

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पता लगाए गए शहरों के विकास हेतु प्रस्तावों के ब्यौरे।

इन शहरों के विकास कार्यक्रमों को एक नियन्त्रण योग्य दिल्ली का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक संतुलित तथा एकीकृत विकास की ओर निर्दिष्ट किया जाता है। इनमें भू-उपयोग, भूमि व्यवस्था पद्धति, उद्योगों की अवस्थिति, व्यापार तथा वाणिज्य संगठन, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों की अवस्थिति, क्षेत्रीय तथा स्थानीय अवसंरचना का विकास और पर्यावरण तथा परिस्थिति की अनुरक्षण भी शामिल है। आठवीं योजना के लिए निवेश प्रस्तावों में केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस मार्गों, रेलवे दूर-संचार तथा ऊर्जा का विकास शामिल है और राज्य क्षेत्र में, इस कार्यक्रम में रिहायशी तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा विकास एवं अवसंरचनाओं का सुधार सम्मिलित है।

शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कार्यवाही

[हिन्दी]

*145. **श्री मित्रसेन यादव**
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों ने शिक्षा स्तरों में सुधार के लिये कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी वर्ष 1987-88 में प्राइमरी स्कूलों में शैक्षिक सुविधाओं में सुधार) लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना आरम्भ की थी। शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में पाठ्यचर्या का नवीकरण, पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाने के लिए उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना शामिल है।

(ग) शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा को रोजगार से सम्बद्ध करना है। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं के मुख्य उद्देश्य, पुरानी पद्धति का आधुनिकीकरण और उसका निवारण तथा पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुर्नसंरचना है।

अम्बेडकर आवास योजना

[अनुवाद]

*146. श्री यादवेन्द्र दत्त
श्री के० प्रधानी } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1989 में "अम्बेडकर आवास योजना" शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनसे कितनी धनराशि एकत्रित की थी;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन को स्थगित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) कुल 32,900 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इन आवेदकों से कुल 23 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में तीन महान विभूतियों—"लाल-बाल-पाल" की प्रतिमाएं

[हिन्दी]

*147. श्री ए० लरंग साय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में तीन महान विभूतियों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चन्द्र पाल की प्रतिमाएं लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कब तक लगाए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमायें दिल्ली में पहले ही विद्यमान हैं । दिल्ली में विपिन चन्द्र पाल की प्रतिमा स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध

[अनुवाद]

*148. **श्री पी० एम० सईद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नगर से नगर के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की नयी प्रणाली शुरू करके भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को विकेन्द्रित करने के बारे में सोवियत संघ से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत-सोवियत सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हाल ही में दोनों देशों ने एक नए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और भारत गणराज्य के मध्य 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1992 तक के सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम के सोवियत प्रारूप में एक सामान्य सुझाव दिया गया है, जिसमें सोवियत संघ और भारत के समरूप क्षेत्रों (सिस्टर रीजन्स) एवं समरूप नगरों (सिस्टर सिटीज) के बीच सीधे आदान-प्रदान की स्थापना की परिकल्पना की गई है ।

(ग) भारत सरकार की नीति युग्मीकरण की इस अवधारणा को मान्यता प्रदान करने की नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मकान निर्माण में पूंजी निवेश

*149. **श्री बी० एन० रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस शताब्दी के समाप्त होने तक देश की मकानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त संसाधन जुटाने हेतु आवास निर्माण में वास्तविक पूंजी निवेश में 35 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की जानी चाहिए, जैसा कि दिनांक 29 फरवरी, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास के हेतु परिव्यय को अन्तिम रूप देने तक, आवास के लिए निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(I) राष्ट्रीय स्तर पर, 1988 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय आवास बैंक ने गृह ऋण खाते के माध्यम से घरेलू क्षेत्र से बचतें एकत्र करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यह आवास के लिए सार्वजनिक निजी तथा सहकारी अभिकरणों और ग्रामीण संस्थानों की भूमि विकास और आश्रय स्कीमों को आर्थिक सहायता दे रहा है।

(II) बैंकिंग क्षेत्र को नए निर्माणों और मरम्मतों दोनों को शामिल करते हुए आवास क्रिया-कलापों के लिए वार्षिक संवृद्धि जमा राशियों का 1.5% देने के लिए कहा गया है।

(III) आवास के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के आबंटन में भी वृद्धि की गई है।

(IV) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए संसाधनों का 55% देने के साथ हुडको के परिचालकों का विस्तार किया गया है।

(V) आवास वित्त की सुलभता में सुधार करने तथा नवीन पद्धतियों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम द्वारा नई आवास वित्त संस्थान प्रवर्तित किए गए हैं। आवास विकास और वित्त निगम के परिचालन 1985-86 में 198.42 करोड़ रुपए से बढ़कर 1989-90 में 603.03 करोड़ रुपए के हो गए हैं।

(VI) भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ श्रमिकों जैसे असुरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान किए जाते हैं।

पामोलीन की अनुपलब्धता

*150. **श्री एस० कृष्ण कुमार**
श्री अमृतलाल बल्लभदास तारवाला } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन खाद्य तेल उचित दर की दुकानों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्य विक्रय स्थलों पर उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता को पामोलीन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) आयातित खाद्य तेल का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध न होने के कारण दिसम्बर, 1990 तथा जनवरी, 1991 के महीने के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई करने के लिए तेलों का कोई आबंटन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए उचित दर की दुकानों

तथा अन्य सार्वजनिक वितरण बिक्री केन्द्रों में पामोलीन की कमी हो गई थी। तथापि, फरवरी, 1991 से पामोलीन का आवटन शुरू कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित पामोलीन का उचित दर की दुकानों तथा सार्वजनिक वितरण के बिक्री केन्द्रों के जरिए आंतरिक वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे आबंटित पामोलीन की उचित दर की दुकानों तथा अन्य सार्वजनिक वितरण बिक्री केन्द्रों के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित करें।

खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी

*151. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति/खाद्य तेलों के निर्माताओं से अपने उत्पादों के मूल्यों में स्वेच्छा से कमी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं ने वास्तव में मूल्यों में कितनी कमी की है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। तथापि उद्योग की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नही थी। उन्होंने बाद में वनस्पति के 15 कि०ग्रा० के टीन के मूल्य को 15 रु० प्रति टीन की दर से कम करके समायोजित करने का सुझाव दिया।

(ग) वनस्पति का मूल्य अशोधित तेलों के मूल्य पर निर्भर करता है। सरकार का मुख्य प्रयास आमतौर पर खाद्य तेलों के मूल्यों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनका आयात करके तथा उसके विकल्पों की उपलब्धता में वृद्धि करके, कम करना है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

*152. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके विरुद्ध "सोसायटी ऑफ यंग साइंटिस्ट्स" के अधीन शोध छात्रों ने हाल ही में मन्त्रालय के सामने धरना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) शोध छात्रों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) युवा वैज्ञानिकों की सोसाइटी के तत्वावधान में अनुसंधान अध्येताओं (रिसर्च स्कालर्स) ने निर्माण-भवन के बाहर 6

फरवरी, 1991 को एक धरना दिया था जिसमें उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा जारी किए गए आदेश को वापिस लेने की मांग की थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के अनुसार अनुसंधान अध्येताओं की सेवाएं समाप्त करने सम्बन्धी कोई आदेश नहीं दिए गए थे। लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् में सभी विभागों के प्रमुखों को एक परिपत्र भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि एक्स्ट्राम्यूरल परियोजनाओं में केवल कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं की ही नियुक्त किया जाना चाहिए और इसके साथ ही उनके विचार मांगे गए थे कि परियोजना कर्मचारियों को किस ढंग से नियोजित किया जाए और आर्थिक सहायता दी जाए।

(ग) अनुसंधान अध्येताओं की प्रमुख मांगें प्रश्नाधीन आदेश को वापिस लेने, परिलब्धियों का संशोधन करने तथा अनुसंधान सम्बन्धी तकनीकी कर्मचारियों को नियमित रोजगार देने के संबंध में थी।

(घ) चूंकि यथास्थिति बनाए रखी जा रही है और इस परिपत्र का उद्देश्य अनुसंधान वैज्ञानिकों को उनके रोजगार से वंचित करना नहीं था इसलिए इसमें कोई आगे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अनुसंधान कर्मचारियों के रोजगार की शर्तें परियोजना के स्वरूप और उसकी अवधि को देखते हुए तय की जाती हैं और उन्हें दिए गए नियुक्ति पत्र में उल्लिखित होती हैं। जहां तक परिलब्धियों को संशोधित करने का संबंध है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की कार्यकारी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर शासी निकाय द्वारा विचार किया जाना है।

विवाह किए जाने की आयु में वृद्धि करना

*153. **श्री आनन्द सिंह**
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि को रोकने के लिए, जाति और धर्म का विचार किए बिना, विवाह किए जाने की आयु में वृद्धि करने की वान्छनीयता पर विचार किया है।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन प्रस्तावों पर विचार किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना प्रजननता को कम करने के लिए तथा इस प्रकार जनसंख्या नियन्त्रण के लिए उचित है। बालविवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 1981 की जनगणना के अनुसार, देश में विवाह की औसत आयु लड़कियों के लिए 18.3 वर्ष और लड़कों के लिए 23.3 वर्ष है। जनसंख्या नियन्त्रण पर बेहतर प्रभाव के लिये विवाह की औसत आयु को और बढ़ाना वांछनीय है। शिक्षा,

सामाजिक जागरूकता आदि के जरिए रवैयों में परिवर्तन लाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में अपेक्षित परिवर्तन आया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जन-संख्या के आंकड़ों के अनुसार लड़कियों और लड़कों की विवाह की औसत आयु 1971 में क्रमश: 17.1 वर्ष और 22.3 वर्ष से बढ़कर 1981 में 18.3 वर्ष और 23.3 वर्ष हो गई है।

बरेली (उ० प्र) का विकास

[हिन्दी]

*154. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का "काउंटर मैगनेट सिटी" के रूप में विकास करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार है; और

(ख) इस नगर के लिए विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और अब तक इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) कार्य योजना को अन्तिम रूप देने का कार्य लम्बित होने के कारण काउंटर मैगनेट सिटी के रूप में बरेली (उ० प्र०) के विकासार्थ निधियों के प्रावधान पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

साक्षरता अभियान को सफल बनाने हेतु कार्यवाही

*155 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरता अभियान को भारी सफलता दिखाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) इस अभियान में भारत ज्ञान-विज्ञानसमिति, नेहरू युवा केन्द्र और अखिल भारतीय छात्र संघ को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या इस अभियान को सफल बनाने के लिए बोली जाने वाली सभी भाषाओं की पठ-नीय सामग्री, अध्यापक आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 1955 तक 15-35 आयु-वर्ग में 800 लाख निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक सामाजिक मिशन है क्योंकि इसमें साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वैच्छिक एजेंसियां, शैक्षिक संस्थाएं, नेहरू युवक केन्द्र संगठन, भूतपूर्व सैनिकों और जिला साक्षरता समितियों जैसे अन्य संगठनों जिसमें सरकारी और गैर

सरकारी कार्यकर्ता, आदि शामिल हैं, को साक्षरता अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से शामिल किया गया है ।

(ख) भारत ज्ञान विज्ञान समिति, पंजीकृत सोसायटी को, साक्षरता के लिए जागरूकता पैदा करने और साक्षरता की मांग बढ़ाने और साक्षरता के प्रसार के लिए लोगों का तंत्र बनाने के लिए पूरे देश भर में जत्थों को संगठित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय, नेहरू युवा केन्द्र संगठन को युवा क्लबों और गैर-छात्र युवकों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए सहायता दी गई है । अखिल भारतीय छात्र सघ को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है ।

(ग) और (घ) जहां तक संभव हो बोली जाने वाली सभी भाषाओं में साक्षरता प्रदान की जाती है ।

नारियल जटा का निर्यात

*156. **श्री राजवीर सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी नारियल जटा का निर्यात किया गया; और

(ख) नारियल जटा का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1987-88	25147	32.20
1988-89	24979	33.32
1989-90	47458	40.18

(ख) भारत के कयर का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है – व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, बाजार अध्ययन और बाजार अनुसंधान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना तथा प्रचार सामग्री का वितरण करना, बड़े बाजारों में मेलों में भाग लेना, क्वालिटी में सुधार लाना तथा निर्यात प्रोत्साहन आदि मंजूर करना ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान

[अनुवाद]

*157. **श्री भवानी शंकर होटा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कार्यरत कर्मचारियों को समान वेतनमान देने और उनके लिए समान सेवा शर्तें लागू करने, गैर-अध्यापन कार्यरत कर्मचारियों को

सीनेट तथा सिन्डीकेट जैसे विश्वविद्यालय निकायों में प्रतिनिधित्व दिलाने और सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसरों में पर्याप्त आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी परिसंघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार कर रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार के तदनुरूपी कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर हैं। कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधिनियमों में, विश्वविद्यालय के कोर्टों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आवास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है।

(ख) जी, नहीं।

एड्स के रोगी

*158. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा / डा० वेंकटेश काबडे** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण कराने का विचार है, यदि हां, तो कब और ऐसे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ङ) एड्स के रोगियों का पता लगाने और उनके उचित उपचार के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का इस भयानक बीमारी के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये नियमित रूप से गोष्ठियां आयोजित करने अथवा जन प्रचार माध्यमों द्वारा विशेष प्रचार का अभियान चलाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (छ) एड्स रोग के लिए क्लीनिकल निगरानी का कार्य अक्तूबर, 1985 में शुरू किया गया था। एड्स रोग के प्रथम रोगी का पता मई, 1987 में चला। पहली फरवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार एड्स रोग के 60 रोगी बतलाये गए हैं। एड्स रोगियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एड्स रोगियों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	24
2.	पंजाब	8
3.	मणिपुर	4
4.	असम	1
5.	तमिलनाडु	8
6.	केरल	2
7.	राजस्थान	1
8.	पश्चिम बंगाल	1
9.	आन्ध्र प्रदेश	1
10.	जम्मू व कश्मीर	1
11.	उत्तर प्रदेश	1
12.	गुजरात	1
13.	गोआ	2
14.	पांडिचेरी	3
15.	दिल्ली	2
	कुल	60

सरकार ने 41 शहरों में 67 निगरानी केन्द्र खोले हैं जिनमें एच आई वी संक्रमण (ह्यूमन अम्युनो-डेफिशियेंसी वायरस जो एड्स रोग उत्पन्न करते हैं का पता लगाने के लिए जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस रोग का उपचार करने के लिये कोई औषध न होने के कारण केवल रोग के लक्षणों पर आधारित उपचार ही संभव है। एड्स रोग का निदान करने के लिये और उनका उपचार करने के लिये 13 संस्थाएं निश्चित की गई हैं और उन्हें सुविधाओं से युक्त किया गया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एड्स रोगियों का इलाज करने वाले चिकित्सकों और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से 14 प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाई हैं।

जन साधारण तथा रोग के अधिक खतरे वाले वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो तथा राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो दोनों द्वारा प्रचार उपाय किए जाते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने मई, 1986 से(I) दूरदर्शन आकाशवाणी, प्रेस तथा 6 भाषाओं में सिनेमास्लाइडों; (II) भित्ति-फलकों, बस बोर्डों, कियोस्कों, प्रदर्शनियों तथा पोस्टरों, (III)

मुद्रित सामग्री की 1,20,000,00 प्रतियों के वितरण तथा (IV) स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रशिक्षण के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचार उपाय किये हैं।

रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

*159. **श्री मानी भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में रोगप्रतिरक्षण और अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों को प्रायोजित करने और कार्यान्वित करने के लिये "यूनिसेफ" के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ऐसे कार्यक्रमों पर नियन्त्रण तथा निगरानी रखने वाले केन्द्रीय सरकार के शीर्ष अभिकरणों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कुल कितनी नकद धनराशि और अन्य वस्तुएं, मद-वार, दी गई और कार्यक्रम की स्थिति रिपोर्ट क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार और यूनिसेफ के बीच 5 वर्ष की अवधि के लिए सहमत हुई कार्य योजना में यह प्रावधान है कि यूनिसेफ व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और बाल जीवन रक्षा से संबंधित अन्य सम्बन्धित कार्यों जिनमें मुखीय पुनर्जलपूरण उपचार कार्यक्रम और तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण शामिल हैं, के लिये यूनिसेफ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

इस सहमत कार्य योजना के अधीन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को भी शिक्षा, जलपूर्ति, महिला और बाल विकास आदि से संबंधित कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। यूनिसेफ के साथ समग्र समन्वय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। वैसे, विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जाती है।

इस विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रम में उल्लिखित तीनों कार्यक्रमों के लिये ७वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता की कुल राशि और उनकी स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण 1, 2 और 3 में दी गई है।

विवरण-1

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम

वर्ष 1985-86 में 31 जिलों में शुरू किए गए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का चरणबद्ध ढंग से विस्तार करके इसे वर्ष 1989-90 में समूचे देश में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बी.सी.जी. की एक खुराक, पोलियो वैक्सीन और डी.पी.टी. की तीन-तीन खुराकों तथा खसरा वैक्सीन की एक-खुराक देकर और गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्साइड की दो खुराकें देकर रोग प्रतिरक्षण प्रदान करना है।

वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम शुरू किये जाने के समय बी.सी.जी. के सम्बन्ध में 29 प्रतिशत और डी.पी.टी. के सम्बन्ध में 41 प्रतिशत को ये वैक्सीनें दी जा चुकी थीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, अर्थात 1989-90 तक वेक्सीन दिये जाने की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और यह प्रतिशतता बी.सी.जी. टीकाकरण के सम्बन्ध में 89 प्रतिशत, डी.पी.टी. तथा पोलियो वैक्सीनों के सम्बन्ध में 82 प्रतिशत और शिशुओं को खसरा वैक्सीन तथा गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्साइड देने के सम्बन्ध में 69 प्रतिशत थी। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन जनवरी, 1991 तक चालू वर्ष का कार्यनिष्पादन कुल मिलाकर यह दर्शाता है कि इस वर्ष देश में कुल मिलाकर वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रोगप्रतिरक्षण टीके/वैक्सीनें दी गई हैं।

यूनिसेफ इस कार्यक्रम के लिये नकद व वस्तु के रूप में सहायता प्रदान कर रही है। शीत श्रृंखला उपकरण और आयातित वैक्सीनों को वस्तु के रूप में दी गई सहायता समझा जाता है जबकि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का खर्च, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अधीन नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों का वेतन और परिचालन खर्च को प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जाता है। सातवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त हुई वार्षिक सहायता नीचे दी गई है, जिसमें रास्ते में आ रही सप्लाई शामिल नहीं है :

सहायता (रुपये लाख में)

वर्ष	उपकरण	वैक्सीन	नकद	कुल
1	2	3	4	5
1985-86	297.20	232.50	3.07	532.77
1986-87	657.78	358.51	60.90	1070.19
1987-88	1137.30	389.51	157.81	6184.92
1988-89	1638.57	224.27	338.52	2201.36
1989-90	1851.87	405.24	746.86	3003.97
कुल	5582.72	1610.33	1307.16	8500.21

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार यूनिसेफ सहायता (लाख रुपये में) 1985-86 से 1989-90 तक

राज्य	कोल्ड चेन उपकरण	भारत सरकार के माध्यम से नकद पैसा
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	436.33	84.10
असम	144.42	51.06

1	2	3
बिहार	465.76	69.63
गुजरात	210.45	79.24
हरियाणा	142.50	31.13
हिमाचल प्रदेश	66.00	31.15
जम्मू व कश्मीर	72.45	24.21
कर्नाटक	298.81	75.78
केरल	191.88	50.11
मध्य प्रदेश	424.57	90.50
महाराष्ट्र	567.52	128.57
मणिपुर	22.37	11.08
मेघालय	20.66	7.01
नागालैंड	12.52	9.41
उड़ीसा	228.41	69.62
पंजाब	169.45	22.73
राजस्थान	277.96	135.25
सिक्किम	7.60	4.24
तमिलनाडु	397.51	54.62
त्रिपुरा	19.13	11.19
उत्तर प्रदेश	961.43	148.56
पश्चिम बंगाल	354.57	56.11
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.84	.19
अरुणाचल प्रदेश	14.40	11.24
चंडीगढ़	4.12	.85
दादरा और नगर हवेली	1.50	.14
दिल्ली	47.13	39.23
गोवा	9.13	.67
लक्षद्वीप	1.25	.15
मिजोरम	11.76	6.91
पांडिचेरी	7.02	2.50
दमन और दीव	.20	.00
योग	5582.72	1307.16

टिप्पणी : सीवसीर्फों के लिए राज्यवार ब्यौरा अनुपलब्ध है लेकिन खर्च की गई कुल धनराशि 1618.33 लाख रुपये है।

विवरण-2

ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी को बढ़ावा देने के सर्वसम्मत निर्णय के फलस्वरूप सातवीं योजना में ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम को तेज किया गया था। डी हाइड्रेशन के मन्द/मध्यम रोगियों का घर में बनाए गए तरल पदार्थ की सहायता से उपचार करने के बारे में महिलाओं तथा समुदाय को शिक्षा देना, सभी स्वास्थ्य कार्मिको को प्रशिक्षित कर सभी स्वास्थ्य केन्दों में तीव्र किस्म के रोगियों के उपचार की व्यवस्था और सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक घोल (ओ आर एस) के पैकेट नि:शुल्क उपलब्ध करना इस कार्यक्रम के प्राथमिकता वाले क्षेत्र है।

सातवीं योजना अवधि के दौरान 30,948 प्राइवेट चिकित्सकों, 45092 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और 127044 ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित कुल 2.3 लाख चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों और समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नकद तथा सामग्री के रूप में निम्नलिखित सहायता उपलब्ध की गई :—

(1) 1988 दिल्ली प्रशासन को ओ आर एस के 5.5 लाख पैकेट जिनकी कीमत लगभग 8.25 लाख रुपए थी।

(2) 1989··· स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 50 प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 वी सी आर और 50 रंगीन टेलीविजन जिनकी कीमत लगभग 10.70 लाख रुपये थी।

(3) 1990···· बिहार और गुजरात प्रत्येक को ओ आर एस के 2 लाख पैकेट और उड़ीसा को ओ आर एस के 1.00 लाख पैकेट जिनकी कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए थी।

(4) 1991··· राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को "अतिसार प्रबन्ध" नामक दस्तावेज की 12000 प्रतियां जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये थी। और प्रत्येक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए हिन्दी तथा स्थानीय भाषाओं में मुद्रित "अतिसार के दौरान बेहतर देखभाल" नामक पुस्तिका की 200 प्रतियां जिनकी अनुमानित लागत 121.00 लाख रुपए थी।

विवरण-3

तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम

1989 में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के राज्यों के जिलों को लेकर 15 जिलों में यूनिसेफ की सहायता से एक प्रमुख परियोजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सबसे निचले परिसरीय स्तर पर एंटी माइक्रोबियल्स की व्यवस्था के माध्यम से तीव्र श्वसनीय संक्रमणों से सम्बद्ध मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम की कार्यनीति यह है कि मानक रोगी प्रबंध के माध्यम से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की न्युमोनिया से होने वाली मौतों को

कम किया जाए और न्युमोनिया को छोड़कर तीव्र श्वसनीय संक्रमणों का उपचार करने में एंटिबायोटिक्स के अनुपयुक्त उपयोग में कमी की जाए।

यूनिसेफ ने चालू वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान 15 राज्यों, प्रत्येक राज्य को 16.8 लाख कार्टि मोक्साजौल गोलियों की आपूर्ति की है। सभी राज्यों को की गई इन आपूर्तियों के कुल मूल्य का अनुमान 21.84 लाख रुपये लगाया गया है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन में लगे संगठनों को वित्तीय सहायता

*160. **प्रो० के वी० थामस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कुष्ठ रोग के उन्मूलन और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास में लगे सामाजिक संगठनों को कोई वित्तीय सहायता देती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण, शिक्षण और उपचार योजना के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए अनुदान का ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कल्याण मन्त्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का ब्योरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

कुष्ठ उपचार में लगे हुए स्वयंसेवी संगठनों के नाम—पिछले तीन वर्षों के दौरान दिया गया अनुदान

क्रम सं०	संगठन का नाम	1988-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	श्रीमत्ता संकर मिशन, असम	239315	11000	49100
2.	कुष्ठ मिशन अस्पताल, आन्ध्र प्रदेश	163500	—	136950
3.	गांधी कुष्ठ निवारक प्रतिष्ठान, बिहार	500300	700773	582300

1	2	3	4	5
4.	भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर बिहार	436220	382215	507430
5.	सन्थाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवगढ़, बिहार	542084	608057	580437
6.	राजेन्द्र सेवा आश्रम, मेरवा, अनुग्रह नगर बिहार	633000	1154450	757767
7.	स्वामी विवेकानन्द ट्रस्ट, बिहार	62700	113900	176600
8.	बनवासी सेवा केन्द्र, बिहार	61680	142150	89475
9.	नवजाग्रत मानव समाज, सिंहभूम, बिहार	—	—	10400
10.	सिंहभूम नवजीवन कुष्ठ अस्पताल, बिहार	101400	--	240054
11.	बड़ोदा सिटिजंस काउंसिल, बड़ोदा, गुजरात	123865	40875	53600
12.	कुष्ठ रोग निवारक संघ, महाराष्ट्र	78700	326943	116975
13.	अहमदनगर जिला कुष्ठ संघ, महाराष्ट्र	91900	215546	109016
14.	हैदीनंधावाद्ठ मेमोरियल सर्विस महाराष्ट्र	119764	298446	160350
15.	वडाला कुष्ठ नियन्त्रण एवं प्रशिक्षण परियोजना महाराष्ट्र,	149000	141539	333549
16.	शक्तिब्रहम आश्रम, जालना, महाराष्ट्र	—	25310	12225
17.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रस्ट, पुण महाराष्ट्र	—	—	104700

1	2	3	4	5
18.	श्री गुरदेव कुष्ठ सेवा मंदर, अरावती, अमला	—	29556	29775
19.	रिचर्डसन कुष्ठ अस्पताल, मिराज	—	—	147775
20.	सोसाइटी आफ मिस्टर्स आफ होली क्रॉस, केरल	88125	122250	—
21.	डेमीन कुष्ठ संस्थान, केरल	—	184660	410975
22.	पुअर लेप्रोसी अस्पताल, केरल	107400	43675	143500
23.	बेलगाम लेप्रोसी हॉस्पिटल, हिंडलागा, कर्नाटक	183300	312100	177000
24.	जनता ट्रस्ट कर्नाटक	—	—	593325
25.	रावट्टाकुप्पम हेमेरिजेक्स रूरल सेंट, पांडिचेरी	—	463200	240200
26.	दयापुरम लेप्रोसी हॉस्पिटल, तमिलनाडु	369480	137400	137400
27.	लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल, तमिलनाडु	161288	90846	93525
28.	हिन्दू मिशन अस्पताल, ताम्बरम, तमिलनाडु	61100	—	1006569
29.	ग्रामीण सबत्मक कल्याण केन्द्र, पश्चिम बंगाल	—	68435	—
30.	गांधी मेमोरियल लेप्रोसी सेंटर, बलरामपुर, पश्चिम बंगाल	89400	180850	245669
31.	बाम इंडिया, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	—	168152	89700
32.	कलकत्ता नगरीय सेवाएं, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	95300	113929	—

1	2	3	4	5
33.	हिंद कुष्ठ निवारण संघ, मानिकपारा, पश्चिम बंगाल	20082	14451	—
34.	बाकुड़ा लेप्रोसी नियंत्रण कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल	122955	154650	220183
35.	लेप्रोसी मिशन, फैजाबाद,	157600	149250	—
36.	पूर्वांचल सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश	132000	191150	84650
37.	जहांगीर मेमोरियल चेरिटेबल हास्पिटल, उत्तर प्रदेश	143900	10210	434250
38.	बी आर डी कुष्ठ सेवा आश्रम, देवरिया, उत्तर प्रदेश	249320	162600	168900
39.	संजय गांधी सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश	72680	—	—
40.	महारोगी सेवा समिति, वर्धा, महाराष्ट्र	35994	—	64265
41.	हिंद कुष्ठ निवारण संघ, जामिया, कुंता	369800	—	255600
42.	कुष्ठ सेवा समिति, कपासिया, बिहार	197075	—	29282
43.	मराठवाडा लोक सेवा मंडल,	—	—	—
44.	लेप्रोसी हास्पिटल एंड होम, चांदपुरी, मध्य प्रदेश	166930	—	—
45.	कुम्बकोणम हिन्दू मिशन हास्पिटल, तमिलनाडु	—	43122	679675
46.	क्रिश्चियन फेलोशिप लेप्रोसी हास्पिटल, तमिलनाडु	—	—	118350
	योग :	55,44,320	69,93,600	99,64,226

विवरण-2

कल्याण मन्त्रालय द्वारा दिया गया अनुदान

क्र० सं०	संगठन	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	अर्जन कुष्ठ राहत संघ राहत कोष, 4 गजापथी स्ट्रीट मेगाय नगर, मद्रास	(I) 27,036/- (II) 20,070/-	26,153/- (प्रशिक्षण केन्द्र) 22,077/- (सेवाओं की स्थापना के लिए)	29,397/- (व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र)
2.	मेकरेड हार्ट लेप्रोसी अस्पताल, तक्कोटाई-612 401, तमिलनाडु	—	—	18,930/- (सेवाओं की स्थापना के लिए)
3.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ रेडक्रास भवन भुवनेश्वर	—	—	2,40,000/- (कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास)
4.	पर्यावरण जन जागरण, बिन्सार अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश	—	41,400/-	21,420/- (व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र)
5.	शिवनन्द पुनर्वास गृह, कुक्टापल्ली, हैदराबाद	—	76,500/- (पुनर्वास केन्द्र चला रहा है)	1,53,000/- × (फर्नीचर और उपकरण मशीनरी की खरीद के लिए)
6.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, (पश्चिम बंजिया शाखा) पश्चिम बंगाल	2,22'684/- (प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है)	—	—

× अनुदान के वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है।

माहे में और विश्वविद्यालय केन्द्र खोलना

1590. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांडिचेरी के भाग, माहे में और विश्वविद्यालय केन्द्र खोलने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) इस सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग आठवीं योजना अवधि में विश्वविद्यालय के समेकित विकास के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों तथा शिक्षा विशेषज्ञों से परामर्श करके पांडिचेरी विश्वविद्यालय को विकास अनुदान प्रदान करेगा। ये अनुदान सामान्यतः छात्रावास और परिसर विकास सहित उपकरणों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अतिरिक्त शिक्षक स्टाफ, आदि के विकास के लिए दिये जाते हैं।

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

1591. **श्री राम नाईक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में चीनी मिलें स्थापित करने के लाइसेंस की मंजूरी हेतु अनेक आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी;

(ग) ये आवेदन-पत्र किस तारीख से विचाराधीन हैं; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान की जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 28-2-91 तक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) शर्करा उद्योग में लाइसेंस नीति की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है और उसके बाद इन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए खाद्य विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण 28-2-1991 को

क्रम सं०	प्रस्तावित स्थान सहित सहकारी समिति का नाम	शर्करा निदेशालय (खाद्य विभाग) में प्राप्ति की तारीख	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	मै० बाराशिबहमन एसएसके लि०, ज्वालाबाजार तह० बास्मथनगर, जिला प्रभानी	1-2-90	सहकारी
2.	मै० श्री साई बाबा एसएसके लि०, मांकेश्वर ता० जिंटूर, जिला प्रभानी	25-4-90	"
3.	मै० श्री जगदम्बा एसएसके लि०, अकोली ता० जिंटूर, जि० प्रभानी	18-5-90	"
4.	मै० महाबिष्णु एसएसके लि०, साईखूड्ड ता० गंगाखेड, जि० प्रभानी	29-6-90	"
5.	मै० श्री दार्जागुरु एसएसके लि०, पूर्ण तह० प्रभानी, जिला प्रभानी	3-9-90	"
6.	मै० राजर्षि साहू महाराज मागास्वर्गीय एसएसके लि०, पूयानी ता० गंगाभेड, जिला प्रभानी	12-10-90	"
7.	मै० तोपाई एसएसके लि०, कुरून्दा ता० बास्मथनगर, जिला प्रभानी	24-10-90	"
8.	मै० गोदावरी बोरना एसएसके लि०, खदबा ता० गंगाभेड, जिला प्रभानी	21-12-90	"
9.	मै० तोबा भावानी एसएसके लि०, कुरून्दा ता० वास्मथनगर, जिला प्रभानी	12-12-90	"
10.	मै० साहूवाडी एसएसके लि०, अम्बा तह० साहूवाडी, जिला कोल्हापुर	15-2-90	"
11.	मै० सप्त गंगा एसएसके लि० वेसारफ पालासांबले तह० गगनबवादा, जि० कोल्हापुर	20-4-90	"

1	2	3	4
12.	मै० महारानी ताराबाई एसएसके लि०, पेथवादगांव, तह० हतकननगोले, जि० कोल्हापुर	16-8-90	सहकारी
13.	मै० एस० एम० जोषी एसएसके लि०, [illegible] हतकाननगोले, जिला कोल्हापुर	3-9-90	
14.	मै० [illegible] एसएसके लि०, मादुर तह० मुदरगढ़, जिला कोल्हापुर	22-8-90	,,
15.	मै० कागलतालुका एसएसके लि०, कागल (अर्जुनी) तह० करवीर, जिला कोल्हापुर	14-9-90	,,
16.	मै० बैरिस्टर नाथ पई एसएसके लि०, कवाड़ ता० चन्दगाद, जिला कोल्हापुर	1-11-90	,,
17.	मै० श्री सरस्वती एसएसके लि०, गोसरवाडी तह० सिरोल, जिला कोल्हापुर	20-11-90	,,
18.	मै० सहयाद्री एसएसके लि०, मनबेत जिला कोल्हापुर	8-8-89	,,
19.	मै० सिरोल तालुका मागस्वर्गीय एसएसके लि०, सैनिक तकली, ता० सिरोल, जि० कोल्हापुर	28-1-91	,,
20.	मै० बेंदसुरा एसएसके लि०, मोजाचिवाडी ता० बीड जिला बीड	1-3-90	,,
21	मै० बालिराजा शेतकारी एसएसके लि०, बावेडी, ता० कैज जिला बीड	16-5-90	,,
22.	मै० साथी एस० एम० जोशी एसएसके लि०, घेकनमोहा ता० बीड जिला बीड	5-6-90	,,
23.	मै० स्वर्गीय चौधरी चरन सिंह एसएसके लि०, बाबुलतारा ता० जिओराइ, जिला बीड	29-5-90	,,
24	मै० शेतकर एसएसके लि०, तिंतारवानी, ता० जिओराइ जिला बीड (बीड़)	19-6-90	,,

1	2	3	4
25.	मै० श्री सन्त भगवान बाबा एसएसके पटनन्दुर, ता० पटोड़ा, जिला बीड	28-6-90	सहकारी
26.	मै० सिधिविनायक एसएसके लि०, नेकनुर, ता० बीड, जिला बीड	24-7-90	"
27.	मै० वैद्यनाथ एसएसके लि०, बड़गांव, ता० अम्बेयोगाई जिला बीड	6-8-90	"
28.	मै० महात्मा जतिवा फुले एसएसके लि०, महासंघवी ता० पटोडा जिला बीड	16-8-90	"
29.	मै० प्रभोधन्कार केशव सिताराम थाम्रोकेरे एसएसकें लि०, सावरगांव तह० मजलगांव जिला बीड	30-8-90	"
30.	मै० बालीराजा एसएसके लि०, रंजेगांव ता० बीड जिला बीड	7-11-90	"
31.	मै० केशनराज एसएसके लि०, सावरगांव, ता० मजलगांव जिला बीड	28-11-90	"
32.	मै० वेंकटस्वामी एसएसके लि०, सरीला जिला बीड	26-10-89	"
33.	मै० वैद्यनाथ एसएसके लि०, पंगारे, ता० अम्बेयोगाई जिला बीड	24-7-90	"
34.	मै० एम० फुले अम्बेडकर एसएसके लि०, फुले पिम्पलगांव, ता० अमजलगांव जिला बीड	28-1-91	"
35.	मै० महात्मा जोतिबा फुले एसएसके लि०, धरमपुरी, ता० अम्बयोगाई, जिला बीड	19-2-91	"
36.	पंधरीनाथ एसएसके लि०, धाकेफल ता० पैथन, जिला औरंगाबाद	2-1-91	"
37.	मै० शिवेश्वर एसएसके लि०, वाकंके ता० कन्नाड, जिला औरंगाबाद	16-3-90	"

1	2	3	4
	38. मै० हरसिध्दि एसएसके लि०, करमाड, ता० जिला औरंगाबाद	25-4-90	सहकारी
	39. मै० श्री सरद एसएसके लि०, विहामौदवा, ता० पैथन जिला औरंगाबाद	6-6-90	,,
	40. श्री हीराजी महाराज एसएसके लि०, पिसोरा, ता० कन्नाड, जिला औरंगाबाद	5-7-90	,,
	41. मै० छत्रपति संभाजी एसएसके लि०, चोंदाला, तह० पैथन, जि० औरंगाबाद	22-8-90	,,
	42. मै० ओम मोरेश्वर एसएसके लि०, गिरीजानगर, ता० सिल्लोड, जि० औरंगाबाद	7-11-90	,,
	43. मै० शिऊना एसएसके लि०, देवागांव रंगारी, ता० कन्नाड जि० औरंगाबाद	23-11-90	,,
	44. मैसर्स प्रतिष्ठान एसएसके लि०, बिदकीन तह० पैथन जिला औरंगाबाद	17-12-90	,,
	45. मै० श्री एसएसके लि०, खुलताबाद ता० खुलताबाद, जि० औरंगाबाद	17-12-90	,,
	46. मै० महात्मा फुले मागसवर्गीय एसएसके लि०, कदराबाद, ता० एवं जि० औरंगाबाद	18-1-91	,,
	47. श्री कृष्ण एसएसके लि०, देओगांव, ता० गंगापुर, जिला औरंगाबाद	21-1-91	,,
	48. मै० काशीनाथ महाराज एसएसके लि०, शेगांव, ता० चन्द्रपुर, जिला चन्द्रपुर	20-3-90	,,
	49. मै० महालक्ष्मी एसएसके लि०, सिंदेवादी जिला चन्द्रपुर	23-1-90	,,
	50. मैसर्स शिवशक्ति ओमेरगा तालुक एसएसके लि०, रामपुरपति, तालुक ओमेरगा, जिला उसमानाबाद	6-4-90	,,

1	2	3	4
51.	मै० डा० बाबा साहेब शेतकारी एसएसके लि०, केशवगांव, ता०/जिला उसमानाबाद	23-5-90	सहकारी
52.	मै० बालाघाट शेतकारी एसएसके लि०, खामसवाडी, ता० एवं जिला उसमानाबाद	28-5-90	,,
53.	मै० सन्त गोरेबा एसएसके लि०, हिंगांवगांव ता० कल्लाम, जिला उसमानाबाद	6-9-90	,,
54.	मै० ओमेरगा शेतकारी एसएसके लि०, बिरदेओमंदिर, ता० ओमेरगा, जिला उसमानाबाद	19-9-90	,,
55.	मै० जय जवान जय किसान मागमर्गीय एसएसके लि०, उप्लाई, ता० कल्लाम, जिला उसमानाबाद	24-10-90	,,
56.	मै० खांडेशवाद शेतकारी एसएसके लि०, मंडवा, तह० कल्लाम, जिला उसमानाबाद	12-10-90	,,
57.	मै० सिद्धि विनायक एसएसके लि०, वडसा, ता० अरमोरी, जिला गडचिरोली	21-3-90	,,
57. (क)	मैसर्स सिद्धार्थ शुगर को० फैक्ट्री लि०, पोरला, तह० गडचिरोली, जिला गडचिरोली	14-12-90	,,
58.	मैसर्स रेना शेतकारी एसएसके लि०, राणापुर (के) तह० एवं जिला लतुर	6-4-90	,,
59.	मैसर्स ओमकारेश्वर एसएसके लि०, घड़वाड, ता० एवं जिला लतुर	6-4-90	,,
60.	मैसर्स यशवंतराव चौहान एसएसके लि०, बेलहुंद, ता० अऊसा, जिला लतुर	26-4-90	,,
61.	मैसर्स यशवंत शेतकारी एसएसके लि०, प्रस्तावित स्थान नागालगांव, ता० उदगीरी जिला लतुर	8-5-90	,,
62.	मै० नृसिंहकृपा शेतकारी एसएसके लि०, गोंदावी, ता० अऊसा, जिला लतुर	18-5-90	,,
63.	मै० श्री शेतकारी एसएसके लि०, पोहारेगांव, ता०/जिला लतुर	5-6-90	,,

1	2	3	4
64.	मैं० मंजरा एसएसके लि०, गंधवाड, ता० एवं जिला लतुर	14-6-90	सहकारी
65.	मैं० श्री गणेशनाथ एसएसके लि०, मोसा, ता० लतुर, जिला लतुर	14-6-90	"
66.	मैं० उदयगिरी एस०एस०के० लि०, हकनाकवादी, ता० उदगिर जिला लतुर	6-8-90	"
67.	मैं० डा० राम मनोहर लोहिआ एसएसके लि०, इसमालपुर, ता० उदगीर जिला लतुर	19-9-90	
68.	मैं० डोंगाराइ सागरेश्वर शेतकारी एसएसके लि०, प्रस्तावित स्थान केदेपुर तह०/ता० खानपुर, जि० सांगली	8-5-90	"
69.	मैं० जनता एस०एस०के० लि०, अराग, ता० मीरज जिला सांगली	1-6-90	"
70.	मैं० दुद्धेश्वर एसएसके लि०, साबलवाडी ता० मोरज जिला सांगली	1-6-90	"
71.	मैं० सोनहीरा एसएसके लि०, वांगी ता० खानपुर, जिला सांगली	6-6-90	"
72.	मैं वसंत दादा एसएसके लि०, अस्ता (शिगांव), ता० वालवा जिला सांगली	28-6-90	"
73.	मैं० क्रांति एस०एस०के० लि०, कुडल ता० टासगांव, जिला सांगली	28-6-90	"
74.	मैं० अनन्त एसएसके लि०, वाटेगांव ता० बालवा, जिला सांगली	16-8-90	"
75.	मैं० श्री मलिका अर्जुन एस०एस०के० लि०, कोहेगांव, ता० वाल्वा, जि० सांगली	16-8-90	"
76.	मैं० वारनाखोड़ा एसएसके लि०, कुरलाब, ता० वाल्वा, जिला सांगली	16-8-90	"
77.	मैं० शिवकृपा सहकारी साखर कारखाना लि०, घोरपाडी, तह० कवथेमहांकाल, जिला सांगली	30-8-90	"

1	2	3	4
78.	मै० कर्मवीर भाऊराव पाटिल एस०एस०के० लि०, शिगांव, ता० वाल्वा, जिला सांगली	19-9-90	सहकारी
79.	मै० ज्ञानेश्वरी एसएसके लि०, उमदी, तह० जाठ जि० सांगली	1[illegible]-10-90	"
80.	मै० बाबा साहेब अम्बेडकर एसएसके लि०, कुंडलवाडी, तह० वाल्वा, जि० सांगली	24-10-90	"
81.	मै० शेतकारी एसएसके लि०, कोकाले तह० काव्ठे, महाकाल, जि० सांगली	17-12-90	"
82.	मै० जसगांव तालुका पूर्व भाग एस०एस०के० लि०, मोराले (पैद), ता० जसगांव, जिला सांगली	28-1-91	"
83.	मै० लिनाइदेवी एसएसके लि०, अराला, ता० शिराला, जिला सांगली	25-2-91	"
84.	मै० किसान एसएसके लि०, नडगांव, शाहपुर, जिला थाने	20-4-90	"
85.	मै० अहिल्यादेवी महिला एस० एस० के० लि०, हलगांव ता० जमखेड, जिला अहमदनगर	8-5-90	"
86.	मै० मुक्ताबाई एस० एस० के० लि०, [illegible]ममी ता० राहुरी, जिला अहमदनगर	6--6-90	"
87.	मै० श्री खातमलोस द्रायलदेव गणपत, मिराजगांव, ता० कारजट, जिला अहमदनगर	14-6-90	"
88.	मै० कुकोदी एसएसके लि०, पम्पलगांवपिसा ता० श्री गोंडा, जिला अहमदनगर	23-8-90	"
89.	मै० शेवगांव भाग एस०एस०के० लि०, डा० चोटाम, ता० शेवगांव, जि० अहमदनगर	23-8-90	"
90.	मै० श्री समर्थ सदगुरु किसान गीरी बाबा एस०एस०के० लि०, नवासा (बी० के०) तह० नवासा जिला अहमदनगर	22-8-90	"
91.	मै० नागर तालुका एसएसके लि०, वलकी तह० जिला अहमदनगर	4-9-90	"

1	2	3	4
92.	मै० फूले अम्बेडकर एसएसके लि०, कौलगांव (अहोरजे रोड) ता० श्रीगोंडा, जि० अहमदनगर	14-9-90	सहकारी
93.	मै० संगम सहकारी एसएसके लि०, नवासा, जिला अहमदनगर	19-9-90	"
94.	नन्दादेवी एसएसके लि०, ननाज, ता० जमखेड, जिला अदमदनगर	12-10-90	"
95.	मै० किसान क्रांति एसएसके लि०, श्रीगोंडा ता० श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर	2-1-91	"
96.	मै० जय बजरंग एस०एस०के० लि०, शेवगांव जिला अहमदनगर	2-1-91	"
97.	मै० मधा तालुका सेतकारी एसएसके लि०, एस०एम० जोशीनगर, डा० तूम्मूरनी, ता० मधा जिला सोलापुर	8-5-90	"
98.	मै० विश्वनाथ प्रताप एसएसके लि०, तनाली ता० पन्धारपुर, जिला सोलापुर	21-6-90	"
99.	मै० महालिंग राया एसएसके लि०, वटवाटे ता० मोहाल, जिला सोलापुर	17-8-90	"
100.	मै० महालक्ष्मी एसएसके लि०, स्थान/डा० महीम, तह० संगोला, जि० सोलापुर	22-8-90	"
101.	मै० आस्थाविनायक एसएसके लि० शिरापुर तह० मोहोल, जिला सोलापुर	3-9-90	"
102.	मै सूर्या सीना एसएसके लि०, तेलगांव, तह० दक्षिण सोलापुर, जि० सोलापुर	14-9-90	"
103.	मै० डा० हेडगेवार एसएसके लि०, डा० खरदी ता० पन्धारपुर, जिला सोलापुर	24-9-90	"
104.	मै० श्री हनुमान एस०एस०के० लि०, धामपुरी ता० मालशिरस, जिला सोलापुर	24-10-90	"
105.	मै० चन्द्राभागा एसएसके लि०, मलवाई, ता० प्रधानपुर, जिला सोलापुर	24-10-90	"

1	2	3	4
106.	मै० श्री मकई सहकारी साखर कारखाना लि० भगतवाडी, रामवाड़ी, डा० जानती, ता० करमाला जिला० सोलापुर	9-1-91	सहकारी
107.	मै० बलीराजा एसएसके लि०, रोफाले (बी०के०) ता० पनधारपुर, जिला सोलापुर	28-1-91	"
108.	मै० विकास एसएसके लि०, सालमुखवाडी ता० मालशिरस, जिला सोलापुर	1-2-91	"
109.	मै० सन्त बाबा एसएसके लि०, स्थान/ता० चन्दूर बाजार, जिला अमरावती	18-5-90	"
110	मै० जगदम्बा एसएसके लि०, निलजई, ता० केलापूल, जिला यवतमाल	11-6-90	"
111.	मै० इन्द्रिा एसएसके लि०, स्थान और ता० रालेगांव, जिला यवतमाल	12-7-90	"
112.	मै० सेतकारी एसएसके लि०, दिगरास जिला यवतमाल	20-11-90	"
113.	श्री दाता एसएसके लि०, मनोली, ता० घटान जी, जिला यवतमाल	25-2-90	"
114.	मै० दौंड एसएसके लि०, खडकी ता० दौंड, जिला पुणे	23-5-90	"
115.	मै० श्री विश्वेश्वर एसएसके लि०, खडकी, ता० दौंड, जिला पुणे	5-6-90	"
116.	मै० इन्द्रिश्वर एसएसके लि०, बभूलगांव, ता० इन्द्रापुर, जिला पुणे	5-7-90	"
117.	मै० भीमा शंकर एसएसके लि०, नागपुर-थर्पलिंग परिसर, ता० अम्बेगांव, जि० पुणे	24-7-90	"
118.	मै० भीमा शंकर एसएसके लि०, कथापुर, ता० अम्बेगांव, जिला पुणे	24-7-90	"

1	2	3	4
119.	मैं० घोंड हवेली एसएसके लि० राहु, ता० घोंड, जिला पुणे	14-9-90	सहकारी
120.	मै० भीमा शंकर एसएसके लि०, बाकी ता० खेडा जिला पुणे	28-1-91	"
121.	मैं० श्री राजुरेश्वर एसएसके लि०, अर्धखेडा ता० जाफराबाद, जिला जालना	28-5-90	"
122.	मैं० जनता एसएसके लि०, धंगरापिम्पलगांव ता० अमफेड, जिला जालना	21-6-90	"
123.	मैं० इन्द्रानी एसएसके लि०, जाफराबाद ता० जाफराबाद, जालना	31	"
126.	मै० नारायणदूवाता एसएसके लि०, जाफराबाद ता० जाफराबाद, जिला जालाना	25-2-90	"
127.	मैं० इन्दिरा एसएसके लि०, पलवल मठ, जिला सतारा, ता० सतारा	10-7-90	"
128.	मै० परिवर्तन एसएसके लि०, सोकासन, ता० मान, जिला सतारा	12-7-90	"
129.	मैं० अगाशिव एसएसके लि०, कोव ता० करद, जिला सतारा	24-7-90	'
130.	मैं० सैनिक किसान एसएसके लि०, सातेवाडी ता० खाटव, जिला सतारा	16-8-90	"
131.	मै० श्रीमेत छत्तरपति प्रताप सिन्हा महाराज एसएसके लि०, वादुथ पता, ता० सतारा जिला सतारा	17-8-90	"
132.	मैं० रायत एसएसके लि०, कोकेवाडी, ता० करद, जिला सतारा	17-8-90	"
133.	मै० ओम शम्भू महादेव एसएसके लि०, महास्वाद, तह० सान, जिला सतारा	30-8-90	"
134.	मै० किसान एसएसके लि०, पाली ता० करद, जिला सतारा	6-9-90	"

1	2	3	4
135.	मै० ज्ञानदीश मागातूरईसीरा एसएसके लि०, पाल, ता० करद, जिला सतारा	19-9-90	सहकारी
136.	मै० प्रतापगढ़ एसएसके लि०, मधा ता० जवाली, जिला सतारा	5-10-90	,,
137.	मै० शिवदर्शन एसएसके लि०, ता० करद जिला सतारा	9-10-90	,,
138.	मै० शिवशक्ति एसएसके लि०, पिम्परी, तह० कोरेगांव, जिला सतारा	20-11-90	,,
139.	मै० यशमंतराव चौहान एसएसके लि०, दीवाव तह० माण, जिला सतारा	23-11-90	,,
140.	मै० तुलजाभवानी देवी एसएसके लि,० धावल, तह० फाल्टन, जिला सतारा	28-11-90	,,
141.	मै० किसान वीर एसएसके लि०, खांडला, जिला सतारा	19-2-91	
142.	मै० वेदावाते एसएसके लि०, वदुज, ता० खाटव जिला सतारा	25-2-91	
143.	मै० यशवंतराव चौहान एसएसके लि०, कुसूर ता० येओला, जिला नासिक	14-6-90	,,
144.	मै० पचोरा तालुका एसएसके लि०, [illegible] ता० पचोरा, जिला जलगांव	17-8-90	,,
145.	श्री रविन्द्र पी० पाटिल श्री मुक्ताई एसएसके लि०, सालसिंगी, ता० मूसावल, जिला जलगांव	4-9-90	,,
146.	मै० भादगांव एसएसके लि०, भादगांव, ता० भादगांव, जिला जलगांव	19-9-90	,,
147.	मै० [illegible] एसएसके लि०, जलगांव (जे. एच.) तह० व जिला सतारा	9-10.90	,,
148.	मै० लाल बहादुर शास्त्री एस. एस. के. लि०, शिंधी ता० पचोरा, जिला जलगांव	31.10.90	,,

1	2	3	4
149.	मै० मधुकर एस. एस. के. लि०, नवी मार्ग, फैजपुर तह० यवल, जिला जलगांव	14.12.90	"
150.	मै० यवल तालुका एस. एस. के. लि० वदोदे ता० यवल, जिला जलगांव	9.1.91	"
151.	मै० इन्दिरा एसएसके लि०, अदगांव, ता० अकोट, जिला अकोला	28-6-90	"
152.	मै० डा० बाबासाहेब अम्बेडकर एसएसके लि०, मंगरूलपीर, जिला अकोला	10-7-90	"
153.	मै० हनुमान एसएसके लि०; वारी भारावगद तेलहारा), तह० तेलहारा, जिला अकोला	3-9-90	"
154.	मै० श्री लक्ष्मीवंकटेश एसएसके लि०, अदगांग, ता० कन्धार, जिला नान्देड	28-6-90	"
155.	मै० श्री विठल एसएसके लि०, प्रस्तावित मरताला ता० कन्धार, जिला नान्देड	10-7-90	"
156.	मै० महात्मा जतीबा फूले एसएसके लि०, दभाद, ता० व जिला नान्देड	6-8-90	"
157.	मै० देगलूर विभाग एसएसके लि०, कवलगांव ता० देगलूर, जिला नान्देड	6-8-90	"
158.	मै० पेनगगा एसएसके लि०, उहाकदेव (महदवी) तह० किनवात, जिला नान्देड	22-8-90	"
159.	मै० राजेर्षि साहु मागास्वर्गीय एसएसके लि०, मुमेद, ता० मुमेद, जिला नान्देड	21-12-90	"
160.	मै यशवंतराव चौहान एसएसके लि०, मामपुर, ता० व जिला नान्देड	21-1-90	"
161.	मै० रुकमणि एसएसके लि०, गांव मुबगांव ता० अगोई, जिला वर्धा	12-7-90	"
162.	मै० मनोहर एसएसके लि०, डा० झिलमिल तालुका भंडारा, जिला भंडारा	8-8-90	"
163.	श्री सतपुड़ा तापी परिसर एसएसके लि०, इन बिलन्रे— सिदे और समसेरपुर गाव, ता० नन्दारवर जिला—धुलिया	14-9-90	"

1	2	3	4
164.	मैं० देव मोगरा माता आदिवासी (त्रिबान) सहकारी शुगर फैक्ट्री लि०, अम्बलबुबा, तालोडा, जिला—धुलिया	19-9-90	सहकारी
165.	मैं० आदिवासी एसएसके लि०, तालीविपाडा, जिला धुलिया	1-11-89	"
166.	मैं० पदमावती एस०एस०के० लि०, रायपुर, ता० चिखाली, जिला बुलधाना	5 8-90	"
167.	मैं० चाकेशवरी देवी एसएसके लि०, देवलगांव वायसा/अजीसपुर, तह० लोनार, जिला बुलधाना	12-10-90	
168.	मैं० श्री सन्त गुलाब बाबा एसएसके लि०, संग्रामपुर जि० बुलधाना ता० संग्रामपुर	28-11-90	"
169.	मैं० इन्दिरा एस०एस०के० लि०, तिताई, ता० लोनार, जिला बुलधाना	5-12-90	"
170.	मैं० नलगंगा सेतकारी एसएसके लि०, नलगंगापुर तालुका मोताला, जिला बुलधाना	5-12-90	"
171.	मैं० कमलाजा देवी एसएसके लि०, सुलतानपुर तह० लोनार, जिला बुलधाना	14-12-90	"
172.	मैं० मारनरत्ना डा० बाबा साहेब अम्बेडकर एसएसके लि०, देवलगांव काही, ता० देवलगांव, राजो, जिला बुलधाना	21-1-91	"
173.	मैं० सिद्धेश शुगर को० फैक्ट्री लि०, पारटेर, ता० गदचिरोली, जिला गदचिरोली	14.12.90	"
174.	लोक मान्य एसएसके लि०, बुटीबोरी, जि० नागपुर	16-6-90	"
175.	साईनाथ एस०एस०के० लि०, पारादिगा, जि० नागपुर	27-3-89	"
176.	आदिवासी दलित विमुक्ता भाटकया एसएसके लि०, चालीसगांव, जिला जलगांव	16-8-88	"
177.	सीना किसान एसएसके लि०, लम्बोती दरफल ता० माहोल, जिला सोलापुर	28-9-88	"
178.	जीजामाता एसएसके लि०, पिम्परी, जिला सोलापुर	24-1-90	"
179.	शिवशक्ति एसएसके लि०, मूम, जि० उसमानाबाद	16-2-88	"
180.	विठल एसएसके लि०, मुरूम, जिला उसमानावाद	28-9-89	"
181.	श्री नरसिहा एस०एस०के० लि०, तुलजापुर-शाहपुर जिला प्रभानी	15-28-9	"
182.	नागनाथ एसएसके लि०, पेदगांव, जिला प्रभानी	1-9-89	"

1	2	3	4
183.	संत जनाबाई एमएसके लि०, जि० प्रभानी	1-9-89	सहकारी
184.	गिरीशनशवर, एस०एस०के० लि०, खुलताबाद जिला औरंगाबाद	29-5-89	,,
185.	नलगंगापुर एसएसके लि०, नलगंगापुर, जि० बुलधाना	29-5-89	,,
186.	श्री गजानन महाराज एस०एस० के० लि०, बेलगांव, जिला बुलधाना	12-10-89	,,
187.	रेनुकादेवी एस०एस०के० लि०, पिम्परखेडा, जिला बुलधाना	15-1-90	,,
188.	नन्दीग्राम एसएसके लि०, नान्देड, जि० नांदेड	19-6-90	,,
189.	सहासराकुण्ड आदिवासी एस०एस०के० लि०, राजगोड, जिला नान्देड	9-8-89	,,
190.	वयाघरेश्वर एसएसके लि०, ता० पेन, जिला राजगोड	22-6-89	,,
191.	जाथ तालुका एस०एस०के० लि०, दारबदची, जि० सांगली	15-9-89	,,
192.	शिवशंकर एसएसके लि०, मोघा जिला लटूर	18-10-89	,,
193.	बलीराजा एसएसके लि०, पटोदा जिला लटूर	4-1-90	,,
194.	इन्दिरा गांधी मौसम एसएसके लि०, गोलवाद जि० नासिक	3-11-89	,,
195.	सिन्धाफाना एसएसके लि०, लोनी जिला बीड	4-1-90	,,
196.	मै० आदिवासी एसएसके लि०, तलावीपाडा, जिला धुलिया	1-11-89	,,
197.	श्री रामेश्वर एसएसके लि०, सवारखेड़ा, जिला जालना	8-12-89	,,
198.	मै० महालक्ष्मी एसएसके लि०, सिंदेबाडी जिला चन्द्रपुर	23-1-90	,,
199.	सयाद्री एसएसके लि०, कानखेत, जिला कोल्हापुर	8-8-89	,,
200.	मीराज एसएसके लि०, चाबूकसवारवादी ताल मीराज जिला सांगली	27-4-89	,,

बिजली के उपकरणों के लिए भारतीय मानक संस्थान के चिह्न

1592. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **खाद्य नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बिजली के घरेलू उपयोग में आने वाले उपकरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के मानदण्डों के अनुरूप होने चाहिए और उन पर आई एस आई (बी०आई०एस०) का चिह्न होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार किस प्रकार से यह सुनिश्चित करती है कि इन उत्पादों पर वास्तव में आई० एस०आई० का चिह्न है;

(घ) क्या घरेलू उपयोग में आने वाले और मदों को भी आई०एस०आई० चिह्न प्रणाली के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित चार मदों के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप से युक्त होना अनिवार्य है :—

(1) इलैक्ट्रिकल इमर्शन वाटर हीटर	आई एस : 368
(2) इलैक्ट्रिकल आयरन	आई एस : 366
(3) इलैक्ट्रिक रेडिएटर	आई एस : 369
(4) इलेक्ट्रिक स्टोव	आई एस : 2944

(ग) यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किया गया है। यह अधिनियम लाइसेंसधारी के परिसर के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो के अलावा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है।

(घ) और (ङ) घरेलू इस्तेमाल को और अधिक वस्तुओं को आई एस आई चिह्न के तहत लाने का कार्य जारी है तथा यथा समय पर घोषणा कर दी जाएगी।

कालाडी में संस्कृत विश्वविद्यालय

1593. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**
श्री शंकर सिंह वाघेला } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालाडी में उस संस्कृत विश्वविद्यालय को स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है जिसके लिए सरकार ने एक करोड़ रुपए का तदर्थ अनुदान दिया है;

(ख) केरल की विधान सभा में पुनः स्थापन के लिए तैयार किये गये मसौदा विधेयक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाये गये संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) क्या ख्याति प्राप्त विदेशी विद्वानों को विशेष प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मामवीय ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित प्राचीन भारतीय विज्ञानों तथा विद्याओं के अध्ययन, अनुसंधान, उनके संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने की उसमें व्यवस्था की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) केरल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने कालडी में आदि शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए 1987 में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था और इसे वि०अ०आ०, को टिप्पणियों के लिए भेजा था। बाद में, राज्य सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना पर विचार करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने राज्य सरकार को दिसम्बर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आशा है कि केरल सरकार संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी अपने प्रस्ताव को लागू करने की संभावना से संबंधित संभाव्य रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आगे की कार्यवाई करेगी।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वे राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित उद्देश्यों को शामिल कर लें :—

(I) विभिन्न शास्त्रों में निहित समतावादी, मानवतावादी तथा प्रगतिशील विचारों पर प्रकाश डालना और उन्हें आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विकसित करना।

(II) संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओं में उपलब्ध वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान की जांच करना और ज्ञान के उन्नत क्षेत्रों के साथ इस ज्ञान को सम्बद्ध करना।

(III) पाली, संस्कृत, आदि के साथ सम्पर्क स्थापित करने की संभावना का पता लगाना।

(ग) वि०अ०आ० द्वारा पहले प्राप्त विधेयक के प्रारूप के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :—

(1) वैदिक शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रकाशनों सहित संस्कृत में प्रतिष्ठापित परम्परागत अध्ययन को सुरक्षित रखना।

(2) शंकर के अद्वैत मत सहित भारतीय दर्शनशास्त्र के विशेष संदर्भ में दर्शनशास्त्र संबंधी अध्ययन को प्रोन्नत करना।

(3) संस्कृत, यूनानी, लातिन, फारसी, आदि जैसी श्रेण्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था करना।

आंध्र प्रदेश में जन शिक्षण निलयम

1594. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से इस समय आंध्र प्रदेश राज्य में कितने जन शिक्षण निलयम कार्य कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में फिलहाल केन्द्रीय सहायता से चल रहे जन शिक्षण निलयमों की संख्या 1126 है। उसके अलावा राज्य में प्रौढ़ शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के सतत शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के नवसाक्षरों को उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की सुविधाओं के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 96 जन शिक्षण निलयमों की सस्वीकृति दे दी है।

(ख) तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत राज्य में जन शिक्षण निलयमों की स्थापना और संचालना के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है।

वर्ष	जारी की गयी राशि (रु० लाखों में)
1987-88	37.65
1988-89	65.80
1989-90	77.60

मधुमेह का पता लगाने के लिए नया परीक्षण

1595. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों के किसी दल ने रक्त में चीनी और मूत्र में एल्बूमेन की उपस्थिति का परीक्षण करने के स्तर की कोई नई विधि विकसित करने का दावा किया है;

(ख) क्या मूत्र में एल्बूमेन की अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा के संघनन में गुर्दों के तुरन्त प्रभावित होने का पता लगाने हेतु परीक्षण का दूसरा नया तरीका खोजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री वसई चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अन्तःस्राविकी और चयापचय विभाग के वैज्ञानिकों फिल्टर पेपर पर सूखे हुए रक्त के धब्बों के रूप में प्राप्त किए गए रक्त के नमूनों में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के स्तरों का विश्लेषण करने के लिए तरीके का मानकीकरण और वैधीकरण किया है। इस परीक्षण में समुदाय पर आधारित मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम में मधुमेह के अभीष्टतम उपचार में उपयोग के लिए क्षमता है क्योंकि इस तकनीकी का उपयोग करके डाक के माध्यम से लोगों से लिये गये खून के धब्बे उस प्रयोगशाला में प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। जहां हीमोग्लोबिन आकलन ग्लाइकेटेड रोगियों का अस्पताल जाए बिना भी उसमें मधुमेह की रोकथाम की दशा को बोध कराएगा।

उन्होंने माइक्रोप्रोटीन्यूरिया जो मधुमेह के रोगियों में वृक्कीय जटिलता के एक प्रारम्भिक प्रदर्शन के रूप में जाती है का पता लगाने के लिए एक सामान्य परीक्षण को भी मानकीकृत और वैधीकृत किया है। यह परीक्षण प्रारम्भिक अवस्था में मधुमेह की वृक्कीय जटिलताओं को प्रभावकारी तरीके से निर्धारण करने का कार्य संभव कर सकेगा। इस प्रकार मधुमेह में गुर्दे के आवेष्टन को बढ़ने से रोकने के लिए शुरू में ही निवारक उपाय पर्याप्त रूप से स्थापित किए जा सकेंगे।

नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए किए जा रहे उपाय

1596. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम में अगला शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना निम्नवत् है :—

नई दिल्ली नगर पालिका	आगामी सत्र के लिए अध्यापकों की कोई कमी नहीं है। रिक्त पदों को, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित पद भी शामिल है, भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में समय-समय पर भर लिया गया है।
दिल्ली प्रशासन	दिल्ली प्रशासन ने अध्यापकों के कई वर्षों के लिये सीधे (प्रत्यक्ष) भर्ती कोटे के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियों को, लिखित परीक्षा द्वारा अधिसूचित किया है, जहां तक अनुसूचित जाति/अनु०ज०जा० के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का संबंध है, विज्ञापन जारी करते समय, इस बात की ओर ध्यान दिया गया है।
दिल्ली नगर निगम	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। इनसे विधिवत संपर्क किया गया है। जहां तक अनु० जाति/अनु०जन०जा० के लिए आरक्षित पदों का सम्बन्ध है, इस बात की ओर उस समय विचार किया गया, जब कुल भर्ती किये जाने वाले पदों के बारे में कर्मचारी चयन आयोग को सूचित किया जाएगा।

नये पदों के सृजन, त्यागपत्र देने और सेवानिवृत्ति आदि के कारण अध्यापकों की रिक्तियां समय-समय पर बढ़ रही हैं। प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों तरीकों से रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और समय समय पर इन रिक्तियों को भरने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न भंडार

1597. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अवर्नाश्वरम जिले के कोल्लम स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को भंडार उपलब्ध कराने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। केरल में कोल्लम जिले में स्थित अवर्नाश्वरम डिपो में खाद्यान्नों का स्टाक उपलब्ध है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में राज्य व्यापार निगम के डिपो का बन्द होना

[हिन्दी]

1598. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का जयपुर स्थित जो डिपो आयातित खाद्य तेल का वितरण करता था, वर्ष 1989 में बन्द कर दिया गया;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार अपने वितरण केन्द्रों को फिर से खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने राजस्थान में परिष्करण कार्य के समाप्त होने के बाद आयातित अशोधित खाद्य तेलों के लिए जयपुर में अपने थोक भण्डार डिपो और उप-शाखा कार्यालय बन्द कर दिए हैं, क्योंकि अब आयात किया जा रहा तेल परिष्कृत तेल है। तथापि, राज्य व्यापार निगम का जयपुर में एक वितरण भण्डार (माल गोदाम) है जो राजस्थान के लिए खाद्य तेलों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करता है।

कैंसर के रोगियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

1599. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कैंसर के रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में उपचार एवं पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रीय कैंसर अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) और अधिक क्षेत्रीय अस्पतालों की स्थापना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धन राशि नियत की गई है; और

(घ) कैंसर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) देश में कैंसर रोगियों की संख्या के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह अनुमान है कि देश में लगभग 15 से 20 लाख कैंसर रोगी हैं।

(ख) 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं जो कैंसर के रोगियों को आधुनिक उपचार सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में और अधिक कैंसर रोग केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कैंसर रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की रोकथाम और आरम्भ में ही उसकी पहचान करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कैंसर के संभावित कारणों और आरम्भ में ही उसकी पहचान की आवश्यकता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु उन्हें शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विभिन्न कदम उठाए गए हैं। तम्बाकू पीने के कुप्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण में हाकी प्रशिक्षकों की नियुक्ति

1600. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार हॉकी के कितने प्रशिक्षक नियुक्त किये है;

(घ) क्या हॉकी के उन प्रशिक्षकों की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रशिक्षकों की वर्षवार संख्या निम्नलिखित है :—

1988—18
1989—शून्य
1990—1

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भारतीय खेल प्राधिकरण में हॉकी प्रशिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं :—

क्रम सं०	प्रशिक्षकों की श्रेणी	भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षकों के पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं
1.	श्रेणी—III	एन०आई०एस० कोचिंग डिप्लोमा सहित कला, विज्ञान, वाणिज्य अथवा शारीरिक शिक्षा में डिग्री अथवा मैट्रिक, अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता सहित एन० आई०एस० कोचिंग डिप्लोमा।
2.	श्रेणी—II	संबंधित विषय में एन०आई०एस से प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सहित भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ी अथवा श्रेणी – III से प्रोन्नति द्वारा।

श्रणी-III में प्रशिक्षकों के चुनाव के लिए निम्नलिखित मापदण्ड भी बनाए गए हैं : 100 अंकों में से, 65 अंक शैक्षिक योग्यताओं, व्यावसायिक योग्यताओं, खेल उपलब्धियों और प्रशिक्षक के रूप में अनुभव के लिए आवंटित किये गये हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

1. (क) शैक्षिक योग्यताएं	**कुल अंक** 10
—एम०ए०एम०एस०सी०/एम०पी० एंड	10
—बी०ए०/डी०पी० एंड	8
—बी०ए०/बी०कॉम०/बी०एस० सी०	7
— इन्टर मीडिएट	6
—हायर सेकंडरी/पूर्व-विश्व/मैट्रिक	5
(ख) व्यावसायिक	**कुल अंक** 20
—एन०आई०एस० डिप्लोमा प्रथम श्रेणी	20
—एन०आई०एस० डिप्लोमा द्वितीय श्रेणी	15
—एन०आई०एस० डिप्लोमा तृतीय श्रेणी	10
2. खेल उपलब्धियां	**कुल अंक** 20
(क) 3 वर्ष तथा अधिक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय चैम्पियन	20
(ख) एक या दो वर्ष के लिये राष्ट्रीय चैम्पियन	15
(ग) 3 वर्ष के लिये राष्ट्रीय/सहभागिता में दूसरा या तीसरा स्थान	12
(घ) अन्तर विश्वविद्यालय/अन्तर-सेवा/ अन्तर रेलवे/अखिल भारतीय पुलिस/ अखिल भारतीय पी० एंड टी०/स्टील खेल नियन्त्रण बोर्ड में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान	10
(ङ) राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय/अन्तर-रेलवे/ अन्तर-सेवा/अन्तर पुलिस/अन्तर स्टील प्लाट/जूनियर राष्ट्रीय में स्थान में भाग लेना	8
(च) जूनियर राष्ट्रीय/स्कूल राष्ट्रीय में भाग लेना	7
(छ) राज्य/विश्वविद्यालय	5
(ज) कालेज/जिला	3
3. प्रशिक्षक के रूप में अनुभव	**कुल अंक** 15
6 वर्ष से अधिक	15
3 वर्ष से अधिक तथा 6 वर्ष तक	10
3 वर्ष तक	5
	कुल 65

शेष 35 अंक साक्षात्कार के लिये रखे गये हैं। यह प्रक्रिया पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रचालित है।

आदिवासी बच्चों को केवल आदिवासी क्षेत्रों में चलाए जा रहे नवोदय विद्यालयों में ही प्रवेश

1601. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी बच्चों को केवल आदिवासी क्षेत्रों में चलाये जा रहे नवोदय विद्यालयों में ही प्रवेश देने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी. नहीं। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आरक्षण, संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, बशर्ते कि यह 7.5% से कम न हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कालेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान

[हिन्दी]

1602. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश के किन कालेजों और विश्वविद्यालयों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी अनुदान राशि दी गई है और यह किन योजनाओं के लिए दी गई है;

(ख) क्या सरकार की राजस्थान के अजमेर विश्वविद्यालय के लिए भवन निर्माण तथा इसके विकास के लिये अनुदान देने की कोई विशेष योजना है, और क्या अजमेर विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कोई विशेष अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव ससांधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग सभी पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को उनके सामान्य विकास और विशिष्ट योजनाओं के लिए योजन-दर योजना आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 7वीं योजना अवधि के दौरान, पात्र विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध कालेजों को दिए गए कुल अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सामान्य विकास के अन्तर्गत सहायता भवनों, उपस्कर, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, कर्मचारियों, आदि के लिए है। आयोग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भी

वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को उस उद्देश्य के लिये निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

	विद्यालय का नाम	योजनागत अनुदान	7वीं योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत
		(इंजीनियरिंग तकनीकी तथा खेल और शारीरिक शिक्षा को छोड़कर) विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज
		(रुपये लाखों में)	
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	आन्ध्र	550.32	290.21
2.	हैदराबाद	1392.99	1.50
3.	ककातिया	206.24	55.79
4.	नागार्जुन	225.04	197.63
5.	उस्मानिया	571.12	309.89
6.	श्री कृष्ण देवरया	183.87	2.88
7.	श्री पद्मावती महिला	68.20	0.09
8.	श्री वेंकटेश्वर	366.37	108.47
9.	तेलुगू	10.00	—
10.	ए. पी. ओपन	34.37	—
	अरुणाचल		
1.	अरुणाचल		0.24
	असम		
1.	डिब्रूगढ़	143.76	141.30
2.	गुवाहाटी	209.26	202.98

1 2	3	4
बिहार		
1. भागल	172.36	110.39
2. बिहार	153.79	211.38
3. के. एस. दरभंगा	18.61	—
4. एल. एन. मिथिला	68.93	235.87
5. मगध	96.51	310.44
6. पटना	206.75	22.97
7. रांची	174.31	150.00
गोवा		
1. गोवा	55.08	15.90
गुजरात		
1. भावनगर	83.64	14.21
2. गुजरात	453.72	370.48
2. एम. एस. बड़ौदा	366.90	0.24
4. सरदार पटेल	288.41	57.32
5. सौराष्ट्र	208.55	102.35
6. दक्षिण गुजरात	189.18	76.83
7. उत्तर गुजरात	—	14.44
हरियाणा		
1. कुरुक्षेत्र	327.27	247.40
2. महर्षिदयानन्द	183.94	120.10
हिमाचल प्रदेश		
1. हिमाचल प्रदेश	226.11	107.96
जम्मू और काश्मीर		
1. जम्मू	261.06	95.46
2. काश्मीर	209.84	49.71
कर्नाटक		
1. बंगलौर	301.74	128.35
2. गूलबर्गा	116.40	77.32

1 2	3	4
3. कर्नाटक	308.25	169.38
4. मंगलौर	113.01	73.37
5. मैसूर	414.56	106.10
6. कुवेम्पु	93.13	3.32
केरल		
1. कालीकट	203.01	202.35
2. कोचीन विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय	281.51	22.91
3. केरल	379.73	201.48
4. महात्मा गांधी जी	53.85	222.78
मध्य प्रदेश		
1. अवधेश प्रताप सिंह	170.72	100.99
2. बरकतुल्ला	214.86	145.82
3. देवी अहिल्या	246.27	132.61
4- गुरु घासी दास	24,50	61.40
5. डा० हरीसिंह गौड़	253.85	123.42
6. इंदिरा कला संगीत	44.08	4.10
7. जीवा जी	177.90	130.71
8. रविशंकर	167.72	115.95
9. रानी दुर्गावती	225.01	52.81
10. विक्रम	223.74	122.07
महाराष्ट्र		
1. अमरावती	0.05	253.13
2. बम्बई	494.72	384,99
3. मराठवाडा	295.31	361.30
4. नागपुर	227·87	385.89
5. पूना	731.12	555.67
6. एस. एन. डी. टी. महिला	331.55	33.60
7. शिवाजी	198.92	308.07
मणिपुर		
1. मणिपुर	254.20	91.41

1	2	3	4
	मेघालय		
1.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय	1085.45	34.60
	उड़ीसा		
1.	बर्नापुर	237.52	81.70
2.	सम्भलपुर	175.49	100.02
3.	उत्कल	260.36	244.70
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	3.00	—
	पंजाब		
1.	गुरू नानक देव	282.73	314.28
2.	पंजाब	608.89	342.51
3.	पंजाबी	250.55	154.22
	राजस्थान		
1.	अजमेर	—	108.15
2.	जोधपुर	281.50	7.60
3.	मोहनलाल सुखाड़िया	265.371	13.20
4.	राजस्थान	586.10	465.40
	तमिलनाडु		
1.	अलागप्पा	125.92	—
2.	अन्ना	373.92	0.19
3.	अन्नामलाई	304.09	—
4.	भरतियार	195.21	276.66
5.	भारतीदासन	163.44	307.47
6.	मद्रास	522.67	473.38
7.	मदुरै कामराज	476.16	714.97
8.	मदर टेरेसा महिला	11.07	—
9.	तमिल	137.81	—
10.	पांडिचेरी	1380.67	9.37
	त्रिपुरा		
1.	त्रिपुरा	22.42	0.05

1 2	3	4
उत्तर प्रदेश		
1. आगरा	146.62	302.19
2. अलीगढ़	989.55	—
3. इलाहाबाद	614.87	53.08
4. अवध	32.74	224.50
5. बनारस	1556.61	11.83
6. बुंदेलखण्ड	5.31	82.28
7. गढ़वाल	202.08	81.61
8. गोरखपुर	197.93	381.38
9. कानपुर	93.03	292 44
10. काशी विद्यापीठ	63.08	—
11. कुमाऊं	232.23	50.72
12. लखनऊ	426.06	96·63
13. मेरठ	165.38	361.06
14. रोहिलखण्ड	20.05	546.75
15. रूड़की	608.70	—
16. संपूर्णानन्द संस्कृत	39.37	—
17. पूर्वांचल	4.37	0.41
पश्चिम बंगाल		
1. बर्दवान	239 63	235.33
2. कलकत्ता	614.10	705.48
3. जादवपुर	714.20	3.97
4. कल्याणी	196.07	9.39
5. उत्तर बंगाल	179.71	112.78
6. रवीन्द्र भारती	115.78	—
7. विद्यासागर	10.00	—
8. विश्वभारती	444.02	—
दिल्ली		
1. दिल्ली	531.50	1294.01
2. जवाहरलाल नेहरू	655.93	—
3. जामिया मिलिया	123.40	—

डी० ए० वी० समूह (कानपुर) के प्रबन्धकों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतें

[अनुवाद]

1603. **श्री युसुफ बेग** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर कानपुर और देहरादून में डी० ए० वी० समूह के कालेज-समूहों को मंजूर की गई सहायता—राशि एव अनुदान—राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा उपकार्यों के लिए प्रबंधकों के विरुद्ध गंभीर शिकायतें की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, प्रवन्धकों को कितनी सहायता-राशि दी गई तथा किन प्रयोजनों के लिए दी गई।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोगपात्रा कालेजों को पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदने; उपस्कर तथा भवन निर्माण जैसे उनके सामान्य विकास के लिए एक योजना अवधि के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कानपुर तथा देहरादून में डी० ए० वी० प्रबन्ध द्वारा संचालित कालेजों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया था कि वे डी० ए० वी० कालेज वर्ग को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे भेजें जिनमें वे उद्देश्य दर्शाए गए हों जिसके लिए अनुदान दिए गए थे ताकि राज्य सरकार लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर सके। आयोग द्वारा राज्य सरकार को अपेक्षित ब्यौरे अगस्त, 1989 में भेजे गए थे। आयोग को इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से कोई और पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

(राशि रुपयों में)

क्रम० सं०	कालेज का नाम	वर्ष		
		1987-88	1988-89	1989-9
1	2	3	4	5
1.	डी ए वी कालेज देहरादून	492784-10	1336969-00	579633-10

1	2	3	4	5
2.	दयानन्द सुभाष राष्ट्रीय कालेज, उन्नाव कानपुर	450000-00	—	247652-00
3.	दयानन्द महिला प्रशिक्षण कालेज, कानपुर	188160-00	50000	225000-00
4.	दयानन्द विधि कालेज, कानपुर	150000-00	80000-00	—
5.	दयानन्द कन्या कालेज, कानपुर	130574-25	455180-06	250592-00
6.	डी० वी० एस० कालेज, कानपुर	95000-00	31000-00	53080-00
7.	डी० ए० वी० कालेज, कानपुर	407 74-28	1848057-61	895971-75

नई उचित दर दुकानें

[हिन्दी]

1604. **श्री राम लाल राही :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वर्ष 1991-92 के दौरान उचित दर की और दुकानें खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी दुकानें खोली जाएंगी और किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है जो नई खोली जाने वाली उचित दर की दुकानों की संख्या तथा उनके स्थान के बारे में निर्णय लेते हैं। उनके द्वारा नई दुकानें किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता, आर्थिक व्यवहार्यता इत्यादि को देखते हुए निरन्तर आधार पर खोली जाती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल से अधिक निर्माण के मामले में शुल्क लगाना

[अनुवाद]

1605. **श्री धान सिंह जाटव :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों का

उल्लंघन कर अधिकृत बस्तियों में अधिकृत क्षेत्रफल से अधिक आवासीय निर्माण करने पर कोई शुल्क निश्चित किया है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उल्लंघन-वार दरें क्या हैं;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित शुल्कों में से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन मकान मालिकों पर जिन्होंने अपने आवासीय भवनों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा कर लिया लेकिन वे फार्म डी० तथा निर्माण कार्य पूरा होने/आबूमेशन प्रमाण पत्र अपने नियन्त्रण से बाहर के कारणों के कारण प्राप्त करने सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर सके कोई शुल्क लगाया गया है; यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा लगाये गए शुल्क की दरें क्या हैं और इनका औचित्य क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित मामलों की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) वे उल्लंघन जिनका समाधान किया जा सकता है तथा वे दर जिस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इनका समाधान किया जाता है, संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जिन मामलों में स्वीकृत नक्शे की वैधता की अवधि के भीतर पूर्णता/कब्जे के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, उनको निर्माण में विलम्ब के मामले के रूप में समझा जाता है । 31 मार्च 1991 तक वैध रिहायशी प्लाटों पर विलंब की विभिन्न अवधियों के लिए जुर्माने की दर इस प्रकार है :—

प्रथम तीन वर्षों के लिए	—	कोई जुर्माना नहीं
चौथे वर्ष के लिए	—	4 रुपए प्रति वर्गमीटर
पांचवे वर्ष के लिए	—	6 रुपए प्रति वर्ग मीटर
6-10 वर्षों के लिए	—	8 रुपए प्रति वर्ग मीटर
11-15 वर्ष	--	12 रुपये प्रति वर्ग मीटर

प्रत्येक वर्ष जमा अतिरिक्त जुर्माने के रूप में चालू वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित दरों के 15% की दर से या प्लाट की लागत का 50% इनमें से जो भी अधिक हो ।

15 वर्षों के आगे, अपवादिक मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा स्वविवेक पर अनुमति दी जाती है । ऐसे मामलों में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमा चालू वर्ष के लिए पूर्व-निर्धारित दरों का 25% या प्लाटों की लागत का 50% इनमें से जो भी अधिक हो, जुर्माने के रूप में देय है ।

सट्टेबाजी के प्रयोजनार्थ प्लाटों को खाली रखने को हतोत्साहित करने तथा शीघ्र ही आवास क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माण में विलम्ब के लिए जुर्माना लिया जाता है । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मामले के गुणावगुण पर समझौता प्रभारों सहित या उसके बिना निर्माण में विलंब को माफ करने के लिए सक्षम है ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

I रिहायशी प्लाटों पर अनुमेय सीमा से अधिक आच्छादन करने की स्थिति में जुर्माने की दरें :—

(i) 3 वर्ग मीटर (32.3 वर्ग फुट) तक आच्छादन	—	270 रुपए प्रति मीटर की दर से (25 रुपए प्रति वर्ग फुट)
(ii) 3 वर्ग मीटर (32.3 वर्ग फुट) से अधिकतम 7 वर्ग मीटर तक (75.35 वर्ग फुट)	—	540 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से (50.2 रुपए प्रति वर्ग फुट)
(iii) 7 वर्ग मीटर (75.31 वर्ग फुट) से अधिक तथा 13 वर्ग मीटर (135 वर्ग फुट)	—	1075 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से (100 रुपये प्रति वर्ग फुट)

केवल 200 वर्ग गज के प्लाटों के लिए अधिकतम अनुमेय आच्छादित क्षेत्र का 5% तक अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र समाधेय है । रिहायशी भवनों में समाधेय क्षेत्र का परिकलन कुल निर्माण के आधार पर किया जाता है जिसे प्लाट के कुल निर्माण के भाग के रूप में माना जाता है ।

II. यदि अतिरिक्त आच्छादन प्लाट के आन्तरिक कोर्टयार्ड के आकार/क्षेत्र और निर्धारित सेट-बैक को प्रभावित करता है तो समाधेय शुल्क की दरें इस प्रकार हैं :—

(क) यदि यह अतिरिक्त आच्छादन पिछवाड़े के सेट-बैक की न्यूनतम सीमा का अतिक्रमण किए बिना औसतन खुले क्षेत्र को कम करता है	कोई जुर्माना नहीं ।
(ख) यदि न्यूनतम आवश्यक सेट-बैक प्रभावित होता है तो निम्नलिखित दरों पर अतिक्रमण प्रभार लिए जाएंगे :	
(i) 0.15 मीटर (6")	500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से (46.5 रुपए प्रति वर्ग फुट)

(ii) 0.15 मीटर से आगे 0.30 मीटर तक (6″ से 1″ तक)	1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से (0.30 मीटर से 1 फुट तक आवश्यक सेट-बैक का अतिक्रमण समाधेय नहीं होगा।)
(iii) आवश्यक सेट-बैक लाइनों से 0.9 मीटर (3 फुट के अधिकतम प्रोजेक्शन वाली सीढ़ियों की भूमि के साथ मैजनीन एक्सटेंशन	500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से (45.5 रुपए प्रति वर्ग फुट)
(iV) आन्तरिक कोर्टयार्ड। किसी प्रोजेक्शन का अतिरिक्त आच्छादन जैसे छज्जा, शेड, कपबोर्ड आदि न्यूनतम अपेक्षित आकारों और इस आन्तरिक कोर्टयार्ड के क्षेत्र को 30% से अधिक कम नहीं करेंगे।	
(III) आन्तरिक कोर्टयार्ड के आकार को प्रभावित करने वाले भवन-लाइनों के विस्तार के लिए जुर्माना	रोशनी और वायुसंचार के अतिक्रमण के लिए कोर्टयार्ड की न्यूनतम अपेक्षाओं के घटाये गये क्षेत्र का 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर।
(IV) भवन के निर्माण में उल्लंघन के लिए समाधेय शुल्क।	यदि 12 सीढ़ियों के पश्चात कोई मध्यमंच मुहैया नहीं किया जाता है तो भवन में शेष सीढ़ियों के लिए 100 रुपए प्रति सीढ़ी की से समाधेय शुल्क लगेगा।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं की जांच

[हिन्दी]

1606. **श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं की किसी बाहरी अधिकारी द्वारा कोई जांच करवाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) जी, नहीं सरकार ने अनेक अभ्यावेदनों की जांच की थी जिसमें अधिकारियों द्वारा जांच की मांग की गई थी, परन्तु इस मांग को स्वीकार करने में समुचित आधार नहीं मिला।

गैर-सरकारी संगठनों को चलते-फिरते नेत्र-शिविरों को चलाने के लिए सहायता

[अनुवाद]

1607. **श्री के० एस० राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चलते फिरते नेत्र-शिविरों को चलाने में लगे गैर-सरकारी संगठनों को हर प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं, और

(ग) चलते-फिरते नेत्र-शिविरों को चलाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड/मार्गनिर्देश हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी हां। दृष्टिहीनता नियन्त्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित मानकों के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मोबाइल नेत्र-शिविरों के आयोजन में होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु तिमाही आधार पर नकद सहायता दी जाती है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में नेत्र-शिविरों के आयोजक में इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस स्कीम के अन्तर्गत 12000/- रुपए प्रति-कैम्प की सीमा में प्रत्येक मोतियाबिंद आपरेशन के लिए 60/- रुपए की राशि की सहायता और सरकारी मोबाइल यूनिटों की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले संगठनों के लिए 40/- रुपए की राशि की सहायता प्रत्येक आपरेशन हेतु स्वीकार्य है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नेत्र-रोग चिकित्सा से विधिवत प्रमाणित करवाकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिले के प्रमुख चिकित्सक अधिकारी के पास भेजना होता है। सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र दिया जाना आवश्यक है कि कैम्प के किस उद्देश्य के लिए सरकार से वित्तीय सहायता का दावा किया गया है, कि शल्य चिकित्सा सहित रोगियों का उपचार निःशुल्क किया गया है और इसके लिए किसी अन्य राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न तो प्राप्त की गई है और न ही भविष्य में की जाएगी। यह स्कीम विकेन्द्रीकृत है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने राज्यों के स्वैच्छिक

संगठनों (गैर सरकारी संगठनों) द्वारा नेत्र-शिविरों के आयोजन हेतु अनुदान सहायता स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए धनराशि केन्द्र से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में नेत्र-शिविरों का आयोजन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की सूची

1. लॉयन्स क्लब,
   जग्गन्यापेठ, जिला, कृष्णा-521175,
2. लॉयन्स क्लब,
   श्री वेंकटरामन् वॉल्ड राइस एंड ग्राउंडनट
   आयल मिल्स,
   मिरयालगुडा-508207
3. लॉयन्स क्लब ऑफ
   नलगोण्डा-508001.
4. लॉयन्स क्लब,
   गुंटाकल-515801.
5. लॉयन्स क्लब ऑफ सिरोइल्ला,
   न्यू गांधी चौक,
   सिरोइल्ला-505301.
6. लॉयन्स क्लब ऑफ मिरयालगुडा,
   जिला नलगोण्डा-568207.
7. लॉयन्स क्लब हेलापुरी,
   एलुरू-534001,
   जिला प० गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)

सिनेरेरिया मार्टिमा सक्कस के आयात पर रोक

1608. **श्री बाल गोपाल मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक, होम्योपेथिक फार्माकोपिया लेबोरेट्री, गाजियाबाद ने विभिन्न सरकारी विभागों को सिनेरेरिया मार्टिमा सक्कस के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) और (ख) पश्चिम जर्मनी के मैसर्स विल्मार श्वाबे द्वारा निर्मित सिनेरेरिया मैरिटमा सक्कस के इस बात का, कि यह भेषज-संहिता सम्बन्धी मानकों और अनुसूची एफ. एफ. के अनुरूप नहीं है, के पता लगने के फलस्वरूप निदेशक, होम्योपैथिक भेषज-संहिता प्रयोगशाला द्वारा औषध नियन्त्रक दिल्ली को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें परीक्षण के लिए नमूने प्रस्तुत किए थे और एक पृथक रिपोर्ट औषध नियन्त्रक (भारत) को भेजी गई जिसमें तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए उनसे अनुरोध किया गया कि जब तक कमियां दूर न कर दी जाएं तब तक इसके आयात की अनुमति न दी जाए। इसके पश्चात निर्माता ने परिवर्तनों सहित एक संशोधित औषध-योग्य और अनुसूची एफ. एफ. के अनुरूप कार्टन प्रस्तुत किया गया और परीक्षण करने पर इसे लेबल पर किए गए दावे के अनुरूप पाया गया।

प्राचीन स्मारकों को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित करना

1609. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में कुछ प्राचीन स्मारकों को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के धोलपुर जिले के मचकुंड स्मारक को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधनविकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, इन प्रस्तावों में राजस्थान के धौलपुर जिले के मचकुंड को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों को आवश्यक पत्रिकाओं की खरीद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान धनराशि

1610. **श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को पुस्तकों और आवश्यक पत्रिकाओं की खरीद के लिए धनराशि देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को धन देने के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए और उन्हें कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिये कोई विशेष प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित सभी पात्र विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है। आयोग वर्ष दर वर्ष के आधार पर न देकर 5 वर्षीय योजना के आधार पर विकास अनुदान प्रदान करता है। पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए 7वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न पात्र विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। सहायता की मात्रा उनके स्थान का ख्याल किए बिना छात्रों के नामांकन और अध्यापकों और शिक्षण विभागों की संख्या और विश्वविद्यालय के विकास स्तर पर निर्भर है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर केवल 7वीं योजना के अन्त में वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया था। विश्वविद्यालय को सातवीं योजना अवधि में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए 2.5 लाख रु० की राशि प्रदान की गई थी।

विवरण

	विश्वविद्यालय का नाम	सातवीं योजना के दौरान पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए संस्वीकृत अनुदान (रु० लाखों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र	16.00
2.	हैदराबाद	90.00
3.	ककातिया	20.50
4.	नागार्जुन	18.50
5.	उस्मानियाँ	20.00
6.	श्री कृष्णा देवार्य	15.00
7.	श्री पदमावती महिला	14.00
8.	श्री वेंकटेश्वर	19.00
9.	तेलगू	10.00
10.	ए०पी०ओपन	15.00
असम		
1.	डिब्रूगढ़	20.00
2.	गुवाहाटी	13.00

1	2	3
बिहार		
1.	भागलपुर	18.00
2.	बिहार	28.00
3.	के० एस० दरभंगा	11.00
4.	एल० एन० मिथिला	20.00
5.	मगध	32.00
6.	पटना	16.50
7.	रांची	18.00
गोवा		
1.	गोवा	2.50
गुजरात		
1.	भावनगर	5.00
2.	गुजरात	36.00
3.	एम०एस० बड़ौदा	25.00
4.	सरदार पटेल	27.50
5.	सौराष्ट्र	29.64
6.	दक्षिण गुजरात	31.00
हरियाणा		
1.	कुरुक्षेत्र	26.00
2.	महर्षि दयानन्द	17.00
हिमाचल प्रदेश		
1.	हिमाचल प्रदेश	10.00
जम्मू और कश्मीर		
1.	जम्मू	27.00
2.	कश्मीर	16.50
कर्नाटक		
1.	बंगलौर	34.30
2.	गुलबर्गा	35.00
3.	कर्नाटक	26.00
4.	मंगलौर	25.00
5.	मैसूर	33.00

1	2	3
केरल		
1.	कालीकट	27.00
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय	30.00
3.	केरल	32 00
4.	महात्मा गांधी जी	20.00
मध्य प्रदेश		
1.	अवधेश प्रताप सिंह	11.00
2.	बर्कतुल्ला	23.50
3.	देवी अहिल्या	19.00
4.	गुरू घासीदास	2.50
5.	डा० हरी सिंह गौड	21.50
6.	इन्दिरा कला संगीत	9.00
7.	जीवाजी	18.85
8.	रवि शंकर	14.00
9.	रानी दुर्गावती	30.80
10.	विक्रम	23.00
महाराष्ट्र		
1.	अमरावती	—
2.	बम्बई	18.00
3.	मराठवाड़ा	20.00
4.	नागपुर	20.50
5.	पूना	19.00
6.	एस०एन०डी०टी० महिला	16.85
7.	शिवाजी	24.00
मणिपुर		
1.	मणिपुर	19.47
2.	मेघालय	—
1.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय	35.00
उड़ीसा		
1.	बहरामपुर	23.00
2.	सम्बलपुर	26.60

1	2	3
3.	उत्कल	15.00
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	3.00
पंजाब		
1.	गुरू नानक देव	20.00
2.	पंजाब	27.00
3.	पंजाबी	29.00
राजस्थान		
1.	जोधपुर	24.00
2.	मोहन लाल सुखाड़िया	26.00
3.	राजस्थान	25.00
तमिलनाडु		
1.	अलागप्पा	17.00
2.	अन्ना	14.00
3.	अन्नामलाई	40.00
4.	भारथीअर	25.00
5.	भारथीदासन	15.00
6.	मद्रास	38.60
7.	मधुरिया कामराज	28.00
8.	मदर टेरेसा महिला	10.00
9.	तमिल	50.50
10.	पांडिचेरी	58.00
त्रिपुरा		
1.	त्रिपुरा	9.50
उत्तर प्रदेश		
1.	आगरा	19.45
2.	अलीगढ़	23.00
3.	इलाहाबाद	38.00
4.	अवध	—
5.	बनारस	48.00
6.	बुन्देलखंड	—
7.	गढवाल	13.50

1	2	3
8.	गोरखपुर	30.00
9.	कानपुर	14.00
10.	काशी विद्यापीठ	22.00
11.	कुमायूं	23.50
12.	लखनऊ	32.00
13.	मेरठ	24.00
14.	रोहिलखंड	—
15.	रुड़की	30.00
16.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत	9.00
पश्चिम बंगाल		
1.	बर्दवान	19.21
2.	कलकत्ता	21.00
3.	जाधवपुर	28.00
4.	कल्याणी	18.99
5.	उत्तर बंगाल	16.00
6.	रवीन्द्र भारती	25.00
7.	विद्या सागर	15.00
8.	विश्व भारती	32.00
दिल्ली		
1.	दिल्ली	64.75
2.	जवाहर लाल नेहरू	84.00
3.	जामिया मिलिया	15.00

रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं का स्टाक जारी करना

1611. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोलर फ्लोर मिलों को अब गेहूं का स्टाक व्यापारियों के माध्यम से दिया जा रहा है और उससे पूर्व योजना के विपरीत कार्य हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिलों को व्यापारियों के माध्यम से कभी भी गेहूं नहीं बेचा गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा

इस समय गेहूं की जो बिक्री की जा रही है उसमें सभी प्रयोक्ता अर्थात् रोलर फ्लोर मिलें, व्यापारी डबल रोटी निर्माता, चक्कियों के मालिक और सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम जैसे सरकार के नियन्त्रणाधीन संस्थान भाग लेने के लिये स्वतंत्र हैं।

स्कूलों और कालेजों में पाठ्यक्रम को अद्यतन करने की आवश्यकता

1612. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता और तर्कसंगत बनाने के लिए इसे अद्यतन बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों (कक्षा 1 से बारहवीं) पर पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाना एक सतत प्रक्रिया है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिये, राष्ट्रीय शै०अनु०प्र० परिषद ने वर्ष 1988 में एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया। इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में दिये गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुये, राष्ट्रीय शै०अनु० व प्र० परिषद ने स्कूल पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया है और पहली से बारहवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भी संशोधन किये हैं। इस ढांचे और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों के आधार पर, कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी पाठ्यक्रम के नवीकरण और नई पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने तथा स्कूल पद्धति में उन पाठ्यपुस्तकों को एक चरणबद्ध रूप में प्रस्तुत के उपाय किये हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, एकरूपता लाने तर्कसंगत बनाने, पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने तथा पाठ्यात्मक और शिक्षणात्मक दोनों तरह की माडल पाठ्यचर्या दृश्य—श्रव्य प्रकारों आदि को तैयार करने के विचार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों के माध्यम से दोनों अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये पाठ्यचर्या को पुनः तैयार करने की योजना को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। अब तक ऐसे 27 केन्द्र खोले जा चुके हैं।

तमिलनाडु के कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण

1613. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1990-91 में तमिलनाडु सरकार के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु ऋण दिया है;

(ख) क्या सरकार का अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके 0.35% कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक रूप में मद्रास, मदुराई तथा कोयम्बतूर शहरों तथा उनके परिधीय क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिये आवास विकास वित्त निगम द्वारा सीधे वित्त देने की एक योजना 1989-90 से आरम्भ की गई है ।

चीनी विकास कोष से महाराष्ट्र के चीनी एककों को ऋण

1614. **श्री शान्ता राम पोटदुखे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के नये कारखानों को गन्ना विकास के लिये चीनी विकास कोष से ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिस कारण गैर परम्परागत गन्ना क्षेत्रों में स्थित कारखानों में गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केवल चीनी विकास कोष के लिये ही नहीं, बल्कि इन कारखानों के लिये गन्ना उपलब्ध कराने के लिये भी ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया है, ताकि वहां पर ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन करने के लिये आधुनिक उपकरण लगाये जा सकें तथा ऊर्जा का संरक्षण किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वर्तमान पद्धति के अनुसार, जिन चीनी मिलों ने परीक्षण के तौर पर पिराई की है अथवा पिराई कार्य कर रही हैं, वे प्रत्येक मामले के गुण-दोष के अनुसार गन्ना विकास योजनाओं के लिये चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार में कुष्ठ रोगी

1615. **श्री ए० के० राय** : **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** कुष्ठ रोगी के बारे में 2 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुष्ठ रोगी सबसे अधिक संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार में उनकी जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) बिहार में इस बीमारी पर काबू पाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां।

दिनांक 31-3-1990 को रोगियों का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस रोग का सामना करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(I) रोगों का पता लगाने सम्बन्धी गतिविधि को बढ़ाया गया है।

(II) 4 स्थानिक मारी वाले जिलों में बहु औषध उपचार शुरू किया गया है।

(III) आशोधित बहु औषध उपचार के अन्तर्गत स्थानिक मारी वाले 5 अतिरिक्त जिलों को मंजूरी दी गई है और इस वर्ष के दौरान 2 और जिलों में बहु औषध उपचार के लिए मंजूरी दी जायेगी।

(IV) स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को बढ़ाया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रिकार्ड किये गये रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	रिकार्ड किये गये रोगी
1987-88	326767
1988-89	462754
1989-90	467518

(ङ) रोगियों की संख्या में वृद्धि के कारणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(I) बहु औषध उपचार हेतु जिलों को तैयार करने के लिए रोगी का पता लगाने वाली गतिविधियों में सुधार।

(II) स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को बढ़ाया गया है।

(III) कुछ जिलों में बहु औषध उपचार शुरू करना और बहु औषध उपचार तैयार करना, जिसके फलस्वरूप रोगी का पता लगाने और उनका रिकार्ड रखने में वृद्धि हुई है।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	दिनांक 31-3-90 को रोगियों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	34000
2.	नालान्दा	5640
3.	गया	12402
4.	जहानाबाद	3430
5.	औरंगाबाद	7857
6.	नवादा	10571
7.	भोजपुर	14176
8.	रोहतास	47987
9.	हजारीबाग	10502
10.	धनबाद	32749
11.	गिरिडीह	8351
12.	शिंभूम	45597
13.	रांची	8905
14.	गुमला	1293
15.	लोहारडागा	572
16.	पलामू	5137
17.	मुंगेर	10846
18.	खगड़िया	2474
19.	भागलपुर	18605
20.	बेंगूसराय	7398
21.	पूर्णिया	23521
22.	कटिहार	832[illegible]
23.	सहरसा	6950
24.	माधोपुर	1271
25.	सारन	5860
26.	गोपालगंज	5759
27.	सिवान	21885
28.	मुजफ्फरपुर	1[illegible]356
29.	वैशाली	2778

1	2	3
30.	सीतामढ़ी	14606
31.	द० चम्पारन	8504
32.	प० चम्पारन	10569
33.	दरभंगा	12812
34.	मधुबनी	11543
35.	समस्तीपुर	10065
36.	डुमका	7816
37.	गोंडा	1008
38.	देवघर	4753
39.	साहेबगंज	6047
		4,67,918

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग द्वारा मारे गये छापे

1616. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के नमूना जांच कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में नियमित/आवधिक रूप से नमूना जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उत्तरी दिल्ली में 1 फरवरी, 1991 से आज तक कितने छापे मारे गये और उनके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग को हंसापुरी रोड, दिल्ली-3 क्षेत्र में की जा रही मिलावटी/घटिया वस्तुओं की सप्लाई के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) दिल्ली के उपभोक्ताओं को शुद्ध और/सही किस्म की खाद्य वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दसई चौधरी) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त करता है।

उत्तरी दिल्ली से 1-2-1991 से 4-3-1991 तक की अवधि के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के 8 नमूने लिये गये हैं। इन नमूनों में से अब तक 4 नमूनों के परिणाम प्राप्त हुये हैं। ये नमूने मानक स्तर के पाये गये हैं।

हंसपुरी रोड क्षेत्र में बेची जा रही अपमिश्रित/घटिया वस्तुओं के खिलाफ जनवरी, 1991 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत के आधार पर उक्त क्षेत्र के नमूने उठाये गये थे।

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग समय-समय पर दिल्ली के विभिन्न भागों से विभिन्न खाद्य वस्तुओं के नमूने उठाता है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा सर्वेक्षण

1617. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इण्डिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन ने 242 मिलों का उत्पादकता सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट से उन 242 मिलों की उत्पादकता की तुलना की गई है जिन्होंने सितम्बर, में 1988 के लिये सितरा के कताई सम्बन्धी 22वें उत्पादकता सर्वेक्षण में भाग लिया। सर्वेक्षण में यह संकेत मिला कि सर्वेक्षण की गई मिलों की औसद मिश्रित उत्पादकता से 22 प्रतिशत कम है। उत्पादन का प्रति तकुआ औसत मानक उत्पादन से 14 प्रतिशत कम है तथा मशीन की उत्पादकता मानक उत्पादकता से 24 प्रतिशत कम है। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि मिलें मानक से अधिक संख्या में प्रचालन कार्य में लगी हुई हैं, प्रचालन की त्रुटियों में शामिल है घटिया मशीनों का होना तथा पुरानी और अप्रचलित मशीनों का प्रभाव तथा यह मिलों के बीच मिश्रित उत्पादकता में लगभग 55 प्रतिशत का अन्तर भी निर्दिष्ट करती है।

(ग) आधुनिकीकरण तथा बेहतर प्रबन्धन के जरिये मिलों की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य के लिये वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत पहले से ही सहायता उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश के जिलों में नवोदय विद्यालयों का न होना

[हिन्दी]

1618. **श्री राघव जी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : मध्य प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं खोले गये हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : मध्य प्रदेश के वे जिले जहां कोई नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया हैं; इस प्रकार हैं :—

1.	बालाघाट
2.	बस्तर
3.	बेतुल
4.	भोपाल
5.	छिंदवाड़ा
6	पूर्वी नीमार (खांडवा)
7.	ग्वालियर
8.	मंडला
9.	रायगढ़
10.	रायसेन
11.	रतलाम
12.	रींवा
13.	सतना
14.	शाजापुर
15.	सरगुजा
16.	उज्जैन
17.	विदिशा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह 'अस्पताल के साथ-साथ मेडिकल कालेज' खोलना

161 . **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह 'अस्पताल के साथ-साथ मेडिकल कालेज' खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के पांच जोनों में चिकित्सा परिचर्या में मेडिकल कालेजों का उत्कृष्ट क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में दर्जा बढ़ाने की बात पर विचार करने के लिये पहले ही एक समिति का गठन किया जा चुका है।

पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक स्वरूप

1620. **श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने के लिये कोई नियम और कानून बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कानूनों/नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) 2001 के सादृश्य में दिल्ली की वृहद् योजना में "दिल्ली के पुराने शहर" को "नियमित संरक्षण क्षेत्रों" में से एक बताया गया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "क" अंचल के लिये आंचलिक (मंडलीय) योजनाओं के एक भाग के रूप ऐसे क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुधार हेतु विशेष विकास परियोजनाएं बनाई जानी अपेक्षित है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विकास योजनाएं अभी बनाई जानी हैं ।

(च) अंचल/मंडल "क" (पुराना शहर) की आंचलिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संरक्षण योजना तैयार की जायेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "ग" और "घ" श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संवर्ग समीक्षा समिति

[अनुवाद]

1621. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों के बारे में समीक्षा हेतु गठित की गई संवर्ग समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने कर्मचारियों के संगठनों से परामर्श किया था; और

(घ) सरकार द्वारा संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) संवर्ग पुनरीक्षा समितियों की रिपोर्टें गोपनीय होने के कारण, इस समय उनका अन्तर्विषय बताया नहीं जा सकता ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अराजपत्रित कार्यालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों का परामर्श लिया गया था ।

(घ) सरकार समितियों की रिपोर्टों पर विचार कर रही है ।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूखण्ड

1622. **श्री जी० एस० बासवराज** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन सभी आवेदकों को अभी भूखण्ड आवंटित नहीं किये हैं जिन्होंने 1981 में रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत नाम पंजीकृत कराए थे;

(ख) यदि हां, तो आवेदकों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) सभी पंजीकृत आवेदकों को भूखण्ड आवंटित करने की मूल समय-सारणी क्या थी;

(घ) इस समय सारणी का पालन न करने का क्या कारण है;

(ङ) सभी पंजीकृत आवेदकों को भूखण्ड कब तक आवंटित कर दिये जाने की संभावना है;

(च) क्या इस वर्ष के दौरान रोहिणी में निम्न आय वर्ग श्रेणी के कुछ भूखण्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारन) : (क) और (ख) 82,384 पंजीकृतों में से श्रेणीवार ब्योरे के अनुसार निम्नलिखित 45'856 पंजीकृत आवंटन के लिये प्रतीक्षारत है :—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	5,803
निम्न आय वर्ग	23,473
मध्यम आय वर्ग	16,580

(ग) इस योजना में पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से प्लाट आवंटित करने का विचार है ।

(घ) जलपूर्ति, मलनिर्यास आदि जैसी नगर पालिका सेवाओं की कमी तथा भूमि पर न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश ।

(ङ) शेष पंजीकृतों को आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व प्लाट आवंटित किये जाने की संभावना है ।

(च) और (छ) इस वर्ष के दौरान निम्न आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 2600 प्लाटों के नियतन का प्रस्ताव है।

"स्वतन्त्रता की ओर" परियोजना

1623 **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्वतन्त्रता की ओर" शीर्षक वाली भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की गौरवपूर्ण परियोजना को बन्द करने तथा इसके तैयार खंड राष्ट्रीय पुरातत्व को सौंपने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह परियोजना कब तक पूरी होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) एक स्थिति ऐसी थी जबकि इस परियोजना को इसकी प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण परिषद् से वापस लेने का निर्णय लिया गया था। तथापि पुनर्विचार करने के बाद परिषद् को इस परियोजना को जारी रखने की अनुमति दे दी गई।

(ग) परियोजना दिसम्बर, 1992 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों का प्रतिशत

1624. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 28 फरवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों का प्रतिशत कितना हैं;

(ख) उनकी प्रतिशतता अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) शैक्षिक आंकड़े, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा 30 सितम्बर, को संदर्भ तारीख के रूप में एकत्र किये जाते हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े (1987-88) के अनुसार, प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 51.69% और अनुसूचित जनजातियों के लिये 65.2 है। हाई स्कूल स्तर (कक्षा 1 से 10) तक तदनुरूपी आंकड़े, अनुसूचित जातियों के लिए 81.64%

और अनुसूचित जनजातियों के लिए 87.62 प्रतिशत है। अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दरों का सामाजार्थिक घटकों से पता लगाया जा सकता है।

(ग) पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दरों में कमी लाने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:—

— छात्रवृत्तियां, वर्दियां, पाठ्य-पुस्तकें, छात्रावास सम्बन्धी सुविधाएं आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान।

— आपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार करना।

— अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में नये स्कूल खोलना।

हाइड्रोजनीकृत तेलों में अत्यधिक वसा

1625. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोजनीकृत तेलों को अत्यधिक वसा के कारण अच्छे स्वास्थ्य के लिये उपभोग योग्य नहीं समझा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके बारे में जनता को जानकारी देने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या हाइड्रोजनीकृत तेलों के प्रयोग को रोकने के लिए सस्ते आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति न करने जैसे हतोत्साह करने वाले उपाय करने के बारे में विचार किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) हाइड्रोजनीकृत तेलों में वसा प्रचुर मात्रा में होती है जिसे किसी हद तक प्लाज्मा कोलेस्टेरोल में वृद्धि के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है जिससे ऐथिरोस्कलेरोसिस तथा अरक्तता-जन्म हृदय रोग हो जाता है।

(ख) जनता को समय-समय पर जन प्रचार के साधनों, नामतः दूरदर्शन, रेडियो, समाचार-पत्रों इत्यादि, के माध्यम से अत्यधिक वसा के उपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।

(ग) नागरिक आपूर्ति विभाग के वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ने सूचित किया है कि इस समय वनस्पति उद्योग को आयातित तेलों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

कर्नाटक में चीनी मिलें

1626. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितनी चीनी मिलें हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य में और अधिक चीनी मिलें खोलने के लिये आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन प्रार्थियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक लाइसेंस दिये गये हैं; और

(घ) प्रत्येक चीनी मिल की क्षमता क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में संस्थापित/लाइसेंसशुदा चीनी फैक्ट्रियों की स्थान सहित संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) जी हां, जनवरी, 1990 से नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए खाद्य विभाग में 38 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं और मै० बन्नारी अम्मान सुगर लि० को अलगांची गांव, ता० नंजनगुड जिला मैसूर (कर्नाटक) में 2500 टी.सी.डी. क्षमता के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया था ।

विवरण

कर्नाटक राज्य में स्थिति सहित संस्थापित/लाइसेंसशुदा
चीनी फैक्ट्रियों की सूची

क्रम सं०	स्थिति सहित फैक्ट्री का नाम	दैनिक गन्ना पेराई क्षमता (टी.सी.डी.)
1	2	3
	संस्थापित	
1.	पांडवपुर एसएसके लि०, पांडवपुर	1500
2.	मैसूर सुगर कंपनी लि०, मांडया	5000
3.	चामुंडेश्वरी सुगर लि०, कलामुड्डाना डोड्डी	2400
4.	इंडिया सुगर एंड रिफाइनरी लि०, चिटवाडगी होसपेट	2000
5.	कंपली सह. चीनी फैक्ट्री लि०, कपली	1219
6.	सिरुगुप्पा सुगर्स एंड केमिकल्स प्रा० लि०, सिरुगुप्पा	1250

1	2	3
7.	सलारगंज सुगर मिल्स लि०, मुनीराबाद	1016
8.	गंगावती सुगर मिल्स लि०,प्रगति-नगर	2500
9.	उगर सुगर वर्क्स लि० उगरखुर्द	3000
10.	श्री माला प्रभा सह. चीनी फैक्ट्री लि०,	3500
11.	श्री दूधगंगा कृष्णा सह साखर कारखाना, नियमित चिकोडी	2000
12.	रायबाग एसएसके नियमित, रायबाग	1250
13.	घाटप्रभा एसएसके नियमित, गोकाक	1250
14.	तुंगभद्रा सुगर वर्क्स प्र० लि०, शिमोगा	2500
15.	मैसूर पेपर मिल्स लि०, भद्रावती	2500
16.	गौरी बिदनौर एसएसके लि०, गौरी बिदनौर	1270
17.	बिदार एसएसके लि०, हल्लीखेड	2000
18.	वाणीविलास सह. चीनी फैक्ट्री लि०, हिरीयुर	1250
19.	भद्रा एसएसके नियमित, दूदाबाती	1250
20.	डावनगेरे सुगर कं० लि०, डावनगेरे	1250
21.	गोदावरी सुगर मिल्स लि०, समीरवाडी	5000
22.	खोदय डिस्टिलरीज लि०, कोल्लिगल	1250
23.	मै० श्रीराम एसएसके लि०, चुनचनकट्टे	1250
24.	कर्नाटक एसएसके लि०, हवेरी	1250
25.	हेमावती एसएसके लि०, हसन	1250
26.	दक्षिण कन्नड़ एसएसके लिस, मंगलौर	1250
27.	मै. श्री हलसिधनाथ एसएसके लि०, मंगलौर	1250
28.	मै० एसएसके नियमित अलंद	1250
29.	श्री हिरण्यकेशी एसएसके नियमित संकेश्वर	3500
	लाइसेंसशुदा	
30.	कृष्णा एसएसके लि०, कोकाटनूर तह० अथानी, जिला बेलगाम	2500
31.	श्री भाग्यलक्ष्मी एसएसके लि०, मंसापुर, तह० खानपुर, जिला बेलगाम	2500
42.	मै० नरजा एसएसके लि०, गांव बिल्लेर्गो जिला बिदार	2500
33.	मै० नंदी एसएसके लि०, चिका गालागली जिला बीजापुर	2500
34.	बन्नारी अमान सुगर लि०, अलागांची गांव, ता० नंजगुड, जिला मैसूर	2500

ऊनी धागा उत्पादक कारखाने

[हिन्दी]

1627. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर ऊनी धागे का उत्पादन करने वाले कारखाने चल रहे हैं;

(ख) क्या इनको कच्चे माल की कमी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप कई कारखाने बन्द होने की स्थिति में हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इन कारखाने को अर्थ-क्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ऊनी यार्न का उत्पादन करने वाले अधिकांश ऊनी कताई एकक पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में स्थित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कच्चे माल अर्थात् कच्ची ऊन और ऊनी। सिंथेटिक चीथड़ों का आयात ओ०जी०एल० के अन्तर्गत किया जाता है। ऊनी वस्त्र मिलें वस्त्र आधुनिकीकरण निधि से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ताकि वे आर्थिक रूप से अर्थक्षम हो सकें। वे वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न वित्तीय सहायता। सुविधाएं भी प्राप्त कर सकती है।

दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों की भर्ती

1628. **श्री छेदी पासवान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 30 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6916 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किये गये अध्यापकों के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत स्कूलों में 3067 सहायक शिक्षकों को नियुक्त किया गया, जिनमें से 662 शिक्षक अ०जा०/अ०ज०जा० संवर्गों के थे। 46 शिक्षकों की पिछली रिक्तियां बकाया थीं क्योंकि अ०जा०/अ०ज०जा० के कुछ शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव मिलने के बावजूद सेवा पर नहीं आये। अ०जा०/अ०ज०जा० की पिछली रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संस्कृत के बदले उर्दू को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना

[अनुवाद]

1629. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने संस्कृत के स्थान पर उर्दू को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो संस्कृत की पढ़ाई बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या छात्रों पर संस्कृत के स्थान पर उर्दू सीखने के लिये दबाव डाला जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की विवश बिक्री

1630. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा
श्री श्री बी० कृष्ण राव } क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की खाद्यान्न सम्बन्धी कार्रवाई का उद्देश्य किसानों को फसल काटने के बाद दामों में कमी आने से होने वाली हानि से बचाने हेतु उनसे खाद्यान्नों को खरीद करके बाजार भाव को नियंत्रित करने का होता है;

(ख) यदि हां, तो फिर गरीब किसान अक्सर अपनी फसलों की विवश बिक्री क्यों करते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की विवश बिक्री को रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खाद्यान्नों (गेहूं, धान और मोटे अनाजों) की वसूली मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन राज्य सरकारों/उनकी वसूली एजेन्सियों के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को अपनी पैदावार समर्थन मूल्यों से कम मूल्यों पर न बेचनी पड़े। भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर बिक्री करने के लिए किसानों द्वारा स्वैच्छा के साथ पेश किए गए विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों (उचित

औसत किस्म) के अनुरूप सभी खाद्यान्न खरीद लिए जाते हैं। तथापि, किसान अपनी उपज को खुले बाजार में समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेन्सियों का यह प्रयास है कि मूल्य समर्थन परिचालन इस ढंग से किए जाएं कि किसी भी किसान को उचित औसत किस्म के खाद्यान्न समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

(ग) मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) राज्य सरकार मूल्य समर्थन परिचालनों की आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों के क्षेत्रों और स्थानों को अधिसूचित करती है।

(2) आकाशवाणी, दूरदर्शन; समाचार पत्रों के जरिये और पुस्तिकाएं, आदि बांट कर व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है ताकि किसानों को चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों के बारे में जानकारी दी जा सके उन्हें उन विनिर्दिष्टियों के बारे में भी अवगत कराया जा सके जिनके अनुसार भारतीय खाद्य निगम/राज्य को एजेन्सियों द्वारा स्टाक की वसूली की जाएगी। उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे क्रय केन्द्रों पर अपना स्टाक उचित ढंग से साफ करके ही लाएं ताकि उनका स्टाक अस्वीकार न किया जाए।

(3) भारतीय खाद्य निगम के एक एजेन्ट के रूप में ट्रिफेड आदिवासी क्षेत्रों में अनाज की वसूली कर रहा है।

(4) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा वसूलों परिचालनों पर नजर रखने के अलावा, राज्य सरकारों की मंडी समितियां भी इन परिचालनों पर निगरानी रखती हैं।

मद्रास शहर में पाम आयल की सप्लाई

1631. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास शहर में पाम आयल की सप्लाई की मात्रा कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मद्रास शहर में उपभोक्ताओं को पाम आयल की सप्लाई में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) आयातित खाद्य तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने हेतु दिसम्बर, 1990 और जनवरी, 1991 के महीनों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आया-

रित तेलों का आवंटन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें मद्रास नगर भी शामिल है, में पामोलिन उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन फरवरी, 1991 से पामोलीन का आवंटन फिर से शुरू कर दिया गया है केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित पामोलीन के आंतरिक वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

बाहरी दिल्ली में कालेज खोलना

[हिन्दी]

1632. **श्री तारीक सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार बाहरी दिल्ली में बढ़ते हुए दबाव को ध्यान में रखते हुए वहां कोई कालेज या तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अगले शैक्षिक वर्ष 1991-9` के दौरान राजोकारी गांव, दिल्ली स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कालेज के नाम से डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव है। VIII वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पापन-कालंन, दिल्ली में एक सह शिक्षा पालिटेकिनक और एक आई टी आई खोलने का भी एक प्रस्ताव है।

उचित दर की दुकानों और मिट्टी के तेल के डीलरों द्वारा कदाचार

[अनुवाद]

1633. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार, कदाचार के सम्बन्ध में उचित दर की कितनी दुकानों और मिट्टी के तेल के कितने डिपुओं की जांच की गई;

(ख) इनमें से कितनी दुकानें/डिपो कदाचार में शामिल पाए गए;

(ग) उचित दर की दुकानों और तेल के डिपुओं के दोषी मालिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाग गए;

(घ) तेल के कितने डिपो अनधिकृत स्थानों एवं सड़क के किनारे चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष दोषों उचित दर दुकानदारों/मिट्टी के तेल के डिपोधारियों के विरुद्ध मामले शुरू किए गए हैं।

(घ) और (ङ) चार ऐसे मामले दिल्ली प्रशासन की जानकारी में आए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इन मामलों के वारे में कारंवाई चल रही हैं।

विवरण

(क) दिल्ली में उन उचित दर दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपुओं की संख्या जिनकी कदाचारों के लिए आंच की गई।

	1989	1990	1991 (28-2-91 तक)
उचित दर की दुकानें	478	251	358
मिट्टी के तेल के डिपो	268	140	150

(ख) कदाचारों में लिप्त पाई गई दुकानों की संख्या

	1989	1990	1991 (28-2-91 तक)
उचित दर की दुकानें	39	14	29
मिट्टी के तेल के डिपो	27	7	9

लिंग निर्धारण परीक्षण को रोकने के लिए कानून बनाना

1634. **श्री बसंत साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या लिंग निर्धारण परीक्षण पर पाबन्दी लगाने के लिये कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे लागू करने के प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे अधिनियम से गरीब लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे क्योंकि धनी लोग तो फिर भी प्राइवेट डाक्टरों से ऐसा परीक्षण करा सकेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रस्तावित विधान का ब्यौरा विधि एवं न्याय मन्त्रालय से परामर्श लेते हुये बनाया जा रहा है और अभी इसे अन्तिम रूप दिया जाना है।

गोआ के नवोदय विद्यालयों की सलाहकार समिति

1935. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के नवोदय विद्यालयों की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) गोआ राज्य में नवोदय विद्यालयों के लिये कोई सलाहकार समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव

1636. **श्री जे० चोक्का राव**
श्री के० मुरलीधरण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 में खोले जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें इंजीनियरिंग औद्योगिक प्रशिक्षण कालेजों, पालीटेक्निकों और औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों की संख्या कितनी-कितनी है और इनमें से कितने केवल महिलाओं के लिये होंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) जी नहीं। असम में भारतीय प्रौद्योगिक सस्थान को छोड़कर, जिसकी "असम समझौता" के अनुसार स्थापना की जा रही है, देश में कहीं अन्यत्र और कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुदूर संवेदन संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का रूप देना

1637. **श्री प्रताप राव टी० भोसले** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्ना विश्वविद्यालय में सुदूर संवेदन संस्थान को एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का रूप देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस केन्द्र द्वारा कौन से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे;

(ग) क्या इस केन्द्र की कोई असाधारण विशेषताएं होंगी;

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वहां प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्ना विश्वविद्यालय का सिविल इन्जीनियरी विभाग सुदूर संवेदन में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

अतिक्रमणों को हटाया जाना

1638. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में पटरियों और सड़कों पर से अतिक्रमणों को हटाने का निर्णय लिया था; और यदि हां, तो इन्हें कब से हटाया जा रहा है ।

(ख) गत दो महीनों में किन-किन क्षेत्रों में अतिक्रमणों को पहले ही हटाया जा चुका है; और

(ग) शेष अतिक्रमणों को कब तक हटाये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा लोक निर्माण विभाग को उनके अपने कार्यक्षेत्र में पटरी तथा सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए स्थायी आदेश दिए गए हैं दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न मण्डलों में 1262 मामलों में अतिक्रमण हटाने के लिए कारंवाई की है । नई दिल्ली नगर पालिका ने आबाद-प्रवृत क्षेत्रों जैसे कनाट प्लेस, सरोजिनी नगर, चर्च रोड, इत्यादि में प्रतिदिन छापे डालने के पश्चात् अतिक्रमण हटायें हैं । अमिक्रमणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है इसलिए इस विषय में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

नई दिल्ली नगर-पालिका द्वारा दुकानों का आवंटन

[हिन्दी]

1639. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान लोगों को किन-किन स्थानों पर, कितनी दुकानों का आवंटन किया गया;

(ख) इनके आवंटन के क्या मानदंड है;

(ग) क्या आवंटन हेतु नियमों का पालन किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त आवंटनों की जांच कराने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि गत एक वर्ष के दौरान टेन्डर मांगने के पश्चात उच्चतम टेन्डर दाताओं को लाइसेन्स फीस के आधार पर 21 दुकानें—पालिका भवन में 12, पालिका प्रेस में 3, अलीगंज में 2, पालिका पार्किंग, किदवई नगर पूर्वी, शिवाजी स्टेडियम में एक-एक तथा बंगला साहिब मार्ग तथा शहीद भगत सिंह मार्ग के चौराहे के पास एक कैफे आवंटित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

खाद्यान्नों की खरीद और उनका भण्डार

[अनुवाद]

1640. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाजवार, कुल कितना खाद्यान्न खरीदा गया;

(ख) 1.4.1990 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्न का कुल कितना भंडार था;

(ग) वर्ष के दौरान अब तक राज्यवार और अनाजवार कुल कितना आवंटन किया गया;

(घ) राज्यवार और अनाजवार खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा ले जाई गई; और

(ङ) 1.4.1990 और 28.2.1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के भंडारों का अनुमानित मूल्य क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम अथवा उसकी एजेन्सियों द्वारा 1990-91 के दौरान 28.2.91 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 98.38 लाख मीटरी टन चावल, 110.74 लाख मीटरी टन गेहूं और लगभग 5000 मीटरी टन मोटे अनाजों की वसूली की गई थी।

(ख) 1.4.1990 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय खाते में 104 5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था, (भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेन्सियों के पास) जिसमें 70.32 लाख मीटर टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित), 34.17 लाख मीटरी टन गेहूं और 0.01 लाख मीटरी टन मोटे अनाज शामिल हैं।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ङ) 1.4.1990 और 31.1.1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के स्टाक का अनुमानित मूल्य क्रमशः 2996 8 करोड़ रु० और 49808 करोड़ रु० था।

1990-91 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के आबंटन और उठान (अ०) को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

		आबंटन 1990-91 (अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 तक)		उठान 1990-91 (अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 तक)	
क्र० सं०	राज्य संघ/शासित प्रदेश	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	370.00	1565.00	95.6	1063.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	92.50	6.0	71.8
3.	असम	240.00	431.40	167.7	328.6
4.	बिहार	520.00	109.00	319.8	18.5
5.	गोआ	46 50	48.90	22.3	37.5
6.	गुजरात	810.00	318.00	469.3	220.3
7.	हरियाणा	160.00	36.00	29.5	10.7
8.	हिमाचल प्रदेश	124.00	78.00	58.6	42.9
9.	जम्मू तथा कश्मीर	240.00	420.00	60.3	168.0
10	कर्नाटक	375.00	589.00	2 1.2	418.3
11.	केरल	255.00	1652.50	197.6	1280.0
12.	मध्य प्रदेश	400.00	278.00	204.0	145.3
13.	महाराष्ट्र	1200.00	558.50	905.4	447.2
14.	मणिपुर	36.00	84.00	23.4	49.4
15.	मेघालय	27.60	115.90	21.7	94.0
16.	मिजोरम	15.00	97.50	11.3	76.5
17.	नागालैण्ड	70.00	113.50	57.6	99.2
18.	उड़ीसा	310.00	257.50	214.6	146.8
19	पंजाब	90.00	18.00	6.9	1.8

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	860.10	38.40	463 5	9.6
21.	सिक्किम	6.70	54.00	4.7	22.9
22.	तमिलनाडु	360.00	761 80	134.8	540.3
23.	त्रिपुरा	30.(0	160.20	14.1	117.9
24.	उत्तर प्रदेश	650.00	370.00	268.1	198.3
25.	पश्चिम बंगाल	1100.00	827.00	757.3	489.3
26.	अ० तथा नि० द्वीपसमूह	8.40	18.00	4.9	7.2
27.	चण्डीगढ़	24.00	4.80	13.5	3.3
28.	दादर तथा नगर हवेली	1.70	6.00	0.2	1.9
29.	दमन और दीव	1.80	5.40	0·4	1.4
30.	दिल्ली	870.00	240.00	483.0	134.4
31.	लक्षद्वीप	0.10	5.50	नग	3.4
32.	पांडिचेरी	7.00	24.00	1.4	5.7
	जोड़	9219.40	9388.30	5278.7	6256.3

(अ०) — अनन्तिम

(नग) — 50 मी० टन से कम

खाद्य प्रसंस्करण एकक

1641 **श्री कमल चौधरी**
श्री तसली मउविन
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख
श्री पी० सी० थामस
श्री गुलाब चन्द कटारिया

: **क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण एककों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) नए खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) नये खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु सरकार का राज्यवार किन स्थानों के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन एककों के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों सेक्टर में हैं। सभी यूनिटो के बारे में सूचना मन्त्रालय में नहीं रखी जाती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति सम्बन्धी अनेक उपाय किये हैं। अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेन्स मुक्त करना, अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परिशिष्ट—I में शामिल करना और इनमें से अधिकांश उद्योगों को ब्रॉड-बैण्डिग सुविधायें देना मुख्य नीति सम्बन्धी उपाय है। जब कभी नए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लाइसेन्सों के लिये आवेदन किया जाता है तो उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशिकाओं के अनुसार मंजूर किया जाता है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन बनाया गया कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमों को कार्यान्वित करता है। उत्पादन और निर्यात दोनों क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समय-समय पर वित्तीय रियायतों की भी घोषणा करती है। प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिये नकद क्षतिपूर्ति सहायता, शुल्क की वापसी आदि जैसे निर्यात प्रोत्साहन भी देय हैं।

शहरी परिवहन परियोजना मुम्बई

[हिन्दी]

1642. **प्रो० महादेव शिवनकर**
श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1985 में मुम्बई (वृहत्तर मुम्बई) में विभिन्न यातायात मार्गों (मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II) के विकास तथा विश्व बैंक से सहायता के लिये एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई तथा वृहद बम्बई में रेल तथा रोड परिवहन पद्धतियों के विकासार्थ हाल ही में प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। रेलवे मन्त्रालय के अधिकारियों सहित राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के बीच बैठकें करने के पश्चात आरम्भ किये जाने वाले रेल तथा रोड परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकताकरण को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकताकरण के आधार पर उन संसाधनों को स्पष्ट रूप से बताते हुये जिन्हें विभिन्न उपकरों के माध्यम तथा संपत्ति विकास के माध्यम से तथा अपेक्षित संस्थानिक वित्त की हद तक प्राप्त किया जा सकता है, एक विस्तृत योजना तैयार करनी अपेक्षित है।

महाराष्ट्र में चिकित्सा सुविधाएं

1643. **श्री हरी शंकर महाले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिये विशेष योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) जी नहीं । चूंकि 'स्वस्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिये महाराष्ट्र में चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार का ही कार्य है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

एस्प्रिन के बुरे प्रभाव

[अनुवाद]

1644. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को ज्वर की बीमारी जैसे जुकाम अथवा छोटी माता होने पर एस्प्रिन देने से रेएस सिनड्रोन जिससे मस्तिष्क में सूजन हो जाती है; जैसी घातक बीमारी हो सकती है;

(ख) क्या इस तथ्य को उपभोक्ताओं के लिये व्यापक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है; और

(ग) क्या देश में अब तक रेएस सिनड्रोन के कोई मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां । एस्प्रिन योगों के सभी विनिर्माताओं को लेबल पर निम्नलिखित चेतावनी लिखनी होती है ।

> "चिकित्सीय सलाह के बिना 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग नहीं की जानी चाहिए" ।

(ग) इस मन्त्रालय की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है ।

भौतिक चिकित्सकों के लिए पृथक परिषद

1645. **श्री आर० एन राकेश**
श्री आर० एम० भोये
श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भौतिक चिकित्सकों के लिये एक पृथक परिषद स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां। भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों की एक संयुक्त परिषद गठित करने का प्रस्ताव है जिसमें भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों की अलग-अलग सैलें होंगी।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

चीनी का आयात

[हिन्दी]

1646. **श्री तेज नारायण सिंह** : **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान सरकार द्वारा प्रति माह कितनी मात्रा में तथा कितनी दर पर चीनी का आयात किया गया;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक करार पर हस्ताक्षर किए जाने के समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की दर कितनी थी; और

(ग) चीनी की सप्लाई करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इसमें शामिल भारतीय एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 1990 के दौरान चीनी का आयात नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करने पर प्रतिबन्ध

1647. **श्री शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत पांच वर्षों से नवनिर्मित फ्लैटों के लिए नये आवेदन पत्र आमन्त्रित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को कब तक हटा लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या संसद सदस्यों और पत्रकारों के लिए फ्लैटों का आवंटन का कोटा सुनिश्चित किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी विद्यमान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारी बकाया पंजीकृत व्यक्तियों के कारण सामान्य श्रेणियों हेतु, नये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं मांगे हैं।

(ख) पूर्व की योजनाओं के पिछले बकाया पंजीकृतों को निपटाये बिना नई योजना आरम्भ करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) से (ङ) विद्यमान नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए जाने वाले फ्लैटों में संसद सदस्यों तथा पत्रकारों के लिए कोई कोटा नहीं है।

कर्नाटक की आटा चक्की मिलों को गेहूं

[अनुवाद]

1648. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर्नाटक में आटा चक्की मिलों को वर्ष 1990 और 1991 के दौरान माह-वार कुल कितना गेहूं आवंटित किया गया;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक की आटा चक्की मिलों की ओर से गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्तिमन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर्नाटक में बिक्री के लिए निश्चित किए गए गेहूं का ब्यौरा निम्नानुसार है। रौलर फ्लोर मिलें,

व्यापारी, आटा चक्कियां, ट्रेड यूनिट और राज्य के नियन्त्रणाधीन एजेन्सियां इस बिक्री में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।

मास	बिक्री के लिये रखी गई मात्रा
अगस्त, 1990	10,000 मीटरी टन
नवम्बर, 1990	25,000 मीटरी टन
दिसम्बर, 1990	45,000 मीटरी टन
जनवरी, 1991	35,000 मीटरी टन
फरवरी, 1991	25,000 मीटरी टन
मार्च, 1991	45,000 मीटरी टन

(ख) और (ग) जी, हां। कर्नाटक में मार्च 1991 के दौरान बिक्री के लिये 45,000 मीटरी टन की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा निश्चित की गई है जबकि फरवरी, 1991 के लिये 25,000 मीटरी टन मात्रा निश्चित की गई थी

विश्व विद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन

1649. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन का ब्यौरा क्या है और उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या इन चर्चाओं के प्रकाश में भारत में प्रचलित उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वाधान में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों के कार्यकारी अध्यक्षों का एक सम्मेलन दिल्ली में 14-18 जनवरी, 1991 से आयोजित किया गया था।

(ख) सामान्य विषय "उच्च शिक्षा के मुद्दे और विकास" के अन्तर्गत शामिल किए गए मुख्य विषय इस प्रकार थे—विकासशील देशों में उच्च शिक्षा की भूमिका, विश्वविद्यालय स्वायत्तता संबन्धी सरकारी नीतियों का प्रभाव, उसी स्वायत्तता का स्वरूप, उत्कृष्टता को बनाए रखना तथा व्यापक उच्च शिक्षा में सुदूर शिक्षा की भूमिका और विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध तथा व्यापक उच्च शिक्षा में सुदूर शिक्षा की भूमिका और विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध तथा संरचना।

(ग) इन चर्चाओं का बल इस बात पर था कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं से सम्बद्ध होने चाहिए और इन्हें मूल्यों की भावना पैदा करनी चाहिए जैसे सामाजिक न्याय तथा सामाजिक प्रतिबद्धता; कोटिपरक विस्तार मानको की कीमत पर नहीं होना चाहिए; विश्वविद्यालय स्वायत्त होने चाहिए ताकि वे प्रयोग और नवीकरण कर सकें; और इन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों और कुल मिलाकर समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

इनमें से अधिकांश सिफारिशें उच्च शिक्षा संबंधी नीति में पहले ही दर्शाई गई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दर लाल अस्पताल में धन-राशि की कमी

1650. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सा संस्थान सर सुन्दर लाल अस्पताल में धन-राशि की कमी के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं की जानकारी है; जैसा कि 30 जनवरी, 1991 के "नेशनल हेराल्ड" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इस अस्पताल को प्रति बिस्तर केवल 6000 रुपये की सहायता मिलती है जबकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को प्रति बिस्तर 36,000 रुपये मिलते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार को उन समस्याओं की जानकारी है जिनका सामना बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दर लाल को अस्पताल को निधियों की कमी की वजह से करना पड़ रहा है। अस्पताल को 6,000 रु० प्रति बिस्तर के हिसाब से 45 लाख रु० का वार्षिक अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है। इस अनुदान में से 90% विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता हैं और शेष 10% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दिया गया अनुदान लगभग 30000 प्रति बिस्तर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्पताल को अनुदानों में वृद्धि नहीं कर सका है क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदानों के लिए अपेक्षित निधियों की कमी है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अनुदान का अपना हिस्सा बढ़ाए परन्तु राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया है।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पाली

1651. **डा० सुधीर राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू शैक्षिक सत्र के दौरान दिल्ली के कुछ केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी पाली आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे बन्द किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों कारंवाईयों को प्रेरित करने वाले कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की बड़ी संख्या को स्कूल में दाखिला न मिलने की स्थिति को देखते हुए प्रायोगिक आधार पर अक्तूबर, 1990 के दौरान दिल्ली के नौ चुने हुए केंद्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली की शुरूआत कीगई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोलने की मांग

1652. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के स्थानीय प्रतिनिधियों के राज्य में किन-किन स्थानों में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोलने की मांग की है; और

(ख) इस बारे में अब तक क्या कारंवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) । (क) और (ख) अन्य स्रोतों से निवेदन प्राप्त करने के अलावा केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्थानीय प्रतिनिधियों से भी कुलु हमीरपुर और हंगरंग (किन्नोर जिला) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबध में निवेदन प्राप्त किए हैं। संगठन प्रस्तावों/निवेदनों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों (सी० जी० ई० डब्ल्यू सी० सी०) आदि के द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के खोलने के प्रस्ताव को प्रायोजित करने और निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के बाद ही विचार करता है;

(I) केन्द्र सरकार और या निजी क्षेत्र के उद्यमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की अच्छी संख्या का होना।

(II) 15 एकड़ जमीन मुफ्त या नाम मात्र की कीमत पर उपलब्ध कराना।

(III) विद्यालयों को चलाने के लिए अस्थायी प्रयोग के लिए मुफ्त या मामूली किराये पर आवास की उपलब्धता।

(IV) 50% कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रतिनिधियों को उपयुक्त नियमों/शर्तों से अवगत करा दिया गया है।

किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि से नवोदय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुलु लाहुलस्फीति सोलन और बिलासपुर जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए चार प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से कुलु और लाहुलस्फीति के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर वित्तीय दबावों के कारण विचार नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश में खेल महाविद्यालय

[हिन्दी]

1653. श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आगामी वर्षों में पहाड़ी क्षेत्रों में खेल महाविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे खेल महाविद्यालय किन स्थानों पर खोले जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा क्षेत्र को रियायती मूल्य पर कागज की सप्लाई और आवंटन बन्द किया जाना

1654. श्री गंगा चरण लोधी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा क्षेत्र को रियायती दर पर कागज की सप्लाई, और आवंटन बन्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) छात्रों को सस्ती दरों पर पुस्तकों और कापियों की सप्लाई के लिये अपर्याप्त राज सहायता देने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार राज सहायता में वृद्धि करने का है?

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (ग) स्कूली पाठ्य-पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं और परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिये सहायता प्राप्त सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति की योजना वर्ष 1989-90 तक चल रही थी। इस योजना को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

"पेप्सी फूड्स" की निर्यात बाध्यताएं

[अनुवाद]

1655. श्री निर्मल कांति चटर्जी
के० एस० चावड़ा
श्री हर्ष वर्धन
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री फूलचन्द वर्मा
: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड में विदेशी सहयोग करार के अन्तर्गत किन-किन मदों का निर्यात करने का वचन दिया है;

(ख) "पेप्सी फूड्स द्वारा" निर्यातित वस्तुओं और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या मैसर्स "पेप्सी फूड्स निर्यात वचन बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न कर पाने के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

खाद्य मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) विदेशी सहयोग अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना प्रतिवर्ष अपने कुल कारोबार का 50% निर्यात करेगी जिसमें से 40% कंपनी के अपने निर्मित उत्पादों से और 10% दूसरों द्वारा निर्मित चयनसूची उत्पादों से होगा। उपर्युक्त 10 वर्ष की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय (इनफ्लो) परियोजना के विदेशी मुद्रा व्यय (आउटफ्लो) के 5 गुने से कम नहीं होगा।

(ख) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 4.2 1991 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान उनके निर्यात प्रभाग का कारोबार 284.60 लाख रुपए रहा है। उन्होंने निर्यात की गई वस्तुओं और प्रत्येक वस्तु के मूल्य के बारे में कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं। परन्तु मै० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1.4.90 से 30.9.90 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरे तीन अधिकारियों के उस दल को प्रस्तुत किए थे जिसका गठन पेप्सी परियोजना की दशा का पता लगाने के लिए किया गया था, ये ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वस्तु	मूल्य (लाखों में) रुपए
1	2
धान की भूसी का आसवन	17.13
बासमती चावल	12.08
मिर्च	6.31

1	2
काजू की गिरी	13.22
श्रिम्प	14.32
अन्य	23.84
जोड़ :	86.90

(ग) दल ने यह पाया कि आशय-पत्र में निर्धारित 40% निर्यात के वायदे के लिये मै० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों में से कोई निर्यात नहीं किया गया। इस दल ने आगे बताया है कि चयनसूची में से 86.90 लाख रुपए का निर्यात किए जाने की सूचना दी गई है।

(घ) कारार की शर्तों को पूरा करने में किसी उल्लंघन के लिए क़ानून के अधीन दण्डनीय कारंवाई की आएगी।

केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले मणिपुर में स्वैच्छिक हिन्दी संगठन

1‘56. **श्री एन० तोम्बी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले मणिपुर में स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं तथा संस्था-वार उन्हें कितनी अनुदान राशि दी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार कुछ संगठनों को उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर सहायता अनुदान की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) हिंदी को बढ़ावा देने के लिये स्वैच्छिक संगठनों के लिये सहायता की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान मणिपुर में स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को मुक्त किये गये अनुदानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) हिंदी को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता के प्रस्तावों के बारे में सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जो संगठनों के कार्य निष्पादन सहित प्रासंगिक घटकों पर भी विचार करती है।

जहां तक हिंदी शिक्षक के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना/उनके रखरखाव के (मणिपुर सहित) अहिंदी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

क्र० सं०	संगठन का नाम	मुक्त की गई राशि		
		1987-88	1988-88	1989-90
1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
1.	**मणिपुर**			
1.	वाणखेई राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, इम्फाल	24,375/-	28,650/-	30,000/-
2.	मणिपुर हिंदी शिक्षक संघ, इम्फाल	10,800/-	11,?50/-	15,000/-
3.	वांगजिंग महिला कन्या सोसायटी, वांगजिंग	10,410/-	22,800/-	11,250/-
4.	राष्ट्रभाषा शीघ्रलिपि कालेज, इम्फाल	1,88,900/.	—	—
5.	अखिल मणिपुर, शिक्षक संघ, इम्फाल	12,750/-	12,750/-	15,000/-
6.	आदिम जाति हिंदी महाविद्यालय, मणिपुर	10,875/-	14,475/-	—
7.	मणिपुर हिंदी प्रचार सभा, इम्फाल	62,100/-	78,450/-	90,650/-
8.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इम्फाल	1,35,300/-	2,29.800/-	1,14,900/-
9.	अवांग खुमोन सहकारी राष्ट्रभाषा महाविद्यालय मणिपुर	—	—	3,000/-
10.	सरस्वती हिन्दी विद्यालय, मणिपुर	12,600/-	8,775/-	—
11.	मणिपुर हिंदी परिषद, इम्फाल	46,000/-	46,500/-	2,14,500/
12.	हिंदी आशुलिपि और मुद्रालेखन प्रशिक्षण संस्थान, इम्फाल	10 500/-	17,700/-	15,000/-
13.	उरिपोक हिन्दी महाविद्यालय, इम्फाल	18,300/-	—	27,000/-
14.	येरिपोक हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, इम्फाल	—	—	3,000/-
15.	थाम्पासाना हिंदी महाविद्यालय, इम्फाल, थियाम	10,500/-	13,800/-	11,250/-
16.	खबी हिंदी विद्यालय, मणिपुर	—	11;625/-	—
17.	नोम्बोल हिंदी प्रचार परिषद, मणिपुर	21,345/-	30,600/-	30,600/-
18.	हिंदी प्रचार परिषद, काकचिंग	19,275/-	—	30,600/-
19.	निरपु जनजीतीय हिंदी प्रचार परिषद, खिनो	—	—	3,000/-

दिल के दौरों के कारण मौतें

1657. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल के दौरे पड़ने के कारण होने वाली मौत की अनेक घटनाओं को ध्यान में रखते हुये चिकित्सा अधिकारियों ने ऐसे दौरे के संभावित शिकार होने वाले सभी व्यक्तियों के लिये कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये मार्ग-निर्देश इन लोगों के लिए कितने सहायक सिद्ध हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) जी हां। हृदय क्लीनिक तथा अस्पतालों में आने वाले रोगियों तथा उनके संबंधियों को हृदय सम्बन्धी समस्याओं की रोकथाम के लिए जो दिशानिर्देश दिए जाते हैं वे इस प्रकार हैं :—

—आमवातिक ज्वर तथा आमवातिक हृदय रोगों को रोकने के लिए मलशोध का शुरू में पता लगाना तथा पर्याप्त उपचार प्रदान करना।

—धूम्रपान से परहेज, नियमित शारीरिक व्यायाम करना, उच्च रक्त दाब का प्रारंभ में पता लगाना तथा उसका प्रभावी नियन्त्रण, और दिल के दौरे पड़ने की रोकथाम करने के लिए मोटापे के कारण बढ़े शारीरिक वजन को कम करना।

—अधिक नमक खाने से बचना, मानसिक आराम का अभ्यास करना तथा उच्च रक्त दाब को रोकने के उपाय करना।

—लोगों में जागृति पैदा करने के लिए जन संचार माध्यमों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

फुटबाल टूर्नामेंट टीम के स्तर में गिरावट

[हिन्दी]

1658. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीम के स्तर में पिछले कुछ वर्षों से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय फुटबाल फैडरेशन ने टीम के चयन के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मानदंडों का उचित रूप से पालन किया जा रहा है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खेल के स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों ने गत कुछ वर्षों के दौरान परिवर्ती प्रदर्शन दिए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि अखिल भारतीय फुटबाल संघ (ए०आई०एफ०एफ०) ने टीमों के चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं अतः वे सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं जिसमें गठित चयन समिति-जिसके चेयरमैन के रूप में ए०आई०एफ०एफ० के अध्यक्ष, तथा राष्ट्रीय कोच, सचिव—ए०आई०एफ०एफ०, भारतीय खेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि, तथा सरकार द्वारा नामित पूर्व-अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसके सदस्य होते हैं, के माध्यम से टीमों का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वस्थता हुनर और निष्पादन के मूल्यांकन के अतिरिक्त समिति चयन परीक्षण के दौरान खिलाड़ियों की योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय/मुख्य कोच के विचारों को भी ध्यान में रखती है।

(ङ) स्तर में सुधार करने के विचार से हमारे फुटबाल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने 1 अप्रैल, 1990 से हंगरियन कोच की सेवाएं ली हैं। उन्होंने जूनियर तथा उप-जूनियर खिलाड़ियों के लिए दीर्घकालीन कोचिंग तथा प्रशिक्षण योजनाएं भी तैयार की हैं तथा तीन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने युवा प्रतिभाओं का पता लगाने तथा पोषण करने और अन्यों में फुटबाल के स्तर का सुधार करने के विचार से राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन० एस० टी० सी०) तथा विशेष क्षेत्र खेल (एस०ए०जी०) जैसी प्रोत्साहन योजनाएं भी प्रारंभ की हैं। इनके परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं जिनमें 5 जूनियर एस०ए०जी० खिलाड़ी जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप 1990 के लिए भारतीय टीम में थे और 2 सीनियर एस०ए०जी० खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम के चयन हेतु प्रशिक्षण शिविर के लिए अर्हता प्राप्त की।

स्व० वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैट

[अनुवाद]

1659. **श्री भगत लाल मीणा : क्या शहरी विकास मन्त्री** 10 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान, जब कम संख्या में मकानों का निर्माण किया गया था, निर्माण कार्य पर अधिक व्यय किये जाने के कारणों की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि 1986-87 के दौरान न केवल उस वर्ष में 8828 इकाइयों पर बल्कि चालू सभी योजनाओं पर 197.79 करोड़ रुपये व्यय किया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ब्याज दिया जाना

[हिन्दी]

1660. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों के आवंटन के लिए आवटियों द्वारा जमा की गई पूरी धन-राशि पर ब्याज देने की कोई व्यवस्था की है क्योंकि फ्लैटों का वास्तविक कब्जा कई महीनों के पश्चात् दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या धन-राशि पर ब्याज दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वतः अथवा आवंटितियों द्वारा मांग किए जाने पर अथवा न्यायालय के निर्देशानुसार दिया जाता है; और

(ग) कितने आवंटितियों ने ब्याज का भुगतान करने की मांग की थी तथा उन्हें ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) नीति के अनुसार ऐसे मामलों में ब्याज देय नहीं है क्योंकि कब्जा देने में सामान्यतया विलम्ब के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण से बाहर है। तथापि, अपवादस्वरूप मामलों में, प्रत्येक मामले के गुणों पर विचार किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

[अनुवाद]

1661. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कितनी कपड़ा मिलें हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक मिल को हुए लाभ अथवा घाटे का ब्योरा क्या है;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं और रुग्ण मिलों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ग) क्या हाल ही में इस घाटे में कमी आई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन रुग्ण मिलों के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों के पुनर्वास की योजना का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 109 राष्ट्रीयकृत तथा 15 प्रतिबन्धित मिलें हैं। वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान इन मिलों की मिलवार लाभहानि की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) एनटीसी के अधीन वस्त्र मिलों के घाटों के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं : —

(1) अप्रचलित मशीनें,

(2) निम्न उत्पादकता,

(3) फालतू श्रमिक बल,

(4) निम्न क्षमता उपयोग,

(5) पावर की कटौती,

(6) श्रमिकों की अनुपस्थिति,

(7) कम मूल्य वर्धित उत्पाद,

(8) ग्रे बिक्री का अधिक प्रतिशत, तथा

(9) विद्युत करघा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा।

(ग) जी हां। अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान एनटीसी के अधीन मिलों को 98 04 करोड़ रु० का अनन्तिम नकद घाटा हुआ, नई चीनी मिलों को वर्ष 1989-90 के दौरान 160.47 करोड़ रु० का घाटा हुआ था।

(घ) एन टी सी कामगारों की छंटनी से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के आधार पर केवल श्रमिक प्रौक्तिकीकरण योजना क्रियान्वित कर रहा है। इसलिए कामगारों के पुर्वासन का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक मिल वार लेखा-परीक्षित लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु०)

क्रमांक	एकक	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
	एन टी सी (डी पी आर) लि०			
1.	दयालबाग स्पि० एण्ड वी० मिल्स, अमृतसर	—0.30	—0.64	—0.18
2.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलौत,	—0.29	—0.57	+0.36
3.	बिजयनगर काटन मिल्स, बिजयनगर	—0.33	—0.78	+0.27
4.	खरड़ टैक्सटाइल मिल्स, खरड़	+0.05	0.35	+0.44
5.	उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	—0.19	—0.46	+.049
6.	अज्युधिया टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	—3.52	—3.75	—2.17

1	2	3	4	5
	7. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	—0.98	—1.03	—0.13
	8. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	—0.84	—1.11	—0.27
	9. पानीपत वूलन मिल्स, खरड़	—0.21	—2.51	—3.03
	एन टी सी (एम पी) लि०			
	1. हीरा मिल्स, उज्जैन	—3.95	—5.35	—3.81
	2. स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इंदौर	—2.99	—3.05	—2.62
	3. न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल	—1.67	—1.72	—1.32
	4. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	—1.56	—4.13	—1.89
	5. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव	—2.49	—2.88	—2.08
	6. इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इंदौर	—5.68	—5.08	—4.43
	8. कल्याणमल मिल्स, इंदौर	—3.17	—3.40	—2.27
	एन टी सी (यू पी) लि०			
	1. श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	—1.38	—1.81	—1.61
	2. बिजली काटन मिल्स, हाथरस	—1.02	—1.14	—1.08
	3. स्वदेशी काटन मिल्स, माऊनाथ भंजन	—0.07	—0.33	—0.05
	4. रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	—0.44	—0.43	—0.87
	5. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	—1.44	—1.71	—0.02
	6. मयूर मिल्स, कानपुर	—4.51	—5.00	—5.05
	7. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	—7.75	—7.92	—6.94
	8. लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स,			
	9. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	—11.14	—8.58	—10.20
	एन टी सी (एस एम) लि० सहारनपुर	—3.09	—3.48	—2.66
	1. बरशी टैक्सटाइल मिल्स, बरशी	—0.12	+0.01	+0.30
	2. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—2.15	—4.65	—2.70
	3. भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—2.66	—3.76	—0.78
	4. दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—2.96	—3.76	—1.50
	5. जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	-4.99	—6.90	—2.91
	6. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—4.24	—5.34	—3.77
	7. मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स, मुम्बई	—4.05	—5.89	—3.55
	8. औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	—0.66	—0.44	—0.24
	9. चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव	—1.12	—0.95	+0.30
	10. धुले टैक्सटाइल मिल्स, धुले	—1.64	—0.85	+0.27
	11. नान्देद टैक्सटाइल मिल्स नान्देद	—1.67	—2.01	—1.83

1	2	3	4	5
	एन टी सी (एम एन) लि०			
1.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, नं० 1, बम्बई	—6.16	—8.39	—3.94
2.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, नं० 2, बम्बई	—4.61	—5.42	—2.42
3.	इन्डिया यूनाइटेड मिल्स, नं० 3, बम्बई	—5.93	—7.81	—4.39
4.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, नं० 4, बम्बई			
5.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, नं० 5, बम्बई	—2.55	—2.70	—1.88
6.	इण्डिया यूनाइटेड डाई वर्क्स, बम्बई	—3.71	—2.71	—2.02
6.	माडल मिल्स, नागपुर	—4.04	—4.23	—4.18
7.	आर एस आर जी स्पि० एण्ड वी० मिल्स, अकोला	—1.51	—1.40	—1.07
9.	आर बी बी ए स्पि० एण्ड वी० मिल्स, हिंगनघाट	—1.41	—1.46	—0.31
10.	सिवतरम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	—1.27	—1.57	—1.25
11.	विदर्भा मिल्स (बरार), अचलपुर	—1.43	—1.68	—1.19
	एन टी सी (गुजरात) लि०			
1.	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट	—1.31	—1.63	—1.18
2.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर	—3.23	—3.13	—2.25
3.	पेटलाड टैक्सटाइल मिल्स, पेटलाड	—2.82	—2.78	—2.86
4.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	—3.92	—4.08	—3.35
5.	अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	—4.91	—5.19	—3.75
6.	जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	—4.38	—4.43	—3.11
7. 8.	जहांगरी टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	—4.71	—5.11	—3.92
9.	वीरमगांव टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव	—2.26	—2.98	—2.31
10.	न्यू मानकचोक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	—2.62	—2.29	—2.01
11.	हिमादरी टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	—1.97	—247	—1.93
12.	फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	—	—	—
	एन टी सी (ए पी के एम) लि०			
1.	नेथा स्पि० मिल्स, सिकन्दराबाद	—0.39	—0.58	—0.02
2.	नटराज स्पि० मिल्स, अदीलाबाद	—0.25	—0.47	—0.32
3.	अनन्तपुर काटन मिल्स, ताडापत्री	—0.98	—1.30	—0.34

1	2	3	4	5
4.	तिरुपति काटन मिल्स, केनीगुन्टा	—0.24	नगण्य	+0.70
5.	श्री यलेम्मा काटन मिल्स, देवनगीर	—1.50	—1.46	+0.08
6.	कन्नानौर स्पि० एण्ड वी० मिल्स,	—0 02	—0.01	+1.00
7.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	—0.54	+0.08	+1.53
8.	विजयमोहिनी मिल, त्रिवेन्द्रम	—0.25	+0 06	+0.86
9.	कन्नानौर स्पि० एण्ड वी० मिल, माहे	—0.09	—0.10	+1.23
10.	अडोनी काटन मिल, अडोनी	—0.51	—0.46	+0 43
11.	अलप्पा टैक्स० मिल्स, अलप्पा नगर	—0.94	+0.14	+1.14
12.	मैसूर मिल्स प्रोसेसिंग फैक्टरी, बंगलौर	—3.43	—3.81	—4.01
13.	मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	—3.92	—4 45	—3.53
14.	महबूब शाही गुलबर्गा मिल्स, गुलबर्गा	—4.57	+3.47	—2.74
15.	पावर्ती मिल्स, क्योलोन	—1.36	—1.47	—1.53
16.	आजम जाही मिल्स, वारंगल	—3.75	—3.55	—3.45
	एन टी सी (टी एन एण्ड पी) लि०			
1.	ओम पराशक्ती मिल्स, कोयम्बटूर	—0.47	—0 61	+1.00
2.	कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर	+0.34	—0.16	+1.92
3.	कृष्णावेनी टेक्सटाइल मिल्स, कोयम्बटूर	—0.09	—0 06	+1.00
4.	श्री रंगविलास गिनिंग स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, पेडामोडू	—0.35	—0.11	+2.19
5.	पंकज मिल्स, कोयम्बटूर	+0.15	+0.01	+1.64
6.	पायनिर स्पिनर्स, कामुडाकुडी	—0.25	— 0·48	+.096
7.	कालीश्वरार मिल्स "बी" यूनिट, कल्यानाकोइल	—0.10	+0.10	+2.25
8.	कोयम्टूर मुरगन मिल्स, कोयम्बटूर	+1.01	+0.32	+1.05
9	सोरसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	—0.11	—0.50	—0.12
10.	कालीश्वरार मिल्स "ए" यूनिट कोयम्बटूर	—0.50	—1.98	—0.22
11.	कोयम्बटूर स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स, कोयम्बटूर	—0.98	—1.79	+1.88
12.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	—0 81	—1.21	+0.84
13.	बलरामवर्मा टेक्सटाइल मिल्स, शेनकोट्टा	—0.48	—0.24	+1.62
14.	कोठांडम स्पि० मिल्स	—	—	—
15.	स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी	—3.50	—2.25	—1.48
16.	श्री भारती मिल्स, पांडिचेरी	—1.07	—2.23	—1.43

1	2	3	4	5
	एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि०			
1.	बंगाल टेक्सटाइल मिल्स मुर्शिदाबाद	— 0.92	—1.17	— 1.08
2.	लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिसरा	—1.48	—1.97	—1.70
3.	आर्ती काटन मिल्स, हावड़ा	—1.05	—1.32	—1.28
4.	बंगाल फाइन स्पि० एण्ड बी० मिल्स नं० 2, कोटागंज	—0.60	—0.80	—0.66
5.	कनोरिया इंडस्ट्रीज, कन्नागर	—0.71	—0.89	—0.54
6.	सोदपुर काटन मिल्स, सोदपुर	—0.72	—0.93	—0.92
7.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, कामरूप	—1.02	—1 29	—1.30
8.	बिहार कोआपरेटिव मिल्स, सदामंच	—0.78	—1:06	—1.04
9.	उड़ीसा काटन मिल्स, गेतपुर	—0.45	—1.17	—0.46
10.	सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा	—4 89	—4.82	—5.56
11.	बंगाल फाइन नं० 1, कोननगर	—1.57	—1.78	—4·83
12.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरातपुर	—3.03	—3.27	—3.39
13.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स, पाल्टा	—2.72	—3.30	—3·65
14.	रामपूरिया काटन मिल्स, सेरामपुर	—2.86	—3.15	—3.91
15.	बंगासरी काटन मिल्स, सुकेहरा	—1.25	—1.26	—2·11
16.	ज्योति वी० फैक्टरी, कलकत्ता	—0 84	—0.98	—1.31
17.	गया काटन एण्ड जूट मिल्स, गया	—1.62	—2.14	—2.02
18.	मनिन्द्रा मिल्स, कासिम बाजार	—1.13	—1.22	—1.20
	(प्रतिबन्धित मिलें)	**(अनन्तिम)**		
1.	एलफिंसटोन मिल्स	—2.19	—3.31	—2.35
2.	फिनले मिल्स	—2.44	—4.36	—2.58
3.	गोल्ड मोहर	—2.09	—3.38	—2.18
4.	जाम मिल्स	—3 98	—4 23	—4.55
5. 6. 7.	कोहिनूर मिल्स 1,2,3	—5.80	—6.11	—5.87
8.	मधुसूदन मिल्स	—4.46	—5,59	—5.54
9.	न्यू सिटी मिल्स	—2.78	—3.52	—1.42
10.	पोद्दार मिल्स	—1.20	—0.77	+1.17
11.	पोद्दार (प्रोसेसं)	+0.43	+0.47	+0.44
12.	सीताराम मिल्स	—3.09	—4.08	—3.91
13.	टाटा मिल्स (गैर-बुने सहित)	—1.71	—6.97	—4.55
	अन्य प्रतिबन्धित मिलें			
1.	लक्ष्मी शरन काटन मिल्स, कानपुर	—14.67	—14.58	—11.65
2.	अथटेन मिल्स, कानपुर	—9.38	—9.06	—8.84

"दोषी प्राचार्यों के खिलाफ कार्यवाही नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1662. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री दिनांक 13 जनवरी, 1991 को नवभारत टाइम्स में "दोषी प्राचार्यों के खिलाफ कार्यवाही नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आरोपों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालयों के कितने प्रधानाचार्यों के विरुद्ध जांच कार्यवाही चल रही है और उनमें से कितने प्रधानाचार्य सेवा निवृत्त हो चुके हैं; और

(ख) धीमी जांच चलने के क्या कारण है और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) श्रेणी I के 24 प्राचार्यों और श्रेणी II के 3 प्राचार्यों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। इनमें से श्रेणी I के दो प्राचार्य वार्धक्य निवर्धन के कारण सेवानिवृत्त हो चुके हैं जब कि श्रेणी I के एक प्राचार्य को समय से पहले सेवा मुक्त कर दिया गया है। श्रेणी I के एक प्राचार्य को बाध्यकर सेवा निवृत्त का बड़ा दंड दिया गया था परन्तु अपीलीय प्राधिकरण ने उसके खिलाफ नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं।

(ख) विभागीय कार्यवाहियां अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की हैं। निर्धारित विस्तृत कार्यवाही का अनुसरण करके ही बड़ा दंड दिया जा सकता है जिसका प्रावधान अभियुक्त अधिकारी को पर्याप्त अवसर देने के लिए किया गया है। इस प्रयास में अनावश्यक शीघ्रता करने से अभियुक्त अधिकारी के अधिकारों पर असर पड़ेगा और कार्यवाही कमजोर पड़ेगी।

महाराष्ट्र को खाद्य तेल की सप्लाई

1663. प्रो० राम गणेश कापसे
श्री राम नाईक
श्री शांताराम पोटदुखे
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में खाद्य तेलों की भारी कमी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पाम आयल के मूल्य में वृद्धि कर दी है तथा इस राज्य को सप्लाई किए जाने वाले पाम आयल और पामोलीन के कोटे में भी कमी कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में वर्ष 1990 और 1991 के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की मांग, सप्लाई और खरीद का माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में खाद्य तेलों की कमी को दूर करने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) से (ग) आयातित खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार न होने के कारण, दिसम्बर, 1990 तथा जनवरी, 1991 के माह के दौरान राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति के लिए खाद्य तेलों का कोई आबंटन नहीं किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए सार्वजनिक वितरण के बिक्री केन्द्रों पर पामोलीन उपलब्ध नहीं रहा तथा साथ ही कम आयात होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें महाराष्ट्र शामिल है, को खाद्य तेलों के आबंटन में भी कमी आई। महाराष्ट्र को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन जो नवम्बर, 1990 में 10.000 मी० टन था, फरवरी 1991 में कम करके 5,000 मी० टन कर दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य 26 जनवरी, 1991 से बढ़ा दिए गए हैं जो निम्नवत हैं :—

	(रु० प्रति मी० टन)
(1) थोक में सप्लाई किया जाने वाला तेल	13,150 रु० से 16,500 रु०
(2) 15 कि० ग्रा० के टीनों में सप्लाई किया जाने वाला तेल	14,500 रु० से 19,000 रु०

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने तेल-वर्ष 1989-90 (नवम्बर से अक्तूबर) के दौरान 1,68,000 मी० टन की वार्षिक मांग सूचित की थी तथा तेल वर्ष 1990-91 के लिए उनकी मांग अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 1990 तथा 1991 के दौरान महाराष्ट्र के संबंध में खाद्य तेलों के आबंटन तथा उठाई गई मात्रा का माह वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	आबंटन	(मात्रा मी० टन में) उठाई गई मात्रा
जनवरी, 1990	6500	8035
फरवरी, 1990	8000	9115
मार्च, 1990	9000	9776
अप्रैल, 1990	11000	8423
मई, 1990	12000	8949
जून, 1990	13000	10129
जुलाई, 1990	14580	10878
अगस्त, 1990	16500	16013
सितम्बर, 1990	16500	16377
अक्तूबर, 1990	16500	16531
नवम्बर 1990	10000	10021
दिसम्बर, 1990	—	1778
जनवरी, 1991	—	278
फरवरी, 1991	5000	999 (20-2-1991 तक)

(ङ) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में देशीय तेलों की उपलब्धता में सुधार लाने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में, वनस्पति में गैर-परम्परागत तेलों के प्रयोग पर उत्पादन-शुल्क से छूट देना, व्यापारियों/संसाधकों तथा विनिर्माताओं द्वारा रखी जाने वाली खाद्य तिलहनों तथा तेलों की स्टाक सीमाएं घटाना, परम्परागत खाद्य तेल का गैर-परम्परागत तेल के साथ मिश्रण करना इत्यादि, शामिल हैं। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे जमाखोरी विरोधी अभियान चलाएं तथा खाद्य तिलहनों और तेलों के जमाखोरों व कालाबाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उचित मूल्यों पर आयातित खाद्य तेल का वितरण जारी है।

"राजीव सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति लागू होगी" शीर्षक समाचार

[हिन्दी]

1664. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 दिसम्बर, 1990 के "हिन्दुस्तान" दैनिक में राजीव सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति लागू होगी शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में राममूर्ति समिति रिपोर्ट का क्या महत्व और उपयोगिता है;

(ख) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत सभी के लिए समान शिक्षा अर्थात् शिक्षा में समानता रोजगारोन्मुखी शिक्षा, राष्ट्रीय युवा नीति, खेल और भाषा नीति और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया हेतु दिए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) सरकार ने अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के बाद कोई निर्णय लेगी जिसकी बैठक 8 एवं 9 मार्च, 1991 को होने जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय-शिक्षा नीति, शिक्षा अवसरों को एक समान उपलब्धि, शिक्षा के व्यवसायीकरण और त्रिभाषा सूत्र पर विशेष जोर देती है। इस नीति के अनुपालन हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई थी। संसदीय पुस्तकालय में इस राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना की प्रतियां उपलब्ध हैं।

(ग) राष्ट्रीय-शिक्षा नीति के अनुपालन में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च जो 1985-86 में 283.45 करोड़ रु० था बढ़ा कर 1989-90 में 914.5 करोड़ रु० कर दिया गया।

पंजाबी अकादमी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

[अनुवाद]

1665. श्री कृपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की पंजाबी अकादमी द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों का क्या मापदंड है; और

(ग) 1989 से नियुक्त किये गये अध्यापकों की संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, हां। पंजाबी अकादमी ऐसे स्कूलों में जहां कम से कम छः विद्यार्थी पंजाबी भाषा सीखने के इच्छुक होते हैं; अंशकालिक आधार पर पंजाबी भाषा के शिक्षक मुहैया कराती है। अंशकालिक शिक्षकों का चयन इस उद्देश्य के लिए गठित चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। इन अंशाकलिक पंजाबी भाषा के शिक्षकों को अपनी नियुक्ति से पहले लिखित समीक्षा/ साक्षात्कार में उत्तीर्ण होता है।

(ग) वर्ष 1989-90 से दिनांक 28-2-1991 तक नियुक्त शिक्षकों की संख्या 2894 है।

गिनी-कृमि (नहरूआ) का आयुर्वेदिक इलाज

1666. श्री एडुआर्डो फलेरो : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के गिनी-कृमि (नहरूआ) से प्रभावित क्षेत्रों में गिनी कृमि (नहरूआ) के इलाज की आयुर्वेदिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) देश के गिनीकृमि प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों अस्पतालों और औषधालयों द्वारा गिनीकृमि का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। बहरहाल, इस उपचार को लोकप्रिय बनाने का अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता के विकास का प्रस्ताव

1667. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कलकत्ता के विकास के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस प्रस्ताव पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय युवा परिषद

1668. **श्री एम० सेल्वारासू**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय युवा परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो परिषद के सदस्यों के क्या नाम हैं और वे किन-किन संगठनों से जुड़े हैं;

(ग) क्या सरकार एक राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राम मंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। एक नई राष्ट्रीय युवा नीति बनाई जा रही है तथा इसे अन्तिम रूप देते ही घोषित की जायेगी।

विवरण

क्र० सं०	सदस्य का नाम	संगठन सम्बद्ध
1	2	3
1.	प्रधानमन्त्री	चेयरमैन
2.	मानव संसाधन विकास मन्त्री	डिप्टी चेयरमैन
3.	मानव संसाधन विकास राज्य मन्त्री	वाइस चेयरमैन
4.	उपमन्त्री, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	वाइस चेयरमैन
	सदस्यगण	
5.	श्री भगवती सिंह, उत्तर प्रदेश	राज्य युवा मन्त्री

1	2	3
6.	श्री बनवारी लाल शर्मा, राजस्थान	राज्य युवा मन्त्री
7.	श्री सुभाष चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल	"
8.	प्रतिनिधि, तमिलनाडु सरकार	"
9.	प्रतिनिधि, असम सरकार	"
10.	श्री एम०एम० पालम राजू, (कांग्रेस-आई)	संसद सदस्य
11.	श्री छेदी पासवान, जनता दल	
12.	कुमारी उमा भारती, भा.ज.पा.	"
13.	श्री ए० विजयराघवन, सी.पी.आई. (एम.)	"
14.	श्री एम० सेल्वारासू, सी.पी.आई.	संसद सदस्य
15.	श्री मोहनभाई सांजीभाई, देलकर निर्दलीय	"
16.	श्री नकुल नायक, जनता दल (एस.)	"
17.	श्री तारा सिंह सन्धु, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला युवा नेता
18.	श्री अरविन्द चतुर्वेदी, जनता पार्टी (जे.पी.)	"
19.	श्री महेन्द्र माथुरिया, लोक दल (ब)	"
20.	थिरू वी० बालसुब्रमनियम, ए.आई.ए.डी.एम.के.	"
21.	थिरू एम० के० स्टालिन, डी.एम.के.	"
22.	श्री डी०एस० वारलेथमा, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय	"

1	2	3
23.	श्री हरकेश सिंह उज्जैनवाल, इण्डियन कांग्रेस (जे), ट्रीखा ग्रुप	मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला युवा नेता
24.	श्री बंसी लाल शर्मा, जम्मू और काश्मीर पेन्थर्स पार्टी	"
25.	श्री जॉर्ज सेबास टियन, केरला कांग्रेस	"
26.	डा. ए. जयन्त कुमार सिंह, मनीपुर पीपुल्स पार्टी	"
27.	श्री एम. के. मुनीर, केरला स्टेट मुस्लिम लीग कमेटी	"
28.	श्री बाबू दिवाकरन, रिवोलूशनरी सोसलिस्ट पार्टी, केरल	"
29.	श्री बारखू राम शर्मा, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश	"
30.	श्री पी. सेनथमिज सेलवन, पात्ताली स्टूडेन्ट्स फेडरेशन पात्ताली मक्कल काटची, तमिलनाडु	"
31.	श्री श्रीदाम डेब्बारमा, त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति	"
32.	श्री हुओथांग हुओकिप, कुकी नेशनल एसेम्बली, मनीपुर	"
33.	श्री नरेन चटर्जी, आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक	"
34.	श्री अजय सधोतरा, जे एण्ड के नेशनल कान्फेरेन्स	"
35.	श्री वी०एन० जयराज, इण्डियन कांग्रेस (सोसलिस्ट-सरत चन्द्रा सिन्हा)	"
36.	डा. लालथानगलिना, मिजो नेशनल फ्रंट	"

1	2	3
37.	श्री डी० आर० नॉनग्कीनरिह, पब्लिक डिमान्ड्स इम्पलिमेन्टेशन कन्वेन्सन मेघालय	मान्यता प्राप्त राजनैतिक का प्रतिनिधित्व करने वाला युवा नेता
38.	श्री बाबू चाणीकदन, केरला कांग्रेस (एम.)	”
39.	डा. सुनिलम, जनता दल	”
40.	श्री कंवलजीत सिंह, शिरोमणी अकाली दल	”
41.	श्री दीपक बासुमाटेरी, प्लेन्स ट्राईब्लस काउंसिल आफ आसाम	”
42.	श्री राजेन्द्र उपरेती, सिक्किम संग्राम परिषद	”
43.	श्री बी० एम० लानोंग, हिल पिपुल यूनियन, मेघालय,	”
44.	श्री चानक्या दास, असम गण परिषद	”
45.	श्री आशुतोष जयवन्त राने, शिव-सेना	”
46.	प्रो. उपेन्द्र बख्शी, यूनिवर्सिटी आफ देहली	कुलपति
47.	प्रो. यू० आर० अनन्थामुरती, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टयम, केरला	
48.	प्रो. रामलाल पारीख, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	”
49.	प्रो. आशीन दास गुप्ता, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल	”
50.	प्रो. सी०एल० आनन्द, अरुणाचल यूनिवर्सिटी, ईटानगर	”

1	2	3
51.	श्री गुरबक्स सिंह शेरगिल, खालसा कालेज, अमृतसर, पंजाब	कालेज प्रधानाचार्य
52.	सिस्टर अन्नमा फिलिप्स, स्टेला मारिस कालेज, मद्रास	"
53.	श्रीमती शशिबेन नायक, मातुतरी वीरबेमा महिला कालेज, राजकोट, गुजरात	"
54.	डा. जियाउद्दीन अहमद, पटना कालेज, पटना (बिहार)	"
55.	श्री पी० संकिया, नाव गोंग कालेज, नावगोंग, असम	"
56.	श्री अमित सेन गुप्ता, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष
57.	श्री एम० नागराजू· हैदराबाद, यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	"
58.	श्री प्रानवेन्द्र शर्मा, यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर	"
59.	श्री संजीव महापात्रा, उतकल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	"
60.	श्री ऑलफोन्स मइर्ट लांग, मेघालय पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेन्टस यूनियन, शिलांग, मेघालय	
61.	कुमारी वन्दना शर्मा, गवर्नमेंट कालेज फॉर वूमैन, शिमला, हिमाचल प्रदेश	कालेजों से कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष

1	2	3
62.	श्री डी० सेलवन, प्रेसिडेन्सी कालेज, मद्रास	कालेजों में कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष
63.	कुमारी वीना नटवर लाल श्रीमाली, गुजरात कालेज, अहमदाबाद	"
64.	कुमारी रजनी सिंह, पटना वूमेन्स कालेज, पटना	"
65.	श्री रोको केयहो, स्कूल आफ एग्रीकल्चरल साइन्स एण्ड रिसर्च डेवलपमेन्ट, मेदजीफेमा, नागालैण्ड	"
66.	डा० एम० आराम, तमिलनाडु	युवा कार्य के अनुभव सहित उत्कृष्ट विख्यात सामाजिक विज्ञानी
67.	श्री शिव विश्वनाथन, दिल्ली	"
68.	कुमारी वतसाला शिवसुब्रमनियम; नई दिल्ली	"
69.	डा. केदार रंजन बनर्जी, कलकत्ता	"
70.	प्रो एच०एम० मरुलासिद्दीएह, बंगलौर	"
71.	प्रो. आई. एस. सलूजा, लुधियाना यूथ सेन्टर, पंजाब	सर्वोत्तम योग्यता वाले स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि
72.	श्री एम०एन० बूच, नेशनल सेन्टर फार ह्यूमन सेटलमेन्ट एण्ड एनवायरमेन्ट, भोपाल (म. प्र.)	"
73.	कुमारी शशि राजगोपाल, समाख्या, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	"
74.	कुमारी गोमती नायर, केरला आईक्या महिला समाजम, केरल	"

1	2	3
75.	कुमारी जूली नाकलूका, इण्डियन स्पोनसरशिप कमेटी, (अन्तर भारती) मुम्बई, महाराष्ट्र	सर्वोत्तम योग्यता वाले स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि
76.	श्री विलियम फर्नांडिज, सेन्टर सोसिल एंजोवूरयोरम, गोवा	,,
77.	श्री एस०एस० चक्रवर्ती, राम कृष्णा मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल	,,
78	श्री सुनील कुमार पटेल, परिवर्तन, उड़ीसा	
79.	सिस्टर जुलिया, लिटिल फ्लोवर स्कूल, मेघालय	,,
80.	श्री सी० लालबीयाक्माविया, सेन्ट्रल यंग मिजो एसोसिएशन, मिजोरम	,,
81.	श्री चन्द्रभान प्रसाद, उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि
82.	श्री एम० नरीसम्हूलू, आन्ध्र प्रदेश	,,
83.	श्री सूरजमणि मोओगेड, महाराष्ट्र	,,
84.	श्री सुदर्शन सरकार, बिहार	,,
85.	श्री राजेन्द्रा कुमार सिसौदिया, बिहार	,,
86.	कुमारी विजयलक्ष्मी, हिमाचल प्रदेश	अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि
87.	श्री राजा राव, आन्ध्र प्रदेश	,,

1	2	3
88.	श्री भुवनेश्वर लोहरा, बिहार	अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि
89.	श्री चन्द्रमोहन सूरीन, उड़ीसा	"
90.	श्री जे० रालपापर्थांग, मणिपुर	"
91.	श्री राज कुमार राज, बिहार	सामाजिक तौर पर पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि
92.	कुमारी मर्सी अलेक्जेन्डर, केरल	"
93.	कुमारी निखात जमाल कयूम, दिल्ली	"
94.	श्री विद्या सागर, आन्ध्र प्रदेश	"
95.	श्री बिजय कुमार प्रधान, उड़ीसा	"
96.	श्री मोहम्मद इसा, उत्तर प्रदेश	"
97.	श्री राजपाल सिंह, दिल्ली	"
98.	श्रीमती गनानासुन्दरी रघुपथि, तमिलनाडु	"
99.	श्री आर० सुगायन, नई दिल्ली	"
100.	श्री एन० एरोक्कीयादास, तमिलनाडु	"
101.	श्री आर० के० राजू, नई दिल्ली	"

1	2	3
102.	श्रीमती आश्मा मेमून, महाराष्ट्र	सामाजिक तौर पर पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों प्रतिनिधि
103.	श्री हरिकिशन प्रजापथि, दिल्ली	"
104.	प्रो० ऐकनाथ यादव, महाराष्ट्र	"
105.	श्री सतनाम सिंह कैंथ, पंजाब	"
106.	कुमारी शाहजादा अजीज, जम्मू और काश्मीर।	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता
107.	श्री सतन थोकाईकारा, तमिलनाडु ।	"
108.	प्रो० एम०एस० मोहम्मद उसमान अंसारी, महाराष्ट्र।	"
109	श्री अरुण कुमार सिंह, बिहार।	"
110.	श्री संतोष कुमार प्रधान, सिक्किम।	"
111.	कुमारी सरयु चिटकारा, हरियाणा।	सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त छात्र
112.	कुमारी सिगोनिल होसांग पटेल, कर्नाटक।	"
113.	श्री पी०डी० पटोडकर, महाराष्ट्र	"
114.	श्री मालबिका प्रामानिक, पश्चिम बंगाल।	"
115.	कुमारी सोनाली घोष, मेघालय।	"
116.	श्री प्रगट सिंह, नई दिल्ली।	उत्कृष्ट खिलाड़ी

1	2	3
117.	कुमारी पी० टी० ऊषा, केरल।	उत्कृष्ट खिलाड़ी
118.	श्री मोहम्मद अजरुद्दीन, आन्ध्र प्रदेश।	"
119.	श्री प्रकाश पादुकोण, कर्नाटक।	"
120.	श्रीमती अमो घीया, महाराष्ट्र।	"
121.	कुमारी एन० पुष्पमाला, कर्नाटक।	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा व्यक्ति।
122.	कुमारी वसुन्धरा तिवारी, नई दिल्ली।	"
124.	कुमारी अलारमेल वाली, तमिलनाडु।	"
124.	कुमारी शकुंतो साडोलिकर, महाराष्ट्र।	"
125.	श्री अंजन सेन, पश्चिम बंगाल।	"
126.	डा० (श्रीमती) मल्लिका साराभाई, गुजरात।	"
127.	एस०यू०ओ० अमित अंसारी, चण्डीगढ़।	एन०सी०सी० से उत्कृष्ट बाल और बालिका कैडेट
128.	यू०ओ० झुम्पा बैनर्जी, नई दिल्ली।	"
129.	सी०यू०ओ० कृष्णा राव होमेश, कर्नाटक।	"
130.	एस०जी०टी० दुगारुकुट्टा सुलाथा राव, तमिलनाडु।	"
131.	यू०ओ० महाजन वैशाली पुरुषोत्तम, महाराष्ट्र।	"

1	2	3
132.	केडेट, नारायण लाल, राजस्थान ।	एन०सी०सी० से उत्कृष्ट बाल और बालिका कैडेट
133.	एस०जी०टी० मौसुमी बोस, पश्चिम बंगाल ।	"
134.	एस०यू०ओ० अशोक कुमार सतपथी उड़ीसा ।	"
135.	एस०यू०ओ० मोन्टू मोयंग, अरुणाचल प्रदेश ।	"
136.	एस०जी०टी० अंगेला बोरा, असम ।	"
187.	श्री संदीप मल्ला, नई दिल्ली ।	भारत स्काउट और गाइड से उत्कृष्ट बाल स्काउट और बालिका गाइड
138.	कुमारी जगवती प्रजापती, उत्तर प्रदेश ।	"
139.	श्री विवेकानन्द, तमिलनाडु ।	
140.	कुमारी विजयन्ती वी० देशपाण्डे, कर्नाटक ।	"
141.	श्री महेश पुरुषोत्तम कामत, गोवा ।	"
142.	कुमारी रेनुका एल० शर्मा, महाराष्ट्र ।	"
145.	श्री विश्वजीत दास, पश्चिम बंगाल ।	"
144.	श्रीमती स्यामली बासक, बिहार ।	"
145.	श्री प्रणव ज्योति [illegible], असम ।	"
146.	कुमारी दुलाली [illegible], त्रिपुरा ।	"

1	2	3
147.	कुमारी नीलम कुमारी, हरियाणा।	उत्कृष्ट बाल और बालिका एन०एस०एस० स्वयंसेवक
148.	श्री ओंकार मोट राजस्थान।	"
149.	कुमारी एस० पद्मादौषा, आन्ध्र प्रदेश।	"
150.	श्री एम०एम० डोमोनिक संतियो, तमिलनाडु।	"
151.	श्री नन्द किशोर पाण्डेय, महाराष्ट्र।	"
152.	कुमारी मारिया अनिता डिआस, गोवा।	"
153.	श्री संजय मुकर्जी, पश्चिम बंगाल।	"
154.	कुमारी सुनिता सिंह, बिहार।	"
155.	श्री फैलोम सेकोंग, अरुणाचल प्रदेश।	"
156.	कुमारी जोथन खुमी, मिजोरम।	"
157.	श्री एन०एन० सुब्बा राव, नई दिल्ली।	युवा कल्याण कार्यक्रमों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति
158.	डा० मिनाक्षी गोपीनाथ, नई दिल्ली।	"
159.	श्री संजय घोष, राजस्थान।	"
160.	कुमारी अरुणा राय, राजस्थान।	"
161.	श्री राजीव, उत्तर प्रदेश।	

1	2	3
162.	श्री नटवर ठक्कर, नागालैंड ।	युवा कल्याण कार्यक्रमों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति
163.	कुमारी बछेन्द्री पाल, बिहार ।	"
164.	डा० एस०एच० देशपाण्डेय, महाराष्ट्र ।	"
165	कुमारी चन्द्र अग्निहोत्री, गुजरात ।	"
166.	श्री मनोहर फाल्के, महाराष्ट्र ।	"
167.	श्री अरविन्द बुद्ध, गुजरात ।	"
168.	श्री अमर हबीब, महाराष्ट्र ।	
169.	श्रीमती ए० बाहबुद्दीन अहमद, आन्ध्र प्रदेश ।	"
170.	प्रो० रेव० फर० अरोबोर तमिलनाडु ।	"
171.	डा० डी०के० ओझा, तमिलनाडु ।	"
172.	श्री हरीश गोयनका, महाराष्ट्र ।	औद्योगिक संस्थानों के वे सफल और युवा स्वामी/प्रबन्धक जिन्होंने उद्यम और रोजगार में रिकार्ड उन्नति की है ।
173.	कुमारी रीटा सिंह, नई दिल्ली ।	"
174.	श्रीमती रशीदा यूनस बैलखाई, गुजरात ।	"
175.	श्री जे० नवानीथा कृष्णन, तमिलनाडु ।	"

1	2	3
176.	श्री अजीत डेका, असम ।	औद्योगिक संस्थानों के वे सफल और युवा स्वामी/प्रबन्धक जिन्होंनेउद्यम और रोजगार में रिकार्ड उन्नति की है
177.	डा० (श्रीमती) सुशीला रानी गर्ग, राजस्थान ।	उत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयक-रा०से०यो०
178.	श्री सी० थामस अब्राह्म, केरल ।	,
179.	श्रीमती ज्योति बोहरा, महाराष्ट्र ।	,,
180.	श्री एसएन• मिश्र, उड़ीसा ।	,,
181.	डा० आर०एन० सरन, मेघालय ।	,,
182.	श्री ए०के० पाण्डिया,	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली ।
183.	श्री पी. के० मिश्र	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली ।
184.	ले० ज०एम०के० लाहिड़ी,	महानिदेशक, एन•सी०सी०
185.	सरदार लक्ष्मण सिंह,	राष्ट्रीय आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड
186.	डा० आर० एल• आनन्द,	महासचिव, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ।
187.	डा० एच.के० सक्सेना, नई दिल्ली ।	राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवा छात्रावास एसोसिएशन
188.	प्रो० एस०के० अग्रवाल, नई दिल्ली ।	सचिव भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन,
189.	श्री अनिल बोर्डिया, नई दिल्ली ।	सचिव, शिक्षा विभाग, भारत सरकार
190.	श्री भास्कर घोष, नई दिल्ली ।	सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार

1	2	3
191.	कुमारी मीरा सेठ, नई दिल्ली।	सचिव, महिला और बाल विकास, भारत सरकार।
192.	श्री एस०आर० संकरन, नई दिल्ली।	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार।
193.	श्री जे०एम० कुरेशी, नई दिल्ली।	सचिव, कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार।
194.	श्री वी०पी० साहनी, नई दिल्ली।	सचिव श्रम मन्त्रालय, भारत सरकार।
195.	श्री महेश प्रसाद, नई दिल्ली।	सचिव, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार।
196.	श्री आर० वासुदेवन, नई दिल्ली।	सचिव, लघु कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग, भारत सरकार।
197.	श्री एम०वरदराजन, नई दिल्ली।	सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार
	सदस्य सचिव	
198.	श्री डी०के० मणवालन, नई दिल्ली।	संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार

(टिप्पणी : परिषद की वर्तमान अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा परिषद में 24 रिक्तियाँ भरी जानी हैं। इनमें से 19 रिक्तियाँ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की श्रेणी की हैं जिन्हें अभी दोनों राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपने नामांकन भेजने हैं तथा 5 रिक्तियां राज्य युवा परिषद के प्रतिनिधियों की श्रेणी की हैं जो अभी संगठित की जानी हैं, तब यह रिक्तियां भरी जायेंगी, राष्ट्रीय युवा परिषद की कुल सदस्य संख्या 222 है)।

टिक्कू समिति की रिपोर्ट

1669. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के संवर्ग की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त आर० के० टिक्कू के समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषज्ञ डाक्टरों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मांगों को पूरा करने के लिये क्या कारंवाहो की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री वसई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरे वार विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ अधिकारी संघ ने सूचित किया है कि टिक्कू समिति की रिपोर्ट न केवल पूर्णतया सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के पक्ष में है बल्कि यह विशेषज्ञ समुदाय के हितों के खिलाफ है। उनके अनुसार रिपोर्ट के क्रियान्वयन मे विशेषज्ञ समुदाय की बहुत बड़ी हानि होगी, जिसका परिणाम होगा कुंठा एवं मनोबलहीनता। वे रिपोर्ट के मौजूदा रूप में क्रियान्वयन के पक्ष में नहीं है। वे चाहते है कि रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। समिति की विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में संघ द्वारा उठाये गये प्रमुख मुद्दे नीचे दिखाए गये हैं :—

1. किसी भी स्तर पर पार्श्व-भर्ती न की जाए।

2. सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग का संलयन न किया जाए।

3. 3700-5000 रुपये के स्तर पर कोई सीधी पार्श्व भर्ती न किए जाए।

4 स्नातकोत्तर डिग्री धारक सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को विशेषज्ञों के रूप में भर्ती करने का कोई औचित्य नहीं है।

5. 4500-5700 रुपये के स्तर पर प्रोन्नति अध्यापन उप-संवर्ग के सम-कक्ष होनी चाहिये।

6. 5900-6700 रुपये के वेतनमान पर प्रोन्नति वरिष्ठतम-एवं-योग्यता के आधार पर होनी चाहिये।

7. 5900-6100 रुपये के वेतनमान को बढ़ाकर 5900-7300 रुपये तक किया जाए।

8. 10 वर्ष की सेवा वाले विशेषज्ञों को उसी स्थान पर एस०ए०जी० के पद पर उसी आधार पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए। जैसा कि सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के लिये 17 वर्ष के बाद करने की सिफारिश की गई है।

9. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में एस०ए०जी० के 116 पदों के सम्बन्ध में विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों को उस समय तक रोक लिया जाये जब तक उच्च शक्ति प्राप्त समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता।

10. विशेषज्ञ डाक्टरों को 4500/- रुपये के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा के पश्चात उसी स्थान पर एस०ए०जी० के 5900/- रुपये के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाए।

11. विशेषज्ञों के तीन उप-संवर्गों में प्रोन्नति के समान अवसर होने चाहिये।

12. विशेषज्ञ अधिकारियों को 2 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद 3700-5000 रुपये के वेतनमान और स्व-स्थाने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद 4500-5700 रुपये के वेतनमान दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञ संवर्ग 9 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अथवा 4500-5700 रुपये के वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अधिकारियों को उन्हीं के पद पर 5900-7300 रुपये के वेतनमान में पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए।

13. 7300-7600 रुपये और 7300-8000 रुपये के वेतनमान में काफी पद बनाए जाने चाहिए।

14. विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रमुख, मेडिकल कालेजों एवं अध्यापन संस्थाओं के डीन तथा प्रमुख संस्थाओं के चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रमुख और स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक जैसे पदों को 7300-8000 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नत करने की आवश्यकता है।

15. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति तथा अधिवर्षिता नियमों में परिवर्तन।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एसोशिएसन ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं।

1. विशेषज्ञ अर्हताएं और अनुभाग प्राप्त करने में समय लगाने के कारण देरी से नौकरी शुरू करते हैं और वे 3000-5000 रु० के स्तर से कार्य के शुरू करते है अत: विशेषज्ञ के संवर्ग लिये एच० ए० जी० स्तर पर सादृश्य के आधार पर पदों के प्रतिशत में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए।

2. सादृश्य के आधार पर 3000-5000 रुपये के वेतन मान वाले विशेषज्ञ ग्रेड अधिकारियों की 5900-6700 रुपये के वेतनमान में पदोन्नत कर उन्हें वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर रिक्तियों के साथ जोड़े बिना और यदि आवश्यक हो तो स्वा-स्थाने 5900-7300 रुपये के वेतनमान में पदोन्नत करना उपयुक्त होगा।

3. सीधे उच्चतर ज्ञान एवं अनुभव वाले व्यक्तियों को सीधे आकर्षित करने के नाम पर समिति ने जो तर्क दिये हैं वे युक्ति संगत प्रतीत नहीं होते। इस बात को पुन: जोर देकर दोहराया जाता है कि भर्तियां केवल विशेषज्ञ ग्रेड-II के स्तर पर की जाएंगी और उच्चतर स्तर का ज्ञान एवं अनुभव जैसी कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है प्रशिक्षण के जरिये तथा स्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के जरिए प्राप्त किया जाना चाहिये।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को पुनर्गठित करते समय 1982 में एस ए जी के जितने पद मौजूद थे उन सभी का विभिन्न विशेषज्ञ एवं उप-संवर्गों के अन्तर्गत एच ए जी स्तर के पदों में दर्जा बढ़ा दिया जाना चाहिए। इससे और अधिक औचित्य देने की जरूरत नहीं होगी और इसके उन विभिन्न क्षोभकारी कारणों में भी कार्य आएगी करें कि अन्त अनेक पदों के अधीन पद बनाते समय परेशान करते हैं।

5. सभी उप-संवर्गों में प्रोन्नति के उपयुक्त अवसर होने चाहिये।

6. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद 3000-4500 रुपये का वेतनमान पाते हैं तथा दो वर्ष पूर्व की गणना (एंटी-डेड) से बे 2 वर्ष की सेवा के बाद यह वेतनमान पा लेंगे। विशेषज्ञों को 3000-5000 रुपये में विशेषज्ञ ग्रेड-II का पद पाने के लिए कम से कम 6 वर्ष (3 वर्ष की विशेज्ञता +3 वर्ष अनुभव के लिए) लगाने पड़ते हैं। अतः विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारियों को प्रारम्भ से ही 3700-5000 रुपये का वेतनमान दिया जा सकता है।

(घ) विशेषज्ञ डाक्टरों की मांगें की टिक्कू समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के साथ जुड़ी हैं जिस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

1. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा कर लेने के बाद वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ऐसी प्रोन्नतियों को रिक्तियों के साथ जोड़े बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाए।

2. सरकार को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों तथा विशेषज्ञ ग्रेड-II के वेतनमानों में समानता लाने पर विचार करना चाहिए।

3. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के अधिकारियों की रिक्तियों के साथ जोड़े बिना 14 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् 4·00 5700 रुपये के ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाए। ऐसी प्रोन्नतियों के लिये चयन उसी तरह किया जाएगा जैसा कि विशेषज्ञों के ग्रेडों के लिए संस्तुत 4500-5700 रुपये के ग्रेड के लिये किया जाता है।

4. कुछ समय बाद सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में पदों तथा अन्य उपसंवर्गों के पदों के बीच का अनुपात 1:1 तक ले आया जाए।

5. चिकित्सा अधिकारियों के 250 पदों को अध्यापनेतर उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के रूप में स्थानान्तरित कर दिया जाए। एक बारगी उपाय के रूप में इन पदों को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिप्लोमा रखने वाले पात्र उम्मीदवारों में से आन्तरिक भर्ती द्वारा भर लिया जाए।

6. भर्ती नियमों की औपचारिक रूप में संशोधित कर लेने के बाद आन्तरिक भर्ती के लिए अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II के वरिष्ठ वेतनमान वाले 100 पद सृजित किए जाए।

7. अध्यापनेतर उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति हो जाने पर स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जितने पद रिक्त किए जाएं उन्हें भी सामान्य भर्ती के लिए अध्यापनेतर विशेषज्ञ ग्रेड-II में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

8. अध्यापनेतर उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-2 के भर्ती नियमों में 75 प्रतिशत प्रोन्नति और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान करने के लिए उनका संशोधन किया जाए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक वर्ष की सेवा वाले पात्र स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को प्रोन्नति कोटा के लिये निर्धारित पद पर प्रोन्नत होने के लिये योग्य घोषित कर दिया जाए।

9. ऐसे स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, जो अध्यापन विशेषज्ञ ग्रेड-2 के लिए अब पात्र हैं और नियुक्त होना चाहते हैं, उन्हें अध्यापन विशेषज्ञ ग्रेड-2 में नियुक्त कर दिया जाए और उनके द्वारा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में जो पद रिक्त किए जाएं उनको समाप्त कर दिया जाए।

10. जो अधिकारी पिछले वर्षों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग से विशेषज्ञ उपसंवर्ग में चले गए थे, उन्हें अति विशिष्ट मामले के रूप में, सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प दिया जाए।

11. भविष्य में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को, जो जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में प्रवेश करते हैं, 2 वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता दी जाए। इसी प्रकार स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों को एक वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता प्रदान की जाये। भविष्य में सेवा में प्रवेश करने वालों के लिए स्नातकोत्तर भत्ते को समाप्त कर दिया जाए।

12. अध्यापन उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II को जिन्हें 3700-5000 रुपये का वरिष्ठ वेतनमान दिया जाता है, उनकी चार वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के उपरान्त 4500-5700 रुपये के ग्रेड में पदोन्नत किया जाए।

13. अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा की जाए तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनमें उपयुक्त संशोधन किया जाए। यदि नियमों में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो सहायक प्रोफेसर के उस समय अपेक्षित 2 वर्ष की बजाय 4 वर्ष के उपरान्त 3700-5000 रुपये के वेतनमान में रखा जाए।

14. यदि डी० एम०, एम०सी०एच०, अथवा समकक्ष अर्हता वाले किसी डाक्टर की भर्ती केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में की जानी है तो जिस ग्रेड में उसकी भर्ती की जाए उसमें उसे दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाएं।

15. 4500-5700 रुपये के फंक्शनल ग्रेड तथा तीन विशेषज्ञ उप-संवर्गों में 4500-5700 रुपये के नॉन-फंक्शनल प्लेसमेंट ग्रेड को आपस में मिला दिया जाए। वरिष्ठ टाइम वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड-2 अधिकारियों को उनकी सेवा के 4 वर्ष पूरे हो जाने के बाद 4500-5700 रुपये के समाहित ग्रेड में पदोन्नत किया जाए। पदोन्नति चयन द्वारा होगी। अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत करने के बारे में

तभी विचार किया जाए। जब वे "बहुत अच्छा" बेंच मार्क पर खरे उतरें। चयन का कोई जोन नहीं होगा।

16. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमों में संशोधन करके उनमें विशेषज्ञ ग्रेड में 4500-5700 रुपये तथा 3500-5000 रुपये के स्तर पर, अन्य स्रोतों से व्यक्तियों को लेने का प्रावधान किया जाए तथा इतनी मात्रा में और सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित पदों का सृजन वार्षिक आधार पर किया जाए।

17. एक बारगी उपाय के रूप में जिन अधिकारियों को 1-1-1973 को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के समूह "क" में शामिल किया गया है, उनको चरणवार रूप में स्वस्थान (व्यक्तिगत) आधार पर एस०ए०जी० के पद पर पदोन्नति कर दिया जाए ताकि वे सभी व्यक्ति जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चुने गए है, वर्ष 1993 के मध्य तक एसएजी हो जाएं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में, वर्ष 1990 में, 1991, 1992 और 1993 के दौरानस्व-स्थाने क्रमश: 120,75,50 और 50 अधिकारियों को प्रोन्नत कर दिया जाए। इसी प्रकार इन्हीं अवधियों के दौरान रेलवे मेडिकल सेवा में 250,100,75 तथा 75 अधिकारियों का दर्जा बढ़ा दिया जाए। एस०ए०जी० में 6 से 9 महीने की अवधि के भीतर पर्याप्त मात्रा में, जितना कि कार्य करने के लिए औचित्य हो, पक्ष बना लिए जाएं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य के औचित्य के आधार पर निर्धारित किये गये एस०ए०जी० पदों की संख्या कुल संवर्ग संख्या का 15 प्रतिशत होना चाहिए। जिन अधिकारियों को स्व स्थाने प्रोन्नति दी गई है उन्हें स्वीकृत पदों पर तैनात किया जाये। जिन पदों पर अन्य व्यक्ति कार्यरत है और जिनका इस प्रकार समायोजन नहीं किया जा सकता उनको उसी मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिन पर ऐसे पदों पर आने से तैनात थे। और वे इन पदों पर नहीं रहेंगे।

18. विशेषज्ञों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिये वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान अध्यापन उप-संवर्ग में 30 पद अध्यापनेतर उप-संवर्ग में 46 पद और लोक स्वास्थ्य उप संवर्ग मे I पद का 4500-5700 रुपये के कार्यात्मक ग्रेड से एस०ए०जी० में दर्जा, बढ़ाया जाए।

19. 5900-6700 रुपये के ग्रेड में प्रोफसर के पदों को वरिष्ठ प्रोफेसरों के पद पर नामित किया जाए और अध्यापन उप-संवर्ग में 7300-7600 रुपये के ग्रेड में मंजूर किये गये किसी भी पद को निदेशक प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाए।

20. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एस० ए० जी० के 8 पदों 7300-7600 रुपये के ग्रेड में दर्जा बढ़ाया जाए और अपर महानिदेशक के 3 पदों को सृजन किया जाए जहां कुल संवर्ग क्षमता के कार्यात्मक रूप से तर्क संगम ऐसे कृषि के पद। प्रतिशत तक मंजूर किए गए हों।

21. डाक बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड में पदों के आधार पर अपर महानिदेशक के 5 पद (मौजूदा दो और नए सृजन किए जाने वाले) 7300-8000 रुपये) के वेतनमान में शुरू किए जाएं।

22. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित संवर्ग प्रबन्ध का कार्य कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास रहना चाहिए बशर्ते कि जैसा इस पैरा में बताया गया है।

23. रेल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद का 8000 रुपये के नियत वेतनमान में दर्जा बढ़ाया जाए। एस ए जी के 9 पदों का 7300-7600 रुपये के वेतनमान में दर्जा बढ़ाया जाए। रेल बोर्ड द्वारा 7300-7600 रुपये के वेतनमान में एक पद को समाप्त करके 7300-8000 रुपये के ग्रेड में 2 पदों का सृजन किया जाए।

24. एक बारगी उपाय और 7300-7600 रुपये के वेतनमान में पदों का दर्जा बढ़ाने के रूप में एस ए जी के पदों के सृजन के दिशा-निर्देश भारतीय आयुध कारखाना और दिल्ली नगर निगम के पदों के लिए भी अपनाया जाए।

25. दीर्घावधि-उपाय के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और सम्बद्ध संवर्ग के अधिकारियों के लिए एक आशोधित लचीली संपूरक योजना शुरू करने के बारे में सरकार जांच करे ताकि उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि कैरियर-प्रगति के लिए इन संवर्गों में उच्च स्तर के पदों की मंजूरी की प्रचलित पद्धति कठिन है।

26. मांग के गुणावगुण पर पृथक रूप से विचार करके हम डाक्टरों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाये जाने की सिफारिश करते हैं। फिर भी, सरकार, सरकार की सामान्य नीति के संदर्भ में इस मामले में निर्णय ले।

27. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के नियम 30 के अधीन उपलब्ध सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा नियमों के उपयुक्त संशोधन द्वारा एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारियों के साथ सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्गों की भर्ती के लिए भी लागू किया जाए।

28. प्रारम्भ में सभी राज्य सरकारों द्वारा भाग न लिए जाने पर भी कार्यान्वयन के लिए भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाना चाहिए।

29. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने वाले सभी नए सदस्यों को 8 से 12 सप्ताह के आधार-भूत पाठ्यक्रम में भेजा जाना चाहिए। अधिशासी, सलाहकारी और उच्चतर प्रशासनिक तीन स्तरों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

30. अविच्छिन्न चिकित्सा शिक्षा की सुनिश्चितता के लिये डाक्टरों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिएं।

31. चूंकि चिकित्सा क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि के होते हैं। इसलिये अध्ययन अवकाश को 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष करने के लिये अध्ययन अवकाश प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए।

32. चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों के लिए सारे ढांचे की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ-दल नियुक्त किया जाना चाहिये जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को एक एकीकृत संवर्ग में परिवर्तित करने और आधार स्तर पर पदों की प्रतिशतता शुरू करके प्रतियुक्ति और अल्पकालिक संविदा द्वारा अपने वाले अधिकारियों पर प्रवेश स्तर पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उपाय करने जैसे मामलों की जांच करे।

भारत में साक्षरता

1670. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने जिलों को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है;

(ख) इस समय भारतीयों की निरक्षरता का क्या प्रतिशत है और इसमें से कितनी महिलायें हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने लोग हैं; और

(ग) सरकार निरक्षरता की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) अब तक केवल केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले को ही पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार कुल निरक्षरों, महिला निरक्षरों, अनुसूचित जाति निरक्षरों तथा अनुसूचित जनजाति के निरक्षरों की प्रतिशतता क्रमश: 63,77, 36.32, 12.38 तथा 6.49 थी इन आंकड़ों में असम को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि 1981 में वहां जनगणना नहीं कराई जा सकी थी।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए रोके रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका 15-35 आयु वर्ग के 800 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को 1995 तक कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है, ये देश में निक्षरता उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न भाग है।

सभी राज्यों से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपना कर उस विशेष क्षेत्र में निर्धारित समय अवधि में निरक्षरता उन्मूलन करने के प्रयास पर जोर दिया गया है। तदनुनुसार पूरे केरल और गोवा के राज्यों और संघ शासित पांडिचेरी गुजरात के 100 तालुकों और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों 31 अन्य जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है /किया जा रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान यह आशा की जाती है कि ऐसे अभियान 30 और जिलों में भी शुरू किए जाएंगे।

द्वारका में भूमि के लिए भुगतान

1671. **श्री कमल नाथ** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में यह प्रावधान है कि भूमि के आबंटन पर भूमि के मूल्य का केवल पच्चीस प्रतिशत का ही भुगतान मांगना चाहिये और क्या नियमों में यह भी विनिर्दिष्ट है कि लागत का पचास प्रतिशत भुगतान तभी मांगा जाना चाहिये जब प्लाट पर कब्जा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो द्वारका (पपन कलां) ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से भूमि के आबंटन के लिए भूमि के मूल्य का पचास प्रतिशत भुगतान मांग कर सांविधिक विधियों का उल्लंघन करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न सोसायटियों को पत्र जारी करने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (घ) यद्यपि, दिल्ली विकास अधिनियम प्रीमियम की दर तथा इसको वसूल करने की रीति का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिल्ली बिकास प्राधिकरण (बिकसित नजूल भूमि का निपटाना) नियमावली. 1981 भूमि प्रीमियम को वसूल करने की रीति निर्धारित करती है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रीमियम वसूल करने सम्बन्धी नियम को सामूहिक आवास समितियों के लिए लागू नहीं किया गया है तथा भूमि का कब्जा सौंपने से पूर्व 100 प्रतिशत वसूल किया जाता रहा है। द्वारका चरण-I में सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रथमत 50 प्रतिशत प्रीमियम तथा कब्जा सौंपने से पूर्व सम्पूर्ण 100 प्रतिशत प्रीमियम की मांग की है। यह शर्त, भविष्य में समितियों का आबंटन करने के लिए भूमि का शीघ्र विकास करने और अधिक भूमि अधिगृहीत करने के लिए निधियां एकत्र करने के उद्देश्य से लगाई गई थी। प्रथमतः 50 प्रतिशत प्रीमियम वसूल करने का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

मराठवाड़ा क्षेत्र में सूत मिल

[हिन्दी]

1672. **श्री पुंडलिक हरी दानवे** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मराठावाड़ा क्षेत्र में सूत मिलों की स्थापना के लिए कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं और उनका ब्योरा क्या है, और

(ख) इन प्रार्थना पत्रों पर कब तक निर्णय किये जाएंगे ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से पंजीकरण के लिए मैसर्स तरना शेतकारी सहकारी सूत गिरनी, ओसमानाबाद से 25,000 तकुओं के लिऐ एक आवेदन पत्र।

(ख) पार्टी से मंगाए गए ब्योरों के प्राप्त होने पर।

इन्दिरा गांधी नेशनल सेन्टर फार आर्ट्स द्वारा आयोजित प्रदर्शनी

[अनुवाद]

1673. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी नेशनल सेन्टर फार द आर्टस ने "काल" के बहु आयामी स्वरूप का चित्रण करते हुए किसी प्रदर्शनी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रदर्शनी की अनुपम विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या प्रदर्शनी ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो दर्शकों की श्रेणियों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी और अधिक प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिये सेन्टर को प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रदर्शनी में मानवीय चिंतन और अनुभति, विज्ञान और कलाओं, गोचर तथा अगोचर के भीतर समय के महत्व को खोजा गया। इस प्रकार की खोज का मार्गदर्शी सिद्धान्त विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, चिन्तनधाराओं में काल के सम्बन्ध में दृष्टिबोध की समानता को ढूंढने का प्रयास था। इस बहुमाध्यमी प्रस्तुति के माध्यम से मनुष्य की इस मौलिक चिंता के बारे में इन समानताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनी में नौ खंड अर्थात् हृदय, सृष्टि, स्पन्दन, कालबोध, दिककाल, कालमान, कालक्रम, कालानुभूति, काल-शून्य तथा पूर्ण थे।

(ग) जी, हां।

(घ) आम जनता के लोगों, विश्व के सभी भागों के अध्येताओं, शिक्षाविदों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों और अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस प्रदर्शनी को देखा।

(ङ) जी, हां।

(च) संस्थान को 25 करोड़ रुपये का अक्षय अनुदान दिया गया है जिससे प्राप्त होने वाले ब्याज से इसके सेमिनारों और प्रदर्शनियों सहित अन्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में साक्षरता दर

1674. **कुमारी उमा भारती** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिलेवार साक्षरता दर क्या है;

(ख) क्या खजुराहो चुनाव क्षेत्र की साक्षरता दर सबसे कम है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में जिलेवार साक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) खजुराहो निर्वाचन क्षेत्र की साक्षरता दर अभी उपलब्ध नही हो पायी है। तथापि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार खजुराहो (नगरपालिका रहित शहर) की साक्षरता दर 34.23 प्रतिशत है।

विवरण

क्रम सं०	जिला	साक्षरता दर
1	2	3
	मध्य प्रदेश जिले	32.24
1.	मुरेना	30.09
2.	भिण्ड	36.51
3.	ग्वालियर	45.31
4.	दतिया	32.11
5.	शिव पुरी	24.03
6.	गुना	25.32
7.	टीकम गढ़	22.47
8.	छतरपुर	20.79
9.	पन्ना	22.84
10.	सागर	40.29
11.	दमोह	35.26
12.	सतना	31.14
13.	रीवा	29.32
14.	शहडोल	22 38
15.	सीधो	17.38
16.	मंदसौर	36.09
17.	रतलाम	33.94
18.	उज्जैन	38.05
19.	शाजापुर	27.41
20.	देवास	31.07
21.	झबुआ	13.21
22.	धार	23.71
23.	इंदौर	56.00
24.	पश्चिमी निमाड़	27.06
25.	पूर्वी निमाड़	35.71

1	2	3
26.	राजगढ़	20.93
27.	विदिशा	19.96
28.	भोपाल	54.26
29.	सिरोह	27.09
30.	रायसेन	27.14
31.	बेतुल	32.62
32.	होशंगाबाद	40.95
33.	जबलपुर	47.06
34.	नरसिंहपुर	38.50
35.	माण्डला	26.08
36.	छिन्दवाड़ा	32.59
47.	सिवानी	31.15
38.	बालाघाट	38.74
39.	सरगूजा	18.74
40.	बिलासपुर	32.94
41.	राजगढ़	19.39
42.	राजनन्द गांव	30.57
43.	दुर्ग	43.57
44.	रायपुर	35.34
45.	वस्तर	16.39

नोट :—साक्षरता की दरें कुल जनसंख्या में शून्य से 4 आयु वर्ग तक की जनसंख्या को छोड़ कर गणना की गई है।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1675. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, यदि हां, तो तो कब; और

(ख) इस आयोग की अब तक कार्यान्वित की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय शहरी करण आयोग की रिपोर्ट अगस्त, 1988 में सरकार को प्रस्तुत की गयी थी।

(ख) रिपोर्ट में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा निम्नलिखित विशेष सिफारिशें की गयी हैं :—

(I) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने आर्थिक संवेग उत्पन्न करने वाले में 329 कस्बों का चयन किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि यह कस्बे जिन्होंने तीव्र आर्थिक वृद्धि के संकेत दर्शाये है अथवा जिनमें इस प्रकार की वृद्धि की सम्भाव्यता है, को भविष्य में होने वाले विकास में अधिकतम प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।

(II) शहरी निर्धनता के सुधार को वही प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो ग्रामीण निर्धनता के सम्बन्ध में दी जानी है तथा शहरी निर्धनों को, जल-आपूर्ति, जल-निकास प्रणाली, भूमि विकास इत्यादि के रूप में ऐसे शहरी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एक उपयुक्त ऋण सहायता कार्यक्रम द्वारा स्वरोजगार प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(III) आवास नीति का उद्देश्य विकसित भूमि की आपूर्ति को बढ़ाना तथा कम लागत आश्रय सुधार एवं मलीनबस्ति उन्नयन और विद्यमान आवास भण्डार को सुरक्षित रखना होना चाहिए।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि स्थलों तथा सेवा कार्यक्रम का समाज के समस्त वर्गों तक विस्तार किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है : —

(I) छोटे तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाके अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस योजना में सम्मिलित 280 शहरों में से राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा 157 शहरों का चयन किया गया था।

(II) औद्योगिक विकास के लिये हाल ही में प्रारम्भ की गयी विकास केन्द्रों की योजना में अब तक चयनित 60 विकास केन्द्रों में से 21 आर्थिक संवर्ग उत्पन्न करने वाले केन्द्र हैं।

(III) इस मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1988 में नेहरू रोजगार योजना आरम्भ की गयी थी जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों तथा बेरोजगार निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराना है इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 1990-91 के दौरान 110 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

(IV) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की आवास तथा आश्रय सम्बन्धी सिफारिशों को राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप में पर्याप्त महत्व दिया गया है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा इराक में भवनों का निर्माण

1676. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने इराक में कितने भवनों का निर्माण किया और उनकी लागत कितनी थी;

(ख) क्या सम्बधित प्राधिकारियों द्वारा भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इराक से धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने इराक में 202.53 करोड़ रुपए की लागत से 12 भवनों का निर्माण किया है।

(ख) और (ग) आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया है तथा बकाया शेष 91.85 करोड़ रुपए है।

शेष राशि में से, 71.79 करोड़ रुपए की देय राशि भारत सरकार तथा इराक की सरकार के मध्य किए गए भुगतान समझौते के अन्तर्गत शामिल है। इन समझौतों के अनुसार, इस देय राशि का अप्रैल, 1996 तक किश्तों में भुगतान किया जाना है। कुछ देय राशि अमेरिकी डालर/स्थानीय मुद्रा में नकद वसूल की जानी है।

साक्षरता का प्रसार करने के लिए विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों को बन्द करना

1677. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि साक्षरता का प्रसार करने के कार्य में छात्रों को लगाने के लिए सभी कालेजों, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को एक वर्ष के लिए बन्द कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद की 15 फरवरी, 1991 को आयोजित बैठक में इस आशय के सुझाव पर विचार विमर्श किया गया था। आमतौर पर परिषद ने इस सुझाव का अनुमोदन किया।

(ख) शिक्षक और छात्र राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के समय से ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आ रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कालेज शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं से आवश्यक वार्ताएं हो चुकी हैं। शिक्षकों व छात्रों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम मई, 1986 से शुरू किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है। साक्षरता के लिए वातावरण तैयार करने के लिए आयोजित दो राष्ट्रव्यापी जत्थों को मद्देनजर रखते हुए, वर्ष 1990-91 में पूर्ण साक्षरता के लिए जन अभियान सम्पूर्ण केरल राज्य व गोआ, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, गुजरात में सौ तालुकों व आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के 31 जिलों में छेड़े गए हैं, जिसमें स्कूलों/कालेज/ विश्वविद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों की पर्याप्त भागीदारी है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों तथा छात्रों की अधिकतम यथासंभव सहभागिता के लिए प्रयास करना जारी रखेगा।

केरल में केन्द्रीय विद्यालय

1678. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवन उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, हां, संगठन केवल सिविल और रक्षाक्षेत्रों के अन्तर्गत ही केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण करता है बशर्ते कि प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा भूमि का प्रावधान हो ? परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण की परियोजना प्राधिकारी स्वयं प्रदान करते हैं।

डबल रोटी निर्माताओं को राज सहायता

1679. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डबल रोटी निर्माताओं को अब राज सहायता देनी बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार को डबल रोटी निर्माताओं को गेहूं के आवंटन और डबल रोटी के मूल्य पर से नियन्त्रण हटाने के बारे में कोई अभ्यावेदन/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) चूंकि ब्रेड निर्माताओं को कोई राज-सहायता (सब्सिडी) नहीं दी जा रही है अतः इसे बन्द कर देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर भारतीय खाद्य निगम को जनवरी से मार्च, 1991 के महीनों के लिए दिल्ली में ब्रेड-यूनिटों को 320 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 10,000 टन गेहूं बेचने को प्राधिकृत किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं

1680. **श्री राजमोहन रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितनी प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं चल रही हैं, और

(ख) ऐसी परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	योजना का नाम	मौजूदा परियोजनाओं की संख्या	वर्ष-वार उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता 1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	26	211.77	307.14*	170.30
2.	स्वैच्छिक संस्थाएं	42	78.46	107.74*	34.12
**3.	जिलेवार अनुमोदित कुल साक्षरता परियोजनाएं				
I.	चित्तूर				390.64
II.	हैदराबाद				242.00
III.	कुड्डथा				300.00
IV.	नेल्लोर				263.00
V.	विशाखापत्तनम				253.00
VI.	करनूल				266·00
VII.	महबूब नगर				38.00
VIII.	निजामाबाद				148.00
IX.	खम्माम				
X.	करीमनगर				330.00
XI.	पश्चिमी गोदावरी				240.00

* फरवरी, 1991 तक मुक्त की गई राशि से संबंधित

** केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुमोदित राशि से संबंधित

गुजरात को खाद्य तेल की आपूर्ति

1681. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में खाद्य तेल की अभूतपूर्व कमी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से राज्य को और अधिक मात्रा में खाद्य तेल देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य ने खाद्य तेल की कितनी मात्रा देने का आग्रह किया है; और

(ग) बढ़ाई गई मात्रा कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी हां। गुजरात सरकार ने प्रतिमाह पामोलीन की 20,000 मी० टन मात्रा आवंटित करने हेतु अनुरोध किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल का आवंटन, सरकार के पास उपलब्ध तेल की मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकता, बाजार उपलब्धता और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। विदेशी मुद्रा संबंधी अवरोधों के कारण खाद्य तेल के आयात में कमी हुई है। उपर्युक्त मानदण्ड के आधार पर गुजरात को खाद्य तेल का आवंटन किया जाता रहेगा।

रियायती दरों पर कापियों की सप्लाई

1682. **श्री मदन लाल खुराना : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थाओं के छात्रों को कापियां रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई थीं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान छात्रों को रियायती दरों पर प्रति वर्ष कितनी कापियां उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या जिन छात्रों को गत वर्षों में रियायती दरों पर कापियां उपलब्ध कराई गई थीं उन्हें चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (घ) स्कूली पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास-पुस्तिकाओं तथा परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए सहायता प्राप्त सफेद छपाई कागज की आपूर्ति की योजना वर्ष 1989-90 तक चल रही थी।

इस योजना के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कुल मिलाकर निम्नलिखित मात्रा में कागज का आबंटन तथा आपूर्ति की गई :—

वर्ष	आबंटन मीट्रिक टनों में	आपूर्ति मीट्रिक टनों में
1987-88	80,000	79,438
1988-89	80,000	75,598
1989-90	80,000	28,663

सहायता प्राप्त कागज के प्रयोग से तैयार की गई अभ्यास-पुस्तिकाओं की मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। योजना को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था

1683. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने दिल्ली में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता व्यवस्था के बारे अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार दिल्ली में पर्याप्त जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित करेगी।

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी भूमि पर बनी झोपड़पट्टी निवासियों को मूलभूत सुविधायें

1684. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार अथवा इसकी एजेंसियों की भूमि पर बनी झोपड़पट्टी के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार अथवा इसके अभिकरणों से संबंधित भूमि पर बनी झोपड़पट्टी के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न विचाराधीन रहा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ

विचार-विमर्श करके उन्होंने शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बम्बई में भी केन्द्र सरकार की भूमि पर बनी मलिन बस्तियों उचित मामलों में मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार अलग से कोई अन्य निधियाँ उपलब्ध नहीं करा रही है।

चिकित्सा कालेज आरम्भ करने के लिए गैर सरकारी संस्थायें

1685. **डा० वेंकटेश काबड़े** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा कालेज आरम्भ करने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) वर्ष 1980-91 के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने गैर सरकारी संस्थाओं की डिग्रियों और पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) शून्य।

राज्यों में विश्वविद्यालयों को अनुदान

1686. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध विभिन्न स्नातक अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय को गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान और सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के विरुद्ध इस तरह की धनराशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई जांच आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग योजना दर योजना के आधार पर सभी पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को विशिष्ट योजना के साथ-साथ उनके सामान्य विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पांच विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कालेजों को 7वीं योजना अवधि के दौरान दिए गए कुल अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण I संलग्न है। आयोग को कुछ कालेजों के बारे में निधियों के तथाकथित दुरुपयोग के संबंध

में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो संलग्न विवरण-2 में दर्शाई गई है। ये शिकायतें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपतियों के पास टिप्पणियों के लिए भेज दी गई हैं।

विवरण-1

(रुपए लाखों में)

		विश्वविद्यालय	कालेज
1	2	3	4
	कर्नाटक		
1.	बंगलौर	301.74	128.35
2.	गुलबर्ग	118 40	77.32
3.	कर्नाटक	308.25	169.38
4.	मंगलौर	113.01	73.37
5.	मैसूर	414.56	106.10
6.	कुवेम्पू	93.13	3.32
	उत्तर प्रदेश		
1.	आगरा	146 62	302.19
2.	अलीगढ़	989.55	—
3.	इलाहाबाद	614.87	53.08
4.	अवध	32.74	224.50
5.	बनारस	1556.61	11 83
6.	बुंदेलखण्ड	5.31	82.28
7.	गढ़वाल	202.08	81.61
8.	गोरखपुर	197.93	381.38
9.	कानपुर	93.03	292.44
10.	काशी विद्यापीठ	63.08	—
11.	कुमाऊं	232.23	50.72
12.	लखनऊ	426 06	96.63
13.	मेरठ	165.38	361.06
14.	रोहिलखण्ड	20.05	546.75
15.	रूड़की	608.70	—
16.	सम्पूर्णानन्द	39.37	—
17.	पूर्वांचल	4.37	0.41

विवरण-2

क्रम सं०	कालेज का नाम	उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे कालेज सम्बद्ध है।
1	2	3
1.	जे. बी. पन्त डिग्री कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर (उ० प्र०)	पूर्वांचल विश्वविद्यालय
2.	तिलकधारी कालेज, जौनपुर (उ० प्र०)	पूर्वांचल विश्वविद्यालय
3.	रत्नसेन डिग्री कालेज, सिद्धार्थ नगर (उ० प्र०)	गोरखपुर विश्वविद्यालय
4.	जे. एल. एन. एम. पी. एम. कालेज, गोरखपुर	गोरखपुर विश्वविद्यालय
5.	स्वामी देवानन्द डिग्री कालेज, मथलार देवरिया (उ० प्र०)	गोरखपुर विश्वविद्यालय
6.	डी. एम. कालेज, अलीगढ़	आगरा विश्वविद्यालय
7.	एम. बी. कालेज, अलीगढ़	आगरा विश्वविद्यालय
8.	दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय, फिरोजाबाद	आगरा विश्वविद्यालय
9.	साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली	रोहिल खण्ड विश्वविद्यालय
10.	गुलाब सिंह हिन्दू (पी. जी.) कालेज, बिजनौर	रोहिल खण्ड विश्वविद्यालय
11.	आर. एच. राजकीय (पी. जी.) कालेज, काशीपुर	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
12.	आर्य कला महाविद्यालय, हरदोई	कानपुर विश्वविद्यालय
13.	डी. ए. वी. कालेज, बुलन्द शहर	मेरठ विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यु० बी० ए० बी० ओ०) में घाटा

1687. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वस्त्र मन्त्री** 2 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) में हुए घाटे के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) एन टी सी (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अधीन मिलों के घाटों के मुख्य कारण हैं :

(1) प्रबन्धकों का निरन्तर परिवर्तन,

(2) उपलब्ध क्षमताओं का कम उपयोग,

(3) कार्यभार के निम्न मानवदण्ड,

(4) निम्न उत्पादकता स्तर, तथा

(5) पुरानी और अप्रचलित मशीनें।

(ख) एन टी सी ने सर्वांगीय सुधार के लिए एक नीति बनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) खर्चीली क्षमताओं की छटाई करना,

(2) किफायती क्षमताओं का अनुकूलतम प्रयोग,

(3) चुनिन्दा आधुनिकीकरण,

(4) अधिक लाभप्रदता,

(5) श्रमिक यौक्तिकीकरण,

(6) कच्चे माल की प्रतियोगी खरीद,

(7) यार्न उत्पादन में वृद्धि,

(8) कीमत को अनुकूलतम बनाना,

(9) उत्पादन उन्नयन, तथा

(10) सहायता निगमों तथा मिलों में पदों पर भर्ती करते समय उपलब्ध श्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना।

कर्नाटक में और अधिक विश्वविद्यालय

1688. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में किन विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं; और

(ख) इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बंगलौर विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं।

(ख) आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सातवीं योजना में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, उपकरणों, इमारत स्टाफ के वेतनों आदि के लिए उपर्युक्त दोनों विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित विकास अनुदान दिए गए थे।

बंगलौर विश्वविद्यालय :	155.97 लाख रुपये
मैसूर	161.50 लाख रुपये

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित प्राइमरी और वयस्क शिक्षा योजनायें

1689. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूनेस्को द्वारा प्रायोजित प्राइमरी और वयस्क शिक्षा योजनाएं लागू करने का विचार है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में वर्ष 1990-91 के दौरान क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) सरकार, सन् 2000 तक निरक्षरता उन्मूलन के लिए यूनेस्को कार्य योजना और सभी बच्चों, युवकों व प्रौढ़ों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा जो कि सभी के लिए शिक्षा पर (मौलिक शैक्षिक जरूरतों) विश्व घोषणा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसका आयोजन संयुक्तरूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०), यूनेस्को, यूनिसेफ व विश्व बैंक द्वारा 5-9 मार्च, 1990 को जामतीन (थाईलैंड) में किया गया था। निरक्षरता उन्मूलन के लिए यूनेस्को योजना व सबके लिए शिक्षा की विश्व घोषणा में शामिल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश लक्ष्यों को निर्धारित करता है और समस्या के परिमाण और मानवीय, समग्री व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्य नीतियों को निर्धारित करता है।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए रोके रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका 15-35 आयु वर्ग के 808 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को 1995 तक कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है, ये देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग है जो कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए यूनेस्को कार्य योजना तथा सबके लिए शिक्षा की विश्व घोषणा के अनुरूप है।

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वसुलभ नामांकन व स्कूलों में बच्चों को रोके रखना और आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता सहित सभी स्कूलों में मौलिक सुविधाओं की व्यवस्था करके शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाकर उस विशेष क्षेत्र में निर्धारित समय अवधि में निरक्षरता उन्मूलन करने के प्रयास पर जोर दिया गया है। तदनुसार पूरे केरल और गोवा के राज्यों और संघ शासित पांडिचेरी, गुजरात के 100 तालुकों और आन्ध्र प्रदेश, बिहार,

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के 31 अन्य जिलों में पूर्व साक्षरता अभियान शुरू किया गया है/किया जा रहा है । वर्ष 1991-92 के दौरान, यह आशा की जाती है कि ऐसे अभियान 30 और जिलों में भी शुरू किए जाएंगे ।

सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न जारी करने में विलम्ब

1690. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसियों अर्थात भारतीय खाद्य निगम, भण्डागार निगम आदि द्वारा हाल ही में खाद्यान्नों की अनियमित/विलम्ब से सप्लाई करने के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सुपर बाजार और सहकारी भण्डारों को नई शाखायें

1691. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुपर बाजार और सहकारी भण्डारों के क्षेत्र-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में इन भण्डारों की और शाखाएं खोलने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन भण्डारों के खिलाफ कदाचार, अनियमितताएं और अन्य गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है; और

(ङ) सुपर बाजार के कार्यकरण को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली, दिल्ली में 132 स्थिर शाखाएं चला रहा है । इनका क्षेत्रीय वितरण केन्द्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :

कनाट प्लेस क्षेत्रीय वितरण केन्द्र	—	38
आई एन ए क्षेत्रीय वितरण केन्द्र	—	38
पी.एन.बी. क्षेत्रीय वितरण केन्द्र	—	34
त्रिलोकपुरी क्षेत्रीय वितरण केन्द्र	—	22

एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जिसमें उनकी अवस्थिति दी गई है।

सुपर बाजार, दिल्ली का दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन से उपयुक्त निर्मित स्थान भूमि उपलब्ध होने पर दिल्ली की नवविकसित कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों तथा गंदी बस्तियों में और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) 1990 के दौरान सुपर बाजार के सतर्कता अनुभाग में जनता से 9 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इनकी जांच की गई और यह पाया गया कि 5 शिकायतों में कोई सार नहीं था। 2 मामलों में चेतावनियां दी गयीं और एक मामले में निन्दा का दण्ड दिया गया। शेष बचे मामले में बड़ा दण्ड देने की कार्यवाही आरम्भ की गई।

(ङ) सुपर बाजार ने अपनी शाखाओं का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण की एक व्यापक प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत सुपर बाजार के निरीक्षण अधिकारियों तथा सतर्कता दल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसके अनुसार सुपर बाजार को प्रत्येक शाखा का एक तिमाही में कम से कम दो बार निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, अचानक निरीक्षण भी किए जाते हैं। इसके बाद निरीक्षण रिपोर्टों पर सुपर बाजार के परिवीक्षा तथा योजना अनुभाग में कार्यवाही की जाती है और आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

सुपर बाजार दिल्ली शाखाओं की सूची

क्र० सं०	नाम व पता	क्र० सं०	नाम व पता
1.	सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।	4.	सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, एल.एन.जे.पी. अस्पताल (ईरविन हास्पीटल) नई दिल्ली।
2.	सुपर बाजार, दी आपरेटिव स्टोर लि०, आई.एन.ए. मार्किट, किदवई नगर, नई दिल्ली।	5.	सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
3.	सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र) दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, आई.एन.ए. मार्किट, किदवई नगर, नई दिल्ली।	6.	सुपर बाजार, (दवाई बिक्री केन्द्र) दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, एल.एन.जे.पी. हास्पीटल (अरविन हास्पिटल) नई दिल्ली।

1	2

7. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
राम मनोहर लोहिया अस्पताल
(विलिंग्डन अस्पताल)
नई दिल्ली।

8. सुपर बाजार, (दवाई बिक्री केन्द्र)
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
राम मनोहर लोहिया अस्पताल
(विलिंग्डन अस्पताल)
नई दिल्ली।

9. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
शाप नं. सी-4, वसन्त विहार,
नई दिल्ली।

10. सुपर बाजार,
(दवाई बिक्री केन्द्र)
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
शाप नं. सी-4 वसन्त बिहार,
नई दिल्ली।

11. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी
नई महरोली रोड,
नई दिल्ली।

12. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
शाप नं. 61, यशवन्त प्लेस,
(एन डी एम सी मार्किट)
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

13. सुपर बाजार,
दिल्ली यूनिवर्सिटी,
शाप नं. 2, 3, 5, 6 व 7,
रेड्स लाइन,
दिल्ली-7।

14. सुपर बाजार,
विट्ठल भाई पटेल हाउस
रफी मार्ग,
नई दिल्ली।

15. सुपर बाजार,
ए-2, कमला नगर,
मेन जी०टी० रोड
नजदीक शक्ति नगर चौक,
दिल्ली-7।

16. सुपर बाजार,
(दवाई बिक्री केन्द्र)
डी. टी. सी. कालोनी
पुलिस स्टेशन के सामने,
पटेल नगर, शादीपुर डिपो,
नई दिल्ली।

17. सुपर बाजार,
(दवाई बिक्री केन्द्र)
ए-2, कमला नगर,
मेन जी.टी. रोड
न्यू शक्ति नगर चौक, दिल्ली-7।

18. सुपर बाजार,
(दवाई बिक्री केन्द्र)
डी. टी. सी. कलोनी
(पुलिस स्टेशन के सामने)
पटेल नगर, शादीपुर डिपो,
नई दिल्ली।

19. सुपर बाजार,
शाप नं. 20, डी. डी. ए.
शापिंग सेन्टर, गुलमोहर पार्क
नई दल्ली।

20. सुपर बाजार,
बी-1, ब्लाक डी. डी. ए.
शापिंग सेन्टर, जनकपुरी,
नई दिल्ली :

1	2

21. सुपर बाजार,
बी-1, ब्लाक डीडीए,
शापिंग सेन्टर, जनकपुरी,
नई दिल्ली।
(दवाई बिक्री केन्द्र)

22. सुपर बाजार,
दवाई बिक्री केन्द्र)
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
ए. आई. आई. एम एस.
नई दिल्ली।

23. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
पार्लियामेन्ट एनेक्सी
न्यू पार्लियामेन्ट हाउस,
नई दिल्ली।

24. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०.,
खीचड़ीपुर (नजदीक पोस्ट ऑफिस)
दिल्ली।

25. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ
टेक्नोलोजी होसखास,
नई दिल्ली।

26. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
दक्षिणपुरी (नजदीक मदनगीरी)
नई दल्ली।

27. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
19-20 सरकारी क्वार्टर
रेस्टेलमेन्ट कालोनी, दिल्ली
मंगोलपुरी।

1	2

28. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
ए-बी 1 (आजादपुर मंडी के पीछे)
जी. टी. रोड, जहांगीरपुरी,
दिल्ली।

29. सुपर बाजार,
(दवाई बिक्री केन्द्र)
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०
ए-बी-1 (आजादपुरी मंडी के पीछे)
जी.टी. रोड, जहांगीरपुर. दिल्ली।

30. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
जे-3/14, रजौरी गार्डन
(पोस्ट आफिस के पास)
नई दिल्ली।

31. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
शाप नं. 20 से 22, डीडीए,
शापिंग सेन्टर, आनन्द निकेतन
नई दिल्ली।

32. सुपर बाजार,
दी कोआपरेटिव स्टोर लि०,
जे-ब्लाक, लोकल शापिंग सेन्टर,
मालवीय नगर एक्स,
नई दिल्ली।

33. सुपर बाजार,
शाप नं. 12 सी/फेज-II
डीडीए शापिंग सेन्टर,
अशोक विहार,
दिल्ली।

34. सुपर बाजार,
223/1, रेलवे कालोनी,
किशनगंज (पुराना रोहतक रोड)
दिल्ली।

1	2
35. सुपर बाजार, डीडीए शापिंग सेन्टर, गुरुनानक कोप. हाउस, बिल्डिंग, सोसायटी ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली ।	
36. सुपर बाजार, डीडीए शापिंग सेन्टर, ए ब्लाक ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली ।	
37. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, इण्डिया एयर लाइन्स कालोनी, वसन्त बिहार, नई दिल्ली ।	
38. सुपर बाजार, शाप नं. 3ए-2, 3, 4 व/बी.सी-1, डीडीए शापिंग सेन्टर, मुनीरका, नई दिल्ली ।	
39. सुपर बाजार, शाप नं. 10, डेसू कालोनी, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली ।	
40. सुपर बाजार, क्वार्टर नं 5-98 रेलवे कालोनी, शकूर बस्ती, दिल्ली ।	
41. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, विजय चौक, ब्लाक नं. 79, क्वार्टर नं. ए-1, रेलवे कालोनी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली ।	

1	2
42. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, (रजि.) ई ब्लाक, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-27	
43. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, डीडीए शापिंग सेन्टर, एल०आई०जी० फ्लेट्स के पास, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-27	
44. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, डीडीए शापिंग सेन्टर,, सी-4/ई, मार्किट, पाकेट-8, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	
45. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, गैरेज नं० 5, 6 प्रोविडेंट फण्ड कालोनी, नई दिल्ली ।	
46. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, शाप नं० 7, डीडीए शापिंग सेन्टर एमएमटीसी/एमएसटीसी, कालोनी, नई दिल्ली-30 ।	
47. सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, शाप नं० 7, ई ब्लाक, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली ।	

क्रम सं०	नाम व पता
48.	सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, शाप नं० 7-8, बी ब्लाक कन्वेनियेन्ट शापिंग सेन्टर (राम मन्दिर के पास), विवेक विहार, दिल्ली।
49.	सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, फेस नं० 1, डी ब्लाक, अशोक विहार, (वजीरपुर) दिल्ली-52।
50.	सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, ए-ब्लाक, शाप नं० 4, डी डी ए शापिंग सेन्टर पश्चिमपुरी, दिल्ली।
51.	सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, शाप नं० 4, डीडीए शापिंग सेन्टर मादीपुर, दिल्ली।
52.	सुपर बाजार दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, कम्युनिटी सेन्टर (एमसीडी) मोती नगर नई दिल्ली।
53.	सुपर बाजार दि कोआपरेटिव स्टोर लि०, जी-8, राजौरी गार्डन, डी डी ए शापिंग सेंटर, माया पुरी, नई दिल्ली।
54.	सुपर बाजार दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, शाप नं. 33, दिल्ली प्रशासन, शापिंग सेन्टर, गुलाबी बाग, दिल्ली।

क्रम सं०	नाम व पता
55.	सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र) शाप नं. 33, दिल्ली प्रशासन, शापिंग सेन्टर, गुलाबी बाग, दिल्ली।
56.	सुपर बाजार शाप नं. 11, डी-1/ए, डीडीए शापिंग सेन्टर जनकपुरी, नई दिल्ली।
57.	सुपर बाजार शाप नं. 6, जी-8 एरिया, एलआईजी फ्लेट्स, हरि नगर, नई दिल्ली-64।
58.	सुपर बाजार बी-77, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-32।
59.	सुपर बाजार सी/5-6, मार्किट शाप नं. 3, लारेंस रोड, दिल्ली-35।
60.	सुपर बाजार 341/4 जी/आईए, कांति नगर, आजाद नगर, शाहदरा दिल्ली-32।
61.	सुपर बाजार शाप नं. 27, जे-ब्लाक, डीडीए शापिंग सेन्टर, मालवीय नगर एक्सटेंशन नई दिल्ली।
62.	सुपर बाजार शाप नं. 4 व 5 कन्वेनियेन्ट शापिंग सेन्टर, शेख सराय, फेस-II, नई दिल्ली-17
63.	सुपर बाजार शाप नं. 275 तथा 277 डिफेंस कालोनी फ्लाइओवर, मार्किट (नार्थ), नई दिल्ली-24।

क्र० सं०	नाम व पता
64.	सुपर बाजार बी-ए-ब्लाक, डीडीए शापिंग सेन्टर (शिव नगर) जैल रोड, नई दिल्ली।
65.	सुपर बाजार शाप नं. 8, पाकेट-जे (पूर्वी), कन्वेनियेंट शापिंग सेन्टर, पीतमपुरा दिल्ली-52।
66.	सुपर बाजार शाप नं 9 व 10, सी.एस.सी. नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया (पायल सिनेमा के पास), नारायणा, नई दिल्ली।
67.	सुपर बाजार फाइबर पास (आर्मी प्रेस के पीछे), दिल्ली-54
68	सुपर बाजार शापिंग काम्पलेक्स, नं. 1, सुव्रती पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
69.	सुपर बाजार शाप नं. 1,2,3, कल्याण वास हाउसिंग काम्पलेक्स, खिचड़ीपुर दिल्ली-91
70.	सुपर बाजार शाप नं. 21 से 24, कन्वेनियेंट शापिंग सेन्टर सरस्वती बिहार (पीतमपुरा) दिल्ली।
71.	सुपर बाजार शाप नं. 16 तथा 17, सी-ब्लाक, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।

क्रम सं०	नाम व पता
72.	सुपर बाजार नेशनल थर्मल पावर, कार्पोरेशन, (बदरपुर डिवीजन) बदरपुर, नई दिल्ली-44
73.	सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, (बदरपुर डिवीजन) नई दिल्ली-44
74.	सुपर बाजार शाप नं. डी-5/1, 2, सुल्तानपुरी रो-सेटलमेंट कालोनी, मदन डेयरी बूथ के पास सुल्तानपुरी दिल्ली-44
75.	सुपर बाजार प्लाट नं. 8, कृष्णा नगर एक्सटेंशन शिव पुरी, दिल्ली-51
76.	सुपर बाजार शाप नं. 11, डीडीए शापिंग सेन्टर मस्जिद मोठ, फेज-II, नई दिल्ली
77.	सुपर बाजर 3-4, नार्थ वेस्ट मोती बाग नई दिल्ली
78.	सुपर बाजार 41, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली
79.	सुपर बाजार 9-10, ए डी ब्लाक, डीडीए शापिंग सेन्टर, शालीमार बाग, दिल्ली-33
80.	सुपर बाजार शाप नं. 6, 7 व 8, मीना बाग, (जी. एफ.) रोशनारा रोड, दिल्ली-7

1	2	1	2
81. सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र) शाप नं. 13, सी. एस. सी. स्वास्था विहार, दिल्ली		90. सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र केवल) बाड़ा हिन्दुराव व हास्पिटल पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली-7	
82. सुपर बाजार शाप नं. 2 व 4, एम ब्लाक, बोडेला (विकास पुरी) नई दिल्ली-18		91. सुपर बाजार क्वार्टर नं 22 व 23, नन्द नगरी दिल्ली-93	
83. सुपर बाजार प्लाट नं. 1333, टाइप-II तिमारपुर, दिल्ली-7		92. सुपर बाजार मोरा बाग, बाहरी रिंग रोड, दिल्ली	
84. सुपर बाजार शाप नं. 2 व 3 (बी-4) पश्चिम बिहा,र नई दिल्ली		93. सुपर बाजार एयर फोर्स स्टेशन पास, एएमएसई, रक्षा मंत्रालय, पालम नई दिल्ली	
85. सुपर बाजार एम-14, पालिका भवन, सेक्टर:XIII आर.के. पुरम, नई दिल्ली		94. सुपर बाजार (शालीमार बाग-II ब्रांच) एएल ब्लाक, शाप नं. 31, 32 शालीमार बाग, दिल्ली-33	
86. सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र) एम-14, पालिका भवन, सेक्टर-XIII, आर. के. पुरम नई दिल्ली		95. सुपर बाजार विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, शाप नं. 9, एस. यू. ब्लाक पीतमपुरा दिल्ली-34	
87. सुपर बाजार (जे एन यू-II ब्रांच) शापिंग सेन्टर, न्यू कैम्पस, जेएनयू, नई दिल्ली-67		96. सुपर बाजार शाप नं. 3, बी-2 ब्लाक लारेंस रोड, दिल्ली-35	
88. सुपर बाजार एनडीएमसी शापिंग काम्पलेक्स, तिलक लेन, नई दिल्ली		97. सुपर बाजार हाउस नं. 7, खसरा नं. 13/24 भारत नगर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली	
89. सुपर बाजार क्वार्टर नं. 1383 (ग्राउंड फ्लोर) टाइप-I, डबल स्टोरी, ब्लाक (तिमारपुर-I ब्रांच), तिमारपुर-दिल्ली		98. सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र केवल) कलावती सरन चिल्ड्रन हास्पीटल नई दिल्ली	
		99. सुपर बाजार दुकान नं 6, अलक नन्दा, कालकाजी नई दिल्ली	

1	2
100. सुपर बाजार दुकान नं 7 से 12, सी ब्लाक, (डीडीए स्लम फ्लेट्स के पास) कालकाजी नई दिल्ली	
101. सुपर बाजार दुकान नं. 4 से 8, सी एस सी नेहरू नगर, (स्लम) (आश्रम फ्लाई आवर के पास) रिंग रोड, नई दिल्ली	
102. सुपर बाजार दुकान नं. 9 व 10, सी एस सी स्वास्थ्य विहार, दिल्ली	
103 सुपर बाजार डीडीए कन्वेनियेंट शापिंग सेन्टर (डियर पार्क के सामने), हरसुख मार्ग, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	
104. सुपर बाजार डीडीए कन्वेनियेन्ट शापिंग सेन्टर मयूर विहार, मार्केट-II, दिल्ली-91	
105. सुपर बाजार सी ब्लाक, 3 ए और 4 ए, डीडीए (स्लम फ्लेट्स), तिलक विहार, नई दिल्ली	
106. सुपर बाजार ए-9ए, ए-10 ए, डीडीए स्लम फ्लेट्स (होली चाइल्ड स्कूल के पास) रघुवीर नगर, नई दिल्ली	
107. सुपर बाजार फ्लेट्स नं 111 व 113, डीडीए स्लम फ्लैट्स, सी-ब्लाक, गढ़ी (इस्ट आफ कैलाश), नई दिल्ली	

1	2
108. सुपर बाजार शाप नं. 5, डीडीए, शापिंग सेन्टर विकास कुंज, (बोडेला) बाहरी रिंग रोड) विकासपुरी, नई दिल्ली-18	
109. सुपर बाजार शाप नं. 27 व 28, डीडीए कन्वेनियेंट शापिंग सेन्टर बी-5 ब्लाक, यमुना विहार, दिल्ली	
110. सुपर बाजार शाप नं. 18 व 19, (आदर्श भवन) डीडीए शापिंग सेन्टर, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली	
111. सुपर बाजार जी.टी.बी. हास्पिटल काम्पलेक्स, शाहदरा, दिल्ली	
112. सुपर बाजार (दवाई बिक्री केन्द्र), जी.टी.बी. हास्पिटल काम्पलेक्स, शाहदरा, दिल्ली	
113. सुपर बाजार दुकान नं. 14 व 16, डीडीए कन्वेनियेंट शापिंग सेन्टर, मधुबन' दिल्ली	
114. सुपर बाजार दुकान नं. 33 व 34 डीडीए कन्वेनियेंट शापिंग सेन्टर निर्माण विहार, दिल्ली	
115. सुपर बाजार डेसू कालोनी शालीमार बाग, दिल्ली	
116. सुपर बाजार 2153-डी, बावाना रोड, नरेला दिल्ली	

1	2	1	2

117. सुपर बाजार
(केवल दवाई बिक्री केन्द्र)
सफदरजंग अस्पताल परिसर,
नई दिल्ली

118. सुपर बाजार
सीएससी, जे।ब्लाक, (जेजो-2)
विकासपुरी, नई दिल्ली-18

119. सुपर बाजार
डीडीए कम्युनिटी फेसिलिटीज,
कम्पलेक्स, बुजना हाउस,
(मटिया महल के पास),
दिल्ली-6

120. सुपर बाजार
डीडीए-सी एस सी,
मयूर विहार, फेस-II,
दिल्ली91

121. सुपर बाजार
डीडीए-सी एस सी,
आनन्द विहार, दिल्ली-92

122. सुपर बाजार
डीडीए कम्यूनिटी फेसिलिटीज
काम्पलेक्स, (प्रथम तल)
[illegible] आबाद कालोनी,
सराय रोहिल्ला, दिल्ली-7

123. सुपर बाजार
डीडीए कम्यूनिटी फेसिलिटीज
काम्पलेक्स, (भू-तल)
गली रवि दास, तेलीवाड़ा,
दिल्ली-6

124. सुपर बाजार
श्री नगर (ओंकार नगर)
दिल्ली-35

125. सुपर बाजार
डीडीए-सीएससी
शाप नं. 5, वैशाली,
पीतमपुरा, दिल्ली-34

126. सुपर बाजार
डी.ई.एस.यू. कालोनी,
(त्रिपोलिया)

127. सुपर बाजार
वसंत एन्क्लेव, डीडीए मार्किट
शाप नं. 5, नई दिल्ली

128. सुपर बाजार
कालकाजी-II, डीडीए फ्लेट्स,
डीडीए मार्किट, नई दिल्ली

129. सुपर बाजार
बदरपुर, थर्मल पावर प्रोजेक्ट
कालोनी, बदरपुर,
नई दिल्ली-44

130. सुपर बाजार
183, एम. पी. फ्लेट्स, नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली

131. सुपर बाजार
गुड़ की मण्डी, विजय नगर,
दिल्ली

132. सुपर बाजार
एयर फोर्स स्टेशन, पालम,
नई दिल्ली

"कुछकी" योजना 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के निर्माण के लिए धनराशि

1692. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या शहरी विकास मंत्री 28 मार्च 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2539 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान 640 मध्य आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण किया जाना है तथा मध्य आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत शेष लगभग 24000 व्यक्तियों के लिए फ्लैटों का निर्माण 1991-94 की अवधि में किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह से दिल्ली विकास प्राधिकरण मध्य आय वर्ग श्रेणी में पंजीकृत सभी व्यक्तियों को वर्ष 1993-94 तक निर्मित फ्लैट उपलब्ध करा सकेगा;

(ग) क्या निर्धारित तिथि/समय तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि नियत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का श्रेणी-वार निर्माण करने के लिए नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और यह राशि विगत तीन वर्षों में नियम की गई धनराशि से कम है या अधिक ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 260 मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के निर्मित किये जाने की सम्भावना हैं।

विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के निर्माणार्थ कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया गया है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पूर्व 22587 शेष मध्य आय वर्ग पंजीकृतों को फ्लैट उपलब्ध कराने का अब विचार है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1988-89 से 1991-92 तक के दौरान उधिष्ठ निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

1992-93 तथा 1993-94 के लिये बजट अनुमान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

क्र० सं० श्रेणी	करोड़ रुपयों में उधिष्ठ की गई निधियां वर्ष-वार			
	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1. स्ववित्त पोषित योजना	78.08	51.09	53.92	103.68
2. मध्यम आय वर्ग	22.07	17.11	15.96	23.42
3. निम्न आय वर्ग	19.38	14.47	12,84	11.01
4. जनता	16.39	15.41	16.54	9.24
5. मिश्रित	36.72	26.04	29.48	72.28
योग :	172.64	124.12	128.74	219.63

नवोदय विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु कार्य विधियां

1693. **श्री राम नाईक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** तारांकित प्रश्न संख्या 371 के 9 अप्रैल, 1990 को दिये गये उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु कार्य विधियां निर्धारित कर दी गई है;

(ख) क्या अब तक समीक्षा पूरी हो गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसके लिए कोई समय सीमा नियत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पुनरीक्षण हेतु मई, 1990 में एक समिति का गठन किया गया था जिसने नवोदय विद्यालय योजना का भी पुनरीक्षण किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति की सिफारिश संलग्न विवरण में दी जा रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के संक्षिप्त अंश

सिफारिशें

नवोदय विद्यालय योजना के पक्ष व विपक्ष में सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए और संकल्पना, दर्शन, अभिकल्प, कार्यान्वयन और भविष्य से सम्बन्ति योजना के सब पहलुओं पर विचार करते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार निम्नलिखित तीन विकल्पों में से किसी के बारे में भी निर्णय करे :

(1) भविष्य में कोई नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान 261 नवोदय विद्यालयों का पुनर्गठन किया जाये और पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जायें। 1992-93 के अन्त में योजना की समीक्षा की शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं :

— प्रतिभा को विकसित करने, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण, लड़कियों की शिक्षा, ग्रामीण बच्चों की भागीदारी, गति निर्धारक कार्य और बच्चों के स्थानांतरण से राष्ट्रीय एकता जैसे लक्ष्य, जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी, प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं ?

— यदि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये तो इसके क्या कारण हैं ?

* योजना का पुनर्गठन यदि किया जाए तो निम्नलिखित आधार होना चाहिए।
* विशेष प्रतिभा या रुझान की संकल्पना की परिभाषाएं फिर से की जाये ताकि चयन में समग्र, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरक योग्यताओं पर विचार किया जा सके।

- बच्चों की चयन प्रक्रिया को इतना व्यापक बनाया जाये कि ग्रामीण बच्चों में जीवन के विभिन्न गुणों की प्रतिमा शामिल की जा सके जो परम्परागत शैक्षिक विधियों द्वारा नहीं पहचानी जा सकती।
- नवोदय विद्यालयों की वर्तमान जीवन पद्धति और मूल्य अभिविन्यास को इस प्रकार बदला जाये कि स्कूल परिसर और ग्रामीण जीवन विशेषतः अल्पसुविधा-प्राप्त वर्गों के बीच अलगाव न हो सके।

(II) — सब मौजूदा 261 नवोदय विद्यालयों को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाये ताकि वे उन्हें आन्ध्र प्रदेश के नमूने पर आवासीय केन्द्रों के रूप में चला सके।

(III) — नवोदय विद्यालय योजना को एक व्यापक प्रतिभा विकास और गति निर्धारण नवोदय विद्यालय कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया जाये (सार्वजनिक स्कूल प्रणाली के अन्तर्गत नवोदय विद्यालयों के परिसर में एक-एक दिन में चलने वाला स्कूल चलाया जा सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों को बिना पारी आबंटन

1694. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्तियों, सहकारी समितियों, धर्मार्थ संगठनों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को बिना पारी भूमि आबंटित करने के लिये क्या मार्ग निर्देश अपनाये जाते हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : बिना पारी आबंटन के सम्बन्ध में वर्तमान मार्ग निर्देशों के अनुसार उपराज्यपाल, दिल्ली/उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को नितान्त अनुकम्पा, कठिनाई, शारीरिक अपगता तथा अन्य अकाट्य कारणों और परिस्थितियों के आधारों पर असाधारण मामलों में कुल आबटन का $2\frac{1}{2}\%$ की अधिकतम सीमा तक व्यक्तिगतों भूखंड/फ्लैट करने का अधिकार है।

लाभ निरपेक्ष सहकारी समितियों, धर्मार्थ संगठनों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भूमि का आबटन दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1961 के अनुसार किया जाता है तथा इस प्रकार के मामलों में बिना पारी भूमि आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

दिल्ली में पानी की कमी

1695. **श्री माधवराव सिंधिया**
श्री तारीफ सिंह : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों विशेष कर दक्षिणी दिल्ली में पानी की भारी कमी रहती है।

(ख) पूरी दिल्ली में स्वच्छ पेय जल की कुल मांग कितनी है और जोन-वार इसकी मांग तथा वास्तविक आपूर्ति कितनी है;

(ग) राजधानी दिल्ली और उसके विभिन्न जोनों में पेय जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और किन योजनाओं को लागू किया जा रहा है;

(घ) क्या प्रत्येक व्यक्ति को पेय जल की एक समान आपूर्ति की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) सामान्यतया जलपूर्ति 3 घन्टे सुबह तथा 3 घन्टे सांय को उपलब्ध है ।

दक्षिण दिल्ली की कुछ कालोनियों में जो जन वितरण लाइन के अन्तिम छोर पर हैं या ऊंचाई पर स्थित पाकेटों में, जलपूर्ति कम समय रहती है ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार ।

(ग) जलपूर्ति 18 मिलियन गैलन प्रतिदिन तक बढ़ जायेगी जब (I) बजीराबाद में 40 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के तीसरे जलशोधन संयत्र का शेष 10 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता का एकक, आरम्भ हो जायगा जो कि उपभोग किये जाने के लिए तैयार है; (II) दो रैनी कुएं, एक अलीपुर ब्लाक में तथा दूसरा बजीराबाद के समीप, गर्मी से पूर्व आरम्भ किये जाने की सम्भावना है जिससे जल पूर्ति में लगभग 5 मिलियन गैलन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी; तथा (III) 40 अतिरिक्त नलकूप लगाये गये हैं तथा 30 और नलकूपों के शीघ्र ही क्रियाशील किये जाने की सम्भावना हैं जिससे दक्षिणी दिल्ली. अनधिकृत कालोनियों तथा ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार होगा । इन नलकूपों से लगभग 3 मिलियन गैलन उत्पादन प्रतिदिन प्राप्त होने की सम्भावना है ।

विद्यमान जलाशोधस सयन्त्रों तथा रैनी कुंओं से जल उत्पादन में और बढ़ोतरी करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं ताकि उत्पादन को 505 मिलियन गैलन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सके ।

इसके अतिरिक्त जलापूर्ति में और अधिक वृद्धि के लिये निम्नलिखित परियोजनाएं आरम्भ की गयी है :—

(I) हैदरपुर में 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के दूसरे संयत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(II) नागलोई में 40 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के संयत्र का निर्माण ।

(III) अलीपुर ब्लाक में 3 रैनी कुंओं का निर्माण ।

(घ) और (ङ) जल वितरण लाइन के अन्त में स्थानों या ऊंचाई पर स्थित पाकेटों में जलापूर्ति प्रभावित होती है । जलापूर्ति का सुव्यवस्थीकरण तथा इसका सामान वितरण सुनिश्चित

करने के लिये सम्पूर्ण दिल्ली में 20 स्थानों पर भूमिगत जलाशय तथा बूस्टर पम्प स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है।

विवरण

जलापूर्ति के ब्यौरे (जोन-वार)

जोन का नाम	1990 में लाखों में मूल्यांकित जनसंख्या	जल की मूल्यांकित आवश्यकता मिलियन गैलन प्रतिदिन	विद्यमान जलापूर्ति मिलियन गैलन प्रतिदिन
1	2	3	4
सिटी जोन	5 00	30	32.00
एस. पी. जोन	5.00	30	32.00
के. बी. जोग उत्तरी पश्चिमी जोन सहित	7.00	42	40.00
सी. एल. जोन	12.00	72	80.00
शाहदरा जोन	19.50	111	75.00
पश्चिमी जोन	12.00	72	55.00
एन० डी०एस०जोन/ एस० जोन	14.00	84	65.00
ग्रामीण*	9.00	27	12.00
एन० डी०एम०सी	4 00	31	31.00
छावनी	1.30	11	13.00
योग	88.80	510	435.00

निशुल्क सार्वजनिक जल नल 25.00

योग :— 460.00

* 30 जी पी सी डी की दर से सभी प्रयोजनों सहित पानी की हिसाब लगाई गई आवश्यकता

दिल्ली में होमियोपैथिक और यूनानी अस्पताल

1616. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होमियोपैथिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कौन-सी योजनाएं/प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होमियोपैथिक तथा यूनानी अस्पताल खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिल्ली में/दिल्ली से बाहर 10 होम्योपैथिक और 2 यूनानीं औषधालय खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने का खरीद मूल्य

1697. **श्री आनन्द सिंह**
श्री माधवराव सिंधिया : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के खरीद मूल्य में इस वर्ष जनवरी में पुनः वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा रहा है । सरकार ने 8.5% की रिकवरी पर गन्ने का प्रति क्विंटल सांविधिक न्यूनतम मूल्य चीनी मौसम 1990.91 के लिए 23/- रुपये और चीनी मौसम 1991--92 के लिए 24/- रुपये निर्धारित किया है । सरकार ने इन मूल्यों की नवम्बर, 1990 में घोषणा की थी । उसके बाद इन मूल्यों में संशोधन नहीं किया गया है ।

चीनी का उत्पादन

1698. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन का वर्षवार ब्योरा क्या है।

(ख) क्या सरकार चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस लिए क्या नीति अपनाई गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

चीनी वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1987-88	91-10
1988-89	87-52
1989-90	109-89
1990-91	61-58

(15-2-91 तक)
(अनतिम)

(ख) और (ग) सरकार ने चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें न्यूनतम सांविधिक गन्ना कीमत में वृद्धि, अगले मौसम के लिए न्यूनतम सांविधिक गन्ना कीमत की अग्रिम घोषणा, जल्दी पेराई के लिए उच्चतर खुली बिक्री के रूप में प्रोत्साहन, चीनी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण/पुन: स्थापना एवं गन्ना विकास योजनाओं के लिए भी चीनी विकास निधि से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

नगर पालिकाओं को भंग करना

1699. श्री मदनलाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने नगर निगमों और नगर पालिकाओं को भंग करने के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में तथा दिल्ली में भंग नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव शीघ्र कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भंग नगर पालिकाओं और नगर नियमों का ब्यौरा क्या है और वे कब से भंग पड़ी है; और

(घ) इन भंग लोक निकायों के चुनाव कब तक होंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) देश में भंग की गई नगर पालिकाओं और निगमों के चुनाव कराने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। जहां तक, दिल्ली नगर निगम के चुनावों का संबन्ध है, ये दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक. नगर पालिका चुनाव कराने की तिथि के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) 16-1-1-90 की उपलब्धता के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

16-1-1990 की स्थिति के अनुसार भंग हुई नगर पालिकाओं/निगमों की सूची

बिहार सरकार

	नगर निगम का नाम	भंग होने की तारीख
1	2	3
1.	बाढ़ा	22-5-1989
2.	टेकारी	31-2 "
3.	मधवानी	29-5 "
4.	कहलगांव	5-6 "
5.	फंबीश गंज	27-5 "
6.	चैंवासा	14-4 "
7.	खगड़िया	5-8 "
8.	वध	20-2-1989
9.	खगोल	29-2 "
10.	दानापुर	29-2 "
11.	मुकामा	28-9-1988
12.	विहार	—वही—
13.	डुमराव	25-2-1989
14.	बक्सर	—वही—
15.	भगवा	30-7-1989
16.	दिहारी दलमियां	29-2 "
17.	जहानाबाद	31-1-1990
18.	दाउद नगर	6-4-1989
19.	सीतामणि	9-7 "
20.	मुंगेर	10-3 "
21.	जमालापुर	22-7 "

1	2	3
22.	लखीसराय	4-3-1989
23.	जुमाई	3-3 "
24.	बड़िया	—वही—
25.	शेखपुरा	2-3-1989
26.	साहबगंज	24-3 "
27.	सापौल	8-5 "
28.	माधेपुरा	28-2 "
29.	डालटन गंज	20-2 "
30.	चक्रधर पुर	27-2 "
31.	जुकसलाई	29-2 "
32.	नवादा	15-10 "
33.	समस्तीपुर	13-11 "
34.	बांका	10-2 "
35.	पाकुड़	15-7 "
36.	पुनिया	29-12 "
37.	किशनगंज	9-12 "
38.	कटिहार	6-11 "

मध्य प्रदेश सरकार

क्रम सं०	नगर निगम का नाम	भंग होने की तारीख
1	2	3
	जिला सागर	
1.	सागर	12-8-87
2.	जबलपुर	22-4-83
3.	उज्जैन	10-5-80
4.	इन्दौर	25-3-87
5.	बिलासपुर	4-9 "
6.	भोपाल	25-3 "
7.	ग्वालियर	4-8 "
8.	बुरहानपुर	2-8 "
9.	दुर्ग	9-8 "
10.	रायपुर	26-2-85
11.	रीवा	1-1-81
12.	रतलाम	—वही—

1	2	3
13.	कटनी	1-1-81
14.	खण्डवा	—वही—
15.	सतना	26-1-81
16.	देवास	14-6-82
17.	राजनांद गांव	5-9-83
	जिला ग्वालियर	
1.	डबरा	1-3-88
2.	माडेर	9 ,,
3.	पिछोर	1 ,,
4.	विलोआ	1-11
5.	आतंरी	11-3-87
6.	मितरवार	31-3-87
	जिला भिंड	
7.	भिण्ड	13-3-87
8.	गोहद	17-2-88
9.	मेहगांव	17-2-79
10.	लहार	4-10-87
11.	गोरमी	9-10-87
12.	अकोड़ा	14-10-88
13.	मिहोमा	28-11 ,,
14.	आलमपुर	29 ,,
15.	दबोह	28 ,,
16.	मौ	22-1-84
17.	फूफकला	27-3-87
	जिला मुरैना	
18.	मुरना	5-7-81
19.	श्योपूरकला	29-8-86
20.	अम्बाह	1-1-83
21	सबलगढ़	1-3-88
22.	जौरा	14-2-83
23.	बिजयपुर	9-3-83
24.	बामोर	11-2-88

1	2	3
25.	कैलारस	21-7-88
26.	बदोदा	11-9-83
27.	झुण्डेपुरा	15-10-84
28.	पारेसा	2-5-85
	जिला शिवपुरी	
29.	शिवपुरी	1-3-88
30.	करेरा	27-1-83
31.	बिजरौनी	1-1-87
32.	कोलारस	2-9-87
33.	खानियाधाना	1-10-85
34.	पिछोर	9-9-86
35.	बदरवास	—वही—
	जिला गुना	
36.	गुना	12-2-88
37.	अशोकनगर	25-3-87
38.	चाचोड़ाबीनागंज	24-6-87
39.	ईसागढ़	17-1-85
40.	कुम्भराज	1-7-87
41.	चंदेरी	16-11-84
	जिला दतिया	
42.	दतिया	26-9-88
43.	सेवढ़ा	18-7-84
44.	इन्दरगढ़	2-8-87
	जिला इन्दौर	
45.	देपालपुर	25-4-87
46.	सावेर	9-10-87
47.	महूगांव	2-7-86
48.	गौतमपुरा	25-3-85
49.	बेटमा	22-12-86
50.	राऊ	20-4-84
51.	हातौद	1-10-83
52.	मानपुर	3-4-87

1	2	3
	जिला धार	
53.	धार	22-2-88
54.	सरदारपुर राजगढ़	1-3-88
55.	मानावर	6-3-83
56.	कुक्षी	23-2-88
57.	बदनावर	1.4. "
58.	धरमपुरी	19-2- "
59.	धामनोद	16-6-82
	जिला झाबुआ	
60.	झाबुआ	10-2-88
61.	जोबट	—वही—
62.	अलीराजपुर	9-2-88
63.	थादला	10-2-88
64.	पेटलावद	—वही—
65.	भावरा	17-3-87
	जिला खरगोन	
66.	खरगौन	19-2-88
67.	सनावद	20-1-85
68.	सेंधवा	17-8-83
69.	बड़वाह	21-2-86
70.	बड़वानी	9-5-88
71.	अंजड	16-8-85
72.	मण्डलेश्वर	17-2-88
73.	कसरावद	22-2-86
74.	भीकनगांव	26-2-88
75.	राजपुर	22-3-88
76.	खेतिया	18-8-83
77.	पानसेमल	24-9-84
	जिला खण्डवा	
78.	शाहपुर	1-10-87
79.	हरसूद	19-7-83
80.	मुंदी	12-11-84

1	2	3
	जिला उज्जैन	
81.	बड़नगर	7-10-87
82.	खाचरोद	1-10-82
83.	महिदपुर	28-2-88
84.	तराना	26-2-88
85.	नागदा	—वही—
86.	उन्हेल	5-10-88
	जिला रतलाम	
87.	जावरा	19-10-88
88.	सोलाना	28-2-88
89.	ताल	8-9-87
90.	आलोट	29-2-88
91.	नामली	16-8-85
92.	बड़ावदा	30-7-87
93.	पिपलोदा	7-9-86
	जिला मंदसौर	
94.	मन्दसौर	15-2-88
95.	नीमच	17-2-88
96.	रामपुरा	3-11-85
97.	मनासा	19-3-85
98.	सीमाऊ	15-2-88
99.	गरोठ	6-2-86
100.	पिपलियामन्डी	28-2-87
101.	नारायणगढ़	17-2-88
102.	मल्हारगढ़	28-3-85
103.	जावद	10-2-88
104.	शामगढ़	17-2-88
105.	भानपुरा	15-2-88
106.	नगरी	18-2 "
107.	जीरन	24-8-87
108.	रतनगढ़	30-8 "
109.	सिंगोलर	8-2 "
110.	डिकेन	30-9-87

1	2	3
	जिला देवास	
111.	कन्नौद	26-8-87
112.	सोनकच्छ	18-2-88
113.	खातेगांव	24-2-88
114.	बागली	12-3-79
115.	भौरासा	21-2-88
116.	करनावद	28-2-86
117.	काटाफोड़	13-3-87
118.	लोहरदा	—वही—
	जिला शाजापुर	
119.	शाजापुर	16-2-89
120.	आगर	29-2-88
121.	शुजालपुर	1-9-87
122.	नलखेड़ा	—वही—
123.	मक्सी	2-10-87
124.	बड़ौद	13-8-86
125.	कानड़	22-10-87
126.	अकोदिया	24-3-85
127.	ससनेर	29-2-88
128.	सोयतकलां	31-7-87
129.	बड़ागांव	31-12-87
130.	पेलायकलां	16-3-87
	जिला भोपाल	
131.	बैरसिया	3-10-87
	जिला सीहोर	
132.	सीहोर	25-2-88
133.	इछावर	20-5-86
134.	आष्टा	18-4-87
135.	जावर	29-6-85
136.	बुधनी	10-6-85
137.	नयकुल्लागंज	15-7-87
138.	रेहटी	11-2-87

1	2	3
	जिला रायसेन	
139.	रायसेन	18-7-83
140.	बरेली	30-11-82
141.	बाड़ी	22-2-88
142.	ओबेदुल्लागंज	15-7-86
143.	उदयपुरा	1-3-86
144.	सुल्तानपुर	25-11-87
	जिला विदिशा	
145.	विदिशा	7-5-84
146.	गंजबासौदा	26-2-83
147.	करवाई	4-8-83
148.	सिरोज	1-1-83
	जिला होशंगाबाद	
149.	होशंगाबाद	30-1-83
150.	सिवनी मालवा	23-9-87
151.	सोहागपुर	1-3-88
152.	इटारसी	12-2-88
153.	टिमरनी	22-6-85
154.	खिरकिया	16-9-85
155.	बाबई	23-1-87
156.	पिपरिया	1-1-87
	जिला बेतूल	
157.	बेतूल	14-9-82
158.	मुलताई	1-4-83
159.	बेतूलबाजार	1-3-88
160.	आमला	28-1-83
161.	सारणी	1-4-85
162.	भैसदेही	19-7-38
	जिला राजगढ़	
163.	राजगढ़	7-12-85

1	2	3
164.	ब्यावरा	2-5-87
165.	औरापुर	1-5-86
166.	खिलचीपुर	18-2-88
167.	नरसिंहगढ़	29-2-88
168.	सारंगपुर	18-2-88
169.	तलेन	16-8-84
170.	बोडा	8-7-86
171.	सुजनेर	18-2-86
172.	पचोर	2-12-85
	जिला सागर	
173.	देवरी	26-8-82
174.	बीनाइटावा	12-3-83
175.	खुरई	12-10-85
176.	गढ़ाकोटा	6-5-87
177.	रेहली	26-11-81
178.	राहतगढ़	15-2-83
179.	बंडा	5-1-81
180.	शाहपुर	1-4-86
181.	शाहगढ़	8-4-87
	जिला दमोह	
182.	दमोह	26-7-86
183.	हट्टा	2-10-85
184.	तेन्दखेड़ा	13-1-87
185.	पथरिया	21-3-85
	जिला पन्ना	
186.	पन्ना	18-3-83
187.	अमानगंज	6-10-84
188.	देवेन्द्रनगर	31-8-85
189.	अजयगढ़	3-1-86
190.	ककरहटी	16-4-86
191.	पवई	1-11-85
	जिला छतरपुर	
192.	नौगांव	10-2-88
193.	महाराजपुर	—वही—

1	2	3
194.	बिजावर	7-2-88
195.	गढ़ीमल्हरा	6-8-84
196.	बकस्वाह	28-12-84
197.	चन्दला	20-7-85
198.	घुवारा	1-2-86
199.	बड़ामल्हरा	17-7-85
200.	हरपालपुर	25-1-85
201.	लोढ़ी	9-1-85
202.	बारीगढ़	3-10-87
303.	सटई	1-4-87

जिला टीकमगढ़

204.	टीकमगढ़	14-4-79
205.	बल्देवगढ़	25-10-84
206.	खरगापुर	1-8-85
207.	पलेरा	—वही—
208.	जिरोनखालसा	1-10-85
209.	तरीचरकला	17-7-86
210.	कारी	16-6-87
211.	लिधौराखास	2-4-85
212.	बड़ागांव	24-6-87

जिला जबलपुर

213.	सिहोरा	4-12-87
214.	पनागर	24-1-88
215.	कटंगी	25-11-87
216.	शाहपुरा	31-7-85
217.	बरेली	31-3-85
218.	बरही	23-7-85
219.	कैमोर	23-7-85
220.	पाटन	13-7-84
221.	मझोली	23-1-79
222.	विजयराघवगढ़	31-3-86

1	2	3
	जिला बालाघाट	
223.	बालाघाट	10-1-83
224.	बारासिवनी	22-2-88
225.	कटगी	28-2-88
226.	बेहर	16-5-81
	जिला छिन्दवाड़ा	
227.	छिन्दवाड़ा	12-5-79
228.	हर्रई	27-3-87
229.	पांढुरना	4-9-87
230.	सौसर	31-8-87
231.	जामाई	30-2-88
232.	न्यूटनचिखाली	3-6-85
233.	अमरवाड़ा	17-7-85
234.	चाँदमटोबुटारिया	20-10-85
235.	चौरई	21-11-87
236.	मोहगाँव	31-8-87
237.	लोधी खेड़ा	3-9-87
	जिला नरसिंहपुर	
238.	नरसिंहपुर	2-8-74
239.	गाडरवारा	21-2-79
240.	गोटेगांव	6-10-82
241.	करेली	10-3-80
	जिला सिवनी	
242.	सिवनी	23-4-79
243.	बरघाट	22-7-85
	जिला मण्डला	
244.	मण्डला	31-3-83
245.	नैनपुर	1-12-87
246.	बेम्हनीबंजर	1-10-85
247.	शाहपुरा	29-8-85
248.	डिण्डौरी	27-6-85

1	2	3
	जिला रीवा	
249.	मऊगंज	8-4-85
250.	हनूमना	4-4-85
251	गोविन्दगढ़	31-7-86
252.	नईगढ़ी	25-11-84
253.	सिरमौर	1-11-85
254.	गुढ़	1-9-87
	जिला सीधी	
255.	सीधी	1-1-83
	जिला सतना	
256.	मैहर	1-11-84
257.	नासोद	3-9-87
258.	उचेहरा	1-12-84
	जिला शहडोल	
259.	शहडोल	3-10-85
260.	जैतहरी	27-2-88
261.	उमरिया	15-1-85
262.	बुढ़ार	29-1-86
263.	धनपुरी	9-9-85
264.	चंदीया	9-9-77
265.	पसान	9-1-86
266.	बिजुरी	7-4-84
267.	जैसिंहनगर	12-6-87
268.	खाण्ड	10-2-87
	जिला रायपुर	
269.	धमतरी	25-7-87
270.	भाटापरा	29-10-87
271.	महासमुन्द	29-2-88
272.	गोबरानवापारा	26-2-88

1	2	3
273.	बालोदाबाजार	19-2-88
274.	आरंग	
275.	सिमगा	2-6-86
276.	सरायपाली	6-3-86
277.	कुरूद	21-4-86
278.	भटेगांव	1-1-87
279.	पिथौरा	1-2-87
	जिला दुर्ग	
280.	बेमेतरा	19-3-84
281.	बालोद	9-7-84
282.	धमधा	15-1-87
283.	पाटन	1-4-87
285.	अहिरवारा	9-2-87
		21-1-87
	जिला बस्तर	
286.	जगदलपुर	30-1-88
287.	कांकेर	—वही—
288.	कोण्डागांव	28-2-88
	जिला राजनांदगांव	
289.	खैरागढ़	9-2-83
290.	कवर्धा	13-5-87
291.	डोंगरगढ़	19-2-83
292.	छुईखदान	5-11-84
293.	गंडई	29-3-86
294.	अम्बागढ़चौकी	16-4-87
	जिला बिलासपुर	
295.	मुंगेली	23-3-85
296.	चांपा	
297.	रतनपुर	9-2-88
298.	शिवरी नारायण	30-12-87
299.	लोरमी	5-3-85
300.	अकलतरा	1-2-85

1	2	3
301.	नयाबाराद्वार	17-8-85
302.	कटघोरा	1-8-85
303.	बालोद	26-10-84
304.	खरोद	10-9-86
305.	पंडरिया	6-5-87
306.	बोदरी	6-9-88
307.	बिल्हा	6-9-88
	जिला रायगढ़	
308.	सारगढ़	17-2-88
309.	रायगढ़	15-5-87
310.	गरसिया	8-11-85
311.	जशपुरनगर	13-7-87
312.	धर्मजयगढ़	1-4-85
313.	घरघोड़ा	1-4-87
314.	पत्थलगांव	1-4-85
	जिला सरगुजा	
315.	अम्बिकापुर	29-2-88
316.	मनेन्द्रगढ़	5-3-83
317.	रामानुजगंज	5-3-88
318.	बैकुंठपुर	12-9-85
319.	सुरजपुर	16-7-85
320.	झगराखण्ड	27-1-86
321.	मुंगावली (गुना)	31-8-89

पंजाब सरकार

नगरपालिकायें — भंग होने की तारीख

1	2	3
1.	पटियाला	16-11-1985
2.	गोबिन्दगढ़	—वही—
3.	नाभा	—वही—
4.	डेरा बस्सी	—वही—
5.	बस्सी पथाना	—वही—

1	2	
6.	समाना	16-11-1985
7.	अमलोह	—वही—
8.	सरहिन्द	—वही—
9.	बनूर	—वही—
10.	सानूर	—वही—
11.	बरनाला	—वही—
12.	मालेरकोटला	—वही—
13.	संगरूर	—वही—
14.	सेनाम	—वही—
15.	अहमदगढ़	—वही—
16.	धूरी	—वही—
17.	धनोला	—वही—
18.	मेहरगागा	—वही—
19.	भवानीगढ़	—वही—
20.	तापा	—वही—
21.	लोंगोवाल	—वही—
22.	नकोदर	—वही—
23.	करतारपुर	—वही—
24.	नवांशहर	—वही—
25.	नूरमहल	—वही—
26.	बंगा	—वही—
27.	रहों	—वही—
28.	अलावलपुर	—वही—
29.	अदमपुर	—वही—
30.	फिल्लौर	—वही—
31.	होशियारपुर	—वही—
32.	उड़मुड़ टांडा	—वही—
33.	मुकेरियन	—वही—
34.	हरियाना	—वही—
35.	गरहदीवाला	—वही—
36.	शाम चौरसिया	—वही—
37.	ग्रह शंकर	—वही—
38.	सुल्तानपुर लोधी	—वही—
39.	खन्ना	—वही—
40.	जगराव	—वही—

1	2	3
41.	राजकोट	—16-11-1985
42.	समराला	—वही—
43.	डूरहा	—वही—
44.	पायल	—वही—
45.	रोपड़	—वही—
46.	मूरिंदा	—वही—
47.	खरार	—वही—
48.	कूराली	—वही—
49.	आनन्दपुर साहिब	—वही—
50.	पट्टी	—वही—
51.	तरन तारन	—वही—
52.	जंदीयाला	—वही—
53.	मजीठा	—वही—
54.	रामदास	—वही—
55.	बटाला	—वही—
56.	पठानकोट	—वही—
57.	गुरदासपुर	—वही—
58.	दीना नगर	—वही—
59.	क्वाडियन	—वही—
60.	धारीवाल	—वही—
61.	सुज्जानपुर	—वही—
62.	श्री हरगोविन्दपुर	—वही—
63.	डेरा बाबा नानक	—वही—
64.	फतेहगढ़ चूरियन	—वही—
65.	फिरोजपुर	—वही—
66.	जलालबाद	—वही—
67.	फजिल्का	—वही—
68.	धरमकोट	—वही—
69.	जीरा	—वही—
70.	गुरु हर साहारा	—वही—
71.	तलबन्डी माई	—वही—
72.	मोगा	—वही—
73.	कोटकपुरा	—वही—
74.	फरीदकोट	—वही—
75.	मुक्तसर	—वही—

1	2	3
76.	गिद्दड़बाहा	16-11-1985
77.	भटिण्डा	—वही—
78.	मन्सा	—वही—
79.	रामपुराफूल	—वही—
80.	रमन	—वही—
81.	मौर	—वही—
82.	बुधालदा	—वही—
83.	संगत	—वही—
84.	बरेटा	—वही—
85.	गोनियाना	—वही—
86.	बूचो मन्डी	—वही—
87.	कोटफट्टा	—वही—
88.	अबोहर	31-10-1984
89.	उसूया	16-11-1985
90.	कपूरथला	(माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 7-8-89 के आदेशों के अधीन कपूरथला नगर-पालिका भंग हो गई तथा प्रशासक ने 17-8-89 को कार्य-भार सम्भाल लिया।)
91.	मालौट	17-6-1988
92.	फगवारा	13-3-1981
93.	भादौर	18-6-1980
94.	राजपुरा	20-6-1980
95.	जयतू	21-12-1982

जम्मू तथा कश्मीर सरकार

(नगरपालिका)

1	2
1.	श्रीनगर
2.	जम्मू
	(टाउन एरिया कमेटी)
4.	अन्नतनाग
5.	बारामूला

1	2
6.	सोपोरे
7.	उधमपुर
8.	कठुआ
अधिसूचित क्षेत्रीय समितियां	
9.	अचवल
10.	बीजबेहरा
11.	कोकरनाग
12.	मट्टान
13.	पहलगाम
14.	बवेजीगंग
15.	कुलगाम
1′.	पुलवामा
17.	डोकछ-वेरीनाग
18.	शापियन
19.	पम्पोर
20.	ट्राल
21.	खरेऊ
22.	अवान्तीपोर
23.	गन्डेरबल
24.	वदगाम
25.	चारीशरीफ
26.	बीरवाह
27.	म-ग-म
28.	खानसाहिब
29.	कुंजेर
30.	बन्दीपुरा
31.	पट्टन
32.	गुलसर्ब
33.	यूरि
34.	सम्बल
35.	हजान
36.	कूपवारा
37.	हुरदवारा
38.	लेह

1	2
39.	कारगिल
40.	डोडा
41.	किस्तवार
42.	भदरवाह
43.	बानीहल
44.	रामबन
45.	बटोटे
46.	राम नगर
47.	रियासी
48.	कटरा
49.	चेनानी
50.	राजौरी
51.	थन्नामण्डी

राजस्थान सरकार

	नगर परिषदों के नाम	भंग होने की तारीख
1	2	3
1.	अजमेर	11-12-1973
2.	ब्यावर	—वही—
3.	किशनगढ़	—वही—
4.	अलवर	—वही—
5.	बाड़मेर	16-12-1986
6.	बिकानेर	11-12-1973
7.	भीलवाड़ा	20-10-1973
8.	भरतपुर	11-12-1973
9.	चूरू	—वही—
10.	श्री गंगा नगर	—वही—
11,	हनुमानगढ़	16-12-1986
12.	जयपुर	11-12-1973
13.	जोधपुर	17-12-1986
14.	कोटा	11-12-1973
15.	पाली	—वही—

1	2	3
16.	सवाई माधोपुर	16-2-1986
17.	सीकर	—वही—
18.	टोंक	—वही—
19.	उदयपुर	—वही—
20.	बलोत्रा	—वही—
21.	बनासवाड़ा	—वही—
22.	बूंदी	—वही—
23.	चित्तौड़गढ़	6-8-1977
24.	प्रतापगढ़	16-2.1986
25.	सुजानगढ़	—वही—
26.	रतनगढ़	—वही—
27.	सीरदारशहर	5-8-1977
28.	धौलपुर	16-2-1986
29.	डुंगरपुर	—वही—
30.	रायसिंह नगर	—वही—
31.	जैसलमेर	—वही—
32.	जालौर	16-2-1986
33,	झालवाड़	—वही—
34.	झुनझुनु	11-12-1973
35.	नवलगढ़	16-2-1986
36.	बारन	—वही—
37.	नागौर	—वही—
38.	लाडनू	—वही—
39.	मेरठासिटी	—वही—
40.	हिण्डौन	—वही—
41.	गंगापुर	—वही
42.	करौली	—वही—
43.	फतहपुर	—वही—
44.	सिरोही	—वही—
45.	आबु रोड	—वही—
46.	माऊंट आबु	16-7-1985
पालिका बोर्ड		
47.	केकड़ी	21-10-1977
48.	पुष्कर	—वही—

1	2	3
49.	सरवाड़	3-10-1977
50.	विजय नगर	5-8-1977
51.	खैरथल	5-10-1977
52.	खेड़ली	16-2-1986
53.	राजगढ़	—वही—
54.	खुशालगढ़	—वही—
55.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	—वही—
56.	बयाना	12-2-1986
57.	डीग	162-1986
58.	कामा	—वही—
59.	नढबाई	—वही—
60.	लाखेरी	—वही—
61.	खसरीपाटन	—वही—
62.	लिम्बाहारा	—वही—
63.	डूंगरगढ़	16-2-1986
64.	रायगढ़ (चूरू)	—वही—
65.	बारी	—वही—
66.	नोहार	—वही—
67.	अनूपगढ़	—वही—
68.	भादरा	—वही—
69.	गंगसिंहपुर	—वही—
70.	पदमपुर	—वही—
71.	कशाईसिंहपुर	—वही—
72.	संग्रारिया	—वही—
73.	सदूल शहर	—वही—
74.	शजीकरनपुर	—वही—
75.	सेरालगढ़	—वही—
76.	श्री विजय नगर	—वही—
77.	पीली बंगा	—वही—
78.	दौसा	—वही—
79.	सांभर	—वही—
80.	चौमू	5-8-1977
81.	अमेर	—वही—
82.	बांदीकुई	—वही—
83.	भीनमल्ल	16-2-1986

1	2	3
84.	कोटपुतली	16-2-1986
85.	चाकसू	—वही—
86.	भवानी मंडी	—वही—
87.	झालरापाटन	—वही—
88.	सूने	—वही—
89.	फलोदी	—वही—
90.	पीपड़	—वही—
91.	बिलार	—वही—
92.	छिरावा	—वही—
93.	रामगंज मण्डी	—वही—
94.	कूचामान	—वही—
95.	डीडवाणा	—वही—
96.	परवास्तसर	—वही—
97.	मकराना	—वही—
98.	सोजाट	—वही—
99.	लक्ष्मीगढ़	—वही—
100.	रामगगढ़	—वही—
101.	श्री मोहपुर	—वही—
102.	निवाई	—वही—
103.	देवली	—वही—
104.	नाथवाड़ा	17-2-1986
105.	राजासमन्द	5-12-1977
106.	फतह नगर	5-10-1977
107.	अमेट	—वही—
108.	तीजारा	16-2-1986
109.	बिहोड़	—वही—
110.	सिवाना	—वही—
111.	सामदरी	—वही—
112.	दशनोक	16-2-1986
113.	नोखा	—वही—
114.	गंगापुर	—वही—
115.	गहाजपुर	—वही—
116.	मंडल	5-8-1977
117.	असिंद	16-2-1986
118.	मंडलगढ़	13-9-1985

1	2	3
119.	गुलाबपुरा	13-9-1985
120.	वेर	16-2-1986
121.	कामूहेर	—वही—
122.	मूसावर	—वही—
123.	नगर	—वही—
124.	नेक्षा	—वही—
125.	कापरेन	—वही—
126.	छोटी सादड़ी	—वही—
127.	बड़ी सादड़ी	—वही—
128.	कपासन	—वही—
129.	बेगम	—वही—
130.	छापर	—वही—
131.	बिदेसर	—वही—
132.	राजेलदेसर	—वही—
133.	रतन नगर	—वही—
134.	तारा नगर	3-10-1977
135.	राजाखड़ा	16-2-1986
136.	सागवाड़ा	—वही—
137.	रावस्तंसर	—वही—
138.	फुलेरा	—वही—
139.	सांगानेर	—वही—
140.	जोबनेर	—वही—
141.	नारायणा	—वही—
142.	लालसोट	—वही—
143.	शाहपुरा	17-2-1986
144.	मनोहर पुर	16-2-1986
145.	विराट नगर	—वही—
146.	बसवा	—वही—
147.	बागरू	—वही—
148.	किशनगढ़ रेनवाल	24-5-1982
149.	पोकरन	16-2-1986
150.	सनचोटे	—वही—
151.	पिराबा	—वही—
152.	अकलेड़ा	—वही—

1	2	3
153.	बिसाऊ	16-2-1986
154.	बागड़	—वही—
155.	खेतड़ी	—वही—
156.	मंडवा	—वही—
157.	मुकन्दगढ़	— वही—
158.	पिलानी	— वही—
159.	सुरजगढ़	—वही—
160.	उनदाइपुरवती	—वही—
161.	विद्याबिहार	—वही —
162.	छाबड़ा	—वही—
163.	इन्द्रगढ़	—वही—
164.	मंगसेल	—वही—
165.	संगोद	—वही—
166.	छीपाबरोद	--वही—
167.	अन्ता	—वही—
168.	कैथून	4-2-1987
169.	नावा	16-2-1986
170.	कुछेड़ा	वही—
171.	मुंडवा	—वही—
172.	सबरी	—वही—
173.	बाली	—वही—
174.	तखपगढ़	—वही—
175.	सुनेरपुर	—वही—
176.	निमाज	—वही—
177.	जैतारान	—वही—
178.	रायपुर	—वही—
179.	फालना	
180.	रानी	
181.	टोड़ाभीम	—वही—
182.	नीम का थाना	—वही—
183.	खन्डेला	—वही—
184.	रींगस	—वही—
185.	लोसल	— वही—
186.	शिवजंग	— वही—
187.	पिंडवाड़ा	—वही—

1	2	3
188.	मालपुरा	16-2-86
189.	टुडरिया सिंह	—वही—
190.	पुनियारा	—वही—
191.	भिंडेर	3-10-1977
192.	देवगढ़	—वही—
193.	कन्नोड	5-8-1977
194.	शालुम्बर	5-10-1977
195.	भिवाडी	
196.	गलीकोट	
197.	मेवाड जंगशन	1-12-1986

राजस्थान

नगर पालिकायें

1.	मलोतारा	14.	झुनझुनू
2.	बांसवाड़ा	15.	नवलगढ़
3.	बूंदी	16.	खारन
4.	चित्तौड़गढ़	17.	नागौर
5.	प्रतापगढ़	18.	लबनू
6.	सुजानगढ़	19.	मिराटा सीटी
7.	सरदार सार	20.	गंगा पुर
8.	रतन गढ़	21.	करोली
9.	धौलपुर	22.	हिदौन
10.	डुंगरपुर	23.	फतेहपुर
11.	राय सिंह नगर	24.	सिरोही
12.	जयलौर	25.	आबूरोड
13.	झालवाड़	26.	माऊंट आबू

उड़ीसा सरकार

नगरपालिका नाम भंग होने की तारीख

1	2	3
1.	कटक	22-5-81
2.	चौधवार	27-8-87
3.	पारलखमुंडी	28-7-87

1	2	3
4.	बीरमित्रापुर	6-8-86
5.	भुवनेश्वर	14-4-79 (गठन की तारीख)
अधिसूचित क्षेत्रीय समिति		
6.	आनन्दपुर	16-6-88
7.	मांजानगर	16-11-87
8.	बेलागुठा	19-10-87
9.	कोरापुट	1-3-82
10.	हीराकुंड	16-4-88
11.	बौधगढ़	14-6-89 (गठन की तारीख)
12.	पारादीप	29-7-79
13.	पारादीप पास्फैट	27-12-85
14.	पट्टीकुंडाई	8-12-88
15.	कोनार्क	10-2-84
16.	खांडापाडा	14-8-89
17.	नीलागिरी	24-2-84
18.	बुर्ला	31-3-62
19.	कामाख्या नगर	28-12-79
20.	राउरकेला	17-6-63
21.	कोडला	20-10-74
22.	गंजम	16-9-86
23.	बालूगांव	10-9-82
24.	सुनाबेडा	1-11-65
25.	मलान गिरी	1-12-74
26.	बालीमाला	10-2-84
27.	जी० उदयगिरि	28-12-79

मणिपुर सरकार

(लघु नगर समिति)		भंग होने की तारीख
1.	सामूरू	19-9-1989
2.	थांगकांग लक्ष्मी बाजार	20-9-1989
3.	वांगोई	—वही—
4.	लीलांग इम्फाल (पश्चिमी)	19-9-1989

1	2	3
5.	सेठमाई	18-9-1989
6.	कुम्बी	2-11-1988
7.	क्वाक्ता	5-11-1988
8.	वांगजिंग	27-11-1989
9.	मेयांग इम्फाल	28-9-1989
10.	लीलांग थोबल	28-11-1989
11.	सुगनू	27-11-1989
12.	काकचिंग खूनू	27-2-1990
13.	हीराक	28-11-1989
हरियाणा सरकार (नगरपालिका का नाम)		
1.	गुड़गांव	20-7-1973
2.	थानेश्वर	—वही—
3.	डाबवाली	—वही—
4.	कलावाली	—वही—
5.	रिवाड़ी	—वही—
6.	एच०एम०टी० पिन्जौर	—वही—
		30-8-1988 और 26-2-1989 को दो बार चुनाव के प्रयास किए गए, परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से सम्पन्न नहीं हो सके। इसको भंग करना विचाराधीन है।
केरल		
1. परावूर नगर पालिका		यह एक नवगठित नगर पालिका है जिसमें चुनाव नहीं किये गये हैं क्योंकि क्षेत्रों का निर्धारण पूरा नहीं किया गया है।
आंध्र प्रदेश		
1. कोरतल्ला नगर पालिका		इस नगर पालिका का गठन 1-6-1988 को किया गया है।
पांडिचेरी केन्द्र शासित क्षेत्र		
1.	पांडिचेरी	31-3-1978
2.	करायकल्ली	—वही—
3.	माहे	—वही—
4.	यमन	—वही—
त्रिपुरा सरकार		
1.	अगरतला	10-2-1988

1	2	3
पश्चिम बंगाल सरकार		
1.	कालीपोगं	
मेघालय सरकार		
1.	शिलांग	1-7-1973
2.	तूरा	18-6-1982
महाराष्ट्र सरकार		
1.	रिषोढ़, 2. सिरड़ी	नवगठित
3.	श्रीगोंडा, 4. सिलोड़	—वही—
5.	नालासोपारा, 6. ब्रह्मपुरी	यह नगर परिषदें गैर चुनी हुई संस्थाएं है क्योंकि वह नवगठित हैं।
		भंग
7.	मलकापुर नगर परिषद	यह नगर परिषद है। इसका पिछला चुनाव 24 अप्रैल, 1985 को सम्पन्न हुआ था।
तमिलनाडु सरकार		भंग की तारीख
1.	मद्रास नगर निगम	30-11-1973 चुनाव नहीं हुआ
2.	मदुरई नगर निगम	29-7-1-83 —वही—
3.	कोयम्बतूर नगर निगम	1-5-1981 —वही—
हिमाचल प्रदेश सरकार		
1.	बिलाहपुर नगर	दिसम्बर, 1978
2.	धर्मशाला	3-8-1989
3.	पौटासाहिब	15-2-1981
4.	सोलन	2-7-1981
उत्तर प्रदेश शासन		
1.	मवाना नगर पालिका बोर्ड	पिछला चुनाव 1971 में हुआ था और 1977 में भंग हुआ
2.	नवाबगंज नगर पालिका	
3.	गाजिपुर टाउन एरिया कमेटी	
4.	इलम	
5.	धमर	
6.	ओबरा	
7.	लक्सर	
8.	शक्तिगढ़	नवगठित टाउन ऐरिया चुनाव कानूनी पेचीदगियों तथा अन्य औपचारिकताओं के पुरी न होने कारण चुनाव सम्पन्न नहीं किये जा सके।
9.	बाँसगाँव	
10.	हुरईया	

बरेली, उत्तर प्रदेश के लिए चीनी मिलें

[हिन्दी]

1701. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के नवाबगंज और मीरगंज में चीनी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जिला बरेली उत्तर प्रदेश के नवाबगंज और मीरगज में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए खाद्य विभाग में 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	शर्करा निदेशालय में आवेदन पत्र प्राप्ति तारीख	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	केशव माथुर सुगर यूनिट, नवाबगंज जिला बरेली	11-5-90	निजी
2.	मै० सिमोली सुगर मिल्स लि०, नजदीक मीरगंज, जिला बरेली	18-5-90	निजी
3.	मै० ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, औरंगाबाद, तह० नवावगंज जि० बरेली	25-9-90	निजी
4.	मै० आम्रपाली इन्ट्रनेशनल, स्थान व तह० नवावगंज, जि० बरेली	28-1-91	निजी
5.	श्री डी. के. श्रीवास्तव, स्थान व तह० नवाबगंज जि० बरेली	28-1-91	निजी
6.	श्री एन. के. श्रीवास्तव, स्थान व तह० नवाबगंज जिला बरेली	1-2-91	निजी

उपर्युक्त 6 प्रस्तावों के अतिरिक्त खाद्य विभाग में 4-9-90 को निजी क्षेत्र में फतेहगंज पश्चिम, तहसील और जिला बरेली में नई चीनी मिल की स्थापना के लिए मै० सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि० से एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) शर्करा उद्योग के लिये लाइसेंस नीति की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही हैं और उसके बाद इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को भरा जाना

1702. **श्री छेदी पासवान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा अभी तक पूरा नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस कोटा को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) यद्यपि केन्द्रीय भण्डारण निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व विहित कोटे से अधिक है, लेकिन कुछेक अलग-अलग वर्गों में कुछ पुरानी रिक्तियां हैं ।

(ख) इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) विशेषतया अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति सीधी भर्ती करने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता; और

(2) आरक्षित रिक्तियों के प्रति पदोन्नति के लिए सम्भरक वर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपर्याप्त उपलब्धता ।

(ग) केन्द्रीय भण्डागार निगम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी सम्भव उपाय कर रहा है ।

रियायती दरों पर कागज उपलब्ध न होना

[अनुवाद]

1703. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सस्ती/प्रतियोगी दरों पर कागज उपलब्ध न होने के कारण पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन आदि में संलग्न प्रकाशकों और अन्य संगठनों को कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रकाशकों को सस्ती दरों पर कागज सप्लाई करने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि साधारण किस्मों के कागजों की कीमतें पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान बढ़ी हैं। कागज उद्योग के अनुसार, कागज की कीमतों में वृद्धि का कारण कागज की उत्पादन लागत में वृद्धि है। देश में कागज की कीमतों पर सांविधिक नियन्त्रण नहीं है।

(ख) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में औरंगाबाद में खेल परिसर

1704. **डा० वेंकटेश काबड़े** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिमी क्षेत्र के राष्ट्रीय एथलीटों एवं खिलाड़ियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण तथा कोचिंग की सुविधाएं प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र में औरंगाबाद में खेल परिसर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में इस परिसर के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई तथा अब तक इसका कितना उपयोग किया गया है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या करण हैं तथा इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करने के लिये क्या प्रस्ताव किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने पहले ही औरंगाबाद में एक केन्द्र स्थापित किया है जो भारतीय खेल प्राधिकरण, गांधी नगर, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र का उपकेन्द्र है और यह चुनी हुई खेल विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने अपने 2.00 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता के मुकाबले में अब तक 30.00 लाख रुपए आवंटित किये हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अब तक 12.40 लाख रुपये दिये हैं। अभी कुल 42.40 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) संसाधनों की कठिनाइयों के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ था। वर्ष 1991-92 के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मिट्टी के तेल का वितरण

1705. **श्री पी० एम० सईद**
श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लोगों को मिट्टी का तेल बड़ी कठिनाई से मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मिट्टी का तेल बिक्री केन्द्रों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप इसकी कमी हो जाती है और मांग में वृद्धि हो जाती है;

(घ) क्या रसोई गैस की कमी के कारण जनता के लिये तेल कोटा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण को सुव्यवस्थित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को फरवरी, 1991 में 22,493 मी० टन मिट्टी का तेल आवंटित किया गया था, जो फरवरी, 1990 में किये गये आवंटन से अधिक है। केवल उन उपभोक्ताओं के मामले में, जिनके पास एल.पी.जी. कनेक्शन है, मामूली सी कमी करके प्रति महीना प्रति कार्ड 5 लीटर से घटाकर 4 लीटर प्रति कार्ड प्रति महीना किया गया है।

(घ) और (ङ) थोक में एल.पी.जी. की उपलब्धता में अवरोध, ढुलाई की समस्याओं आदि के कारण दिल्ली के कुछ स्थानों से एल.पी.जी. की अस्थायी कमी की रिपोर्ट मिली है। एल पी.जी. की उपलब्धता को बढ़ाने तथा रीफिलों की सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिये कार्यवाही की गई है। इन उपायों से तब से स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है।

(च) और (छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिट्टी के तेल का वितरण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। कदाचारों को रोकने की दृष्टि से उनके द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुपर बाजार की गाड़ियां

1706. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री पी० एम० सईद } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के गांवों में आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर बेचने के लिये सुपर बाजार की गाड़ियां भेजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन गांवों में ये गाड़ियां भेजी जाएंगी; और

(ग) इन गांवों में यह सुविधा देने में कितनी अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली अपनी 5 विशेष ग्रामीण मोबाइल वैनों के जरिए, जो अब दिल्ली में 84 स्थानों पर जाती

हैं, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। इन गांवों/स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है, जहां ये वैनें जाती हैं।

(ग) वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए सुपर बाजार द्वारा मोबाइल वैनों की सुविधा को और अधिक गांवों तक पहुंचाने के प्रयास किये जाएंगे।

विवरण

ग्रामीण मोबाइल वैन संख्या की अनुसूची
सुपर बाजार

वैन सं. 1 का रूट (क्षे० वि० केन्द्र, क०स०)

1	2
1.	जगतपुर
2.	पल्ला-लामपुर
3.	साहिबाबाद
4.	प्रशांत बिहार रोहिणी
5.	खेड़ा खुर्द
6.	शाहबाद
7.	बुराड़ी
8.	अकबरपुर माजरा
9.	पूठ खुर्द
10.	बादली
11.	खेड़ा खालन
12.	सेक्टर 16 रोहिणी पुनर्वास कालोनी
13.	मुखमालपुर
14.	सिंघोला
15.	बवाना
16.	समापुर
17.	अलीपुर
18.	प्रहलापुर/बदरवाला
वैन सं. 2 का रूट (क्षे० वि० केन्द्र क० स०)	
19.	शबापुर
20.	रोहतास नगर गली नं 7 (कमला नेहरू पार्क शाहदरा)

1	2
21	भजनपुरा
22.	माडल बस्ती
23.	जाफराबाद
24.	शाहबापुर, चौहान
25.	जौहरीपुर
26.	दयालपुर
27.	कबीर नगर
28.	करावल नगर
29.	खजूरी खास
30.	गोकुलपुरी
31.	जयुदी नगर
बैच सं. 3 का कट (क्षे० वि० केन्द्र क० स०)	
32.	दीदारपुर
33.	छत्तरपुर
34.	गित्रोनी
35.	महरौली
36·	लाल कुआं
37.	चावला
38.	चन्दन होला
39.	दादीपुर
40.	लाडोसराय
41.	दादरपुर
42.	बिजवासन
43.	कपास हेरा
44.	असजला भट्टी
45.	जउनापुर
46.	मुबारकपुर खुर्द
47.	जैतपुर
बैच सं. 4 का कट (क्षे० वि० केन्द्र क० स०)	
48.	मंगोलपुर कलां
49.	कंझावला
50.	टिकरी कलां
51.	औचन्दी

1	2
52.	मित्राव
53.	इसापुर
54.	पूठ कलां
55.	लाडपुर
56.	मुंडका
57.	कुतबगढ़
58.	केर
59.	घांसा
60.	कराला/माजरी
61.	जौंती
62.	नांगलोई
63.	कटवारा
64.	मुंडाला कलां/खुर्द
65.	काजीपुर
वैन सं. 5 का रूट (क्षे० वि० केन्द्र क० स०)	
66.	जाफरपुर
67.	खेड़ा
68.	बेजितपुर ठाकरा
69.	माजरा डबास
70.	रानीखेड़ा
71.	झड़ौदा कलां
72.	उज्वा
73.	खारखरी
74.	नांगल ठाकरा
75.	नियामपुर
76.	मदनपुर डबास
77.	नजफगढ़
78.	रेवता
79.	गोमन हेरा
80.	दरयापुर कलां
81.	घेवारा
82.	मुबारकपुर डबास
83.	काकरोला
84.	बामरोली

दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर छापे

1707. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण में कदाचार आदि को रोकने के लिये राजधानी में बड़ी संख्या में उचित दर की दुकानों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो उचित दर की उन दुकानों का ब्यौरा क्या है जिन पर छापे मारे गए तथा वहां किस प्रकार की गड़बड़ियां पकड़ी गई;

(ग) क्या सरकार का कदाचार में शामिल पाये गये उचित दर की दुकानों के मालिकों के लाइसेंस रद्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और सरकार का राजधानी में उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारियों के सम्मुख उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ की गई है, जो कानून के अनुसार मामलों का निर्णय करेंगे।

(घ) दिल्ली प्रशासन नियमित आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की पुनरीक्षा करता है और उसे मजबूत करने तथा सुप्रवाही बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करता है।

विवरण

जिन उचित दर की दुकानों में असंगतियां देखी गयी उनका ब्यौरा

क्र० सं०	उचित दर दुकान संख्या	देखी गई असंगति
1	2	3
जनवरी, 1991		
1.	1076	स्टाक में घट-बढ़—44 कि.ग्रा. 300 ग्राम
2.	5501	स्टाक में घट-बढ़—18 कि.ग्रा. 700 ग्राम और खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
3.	5412	स्टाक में घट-बढ़—32 कि.ग्रा. 200 ग्राम

1	2	3
4.	6648	स्टाक में घट-बढ़ और खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
5.	6805	स्टाक में घट-बढ़--70 कि.ग्रा. 300 ग्राम
6.	6739	स्टाक में घट-बढ़—36 कि.ग्रा. 500 ग्राम
7.	7712	स्टाक में घट-बढ़—115 क्विटल
8.	7008	स्टाक में घट-बढ़—01 क्विटल 40 कि.ग्रा.
9.	6678	स्टाक में घट-बढ़ तथा खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
10.	6770	स्टाक में घट-बढ़ तथा खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
11.	7347	स्टाक में घट-बढ़ – 64 क्वि० 43 कि. ग्रा. 300 ग्राम
12.	7713	स्टाक में घट-बढ़—115 क्विटल
13.	3197	स्टाक में घट-बढ़—30 कि.ग्रा.
14.	4811	स्टाक में घट-बढ़—तथा खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
15.	7586	स्टाक में घट-बढ़ तथा कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
16.	7579	स्टाक में घट-बढ़ तथा खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
17.	1020	स्टाक में घट-बढ़—01 क्विटल, 05 कि.ग्रा.
18.	6808	स्टक में घट-बढ़ -21 कि.ग्रा.
19.	7813	स्टाक में घट-बढ़—04 क्विटल, 88 कि.ग्रा.
20.	7365	स्टाक में घट-बढ़—02 क्विटल; 30 कि.ग्रा.
21.	6198	स्टाक में घट-बढ़—25 क्विटल, 59 कि.ग्रा.
22.	6605	स्टाक में घट-बढ़—06 क्वि., 08 कि.ग्रा.
23.	6562	स्टाक में घट-बढ़—52 कि.ग्रा 800 ग्राम
24.	2097	स्टाक में घट-बढ़—17 कि.ग्रा. 100 ग्राम
25.	7725	स्टाक में घट-बढ़—66 कि ग्रा. 100 ग्राम
26.	6228	स्टाक में घट-बढ़—55 कि.ग्रा. 100 ग्राम
27.	5375	स्टाक में घट-बढ़—तथा खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
28.	6881	स्टाक में घट-बढ़—02 क्विटल 43 कि.ग्रा. 800 ग्राम

क्र० सं०	उचित दर दुकान संख्या	देखी गई असंगति
1	2	3
29.	7914	स्टाक में घट-बढ़—15 कि.ग्रा. 100 ग्राम
30.	5068	स्टाक में घट-बढ़—32 कि.ग्रा. 200 ग्राम
31.	7820	स्टाक में घट-बढ़—23 कि.ग्रा. 400 ग्राम
32.	6827	स्टाक में घट-बढ़—36 कि.ग्रा. 750 ग्राम
33.	7338	स्टाक में घट-बढ़—तथा खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन लिया है।
34.	6450	स्टाक में घट-बढ़ 10 क्विंटल 37 कि.ग्रा. 800 ग्राम
35.	5143	स्टाक में घट-बढ़—90 कि.ग्रा.
36.	7552	स्टाक में घट-बढ़—09 क्विंटल 92 कि.ग्रा. 650 ग्राम
37.	6575	स्टाक में घट-बढ़—37 कि.ग्रा.
38.	7085	स्टाक में घट-बढ़—84 कि.ग्रा.
39.	5772	स्टाक में घट-बढ़—14 कि.ग्रा. 700 ग्राम
40.	6934	स्टाक में घट-बढ़—18 क्वि. 38 कि.ग्रा.
41.	7121	स्टाक में घट-बढ़—14 कि.ग्रा. 650 ग्राम
42.	7561	स्टाक में घट-बढ़—21 कि ग्रा. 100 ग्राम
43.	3808	स्टाक में घट-बढ़—89 कि.ग्रा. 200 ग्राम
44.	4551	स्टाक में घट-बढ़ –17 कि.ग्रा. 900 ग्राम
45.	4559	स्टाक में घट-बढ़—23 कि.ग्रा. 400 ग्राम
28 फरवरी, 1991 तक		
1.	6765	स्टाक में घट-बढ़—15 कि.ग्रा. 700 ग्राम
2.	2199	स्टाक में घट-बढ़—22 कि.ग्रा. 800 ग्राम
3.	6502	स्टाक में घट-बढ़—19 कि ग्रा.
4.	7240	स्टाक में घट-बढ़—20 कि.ग्रा. 200 ग्राम
5.	4697	स्टाक मे घट-बढ़—49 कि.ग्रा. 100 ग्राम
6.	8184	स्टाक में घट-बढ़—15 कि.ग्रा. 200 ग्राम
7.	5906	स्टाक में घट-बढ़—83 कि.ग्रा. 500 ग्राम
8.	3533	स्टाक में घट-बढ़—32 कि.ग्रा.
9.	7027	स्टाक में घट-बढ़—45 कि.ग्रा. 600 ग्राम
10.	6924	स्टाक में घट-बढ़—37 कि.ग्रा. 400 ग्राम

1	2	3
11.	48:6	स्टाक में घट-बढ़—तथा खाद्य कार्डधारियों द्वारा इस बात से इंकार कि उन्होंने राशन नहीं लिया है।
12.	7563	स्टाक में घट-बढ़—40 कि.ग्रा. 400 ग्राम
13.	7057	स्टाक में घट-बढ़—25 कि.ग्रा 600 ग्राम
14.	4546	स्टाक में घट-बढ़ 75 कि.ग्रा. 500 ग्राम
15.	6096	स्टाक में घट-बढ़—36 कि.ग्रा. 100 ग्राम
16.	?127	स्टाक में घट-बढ़—17 कि.ग्रा. 100 ग्राम
17.	5106	स्टाक में घट-बढ़—46 कि.ग्रा. 500 ग्राम
18.	3974	स्टाक में घट-बढ़—22 कि.ग्रा.
19.	4959	स्टाक में घट-बढ़—52 कि.ग्रा. 500 ग्राम
20.	2426	स्टाक में घट-बढ़—500 ग्राम अधिक
21.	6166	स्टाक में घट-बढ़—20 कि.ग्रा.
22.	7765	स्टाक में घट-बढ़—45 क्वि. 72 कि.ग्रा.
23.	8035	स्टाक में घट-बढ़—23 कि.ग्रा. 70 ग्राम
24.	7923	स्टाक में घट-बढ़—1 क्वि. 29 कि.ग्रा. 700 ग्राम
25.	4248	स्टाक में घट-बढ़—41 कि.ग्रा. 900 ग्राम
26.	6565	स्टाक में घट-बढ़—1 क्वि. 55 कि.ग्रा. 400 ग्राम
27.	5949	स्टाक में घट-बढ़—78 कि.ग्रा. 400 ग्राम
28.	5925	स्टाक में घट-बढ़—1 क्वि. 19 कि.ग्रा. 100 ग्राम
29.	6188	स्टाक में घट-बढ़—30 कि.ग्रा. 650 ग्राम
30.	7131	स्टाक में घट-बढ़—24 कि.ग्रा. 100 ग्राम
31.	7957	स्टाक में घट-बढ़—32 कि.ग्रा. 900 ग्राम
32.	7894	स्टाक में घट-बढ़—18 कि.ग्रा. 700 ग्राम
33.	5052	स्टाक में घट-बढ़—16 कि.ग्रा. 700 ग्राम
34.	7405	स्टाक में घट-बढ़—16 कि.ग्रा. 500 ग्राम
35.	3267	स्टाक में घटबढ़—60 कि.ग्रा.
36.	7268	स्टाक में घट-बढ़—61 कि.ग्रा. 100 ग्राम
37.	2017	स्टाक में घट-बढ़—27 कि.ग्रा. 400 ग्राम
38.	4782	स्टाक में घट-बढ़—32 कि.ग्रा. 200 ग्राम
39.	5079	स्टाक में घट-बढ़—45 क्वि. 87 कि.ग्रा.
40.	3551	स्टाक में घट-बढ़—66 कि.ग्रा.
41.	7599	स्टाक में घट-बढ़—33 कि.ग्रा. 300 ग्राम
42.	6460	स्टाक में घट-बढ़—17 कि.ग्रा. 700 ग्राम

1	2	3
43.	7681	स्टाक में घट-बढ़—23 कि.ग्रा. 50 ग्राम
44.	6459	स्टाक में घट-बढ़—24 कि.ग्रा. 600 ग्राम
45.	5362	स्टाक में घट-बढ़—23 कि.ग्रा. 600 ग्राम
46.	7231	स्टाक में घट-बढ़—1 क्वि. 17 कि.ग्रा. 400 ग्राम
47.	8276	स्टाक में घट-बढ़—29 कि.ग्रा.
48.	3101	स्टाक में घट-बढ़—88 कि.ग्रा. 700 ग्राम
49.	2[illegible]74	स्टाक में घट-बढ़—22 कि.ग्रा. 280 ग्राम
50.	74[illegible]6	स्टाक में घट-बढ़—65 कि.ग्रा. 450 ग्राम
51.	3720	स्टाक में घट-बढ़—56 कि.ग्रा.
52.	5501	स्टाक में घट-बढ़—40 कि.ग्रा.
53.	7109	स्टाक में घट-बढ़—6,07.000 क्विटल
54.	5577	स्टाक में घट-बढ़ –1.95000 क्विटल
55.	1911	स्टाक में घट-बढ़—67 कि.ग्रा.
56.	388	स्टाक में घट-बढ़ – 69.650 कि.ग्रा.
57.	5549	स्टाक में घट-बढ़—13,96,000 क्विटल
58.	6989	स्टाक में घट-बढ़—63 500 कि.ग्रा.
59.	4753	स्टाक में घट-बढ़—82 कि.ग्रा.
60.	5911	स्टाक में घट-बढ़ – 3,17,000 क्विटल
61.	6373	स्टाक में घट-बढ़—4,25,800 क्विटल
62.	3998	स्टाक में घट-बढ़—2,23,430 क्विटल
63.	4056	स्टाक में घट-बढ़ – 69 कि.ग्रा.

इनके अलावा 97 और उचित दर दुकानों में तुलनात्मक रूप से स्टाक में छोटी-मोटी स्वरूप की घट-बढ़ पाई गई।

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के शासी निकास के सदस्य

[हिन्दी]

1708. **श्री काशीराम राणा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के वर्तमान शासी निकाय के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की गत दो वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) गत बैठक कब हुई थी और इस बैठक में किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के मौजूदा शासी-निकाय की संरचना निम्नवत है ।

मानव संसाधन विकास मंत्री	—अध्यक्ष
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री	—उपाध्यक्ष
श्री रामेश्वर ठाकुर	—कोषाध्यक्ष
श्री सी० एस० राम चन्द्रन	—सदस्य
डा० आर० सी० द्विवेदी	—सदस्य
शिक्षा सचिव	—सदस्य
वित्त सलाहकार शिक्षा विभाग	—सदस्य
निदेशक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	—सदस्य
उप शिक्षा सलाहकार (संस्कृत) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	—सह सदस्य
श्री किरीत जोशी	—सदस्य सचिव

वर्ष 1989 और 1990 के दौरान, प्रतिष्ठान के शासी निकाय की दो बैठकें संयुक्त रूप से सामान्य निकाय के साथ 23 जून 1989 और 24 जनवरी, 1991 को हुई। सामान्य निकाय और शासी निकाय की पिछली बैठक संयुक्त रूप से 24 जनवरी, 1991 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं :

1. वर्ष 1991-92 के लिए बजट प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 1988-89 और 1989-90 की वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।
3. मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रतिष्ठान को निधियां उपलब्ध कराएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 10 करोड़ रुपए का एक संग्रह कोष (कारपोश फण्ड) तैयार कर सकें।
4. वैदिक छात्रों को छात्रवृत्तियां और वेद पाठशालाओं को सहायता प्रदान करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. रा०शै०अनु० और प्र० परि से यह अनुरोध किया जाये कि अध्यापकों की गाईड में शामिल किए गए वैदिक गणित के पर्याप्त हिस्से को रा०शै०अनु०प्र० परिषद की गणित की पुस्तकों में भी वैकल्पिक और समृद्ध सामग्री के रूप में शामिल किया जाय।

6. राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली और रूड़की विश्वविद्यालय में बोधगम्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए वैदिक गणित को विकसित किया जाना चाहिए ताकि इसका गणितज्ञों, तकनीकी विदों, अध्येताओं और छात्रों द्वारा प्रयोग किया जा सके।

7. रा०वे०वि०प्र० अधिकारिक रूप से प्रो० एस० के० कपूर को वैदिक गणित पर अपने शोध-प्रबन्ध और अन्य नए कार्यों की प्रति प्रस्तुत करने के लिए आमान्त्रित करें और अपने अनुसंधान कार्य और निष्कर्षों पर नोट प्रस्तुत करें और दिशा निर्देश दें जिसमें और आगे अनुसंधान कार्य किया जाए।

8. सामान्य निकाय में दोनों रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच सहयोग करार

[अनुवाद]

1709. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ किसी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच 3 फरवरी, 1991 को एक सद्भावना ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सद्भावना ज्ञापन से दोनों संगठनों विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच लाभदायक अन्तंकार्रवाई से अपनी अपनी क्षमताओं को काम में ला सकेंगे। इससे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच वैज्ञानिक के आने जाने को बढ़ावा मिलेगा जिससे एक दूसरे के विशेषज्ञों का बेहतर उपयोग होगा, उपलब्ध अवस्थापना मानव संसाधन का अधिकाधिक उपयोग होगा, विचारों और धारणाओं और तकनीकियों का आदान-प्रदान हो सकेगा। एक समन्वय निकाय, जिसके अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होंगे। दोनों संगठनों के बीच अन्तंकार्रवाई का विस्तृत ढांचा निर्धारित करेगा।

अस्पतालों में निर्दिष्ट मामले

1710. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अस्पतालों के साथ डिस्पेंसरियों को सम्बद्ध करके दिल्ली में निर्दिष्ट अस्पताल बनाने का विचार है, जो इन अस्पतालों को मामले निर्दिष्ट करेगी; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस व्यवस्था से क्या लाभ होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों एवं संसद सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए सरकारी फ्लैट

1711. **श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी सरकारी फ्लैट आबंटित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के आबंटनों के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) इस मापदण्ड के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को सरकारी फ्लैट आबंटित किए गए हैं; और

(घ) इस तरह के फ्लैट आम तौर पर कितनी अवधि के लिए आबंटित किये जाते हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ आबंटन विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कतिपय वर्गों जैसे स्वतन्त्रता सेनानियों, प्रख्यात कलाकारों, पत्रकारों इत्यादि को, किए जाते हैं। मोटे तौर पर, इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह शर्त है कि अमुक व्यक्ति अपने क्षेत्र में विख्यात होना चाहिए और उसका अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए। सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग की सिफारिश भी अपेक्षित हैं तथा आबंटन एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाता है तथा कतिपय श्रेणियों में अधिकतम आय मानक भी निर्धारित है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों को आवास आबंटन

1712 **श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक आवासों का आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) उन सबको कब तक आवास दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या जिन कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं उन्हें भी सरकारी आवास आबंटित करने पर विचार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस पद्धति को बदलने का है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) दिल्ली में सामान्य पूल के विभिन्न टाइप के वास की अत्याधिक कमी के कारण पात्र कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों से सीमित आधार पर आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या और पिछले बकायों को निपटाने की समय-सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। अपना मकान रखने वाले कर्मचारी सामान्य पूल वास के आबंटन के पात्र हैं। इसलिए, नीति में परिवर्तन का कोई विचार नहीं है।

एजूकेशनल फाइनेंसिंग कार्पोरेशन की स्थापना

1713. **श्री आनन्द सिंह**
श्री माधवराव सिंधिया } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन साइन्स कांग्रेस ने नई दिल्ली में जनवरी, 1991 को आयोजित अपने अठहत्तरवें सत्र में एजूकेशनल फाइनेंसिंग कार्पोरेशन की स्थापना का सुझाव दिया था;

(ख) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए इस सत्र में अन्य क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक शैक्षिक वित्त निगम की स्थापना करने के लिए जनवरी, 1991 में इन्दौर में आयोजित भारतीय कांग्रेस के 78वें अधिवेशन में एक सुझाव दिया गया था। उच्चतर एस० एंड टी० शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए कांग्रेस में निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे :—

1. नीति-निर्माताओं, आयोजकों, समुदाय और अन्य रुचिकर दलों जैसे विभिन्न लक्ष्यबद्ध समूहों के लिए व्यावसायिक/तकनीकी संवेदनशील कार्यक्रम होने चाहिएं।
2. एक "राष्ट्रीय गणित केन्द्र" की स्थापना की जानी चाहिए जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण किया जाना चाहिए;
3. विश्वविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए;

(ग) सरकार को उक्त सुझावों पर विचार करने के लिए कलकत्ता स्थित भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ से कोई औपचारिक पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती के लिए चयनित नाम-सूचियों का उपयोग न किया जाना

1714 **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों के विभिन्न वर्गों के अध्यापकों और प्रधानाचार्यों

के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयनित नामों की जो सूचियां दो साल पहले तैयार की गई थीं, उनमें से अभी तक सभी को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है;

(ख) क्या इन नाम सूचियों के बावजूद 1989-90 में प्रधानाचार्यों की रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण और औचित्य है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्राचार्यों की रिक्तियों को भरने के लिए, वर्ष 1989 और 1990 में विज्ञापन दिए गए थे क्योंकि उनके लिए कोई चयन पैनल उपलब्ध नहीं था।

इनके साथ ही वार्षिक भर्ती कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सामान्य और अ०जा०/अ०जन०जा० के लिए आरक्षित कोटा वाले प्राचार्यों के पदों के लिए 1990-91 के पदों के सम्बन्ध में 1990 में विज्ञापन दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कमी नहीं है।

क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना द्वारा प्रदान की गई एम० डी० डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना

[हिन्दी]

1715. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना "रेडियो-डायग्नोसिस" में एम० डी० डिग्रियां प्रदान करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने इन डिग्रियों को मान्यता प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। क्रिश्चियन मेडिकल कालेज में रेडियो-डायग्नोसिस में एम० डी० डिग्री कोर्स 1974 में आरम्भ किया गया था।

(ग) और (घ) एम० डी० (रेडियो-डायग्नोसिस) अर्हता को मान्यता देने के प्रायोजन के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना में उपलब्ध परीक्षाओं के स्तर तथा शिक्षण सुविधाओं के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट आयुर्विज्ञान परिषद में नवम्बर, 1989 में प्राप्त हुई थी। यह रिपोर्ट पंजाब विश्वविद्यालय तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित कालेज और चिकित्सा शिक्षा निदेशक, पंजाब को उनके अवलोकनों के लिए भेजी गई थी। इसी बीच माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डा० हरचरण सिंह बनाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा अन्य के मामले में 1990 की रिट याचिका संख्या

1003 के सम्बन्ध में 21-5-1990 को दिए अपने आदेश में रिट याचिका का निपटारा होने तक एक प्रशासक नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने प्रशासक पर चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने के बारे में कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। स्नातकोत्तर समिति के पुनर्गठन के बाद निरीक्षण रिपोर्ट उसके समक्ष रखी जाएगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्नातकोत्तर उपाधियों को मान्यता देना

1716. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद के पास स्नातकोत्तर उपाधियों को मान्यता प्रदान करने के बारे में कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये मामले किन तारीखों से लम्बित पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास मान्यता के लिए विचाराधीन पड़ी हुई स्नातकोत्तर अर्हताओं के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डा० हरचरण सिंह बनाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा अन्य के मामले में 1 90 की रिट याचिका संख्या 1003 के संबंध में 21-5-1990 को दिये अपने आदेश में रिट याचिका का पिटारा होने तक एक प्रशासक नियुक्त किया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रशासक पर चिकित्सा पाठ्यक्रमों को मान्यता देने/उनकी मान्यता समाप्त करने के बारे में कोई कार्रवाई करने के लिये रोक लगा दी है। विचाराधीन मामले स्नातकोत्तर समिति के पुनर्गठन के पश्चात् इसके समक्ष रखे जाएंगे।

विवरण

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	अर्हताएं
1	2	3
1.	पंजाब विश्वविद्यालय	एम० डी० (रेडियो डायग्नोसिस)
		एम० डी० (माइको-बायोलाजी)
		एम० डी० (जनरल मेडिसिन)
2.	मद्रास विश्वविद्यालय	एम० डी० (फिजियोलाजी)
		एम० डी० (रेडियो-डायग्नोसिस)
3.	आगरा विश्वविद्यालय	एम० एस० (आर्थो०)

1	2	3
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	एम० डी० (माइको०) एम० सी० एच० (प्लास्टिक सर्जरी) डी० एम० (कार्डियोलाजी)
5.	जीवाजी विश्वविद्यालय	डी० ओ० एम० एस० डी० ओ० (डिप्लोमा इन आर्थो०)
6.	मैसूर विश्वविद्यालय	एम० डी० (पैडि०) एंड डी० सी० एच० डी० सी० पी०
7.	राजस्थान विश्वविद्यालय	एम०सी०एच० (न्यूरो-सर्जरी)
8.	मंगलौर विश्वविद्यालय	एम०डी० (पेडि०) एंड डी०सी०एच०
9.	केरल विश्वविद्यालय	डी० एम० (न्यूरोलाजी)
10.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	एम० डी० (आर्थो०) एंड डी० ओ०
11.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	एम०डी (फिलियोलाजी)
12.	शेरे कश्मीर आयर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर	एम०डी० (एनिस्स) एम०डी० (जनरल मेडि०) एम० एस० (जनरल सर्जन)
13.	ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय	एम०डी० (एनिस०)
14.	गोवा विश्वविद्यालय	एम०डी० (सोशल एंड प्री० मेडि०) एंड डी०पी०एच० एम०डी० (रेडियो-डायग्नोसिस) एंड डी० एम० आर० डी० एम०डी० (पेडि०) एम०एस० (जनरल सर्जन) एम०डी० (एनिस०)
15.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय	एम०डी० (पैथ०) एण्ड डी०सी०पी० एम०डी० (एनिस०) एंड डी० ए० एम० डी० (जनरल मेडिसिन) एम०एस० (जनरल सर्जन) एम० डी० (ओबसट, एंड गायनी) एण्ड डी०जी०ओ० एम०डी० (डर्म० एण्ड वैन०) एंड डी०वी०डी०

1	2	3
		एम०डी० (रेडियो-डायग्नोसिस)
		एम०एस० (एनाटामी)
		एम०डी० (बायोकैम)
16.	नागपुर विश्वविद्यालय	एम०एस० (ई०एन०टी०) एंड डी०एल०ओ०
		एम० डी० (पैथालाजी)
17.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	एम० डी० (एसि०) एंड डी०ए०
18.	कालीकट विश्वविद्यालय	एम०सी०एच० (पेडि० सर्जन)
		एम०डी० (एनिस०)
19	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	एम०डी० (पेडि०)
20.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	एम० डी० (एनिस०) एण्ड डी०ए०
21.	उत्कल विश्वविद्यालय	एम०डी० (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
22.	नागार्जुना विश्वविद्यालय	डी०एल०ओ०
23.	डा० एम० जी० आर० मेडिकल विश्वविद्यालय	डी०जी०ओ०
		डी०एल०ओ०
		डी० अर्थो०
		डी०वी०
		डी०डी०
		डी०सी०एच०
		डी० ए०
		डी०एम०आर०टी
		डी०एम०आर०डी०
		डी०सी०पी०
		डी०पी०एम०
		डी०ओ०
		एम०डी० (जनरल मेडिकल)
		डी०टी०सी०डी०
		एम० डी० (वी०इ०एन०)
		एम० डी० (पेडि०)
		एम०डी० (रेडियो)
		एम०एस० (जन० सर्जि०)
		एम०एस० (ई०एन०टी०)
		एम०एस० (अर्थो०)

1	2	3
		एम०डी० (फार्मा०)
		डी०एम० (कारियालाजी)
		डी०एम० (कार्डियालाजी)
		एम०सी०एच० (पेडि० सर्जि०)
		एम०सी०एच० (प्लास्टिक सर्ज०)
		एम०एस० (एनेटामी)
		एम०सी०एच० (न्यूरो सर्जरी)
		एम०सी०एच० (जेनिटो यूरिनरी)
		एम०सी०एच० (थोरोसिक सर्जरी)
		एम० डी० (त्वचा विज्ञान)
		एम०डी० (रेडियो थिरेपी)
		एम०डी० (जैव विज्ञान)
		एम०एस० (न्यूरो सर्जरी)
		डी०पी०एच०
		एम०डी० (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
		डी०पी०एम० एण्ड आर०
		डी०एच०ई०
		एस०एस० (नेत्र विज्ञान)
		एम०डी० (सामाजिक एवं निवारक औषध)
24.	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विजयवाड़ा	डी०सी०पी०
		डी०एल०ओ०
		डी०बी०डी०
		डी०ओ०
		डी०जी०ओ०
		डी०वी०
		डी०एम०आर०डी०
		डी०सी०एच०
		डी०एम०आर०टी०
		डी०टी०सी०डी०
		डी०पी०एच०
		डी०डी०
		एम०एस० (जनरल शल्य चिकित्सा)
		एम०एस० (आर्थो०)
		एम०डी० (जनरल मेडिकल)
		एम०डी० (पैथोलाजी)

1	2	3
		एम०डी० (फार्म) एम०एस० (ई०एन०टी०) एम०एस० (नेत्र विज्ञान) एम०एस० (शरीर विज्ञान) एम०डी० (त्वक्शोध) एम०डी० (बालरोग) एम०डी० (जैव रसायन) एम०डी० (एनिस०) एम०डी० (माइक्रो बायलाजी) एम०डी० (फिजियोलाजी) एम०डी० (फोरेन्सिक मेडिसियन) एम०डी० (अवस्ट और गेनि०) एम०एस०सी० (ऐनाटामी) एम०एस०सी० (फिजियोलाजी) डी०एफ०एम०
25.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	एम० एस० (आर्थो०) और डी० आर्थो०)
26.	महाऋषि दयानन्द विश्वविद्यालय	डी०ओ० (आर्थो० में डिप्लोमा)
27.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	एम०एस० (आर्थो० और डी० आर्थो)
28.	पूना विश्वविद्यालय	एम०एच०ए० (मास्टर आफ अस्पताल प्रशासन) एम०डी० (अस्पताल प्रशासन)
29.	लखनऊ विश्वविद्यालय	एम०एस० (सर्जरी) एम०डी० (जनरल मेडिसिन)
30.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	एम०डी० (मेडिसिन) एम०डी० (एनिस) और डी०ए०
31.	राजस्थान विश्वविद्यालय	एम०डी० (डरम० वेनेम० और लेप्रोसी)

प्राचीन द्वारका नगर के फोटो चित्र

1717: **श्री योगेन्द्र झा** : : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के गोताखोरों ने गहरे समुद्र से प्राचीन द्वारका शहर के चित्र लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चित्रों को सिनेमा हालों, दूरदर्शन तथा अन्य प्रचार माध्यमों से लोगों को दिखाया गया है;

(घ) यदि हां, तो कब और किस रूप में; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ङ), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में द्वारका का तटवर्ती सर्वेक्षण किया गया था। गोताखोरों ने चित्र लिए जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गोताखोर भी शामिल थे। पानी के अन्दर कार्य करते समय बड़े-बड़े शिलाखण्ड दीवारों के खण्डहर और अन्य इमारतें, पत्थर के लंगर, विभिन्न प्रकार के प्राचीन मिट्टी के बर्तन तथा अन्य पुरावस्तुए खोजी गईं और उनके चित्र लिए गए। समुद्र के अन्दर के कार्यकलाप को शैक्षिक प्रयोजन के लिए भी फिल्माया गया था तथा उसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान संगोष्ठियों में, व्याख्याओं में शैक्षिक संस्थानों में तथा दूरदर्शन पर भी दिखाया गया था।

सुशीला विहार उड़ीसा का विकास

[अनुवाद]

1718. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्यम शहर आयोजन के अन्तर्गत उड़ीसा के सम्बलपुर शहर में महानदी के तट पर सुशीला विहार और अयोध्या सरोवर का जीर्णोद्धार एवं विकास करने के लिए विशेष अनुदान देने हेतु उड़ीसा सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह युक्त नमक का उत्पादन

1719. **श्री मानी भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के सबसे निर्धन वर्गों की महिलाओं में और बच्चों में आमतौर पर पाई जाने वाली खून की कमी की रोकथाम के लिए लौहयुक्त नमक के उत्पादन के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री वसई चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, जिसने सामान्य लवणों को लोहयुक्त करने की प्रौद्योगिकी का विकास किया था, ने लवण को बड़े पैमाने पर लोहयुक्त करने के लिए अब इस प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक स्तानान्तरित कर दिया है। तमिलनाडु साल्ट कार्पोरेशन (राज्य सरकार का एक उपक्रम) ने वालिनोक्कम में एक बड़े संयंत्र की स्थापना की है और इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्रतिदिन 25 टन लोहयुक्त लवण का उत्पादन कर रहा है।

हैदराबाद स्थित एक निजी विनिर्माता मैसर्स जयभारती साल्ट वर्क्स भी प्रतिदिन 4 टन लोहयुक्त लवण का उत्पादन कर रहा है। उड़ीसा और राजस्थान राज्य भी बड़े पैमाने पर लोहयुक्त लवण का उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को आवंटित की गई धनराशि

1720. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान केरल को आवटित की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार से धनराशि का उपयोग करने सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) केरल में पूर्ण साक्षरता की परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 1990-91 में केरल साक्षरता समिति, तिरूवेनन्त पुरम को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :—

संस्वीकृत की तारीख	राशि रुपयों में	
27-6-1990	2,00,00,000	
10-12-.990	92,15,000	आर.एफ.एल.पी./ एन. वाई. के. संघटकों को दर्शाता है।

परियोजना के मार्च, 1991 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है तथा उसके बाद ही उपयोगिता प्रमाणपत्र और अनुदान के लेखे प्राप्त होंगे।

नवोदय विद्यालयों के खोलने पर राज्य सरकारों को आपत्ति

1721. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने नवोदय विद्यालयों के खोलने पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न नवोदय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम की सरकारों ने नवोदय विद्यालय की योजना को स्वीकार नहीं किया है। योजना के सम्बन्ध में शिक्षण माध्यम, छात्रों के प्रव्रजन विद्यालयों के प्रबन्ध आदि के बारे में उन्होंने अपने निजी मत व्यक्त किये हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में 200 विद्यालयों के प्राचार्यों से एकत्र सूचना के अनुसार 40% छात्र ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी वार्षिक आय 6000 रु० से कम है और 16% पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं।

मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेज करने का प्रस्ताव

1722 **श्री अन्बारासु इरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्ना नगर, मद्रास स्थित मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के कुछ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि अन्ना नगर, मद्रास में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना मलेरिया की रोकथाम के लिए जैव पर्यावरण संबंधी तरीकों की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। प्रारंभिक आशाजनक परिणामों के आधार

पर मलेरिया अनुसंधान केन्द्र ने मद्रास शहर में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक सात सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मलेरिया अनुसंधान केन्द्र के पर्यवेक्षण और निर्देशन के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा इसका निष्पादन किया जाएगा। इसलिए मलेरिया अनुसंधान केन्द्र को फील्ड स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी।

क्षेत्रीय भाषाओं का पुस्तकालय

1723. **श्री तारीफ सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं का पुस्तकालय जो कि केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय की एक शाखा है, को पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने पुस्तकालय को फिर से खुलवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) जिस भवन में तुलसी सदन पुस्तकालय चल रहा था उसको केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने खतरनाक और इस्तेमाल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

(ग) भवन की बड़े पैमाने पर मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया था ताकि इसे लगभग अगले दस सालों तक के लिए कार्यात्मक बनाया जा सके। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत का कार्य दिसम्बर 1989 में शुरू किया था और यह कार्य अगले छह महीनों में पूरा हो जाने की सम्भावना है। मरम्मत का कार्य पूरा होते ही पुस्तकालय फिर से खुल जाएगा।

दिल्ली में क्षेत्रीय योजनाओं को अन्तिम रूप देना

1724. **श्री के० एस राव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्टर प्लान-62 के अनुसार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को 139 क्षेत्रों में बांटा गया था;

(ख) यदि हां, तो (1) वर्ष 1980 तक; (2) वर्ष 1981-85 तक और (3) वर्ष 1980-90 तक कितने क्षेत्रों की योजनाओं को अन्तिम रूप देकर उन्हें मंजूरी प्रदान की गई;

(ग) क्या क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी और उन्हें अन्तिम रूप देने के कार्य की प्रगति संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1980 तक 42 तथा 1981-85 के बीच 14 योजनाओं को अन्तिम रूप देकर मंजूरी दी गई थी। शेष योजनाओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि इसी बीच में दिल्ली

बृहद योजना में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था तथा जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसको अधिसूचित किया गया था। दिल्ली बृहद योजना-2001 पहले से ही 1-8-90 से लागू कर दी गई है। नई योजनाओं को दिल्ली बृहद योजना-2001 के प्रावधानों के अनुसार तैयार करके मंजूर करवाना होगा और इस क्रिया-कलाप के लिए 3 वर्ष का समय लगेगा।

"डबलरोटी निर्माताओं को गेहूं कोटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

1725. **श्री छेदी पासवान** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी, 1991 के दैनिक जागरण में "डबलरोटी निर्माताओं को गेहूं कोटा कालाबाजारी, घोटाला सी०बी०आई० जांच की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वस्तुत: यह समाचार सही नहीं है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली के डबलरोटी निर्माताओं को 200/- रु० प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की कोई बिक्री नहीं की थी। तथापि, उक्त अवधि में भारतीय खाद्य निगम को दिल्ली के डबलरोटी निर्माताओं को 280/- रु० प्रति क्विंटल की दर पर 10,000 मीटरी टन गेंहूं की बिक्री करने की इजाजत दी गई थी और दिल्ली प्रशासन से कहा गया था कि वे यह मात्रा विभिन्न डबलरोटी यूनिटों को उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर उप-आवंटित कर दें। इसका उद्देश्य यह था कि डबलरोटी यूनिट इस गेहूं से सस्ता मैदा प्राप्त कर सकें और वे उपभोक्ताओं को नियन्त्रित मूल्य पर डबलरोटी मुहैया करते रहें। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि चूंकि दिल्ली प्रशासन डबलरोटी बनाने के लिए इस गेहूं के इस्तेमाल पर नजर रख रहा था, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

लाल बहादुर शास्त्री स्मारक

1726. **श्री छेदी पासवान** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाल बहादुर शास्त्री स्मारक की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का मूल्य

1727. **श्री छेदी पासवान** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका धागा और वस्त्र उद्योग पर पड़े कुप्रभाव का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कपास के मूल्य में तेजी से हुई वृद्धि के कारण कुछ मिलें बन्द हो गई हैं; और

(घ) कपास के मूल्य कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) प्रायः यार्न और वस्त्र उद्योग पर कपास कीमतों का तत्काल प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) सरकार को कपास की कीमतों में वृद्धि होने के मुख्य कारण से मिलों के बन्द होने की जानकारी नहीं है।

(घ) कपास की कीमत मांग और पूर्ति को बाजार बलों द्वारा निर्धारित की जाती है।

"आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

[अनुवाद]

1728. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1989-90 के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि	(1990-91)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1209.29	2095.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.76	82.16

1	2	3	4
3.	असम	692.41	—
4.	बिहार	1407.66	—
5.	गुजरात	727.44	—
6.	गोवा	37.32	—47.47
7.	हरियाणा	111.39	—
8.	हिमाचल प्रदेश	458.09	297.03
9.	कर्नाटक	537.08	717.54
10.	केरल	—	156.12
11.	महाराष्ट्र	788.33	612.22
12.	मिजोरम	8.74	8.87
13.	मेघालय	—	100.49
14.	मणिपुर	—	47.88
15.	मध्य प्रदेश	—	692.31
16.	नागालैंड	42.98	—
17.	उड़ीसा	864.25	1818.32
18.	पंजाब	115.69	219.29
19.	राजस्थान	1568.63	3456.83
20.	सिक्किम	—	15.36
21.	तमिलनाडु	1213.02	255.12
22.	त्रिपुरा	49.59	—
23.	उत्तर प्रदेश	2757.26	860.94
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8,27	—
25.	चण्डीगढ़	1.17	—
26.	दादरा और नागर हवेली	—	4.14
27.	दिल्ली	32.39	53.59
28.	पांडिचेरी	20.32	10.72

आंध्र प्रदेश में धान की खरीद का कार्य

1729. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों से धान की सीधी खरीद कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में धान की खरीद मिल मालिकों के माध्यम से की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हरियाणा और पंजाब की तरह आंध्र प्रदेश में यही प्रणाली अपनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम और उसकी एजेंसियां आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी धान उत्पादक राज्यों में मूल्य समर्थन परिचालन के प्रयोजन के लिए खोले गए क्रय केन्द्रों पर मूल्य समर्थन परिचालन के अधीन किसानों से निर्धारित विनिर्दिष्टियों (उचित औसत किस्म) के अनुरूप धान की खरीदारी करती हैं।

मिल मालिकों/व्यापारियों द्वारा खरीदी गई धान से तैयार किए गए चावल में से वे "चावल लेवी आदेश" के अधीन भारतीय खाद्य निगम और उसकी एजेंसियों को एक निश्चित प्रतिशतता में चावल की सुपुर्दगी करते हैं। यह प्रतिशतता राज्य प्रति राज्य भिन्न भिन्न होती है। और प्रमुख चावल वसूली राज्यों में यह प्रत्येक हरियाणा और पंजाब के लिए 75% आंध्र प्रदेश के लिए 50% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 60% है।

काला-जार के उपचार हेतु औषधि

1730. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के एक दल ने काला-जार के उपचार के लिए कोटो कोना जोल नामक औषधि तैयार कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह औषधि सार्वजनिक उपयोग हेतु बाजार में कब सुलभ जारी करायी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) :(क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा विभाग में किए गए प्रारम्भिक अध्ययनों से विसरल लेशमियासिस (काला जार) के उपचार में केटोकोनाजोल औषधि की प्रभावकारिता का पता चलता है। केटोकोनाजोल पिछले कई वर्षों से फफूंदरोधी औषध के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। भारत से बाहर किए गए कार्य के आधार पर 1986-87 में प्रकाशित अध्ययनों से पता चलता है कि त्वचा लीशमेनियता के उपचार में केटोकोनाजोल प्रभावकारी है। इस पृष्ठभूमि सूचना को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों ने विसरलेलेश मियासिस (कालाजार) के लिए इस औषधि का प्रयोग किया।

(ग) इस यह औषधि एक फफूंदरोधी औषध के रूप में इस्तेमाल के लिए बाजार में पहले से ही उपलब्ध है। तथापि, कालाजार के लिए केटोकोनोजोल का नेमी इस्तेमाल करने की सिफारिश और क्लिनिकल परीक्षण किए जाने के बाद ही की जा सकती है।

हथकरघा वस्त्रों और हस्तशिल्पों का निर्यात

1731. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से किन-किन देशों को हथकरघा वस्त्रों और हस्तशिल्पों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या इस राज्य से हथकरघा वस्त्रों और हस्तशिल्पों का निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते। भारत से हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका मुख्य बाजार है।

(ख) और (ग) सरकार देश से हथकरघा और हस्तशिल्प का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिनमें शामिल है : व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसंधान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना तथा प्रचार सामग्री का वितरण, प्रमुख बाजारों के मेलों में भाग लेना, क्वालिटी में सुधार करना तथा निर्यात प्रोत्साहन को मंजूरी देना आदि।

पटसन मिलें

1732. **श्री के० प्रधानी**
श्री हरि शंकर महाले
श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने पटसन मिल हैं;

(ख) उनमें से कितने मिल रूग्ण हैं और उसके क्या कारण है;

(ग) इन रूग्ण मिलों को फिर से चालू करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं, और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान किन किन स्थानों में नये पटसन मिल स्थापित करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में 73 पटसन मिलें हैं जिनमें से 59 पश्चिम बंगाल में, 4 आन्ध्र प्रदेश में, 3 उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में तथा असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में प्रत्येक में एक-एक मिल स्थित हैं।

(ख) वर्ष 1985-86 में किए गए विश्लेषण में 37 मिलों में से 24 मिलें रुग्ण पाई गई, वर्ष 1986-87 में किए गए विश्लेषण में 32 मिलों में से 21 मिलें रुग्ण पाई गयीं तथा वर्ष 1988-89 में किए गए विश्लेषण में 20 मिलों में से 11 मिलें रुग्ण पाई गयीं। रुग्णता के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें शामिल हैं :—बाजार का संकुचित हो जाना, कम क्षमता उपयोग, लागत-कीमत असमानता, प्रबन्धकीय अकुशलता, संयत्र तथा उपस्कर के रख रखाव तथा आधुनिकीकरण की कमी।

(ग) सरकार ने रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं : पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, पटसन अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, खाद्यान्न, चीनी, यूरिया तथा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए अधिनियम के तहत पटसन का प्रयोग अनिवार्य करना, अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों तथा उत्पाद विविधीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी, लागत जमा आधार पर बी० ट्विल बोरों की नियमित खरीद, उत्पाद शुल्क की छूट, रियायती आयात शुल्क, विपणन सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन देना आदि। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए उपचारी निरोधी तथा सुधारात्मक उपायों को निर्धारित करने तथा उन्हें लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना भी की है।

(घ) सरकार की वर्ष 1991-92 के दौरान कोई नई पटसन मिल स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

खाद्यान्नों का ढुलाई प्रभार

1733. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुओं का ढुलाई प्रभार केन्द्रीय-राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) क्या इन वस्तुओं की ढुलाई के लिए दिया जाने वाला ढुलाई प्रभार पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपर्याप्त ढुलाई प्रचार का तर्क देकर खुदरा डीलर अपना माल शहरों और नगरों में बेचते हैं और बहुधा इन वस्तुओ को सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्य पर मुहैया किए जा रहे गेहूं और चावल के ढुलाई प्रभार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मार्जिन में शामिल किए जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे ढुलाई और वितरण में अन्तर्ग्रस्त खर्च को पूरा करने के लिए ऐसा मार्जिन निर्धारित करें जो 25/-रु० प्रति क्विंटल से अधिक

नहीं होना चाहिए । सभी राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश उपर्युक्त खर्च को 25/ रु० के मार्जिन के अन्दर पूरा करने में समर्थ हैं और वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निश्चित खुदरा मूल्यों पर खाद्यान्नों की पूर्ति कर रहे हैं लेकिन इनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के राज्य शामिल नहीं है जो कि निश्चित खुदरा मूल्यों से अधिक मूल्य ले रहे हैं ।

(ग) और (घ) ऐसी कोई प्रथा सरकार के नोटिस में नहीं आई है। यह योजना एक कल्याणकारी उपाय है और केन्द्रीय सरकार 50/-रु० प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राजसहायता वहन कर रही है । यदि वितरण लागत 25/- रु० प्रति क्विंटल से अधिक हो जाती है तो उस दशा में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त लागत को वहन करने की अपेक्षा की जाती है ।

अनुसूचित जनजाति को खाद्यान्न की बिक्री पर राजसहायता

1734. **श्री के० प्रधानी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय/जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में खाद्यान्न राजसहायता प्राप्त दरों पर बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) और चीनी की प्रचलित दरें क्या हैं;

(ग) प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्न का खरीद मूल्य क्या है; और

(घ) प्रत्येक मद पर कितने प्रतिशत राजसहायता दी जाती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरण करने के लिए गेहूं और चावल जारी किए जाते हैं ।

(ख) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन वितरण करने के लिए खाद्यान्नों के वर्तमान निश्चित खुदरा मूल्य निम्नानुसार हैं :—

		रु०/प्रति क्विंटल
चावल		
	साधारण	264.00
	बढ़िया	324.00
	उत्तम	345.00
गेहूं		209 00

आदिवासी अथवा आदिवासी उप-योजना इलाकों में राजसहायता प्राप्त दरों पर चीनी नहीं बेची जाती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 5 25 रु० प्रति किलो के एक समान खुदरा निर्गम मूल्य पर चीनी की आपूर्ति की जा रही है ।

(ग) खाद्यान्नों की प्रत्येक किस्म का वर्तमान वसूली मूल्य नीचे दिया गया है :

रु०/प्रति क्विटल

धान

साधारण	205.00
बढ़िया	215.00
उत्तम	225.00

चावल

लेवी चावल के वसूली मूल्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

गेहूं　　215.00 रु० प्रति क्विटल

(घ) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन की गई आपूर्तियों पर खर्च की गई राजसहायता की अनुमानित प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

रु/प्रति क्विटल

	इकनामिक लागत	राजसहायता प्रति क्विटल	प्रतिशतता
चावल	442.38	165.00	37.29
गेहूं	335.80	152.85	45.52

विवरण

खरीफ 1990-91 के लिए लेवी चावल के वसूली मूल्य

(दर रुपये प्रति क्विटल)

क्षेत्र	किस्म	1990-91
1	2	3
पंजाब संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	साधारण	347.25
	बढ़िया	374.30
	उत्तम	393.80

1	2	3
हरियाणा	साधारण	347.50
	बढ़िया	374.95
	उत्तम	394.10
उत्तर प्रदेश	साधारण	327.65
	बढ़िया	342.75
	उत्तम	365.75
राजस्थान	साधारण	341.25
	बढ़िया	355.00
	उत्तम	386.95
दिल्ली	साधारण	347.50
	बढ़िया	374.95
	उत्तम	394.10
बिहार	साधारण	326.20
	बढ़िया	344.80
	उत्तम	360.10
पश्चिम बंगाल	साधारण	323.15
	बढ़िया	341.55
	उत्तम	356.70
असम	साधारण	335.75
	बढ़िया	356.75
	उत्तम	372.60
उड़ीसा	साधारण	345.05
	बढ़िया	361.10
	उत्तम	377.15
पांडिचेरी	साधारण	313 90
	बढ़िया	328.20
	उत्तम	343.00
आन्ध्र प्रदेश	साधारण	338.55
	बढ़िया	354.30
	उत्तम	370.05
कर्नाटक	साधारण	322 20
	बढ़िया	337.15
	उत्तम	352.10

1	2	3
मध्य प्रदेश	साधारण	334.55
	बढ़िया	350.10
	उत्तम	365.65
गुजरात	साधारण	313.00
	बढ़िया	327.50
	उत्तम	342.00
महाराष्ट्र	साधारण	330.05
	बढ़िया	335.35
	उत्तम	360.60

कालोनियों के बारे में अधिसूचना

[हिन्दी]

1735. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु वर्ष 1990-91 के दौरान कोई अधिसूचना जारी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कालोनियों में उपलब्ध उक्त कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में उल्लिखित दस कालोनियों को 1990-91 के दौरान नियमित किया गया है।

(ग) लाभनुभोगियों द्वारा निर्धारित विकास प्रभारों के भुगतान की शर्त पर सड़क, बरसाती पानी की नालियां, पेय जल, विद्युत, पार्क आदि उपलब्ध कराये जाने हैं।

विवरण

1. फरीद पुरी
2. नालीपार बस्ती
3. ब्रह्मपुरी
4. हरकेश नगर
5. बलजीत नगर
6. बापा नगर
7. खालसा नगर
8. गोबिन्द गढ़
9. अमृतकौर पुरी
10. कबीर बस्ती

पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अधीन परियोजनाएं

[अनुवाद]

1736. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू करेगा;

(ख) प्रत्येक परियोजना इस समय किस स्तर पर है;

(ग) समझौते के अधीन कुल कितनी पूंजी-निवेश का प्रावधान किया गया है;

(घ) वर्ष 1990-91 में अब तक वास्तव में कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ङ) क्या पेप्सी कम्पनी द्वारा उत्पादित शीतल पेय को बोतलों में भरने तथा पूरे देश में वितरित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितने लाइसेंस धारकों को अधिकृत किया गया है और उनमें से प्रत्येक को कौन सा क्षेत्र आवंटित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित तीन यूनिटों की स्थापना की है :—

1. गांव जाहुरा, जिला होशियारपुर, पंजाब में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट
2. गांव चन्नों, जिला संगरूर, पंजाब में प्रसंस्कृत आलू/खाद्यान्न उत्पाद यूनिट
3. गांव चन्नों, जिला संगरूर, पंजाब में मृदु पेय सांद्रण यूनिट

(ख) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न संयंत्रों को निम्नलिखित महीनों में चालू किया गया :—

1. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र	मई, 1990
2. प्रसंस्कृत आलू/खाद्यान्न उत्पाद संयंत्र	फरवरी, 1990
3. मृदु पेय सांद्रण संयंत्र	अप्रैल, 1990

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना में कुल 68.50 करोड़ रु० का निवेश निहित है। मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि आरम्भ से 1991 तक इसमें 68.50 करोड़ रु० का कुल पूंजी निवेश किया जा चुका है।

(ङ) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी मृदु पेय सांद्रण तैयार करती है और निर्धारित बाटलरों को इसकी आपूर्ति करती है और बाटलर सारे देश में मृदु पेय का वितरण और बिक्री करते हैं।

(च) निदेशक (फल एवं सब्जी प्रसंस्करण) के कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मृदु पेय (वातित) तैयार करने और बेचने के लिए मै० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित 13 कम्पनियों को प्राधिकृत किया गया है।

(1) मै० जय ड्रिंक्स (प्रा०) लि०, जयपुर।
(2) मै० रेसीडेन्सी फूड्स एण्ड बीवरेज, उन्नाव।
(3) मै० ढिल्लों कूल ड्रिंक्स बीवरेज, चण्डीगढ़।
(4) मै० यूनी-पेप्सी बाटलर्स, नई दिल्ली।
(5) मै० स्टील सिटी बीवरेज लि०, जमशेदपुर।
(6) मै० सिटी ड्रिंक्स (प्रा०) लि०, बंगलौर।
(7) मै० कृष्णा बाटलर्स (प्रा०) लि०, विजयवाड़ा।
(8) मै० फाल्कन बीवरेज इण्डिया (प्रा०) लि०, मदुरै।
(9) मै० मुदगल बीवरेज (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
(10.) मै० वोल्टास इण्डिया लि०, बम्बई।
(11) मै० यूनीवर्सल लि०, पनजिम।
(12) मै० यूनीवर्सल ड्रिंक्स (प्रा०) लिमिटेड, नागपुर।
(13) मै० छतीसगढ़ बीवरेज (प्रा०) लि०, रायपुर।

पंजाब में सरकारी माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल

1737. **श्री कमल चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सरकार माध्यमिक स्कूलों तथा सरकार उच्च माध्यमिक स्कूलों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1991 को स्थिति के अनुसार ऐसे स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जिलावार संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे पदों को कब तक भर दिये जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में चीनी की मिलों की स्थापना

1738. **श्री कमल चौधरी**
श्री कृपाल सिंह } : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब में चीनी की मिल स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजाब की चीनी कारखानों की कितनी परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए लाइसेंसों की स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये हैं और यदि हां, तो कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) खाद्य विभाग में 15-2-91 को नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु 32 आवेदन पत्र लम्बित हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शर्करा उद्योग के लिए लाइसेंस नीति के विभिन्न पक्षों की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है उसके बाद उक्त प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाएं

1739. **श्री कमल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाई है या बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी नहीं। चूंकि "स्वास्थ्य" एक राज्य का विषय है, इसलिये पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में चिकित्सकों के रिक्त पद

1740. **श्री कमल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों/डिस्पेंसरियों में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यह पद कब से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिये क्या कदम उठाए गए है/उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अतिरिक्त नर्सिंग कालेज

[हिन्दी]

1741. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अतिरिक्त नर्सिंग कालेज संस्थान और विश्वविद्यालय खोलने का है और यदि हां, तो ये कहां खोले जायेंगे; और

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु की जा रही कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान 10 नए नर्सिंग स्कूलों को खोलने के लिए वित्तीय सहायता देना प्रस्तावित है जिसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को और अधिक संख्या में दाखिला दिया जाए। उनका स्थापना स्थल अभी तय किया जाना है। देश में नर्सिंग संस्थान और विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का कार्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की स्थापना करने के मानदण्ड के अनुसार प्रति बीस हजार आदिवासी आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रति तीन हजार आदिवासी आबादी के लिए एक उपकेन्द्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रति 80000 आदिवासी आबादी के लिये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिसमें चार विशेषज्ञ हों, होना चाहिए।

आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षक संस्थाओं में शिक्षक सुविधाएं

1742. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षण संस्थाएं हैं;

(ख) उनमें से केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा कितनी शिक्षण संस्थाएं जिलेवार चलाई जा रही हैं;

(ग) क्या इनमें अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) महाराष्ट्र राज्य में 32 आयुर्वेदिक और 3 यूनानी शैक्षणिक संस्थाएं हैं।

(ख) 32 आयुर्वेदिक संस्थाओं में से चार आयुर्वेदिक संस्थाएं, अर्थात् बम्बई, नागपुर, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) इन सभी संस्थाओं में शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद इन संस्थाओं का निरीक्षण करती है ताकि परिषद द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के आधार पर उनके न्यूनतम शिक्षण सम्बन्धी मानकों का मूल्यांकन किया जा सके। निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई कमियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करना

[अनुवाद]

1743. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट
श्री के० एस० चावड़ा } क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने सरकार से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नवम्बर, 1990 के अन्त के मूल्यों के स्तर पर नियंत्रित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) ऐसा कोई सुझाव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों के गेहूं के कोटे में कटौती

1744. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के गेहूं के मासिक कोटे में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे कितना कम किया गया है;

(घ) क्या सरकार का मूल कोटे को बहाल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक बहाल किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं । इसके विपरीत, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से किये जा रहे गेहूं के आवंटनों में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है । अप्रैल, 1990 में 6.75 लाख मीटरी टन गेहूं का आवंटन किया गया था जबकि मार्च, 1991 में इसे बढ़ाकर 9.66 लाख मीटरी टन कर दिया गया था ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पृथक संस्थान

1745. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान ने टीकों का उत्पादन बढ़ाने और इनके आयात की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान ने केन्द्रीय सरकार से देश में निर्मित टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एक पृथक और स्वतन्त्र राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है ताकि प्रतिरक्षरण जैविकों का मानकीकरण तथा नियंत्रण किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री वसंई चौधरी) : (क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने डी०पी०टी० वर्ग की वैक्सीनों तथा जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीनों के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रस्ताव तैयार किए है।

(ख) से (घ) इस प्रयोजन के लिए नोयड़ा में एक राष्ट्रीय जैविक संस्थान (नेशनल इस्टिट्यूट आफ बायलॉजी कल्स) की स्थापना करने के लिए पहले ही निर्णय ले लिया गया है।

दिल्ली की उचित दर दुकानों पर छापे

[**हिन्दी**]

1746. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री आर० एम० भोये
: क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं, चावल और अन्य वस्तुओं की काला बाजारी किए जाने से रोकने के लिये दिल्ली की कुछ उचित दर की दुकानों पर छापे मारे हैं;

(ख) क्या छापे के दौरान गिरफ्तार कुछ उचित दर के दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये है;

(ग) क्या सरकार ने इसके फलस्वरूप जनता को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त दुकानों के स्थान पर नई उचित दर की दुकानें खोली हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक ऐसी खोली गई उचित दर की दुकानों की संख्या कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) नवम्बर, 90 से 28 फरवरी, 91 की अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन ने 400 उचित दर दुकानों पर छापे मारे/जांच की तथा 25 मामलों के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरुप 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कई मामलों में, उन मामलों पर अन्तिम निर्णय होने तक के लिए, उचित दर दुकानें चलाने के प्राधिकार को रद्द कर दिया गया।

उचित दर दुकान के लाइसेंस के रद्द किए जाने की अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन उन खाद्य कार्डों को पास की उचित दर दुकानों के साथ सम्बद्ध कर देता है, ताकि राशन कार्डधारियों को इस कारण से किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

मछली और मुर्गी व्यापार को पुरानी दिल्ली से स्थानांतरित करना

[अनुवाद]

1747. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री आर० एम० भोये
श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मछली और मुर्गी व्यापार को पुरानी दिल्ली से स्थानान्तरित करके जामा मस्जिद क्षेत्र में भीड़-भीड़ कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मछली तथा कुक्कुट व्यापार जामा मस्जिद क्षेत्र से गाजीपुर गांव में स्थानान्तरित किया जाना है। इस योजना का कार्यान्वयन पहले ही हो चुका है और दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से 15 एकड़ तक भूमि अधिग्रहित कर ली है और नई मार्किट के विन्यास नक्शे को दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। परियोजना की अनुमानित लागत 10 से 12 करोड़ रुपये आंकी गई है।

उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए केन्द्र

[हिन्दी]

1748. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये शिकायत केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक खोले गए इन शिकायत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) काला बाजारी तथा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के आरोप में दिल्ली प्रशासन द्वारा अब तक कितने उचित दर दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने खाद्य और आपूर्ति विभाग में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो सभी कार्य दिवसों तथा छुट्टी के दिनों को प्रातः 8.00 बजे से रात्री 9 00 बजे तक कार्य करता है। उसके टेलीफोन नं० 2525744 और 2520255 हैं। नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन पर एवं लिखित रूप में शिकायतें प्राप्त की जाती है। सभी मंडल राशन कार्यालयों में शिकायत काउंटर भी खोले गए हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 15 फरवरी, 91 तक 21 उचित दर दुकानधारियों को अपराधों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

राज्यों में फार्मेसी कालेजों को अनुदान

1749. **तेज नारायण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में फार्मेसी कालेजों को विकास सम्बन्धी अनुदान स्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) क्या सरकार को विकास अनुदान आयोग से बिहार में वर्ष 1990-91 के लिए फार्मेसी कालेजों को अनुदान देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो लम्बित प्रस्तावों के बारे में उचित निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) इस समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास तकनीकी संस्थानों जिनमें फार्मेसी कालेज भी शामिल हैं, को कोई विकासात्मक अनुदान देने के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में जी० आई० एफ० टी० की सुविधा

1750. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अस्पतालों में भी जी० आई० एफ० टी० तकनीक उपलब्ध है;

(ख) यदि हां तो उन अस्पतालों के नाम क्या हैं, जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, नहीं। दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ?

(ङ) यह तकनीक अभी प्रयोग की अवस्था में है।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई पाठ्य-पुस्तकें

1751. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किन विषयों की पाठ्य-पुस्तकें तैयार की गई है; और

(ख) इन पाठ्य-पुस्तकों के तैयार करने में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, खर्च का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने निम्नलिखित विषयों में पाठ्य-पुस्तकें तैयार की हैं :—

(1) कक्षा 1 से बारहवीं तक हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें।

(2) कक्षा 1 से बारहवीं तक अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें।

(3) कक्षा 1 से बारहवीं तक उर्दू की पाठ्यपुस्तकें।

(4) कक्षा 1 से बारहवीं तक गणित विषय की पाठ्यपुस्कें।

(5) छठी कक्षा से दसवीं तक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें।

(6) ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षाओं के लिए भौतिक की पाठ्यपुस्तकें।

(7) ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षाओं के लिए रसायन की पाठ्यपुस्तकें।

(8) ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षाओं के लिए वनस्पति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें।

(9) उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तकें।

(10) छठी से बारहवीं कक्षाओं के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तकें।

(11) छठी से बारहवीं कक्षाओं के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तकें।

(12) छठी से दसवीं कक्षा के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें।

(13) ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें।

(14) ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा के लिए वाणिज्य की पाठ्यपुस्तकें।

(15) ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा के लिए समाज विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें।

(16) नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए अर्थ-शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें।

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान पुस्तकों को तैयार करने पर (कागज और मुद्रण) नीचे दिये गये विवरण के अनुसार किया गया व्यय निम्नवत् है :—

	कागज	मुद्रण
1987-88	रुपए 1,18,69,309.84	रुपए 87,56,488.12
1988-89	रुपए 2,29,84,732.43	रुपए 1,19,21,828.36
1989-90	रुपए 7,41,41,996.39	रुपए 1,40,19,922.27

व्यय का उपर्युक्त विवरण पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्री दोनों के लिए है।

सेकेन्डरी तथा +2 सीनियर सेकेन्डरी परीक्षा में शामिल हुए छात्र

[अनुवाद]

1752. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ राज्य वार कितने शिक्षण संस्थान सम्बद्ध हैं; और

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेन्डरी और +2 सीनियर सेकेन्डरी परीक्षाओं में गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार कितने छात्र बैठे थे और उनका परीक्षा परिणाम अलग-अलग कितने प्रतिशत रहा था ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। हालांकि के०मा०शि०बो० की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या का बोर्ड द्वारा राज्य-वार ब्योरा नहीं रखा जाता।

विवरण

1. के०मा०शि०बो० से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाओं की संख्या

राज्य	स्कूल
आन्ध्र प्रदेश	136
असम	39
बिहार	128

1	2
गुजरात	47
हरियाणा	120
हिमाचल प्रदेश	48
जम्मू और कश्मीर	42
कर्नाटक	66
केरल	75
मध्य प्रदेश	126
महाराष्ट्र	80
मणिपुर	12
मेघालय	11
नागालैंड	4
उड़ीसा	50
पंजाब	104
राजस्थान	105
सिक्किम	68
तमिलनाडु	145
त्रिपुरा	7
उत्तर प्रदेश	267
अरूणाचल प्रदेश	108
मिजोरम	4
पश्चिम बंगाल	59
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	63
चण्डीगढ़ (सं० क्षे०)	100
दिल्ली (सं० क्षे०)	1045
गोवा	5
पांडिचेरी (सं०क्षे०)	4
दादरा और नागर हवेली (सं०क्षे०)	1
लक्षद्वीप (सं० क्षे०)	1
दमन और दीव (सं० क्षे०)	2
कुल	3070

पिछले तीन वर्षों में के०मा०शि०बो० द्वारा आयोजित परीक्षा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या और उनके परिणाम का प्रतिशत

स्कीम	माध्यमिक स्कूल परीक्षा शामिल हुए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशतता
अखिल भारत-1988	100303	80664	80.4
दिल्ली- 1988	93262	62228	66.7
अखिल भारत-1989	112018	95817	85.5
दिल्ली- 1989	88592	48101	54.2
अखिल भारत-1990	128859	100770	78.2
दिल्ली- 1990	96985	47168	47.8
	सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा		
अखिल भारत-1988	53456	44482	83.2
दिल्ली- 1988	50843	42093	82.8
अखिल भारत-1989	63300	53344	84.2
दिल्ली- 1989	40131	39922	81.2
अखिल भारत-1990	73282	57161	78.0
दिल्ली- 1990	62784	45117	71.9

10+2 स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला लागू करना

[हिन्दी]

1753. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10+2 स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत भाषाओं के पठन-पाठन हेतु, राज्य-वार, क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) राजभाषा हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा उसके लिए विभिन्न एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों का ब्योरा क्या है; और

(घ) हिन्दी के प्रचार एवं हिंदी में परीक्षाओं के आयोजन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न हिन्दी स्वयसेवी संगठनों को दी गई अनुदान राशि का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र अपनाना चाहिए तथा इसे प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करना चाहिए जिसमें आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है, तरजीहन हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी व अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दक्षिणी भाषा तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा व अंग्रेजी के साथ हिंदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने भाषा अध्यापन के बारे में इस प्रावधान का समर्थन किया है।

2. तमिलनाडु, जो द्विभाषा सूत्र कार्यान्वित कर रहा है को छोड़कर सभी राज्यों ने सिद्धांत: त्रिभाषा सूत्र स्वीकार कर लिया है। कार्यान्वयन की सीमा हर राज्य में अलग-अलग है, जो राज्य व संघ शासित प्रदेश त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वित कर रहे हैं, वे हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. गोवा
3. हिमाचल प्रदेश
4. कर्नाटक
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. महाराष्ट्र
8. मेघालय
9. उड़ीसा
10. पंजाब
11. राजस्थान
12. सिक्किम
13. उत्तर प्रदेश
14. चण्डीगढ़
15. दादर व नगर हवेली
16. दमन व दीव
17. लक्षद्वीप
18. पांडिचेरी (महे व यनम क्षेत्र केवल)

3. नीचे दिए गए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों से तीसरी भाषा के अध्ययन के लिये प्रबन्ध केवल उच्च प्राथमिक स्तर तक सीमित हैं :—

राज्य		तीसरी भाषा के अध्ययन के लिए जहां तक प्रबन्ध किये गये हैं।
1.	अरूणाचल प्रदेश	कक्षा-8
2.	असम	कक्षा-7
3.	बिहार	कक्षा-8
4.	हरियाणा	कक्षा-8
5.	जम्मू व काश्मीर	कक्षा-8
6.	मणिपुर	कक्षा-8
7.	मिजोरम	कक्षा-8
8.	नागालैंड	कक्षा-8
9.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	कक्षा-8
10.	दिल्ली	कक्षा-8

4. निम्नलिखित राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में माध्यमिक स्तर पर तीसरी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक है :—

1. गुजरात
2. हरियाणा
3. त्रिपुरा
4. जम्मू व काश्मीर
5. पश्चिम बंगाल
6. दिल्ली

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 346 में यह उल्लेख किया गया है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ तथा राज्य और केन्द्र के बीच पत्राचार के लिये राजभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये। राज्य की विधायिका सभी के प्रयोग के लिए या राज्य के कार्यालय प्रयोग के लिए भाषा या भाषाओं के रूप में हिन्दी या कोई एक या एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर सकती है। केन्द्र सरकार के गृह मन्त्रालय के अधीन राजभाषा विभाग एक एजेन्सी है। प्रत्येक राज्य सरकार के पास राज्य में राजभाषा के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिये एक विभाग है।

6. हिन्दी के प्रसार और हिंदी में परीक्षाएं संचालित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को दिये गये अनुदानों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रु० में)

1987-88	1988-89	1989-90
116.08	209.93	348.79

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

1754. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अलग-अलग कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया और यह अनुदान किस प्रयोजनार्थ दिया गया;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का प्रतिवर्ष के बजट का ब्यौरा क्या है, इनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है और विभाग तथा छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और पदोन्नतियों के सम्बन्ध में अनियमिताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पिछले 3 वर्षों के दौरान विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (योजनेत्तर), दोनों के लिये प्रदत्त अनुदान संलग्न विवरण-I में दिया गया है ।

कर्मचारियों की संख्या, विभागों तथा छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी विवरण-2 में दी गई है ।

वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का उनकी वित्त समितियों द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक योजनेत्तर बजट विवरण-3 में दिया गया है ।

(ग) और (घ) नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितता की शिकायतों की विश्वविद्यालय से प्राप्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जांच की जाती है और उन पर निर्णय लिया जाता है । हाल ही के कुछेक मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा की गई 34 शिक्षकों की नियुक्ति को विजिटर द्वारा अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाम करके रद्द कर दिया गया है ।

(2) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में खाड़ी अध्ययन में एसोशिएट प्रोफेसर तथा तुर्की अध्ययन के सहायक प्रोफेसर के चयन में तथा कथित अनियमितताओं के विरूद्ध शिकायतें तथ्यहीन पाई गई हैं ।

(3) विधि संकाय के एक रीडर की पदोन्नति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति को भेज दिया गया है ।

(4) यह आरोप लगाते हुए कि प्रवरण समिति से विशेषज्ञों का नामांकन सांविधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, तृतीय विश्व अध्ययन निदेशक, जामिया मिलिया इस्लामिया से प्राप्त शिकायत।

(ङ) और (च) संसद ने असम और नागालैंड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 1989 में विधान पारित किया है। सरकार ने 8वीं योजना अवधि में कोई अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय नहीं लिया है।

विवरण-1

विश्वविद्यालय	पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान					
	1987-88				1989-90	
	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
1	2	3	4	5	6	7
1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	2576.35	374.74	2830.32	180.51	2971.89	322.11
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	3423.93	525.18	3437.58	311.46	3617.07	452.42
3. दिल्ली विश्वविद्यालय	1790.23	258.60	2066.45	209.72	2015.47	535.88
4. हैदराबाद विश्ववद्यिालय	442.67	336 32	523.45	133.20	616.91	403.03
5. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1039 45	861.36	1098.73	1272.60	1209 42	655.93
6. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्यविद्यालय	761.27	196.28	844.51	163.33	894.89	205.83
7. विश्वभारती	729.62	125.73	800.45	40.47	845.14	102.02
8. जामिया मिलिया इस्मामिया	—	—	30.00	186.45	528.25	300.00
9. पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1.00	563.84	11.50	347.47	7.12	360.14
10. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय-मुक्त विश्वविद्यालय	—	420.00	—	1100.00	—	1841.00

विवरण-2

विश्वविद्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या	विभागों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	761 (ग्रुप-डी को छोड़कर)	7	42,189
2. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	203	43	27,284
3. पांडिचेरी विश्वविद्यालय	128	17	617
4. दिल्ली विश्वविद्यालय	745	54	1,61,365
5. जवाहरलाल नेहरू विश्वविविद्यालय	350	31	3,586
6. जामिया मिलिया इस्लामिया	404	32	7,382
7. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1,292	126	11,853
8. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1,123	19	13,204
9. विश्वभारती	575	62	4,360
10. हैदराबाद विश्वविद्यालय	182	17	1,577

विवरण-3

1990-91 के लिए बजट प्राक्कलन (संशोधित)

(योजनेतर)

(वित्त समिति द्वारा यथा अनुमोदित)

1	2 विश्वविद्यालय	3
1.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	307.10 लाख रुपए
2.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1020.00 लाख रुपए
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	2740.00 लाख रुपए
4.	विश्वभारती	1005 00 लाख रुपए
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1387.37 लाख रुपए
6.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	4550.00 लाख रुपए
7.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	3711.00 लाख रुपए
8.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	728.00 लाख रुपए
9.	जामिया मिलिया इस्लामिया	777.00 लाख रुपए
10.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2265.56 लाख रुपए

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में रिक्त पद

1755. **श्री धान सिंह जाटव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन महाराष्ट्र नार्थ लिमिटेड ने सितम्बर, 1990 में कुछ रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त रिक्त पदों के लिए अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) एन टी सी (एम. एन.), बम्बई ने 25 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था।

(ग) एन टी सी (एम. एन.) द्वारा प्राप्त कुल 328 आवेदन-पत्रों में से 86 आवेदन पत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से प्राप्त हुए थे। 3 पदों पर भर्ती का कार्य पूरा हो गया है। एन टी सी (एम एन) आरक्षण नीति के अनुसार शेष रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

उपभोक्ता आंदोलन पर गोष्ठी

1756. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में उपभोक्ता आंदोलन पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें/सुझाव रखे गये; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में उपभोक्ता आंदोलनों के सम्बन्ध में हाल में कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की है। पिछली संगोष्ठी 17-3-1990 को हुई थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन

1757. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में, अलग अलग, कितनी पुस्तकों को मूल रूप में प्रकाशित किया गया; और

(ख) इसी अवधि के दौरान, अंग्रेजी और हिन्दी में अलग-अलग कितने अनूदित संस्करण प्रकाशित किये गए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (1987-88, 1988-89 और 1989-90) के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में मूल रूप में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या क्रमशः 36 और 28 थी।

(ख) 23 अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित किए गए थे, जबकि इस अवधि के दौरान अंग्रेजी में कोई अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत फ्लैटों के आवंटन के नियम

1758. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन के नियम क्या हैं;

(ख) किन परिस्थितियों में मकानों के आबंटन रद्द किये जाते हैं तथा इनके पुनर्आबंटन की क्या प्रक्रिया है;

(ग) इन मकानों के पुनर्आबंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितना शुल्क लिया जाता है तथा इसके लिए संबंधित अधिकारी कौन हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अलग रिलीज के लिए फ्लैटों का नियतन लाटरी द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक योजना में पात्र पंजीकृत व्यक्तियों की वरीष्ठता तथा स्ववित्त पोषित योजना के फ्लैटों के नियतन के लिए पात्र पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित कालोनी की पसंद को ध्यान में रखा जाता है।

भुगतान करने और अपनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए सफल पंजीकृत व्यक्तियों को मांग तथा नियतन पत्र जारी किए जाते हैं।

फ्लैटों के पूर्ण होने के पश्चात् वे आवंटिती जिन्होंने भुगतान कर दिया है और अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं, को फ्लैट के विशिष्ट नियतन के लिए विचार किया जाता है।

(ख) आबंटितियों द्वारा समय पर किस्तों की अदायगी न करने और निर्धारित प्रावधानों/औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण आबंटन रद्द कर दिए जाते हैं।

विवरणिका में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार रद्द किए गए फ्लैटों को आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटन के लिए दुबारा रिलीज किया जाता है।

(ग) रद्द किए गए फ्लैटों का आबंटन/नियतन श्रेणी-II फ्लैटों के लिए 2500 रुपये और श्रेणी-III फ्लैटों के लिए 3750 रुपये की दर से पुन: प्रचलन प्रभारों की अदायगी पर पुन:स्थापन हेतु विचार किया जाता हैं।

पात्र मामलों में नियतन/आबंटन के पुन: स्थापन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपाध्यक्ष/आयुक्त (आवास) को अधिकार दिए गए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाड़ी देशों से वापस आये लोगों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र

[अनुवाद]

1759. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों से वापस आये बच्चों के लाभ के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ये परीक्षा केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) ने खाड़ी देशों से वापस आने वाले लोगों के बच्चों के लिए भारत में छ: विशेष परीक्षा केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ख) ऐसे परीक्षा केन्द्र बंगलौर, बम्बई, दिल्ली हैदराबाद, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं।

कर्नाटक को पामोलीन

1760. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1990 तथा जनवरी और फरवरी, 1991 के दौरान कर्नाटक को पामोलीन आयल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) खाद्य तेलों का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध न होने की वजह से दिसम्बर, 1990 और जनवरी, 1991 के महीनों के दौरान किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित तेलों का कोई आबंटन नहीं किया गया। फरवरी, 1991 के दौरान कर्नाटक को आरबीडी पामोलीन की 1600 मी० टन मात्रा आबंटित की गई है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेलों का आयात

1761. **श्री राम नाईक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को घरेलू सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के आयात की अनुमति दी गई थी और लक्ष्य की तुलना में कितना आयात किया गया;

(ग) खाद्य तेलों की ब्लेंडिंग के लिये सरकार द्वारा क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया और इनके लिए कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तेल वर्ष 1989-90 के लिए पामोलीन की 80,000 मी० टन की अधिकृत मात्रा में से खाद्य तेलों की मार्गीकरण एजेन्सी, राज्य व्यापार निगम द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बाजार दखल कार्यवाही के लिये तेल वर्ष के दौरान 68,000 मी० टन पामोलीन का आयात किया गया। बकाया 12000 मी० टन मात्रा नवंबर, 1990 के पहले पखवाड़े में प्राप्त हुई।

(ग) मिश्रित खाद्य तेलों, जिनमें एक गैर-पारम्परिक खाद्य परिष्कृत तेल तथा एक पारम्परिक कच्चा खाद्य तेल होता है, के उत्पादन तथा बिक्री की अनुमति निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन दी गई है :—

1. सम्मिश्रण में पारम्परिक तेल का अनुपात भार में 20% से कम न हो।
2. सम्मिश्रण में प्रयुक्त प्रत्येक खाद्य तेल की गुणवत्ता, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के तहत निर्धारित संगत मानक के अनुरूप अवश्य होनी चाहिए।
3. खाद्य तेलों के सम्मिश्रण को नारिक पूर्ति विभाग, भारत सरकार (वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय) द्वारा अथवा उक्त विभाग की अधिकृत एजेन्सियों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन और वनस्पति तेल परियोजना के तहत गठित राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ द्वारा संसाधित और अधिक से अधिक 5 कि.ग्रा. के सीलबन्द पैकेजों में, अनिवार्य रूप से एकमार्क प्रमापन चिन्ह के तहत और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के खण्ड (जेड-जेड) के नियम 42 में निर्धारित की गई घोषणा का लेबिल लगाकर बेचा जाता है।

(घ) गत तीन तेल वर्षों के दौरान उत्पादित खाद्य तेलों की कुल मात्रा, आयात की गई कुल मात्रा तथा उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

(मात्रा लाख मी० टन में तथा मूल्य करोड़ रुपये में)

	खाद्य तेल का उत्पादन	आयातित खाद्य तेल	आयातित मात्रा का मूल्य (लागत, बीमा व भाड़ा मूल्य)
1987-88	37.67	18.19	1060.9
1988-89	48.50	3.73	245.7
1989-90	47.22	6 07	[illegible]28.3

बृहत्तर मुम्बई के लिए विश्व बैंक की सहायता

1762. **श्री राम नाईक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक ने बृहत्तर मुम्बई के नगर निगम की मल व्ययन परियोजना की दूसरी परियोजना के लिये वित्तीय सहायता बन्द कर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) बम्बई मल व्ययन परियोजना के द्वितीय चरण के एक भाग के लिये विश्व बैंक ने तृतीय बम्बई जलपूर्ति और मल निर्यात परियोजना के अन्तर्गत ऋण सहायता आस्थगित की है।

(ख) यह इस परियोजना के विषय में विदेशी परामर्शी सेवाएं लेने की सीमा के सम्बन्ध में विचारों में मतभेद होने के कारण से है।

(ग) मतभेदों का समाधान करने तथा ऋण निरसन से बचने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

धूम्रपान विरोधी कानून

1763. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का धूम्रपान-विरोधी विधान लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख जी, हां। प्रस्तावित कानून द्वारा सिगरेट के बारे में मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, अर्थात् सिगरेट (उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 की विधि एवं न्याय मन्त्रालय और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से परामर्श लेते हुए जांच की जा रही है। प्रस्तावित कानूनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

— सिगरेट पैकेटों/विज्ञापनों/होर्डिंग पर मौजूदा सांविधिक चेतावनी कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है" में नीचे दिये गये किसी न किसी प्रभावोत्पादक नारे की सहायता से परिवर्तन किया जाएगा :
"धूम्रपान से मुख का कैंसर हो सकता है।"
"धूम्रपान से दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं।"
"धूम्रपान आपकी आयु को कम कर सकता है।"
"धूम्रपान श्वसन समस्याओं को पैदा कर सकता है।"

— सांविधिक चेतावनी सिगरेट पैकेटों पर सुस्पष्ट रूप से दर्शाई जायेगी।

— सिगरेट के विज्ञापनों को वर्जित करना।

कुष्ठ रोगों के टीकों का परीक्षण

1764. **श्री परसराम भारद्वाज**
श्री बी० देवराजन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुष्ठ रोग सम्बन्धी टीके का परीक्षण करने के लिये करोड़ों रुपयों का वित्त-पोषण करने पर सहमत हुआ है; जबकि अन्य दो देशों में इसी टीके के परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या देश में इसके परीक्षण के बारे में अलग-अलग विचार व्यक्त किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित एक कुष्ठरोधी वैक्सीन सहित दो देशी कुष्ठरोधी वैक्सीनों (1) आई सी आर सी (2) एम. डब्ल्यू का एक तुलनात्मक नैदानिक मूल्यांकन कर रहे हैं। परीक्षण का कार्य शुरू होने के समय तक यदि एम हबाना वैक्सीन उपलब्ध करा दिया जाता है तो इसे इस परीक्षण में शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार यह परीक्षण केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन पर नहीं है।

चूंकि वे ज्यादातर अपनी देशी वैक्सीनों का परीक्षण कर रहे हैं इसलिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस परीक्षण के लिए स्वयं ही धनराशि देने का फैसला किया।

(ख) से (घ) यद्यपि कुछ डाक्टरों ने इसका विरोध किया है लेकिन कुष्ठ रोग विज्ञानियों चिकित्सा वैज्ञानिकों तथा जनता के सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। अनेक सुविख्यात कुष्ठ रोग विज्ञानियों और तमिलनाडु के जन स्वास्थ्य निदेशालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में न्यायाधीश कृष्णस्वामी द्वारा गांव मलैपट्टू में क्षेत्रीय परीक्षण शुरू किया गया।

उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालय और कालेज

[हिन्दी]

1765. **श्री हरीश रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने और किन-किन स्थानों पर संस्कृत विद्यालय और कालेज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहन दिए जाते हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मद पर प्रतिवर्ष कितनी धन-राशि खर्च की जाती है;

(घ) क्या सरकार का संस्कृत विद्यालयों तथा कालेजों को विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) मन्त्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थानों को संस्कृत के प्रचार तथा प्रसार के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर, वर्षानुवर्ष के आधार पर सहायता अनुदान मुक्त किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानों के सम्बन्ध में ब्यौरा, जिनको पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित है :

वर्ष	संस्थानों की संख्या	संस्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1987-88	138	27,02,915/-
1988-89	147	24,60,485/-
1989-90	154	32,64,506/-

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख जी, हां । प्रस्तावित कानून द्वारा सिगरेट के बारे में मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, अर्थात् सिगरेट (उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 की विधि एवं न्याय मन्त्रालय और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से परामर्श लेते हुए जांच की जा रही है । प्रस्तावित कानूनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

— सिगरेट पैकेटों/विज्ञापनों/होर्डिंग पर मौजूदा सांविधिक चेतावनी कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है" में नीचे दिये गये किसी न किसी प्रभावोत्पादक नारे की सहायता से परिवर्तन किया जाएगा :
"धूम्रपान से मुख का कैंसर हो सकता है ।"
"धूम्रपान से दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं ।"
"धूम्रपान आपकी आयु को कम कर सकता है ।"
"धूम्रपान श्वसन समस्याओं को पैदा कर सकता हैं ।"

— सांविधिक चेतावनी सिगरेट पैकेटों पर सुस्पष्ट रूप से दर्शाई जायेगी ।

— सिगरेट के विज्ञापनों को वर्जित करना ।

कुष्ठ रोगों के टीकों का परीक्षण

1764. **श्री परसराम भारद्वाज**
श्री बी० देवराजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुष्ठ रोग सम्बन्धी टीके का परीक्षण करने के लिये करोड़ों रुपयों का वित्त-पोषण करने पर सहमत हुआ है; जबकि अन्य दो देशों में इसी टीके के परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या देश में इसके परीक्षण के बारे में अलग-अलग विचार व्यक्त किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित एक कुष्ठरोधी वैक्सीन सहित दो देशी कुष्ठरोधी वैक्सीनों (1) आई सी आर सी (2) एम. डब्ल्यू का एक तुलनात्मक नैदानिक मूल्यांकन कर रहे हैं । परीक्षण का कार्य शुरू होने के समय तक यदि एम हबाना वैक्सीन उपलब्ध करा दिया जाता है तो इसे इस परीक्षण में शामिल कर लिया जाएगा । इस प्रकार यह परीक्षण केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन पर नहीं है ।

चूंकि वे ज्यादातर अपनी देशी वैक्सीनों का परीक्षण कर रहे हैं इसलिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस परीक्षण के लिए स्वयं ही धनराशि देने का फैसला किया।

(ख) से (घ) यद्यपि कुछ डाक्टरों ने इसका विरोध किया है लेकिन कुष्ठ रोग विज्ञानियों चिकित्सा वैज्ञानिकों तथा जनता के सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। अनेक सुविख्यात कुष्ठ रोग विज्ञानियों और तमिलनाडु के जन स्वास्थ्य निदेशालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में न्यायाधीश कृष्णस्वामी द्वारा गांव मलैपट्टु में क्षेत्रीय परीक्षण शुरू किया गया।

उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालय और कालेज

[हिन्दी]

1765. **श्री हरीश रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने और किन-किन स्थानों पर संस्कृत विद्यालय और कालेज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहन दिए जाते हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस मद पर प्रतिवर्ष कितनी धन-राशि खर्च की जाती है;

(घ) क्या सरकार का संस्कृत विद्यालयों तथा कालेजों को विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) मन्त्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थानों को संस्कृत के प्रचार तथा प्रसार के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर, वर्षानुवर्ष के आधार पर सहायता अनुदान मुक्त किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानों के सम्बन्ध में ब्योरा, जिनको पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था, निम्नखिखित है :

वर्ष	संस्थानों की संख्या	संस्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1987-88	138	27,02,915/-
1988-89	147	24,60,485/-
1989-90	154	32,64,506/-

(घ) और (ङ) परियोजना की प्रकृति व महत्व तथा उस पर कोषों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन के लिये किये गये अनुरोधों पर विधिवत रूप से गठित की गई केन्द्रीय अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाता है।

दिल्ली में कालोनियों में जन सुविधायें

1766. **श्री हरीश रावत** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं और इनमें से कितनी कालोनियां नांगलोई क्षेत्र की हैं; और

(ख) अमर कालोनी सहित इन कालोनियों के निवासियों को सड़क बिजली और पानी की सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) (क) और (ख) 30-6-1977 के पश्चात बनी अनधिकृत कालोनियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 16-2-1977 को सरकार ने 30-6-1977 से पूर्व दिल्ली में बनी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया था। जून, 1977 से पूर्व की 607 अनधिकृत कालोनियों की एक सूची तैयार की गई थी जिसमें से 553 को पहले ही नियमित कर दिया गया है तथा 48 और कालोनियों को नियमित करने के लिये निर्देश दे दिए गए हैं। अमर कालोनी इन 48 कालोनियों में से एक है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस कालोनी के लिये विनिय नक्शे बनाये जाने तथा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही सड़कों की व्यवस्था की जायेगी। दिल्ली जलपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि फिलहाल इस कालोनी में जलापूर्ति उपलब्ध करना संभव नहीं है क्योंकि आस-पास में कोई परिधीय मुख्य लाइन नहीं है तथा व्यवहार्यता नहीं है। भू-गत जल भी खारा है दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि अमर कालोनी में विद्युतीय कार्य मई, 1991 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

शैक्षिक उद्देश्यों के लिए रियायती दरों पर कागज उपलब्ध कराना

1767. **श्री हरीश रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक उद्देश्यों हेतु रियायती दरों पर कागज उपलब्ध कराने सम्बन्धी सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए रियायती दरों पर कागज उपलब्ध कराना बंद कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और रियायती दरों पर कागज का वितरण कब से पुनः शुरू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) स्कूली पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं और परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिये सहायता प्राप्त सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति योजना वर्ष 1989-90 तक चल रही थी। इस योजना को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की बिक्री

1768. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड मोहान (अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको इन दवाओं को बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के इस एकक से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सभी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को खरीदने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा की गई वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां सौदेबाजी के आधार पर तय की गई कीमतों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा खरीदी जाती है। इसके अतिरिक्त यह कम्पनी कुछेक राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों को भी अपने उत्पाद सप्लाई कर रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु निगरानी समिति

1769. श्री गंगाचरण लोधी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक निगरानी समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली

की वस्तुओं की उपलब्धता और उनके उचित वितरण की परिवीक्षा के लिये जिला/ब्लाक/उचित दर दुकानों के स्तर पर उपभोक्ता परामर्शदात्री और सतर्कता समितियां गठित करें। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर ऐसी समितियां गठित की जा चुकी हैं।

इम्फाल स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अस्पताल के लिए आधुनिक उपकरण

[अनुवाद]

1770. **श्री एन तोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इम्फाल स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अस्पताल और मणिपुर के प्रमुख जिला अस्पतालों में आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) क्षेत्रीय चिकित्सा अस्पताल इम्फाल और मणिपुर के अन्य प्रमुख जिला अस्पतालों को आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इम्फाल में भारतीय खाद्य निगम कार्यालय का दर्जा बढ़ाना

1771. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इम्फाल में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय का दर्जा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो इसका दर्जा कब तक और किस रूप में बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उनका इम्फाल में एक जिला कार्यालय है जो मणिपुर राज्य में भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त है। निगम का इम्फाल में इस कार्यालय का दर्जा बढ़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

कालेजों के प्रधानाचार्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान

1772. **श्री सुरेश कोडी-कुलनील** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में कालेजों के प्रधानाचार्यों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग के वेतनमान दे दिये हैं;

(ख) कालेजों के प्रधानाचार्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ग) क्या केरल राज्य के कालेजों के प्रधानाचार्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने तत्काल कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को परिचालित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना और उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपायों में यह प्रावधान है कि कालेजों के प्रिंसिपलों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदण्डों के आधार पर अथवा प्रोफेसर के वेतनमान में रखा जाए। कालेज प्रिंसिपलों के लिए इस योजना में निर्धारित दो वेतनमान इस प्रकार है :—

(I) 3700-5700 रुपये

(II) 4500-7300 रुपये

(ग) से (ङ) केरल की राज्य सरकार ने उन कालेजों के प्रिंसिपलों के लिए जिनके कम से कम 5 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हों और डिग्री पाठ्यक्रमों में 2000 से अधिक छात्र संख्या हो 4500-7300 रुपये का वेतनमान निर्धारित किया है। अन्य कालेजों के प्रिंसिपलों को राज्य सरकार द्वारा 3700-5700 रुपये के वेतनमान में रखा जाता है।

राष्ट्रीय आवास नीति को अन्तिम रूप देना

1773, **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों की ओर से कुछ नये सुझाव राष्ट्रीय आवास नीति में शामिल करने के लिए प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में राज्य सरकारों तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय परामर्शों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है। कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं :—

(1) खाली शहरी भूमि पर कर लगाना तथा आश्रय निधि स्थापित करना;

(2) शीघ्र भूमि अधिग्रहण के लिए नवीनतम प्रणालियां;

(2) ग्रामीण तथा शहरी आवास के लिए लचीले मापदण्ड;

(4) नवीनतम बचत तथा ऋण प्रदान करने सम्बन्धी साधन।

मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से सुदूर शिक्षा

1774. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से सुदूर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक राजस्थान में क्या उपलब्धि रही है;

(ग) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना में सुदूर शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या लक्ष्य तथा धन-राशि निर्धारित किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां। इस समय, केन्द्र द्वारा स्थापित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राज्य रकारों द्वारा स्थापित 54 अन्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं। इनमें से इस समय 3 कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1962 में 33 विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार शिक्षा के कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) राजस्थान सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में पत्राचार कार्यक्रम निदेशालय शामिल करके 1987 में कोटा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया था। विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्यक्रम प्रदान करता है।

प्रबन्ध में डिप्लोमा

पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञानों में डिप्लोमा

कला स्नातक

वाणिज्य स्नातक

पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक, और

शिक्षा स्नातक।

कोटा मुक्त विश्वविद्यालय दो विश्वविद्यालयों के बीच हुये एक करार के आधार पर बी० ए० बी० काम०, प्रबन्ध में डिप्लोमा के अपने कार्यक्रमों के लिये द० इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की गई मुद्रण सामग्री का इस्तेमाल करता है।

(ग) और (घ) जी हां। भौतिक लक्ष्य और निधियों का आवंटन आठवीं योजना के आवंटनों पर निर्भर करेंगे।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के मामलों की जांच

[हिन्दी]

1775. **श्री रामलाल राही :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परिषद के कृत्यों की जांच के लिए एक जांच समिति की गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है और उन पर क्या कारंवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) से (ग) परिषद के मामलों में विभिन्न स्थानों से प्राप्त वित्तीय इन्तजामों और प्रशासकीय अनियमितताओं के आरोप सम्बन्धी कुछ शिकायतों तथा परिषद के निदेशक का तकनीकी असफलता के आधार पर सरकार ने इन आरोपों की जांच-पड़ताल के लिये एक-सदस्यीय जांच समिति के गठन का आदेश दिया था। समिति से यह भी मांग की गई कि वह परिषद के एक अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करे। जांच अधिकारी ने 28-2-1991 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सुपर बाजार की भूमिका

[अनुवाद]

1776. **श्री नन्द लाल मीणा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केन्द्रीय भण्डार की तरह ही प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) सुपर बाजार ने दिल्ली में अपने सभी शाखा भंडारों में उचित दर की दुकानें चलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार दोनों प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं।

(ख) और (ग) हालांकि सुपर बाजार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीधे शामिल नहीं है, तथापि, 132 स्थायी शाखाओं और 37 मोबाइल वैनों के तन्त्र के माध्यम से यह दिल्ली के निवा-

सियों को लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध करा रहा है। चीनी, पामोलीन और गेहूं सुपर बाजार द्वारा बेचे जा रहे हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली मदें भी हैं। तथापि, सुपर बाजार की भूमिका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनुपूरक तथा संपूरक स्वरूप की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर अनाधिकृत निर्माण

[हिन्दी]

1777. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस बात की जानकारी है कि उसके द्वारा आबंटित फ्लैटों पर अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आबंटनों के निबंधनों और शर्तों के अनुसार फ्लैटों को रिहायश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लाया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्वलिखित अनुमति के बिना आबंटिती रिहायशी एकक का उप-विभाजन करने या इसे किसी अन्य रिहायशी एकक के साथ मिलाने याकोई संरचनात्मक परिवर्द्धन/परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में आबंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा फ्लैट का कब्जा पुन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा।

धर्मार्थ अस्पताल

1778. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में धर्मार्थ अस्पतालों के नाम पर कितने अस्पताल चल रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जो प्राइवेट नर्सिंग होम द्वारा वसूल की जाने वाली राशि से भी अधिक राशि वसूल कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) दिल्ली में 26 धर्मार्थ अस्पताल हैं जो दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1953 के अधीन पंजीकृत है।

(ख) दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत धर्मार्थ अस्पतालों और प्राइवेट नर्सिंग होमों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की विभिन्न एसोसिएशनों की मांगों पर गौर करने सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

1779. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन की विभिन्न एसोसिएशनों की मांगों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक मानी गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी मांगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें समिति ने नहीं माना और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) मुख्यालय के उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न प्रशासनिक मामलों, जिनमें विभिन्न संघों की मांगें भी शामिल हैं, की छानबीन के लिए एक अनौपचारिक समिति या कार्यदल के रूप में सामूहिक रूप में बैठने की व्यवस्था की है। ऐसे मामलों की देखरेख के लिए यह स्थायी व्यवस्था है क्योंकि ऐसे मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं।

राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ की मांगें

1780 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने कोई मांग पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत की गई मांगों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दो व्यक्तियों से दो भिन्न प्रकार की मांगें प्राप्त हुई हैं जिन्हें राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ की मांग होने का दावा किया गया है। प्रतिद्वन्द्वी दलों को उनकी सदस्य संख्या प्रमाणित करने के लिए कहा गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अशिक्षित जनसंख्या में वृद्धि

[हिन्दी]

1781. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अशिक्षित जनसंख्या में अबाध वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1951, 1961, 1971 और 1981 में की गई जनगणना के आधार पर कुल अशिक्षित जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का निरक्षरता समाप्त करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्राथमिक शिक्षा के लिए धन-राशि आवंटित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव ससांधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) यद्यपि देश में साक्षरता की दर वर्ष 1951 में 16 67 प्रतिशत से 1981 में 36.23 प्रतिशत तक बढ़ गई है फिर भी इन सभी वर्षों में निरक्षरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा औपचारिक प्राइमरी स्कूल प्रणाली में स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या में वृद्धि होना है। वर्ष 1951, 1961, 1971, तथा 1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षरों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	निरक्षरों की संख्या
1951	293,904,040
1961	333,709,021
1971	386,744,690
1981	424,256,000

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिये रोके रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका 15-35 आयु वर्ग के 800 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को 1995 तक कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है, ये देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न भाग है। सभी राज्यों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाकर उस विशेष क्षेत्र में निर्धारित समय अवधि में निरक्षरता उन्मूलन करने के प्रयास पर जोर दिया गया है। तदनुसार पूरे केरल और गोवा के राज्यों और संशाधित पांडचेरी, गुजरात के 100

तालुकों और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के 31 अन्य जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है/किया जा रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान यह आशा की जाती है कि ऐसे अभियान 30 और जिलों में भी शुरू किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) सरकार प्राइमरी शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है तथा अपने सम्पूर्ण प्रतिबन्धित स साधनों से काफी हद तक इस कार्य के लिए अपने परिव्यय में वृद्धि कर सकी है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा के लिए परिव्यय वर्ष 1989-90 में 234,40 करोड़ रुपए से 1990-91 में 261.00 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नये पाठों का प्रसारण

1782. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान का आधार व्यापक बनाने के लिए नये पाठों का नियमित रूप से प्रसारण करता है;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में ही और दिन में केवल दो बार ही प्रसारित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंग्रेजी के माध्यम से उच्च शिक्षा केवल चुनिंदा क्षेत्रों तथा शिक्षा संस्थाओं में दी जाती है तथा अन्य क्षेत्रों एवं शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाएं हैं तथा अंग्रेजी का प्रयोग बहुत कम किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, हां, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग अवरस्नातक छात्रों तथा आम दर्शकों के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम "कंटरीवाइड क्लासरूम" प्रसारित कर रहा है। दूरदर्शन पर अतिरिक्त समय उपलब्ध हो जाने पर आयोग की हिंदी में भी कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिये कोई शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई विशेष भाषा निर्धारित नहीं की है। विश्वविद्यालयों में भाषा का माध्यम स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों जिनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं से अनुरोध किया है कि वे हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को भी विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबंद्ध कालेजों में शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयत्न करें। इस समय आयोग के पास विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए केवल हिंदी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने की कोई विशेष योजना नहीं है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कार्य वितरण

1783. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार शिक्षण क्षेत्र के कर्मचारियों और प्राधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(क) क्या परिषद में कार्य वितरण तथा उसके परिणामस्वरूप उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसका तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) 31 मार्च, 1990 तक की यथा-स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या 780 थी। संवर्ग क्रम में शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रत्येक घटक इकाई के लिये कार्य का स्पष्ट वितरण है। क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों आर.सी.ई. के शैक्षिक कर्मचारियों के मामले में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य वितरण को अपनाया है, जबकि आर.सी.ई. से सम्बद्ध प्रदर्शन स्कूलों के शैक्षिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में के.वी.एस. द्वारा निर्धारित पद्धति का अनुसरण किया जाता है। रा० शै० अनु० तथा प्रशिक्षण परिषद मुख्यालयों के शैक्षिक कर्मचारियों के लिए कार्य वितरण निष्पादित किये जाने वाले विकास सम्बन्धी अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है।

विवरण

(शैक्षिक ग्रुप "क")

क्रम सं०	पद का नाम (क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान)	मुख्यालय	राज्यों के कार्यालय सहित आर. सी. ई.	कुल
1	2	3	4	5
1.	प्रधानाचार्य	—	4	4
2.	प्रोफेसर	22	6	28
3.	परीक्षा नियंत्रक	1	—	1

1	2	3	4	5
4.	मनोवेत्ता	1	—	1
5.	डी.एल डी.आई. प्रधान	1	—	1
6.	रीडर	93	48	141
7.	लेक्चरर	133	165	298
8.	सहायक परीक्षा नियंत्रक	2	—	2
9.	सहायक मनोवेत्ता	1	—	1
10.	उप पुस्तकाध्यक्ष	1	—	1
11.	प्रलेखन अधिकारी	1	—	1
12.	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	1	—	1
13.	प्रधानाध्यापिका प्रधानाध्यापक (डी.एम.एस.)	1	3	4
14.	फील्ड सलाहकार	—	16	16
15.	सहायक फील्ड सलाहकार	—	15	15
ग्रुप (ख)	(आर.सी.ई. से सम्बद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिये प्रदर्शनी स्कूल)			
1.	प्रधानाध्यापिका (नर्सरी स्कूल)	1	—	1
2.	सहायक प्रधानाध्यापक	—	3	3
3.	स्नातकोत्तर शिक्षक ग्रेड-1	—	74	74
4.	सलाहकार	—	2	2
5.	प्रदर्शक	—	3	3
ग्रुप (ग)	(आर.सी.ई. से सम्बद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदर्शनी स्कूल)			
1.	टी. जी, टी.	—	89	89
2.	कार्य अनुभव प्राप्त शिक्षक	—	45	45
3.	प्राथमिक शिक्षक	—	46	46
4.	नर्सरी स्कूल शिक्षक	2	—	—
5.	फील्ड कर्मचारी	—	—	—
	कुल	261	519	780

मध्य प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का प्रशिक्षण

1784. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों के विद्यालयों के शिक्षकों और योग्य व्यक्तियों को, सेवारत विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कितने व्यक्तियों को अभी प्रशिक्षण दिया जाना शेष है;

(ख) प्रशिक्षण और गोष्ठियां किन-किन विषयों पर आयोजित की गई थीं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था; और

(ग) मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण और गोष्ठियों के आयोजन पर जिला-वार कितनी धन-राशि खर्च की गई और क्या इनमें यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान नियमानुसार किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को अपनाने के परिणामस्वरूप 1986-90 के दौरान मध्य प्रदेश के सभी 45 जिलों में स्कूल शिक्षकों का सामूहिक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को शामिल करने का लक्ष्य नहीं रखा गया था। राज्य के लगभग 3 लाख शिक्षकों में से 1.26 लाख शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया।

कार्यक्रम के शिक्षकों को नई नीति के मुख्य तत्वों से परिचित कराना था तथा उनकी व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाना था। इसमें विभिन्न विषयों को व्यापक तौर पर शामिल किया गया जिसमें नई शिक्षा नीति के मापदन्ड, शिक्षा-शास्त्र, नामांकन बढ़ाने और उसे बनाए रखने, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, आदि शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के मानदण्डों के अनुसार यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान किया गया। इस कार्यक्रम पर जिले-वार व्यय सम्बन्धी आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1986-90 की अवधि के दौरान स्कूल शिक्षकों के सामूहिक अनुस्थापन कार्यक्रम पर जिलेवार किया गया व्यय

क्रमांक	जिला	व्यय (लाख रुपये)
1	2	3
1.	भोपाल	6.63
2.	सिहोर	3.65

1	2	3
3.	राजगढ़	4.11
4-	विदिशा	4.18
5.	रायसेन	2.94
6.	इन्दौर	3.73
7.	देवास	4.34
8.	धार	7.75
9.	खरगौन	12.92
10.	उज्जैन	5.30
11.	मन्दसौर	4.30
12.	शाजापुर	3.55
13.	रतलाम	5.52
14.	ग्वालियर	5.52
15.	भिण्ड	3.56
16	मुरैना	4.83
17.	शिवपुरी	3.26
18.	गुना	3.63
19.	दतिया	3.22
20.	होशंगाबाद	3.51
21.	छिन्दवाड़ा	5.48
22.	नरसिंहपुर	3.68
23.	खण्डवा	5.76
24.	बैतूल	5.54
25.	सागर	3.18
26.	दमोह	3.47
27.	पन्ना	3.35
28.	छतरपुर	4.85
29.	टीकमगढ़	3.57
30.	जबलपुर	10.91
31.	मण्डला	88.94
32.	बालाघाट	4.58
33.	सिवनी	4.00
34.	रीवा	5.92
35.	सीधी	5.15
36.	सतना	3.88
37.	शहडोल	6.71

38.	रायपुर	14.29
39.	बस्तर	14.63
40.	दुर्ग	6.47
41.	राजनांदगांव	9.33
42.	बिलासपुर	15.92
43.	रायगढ़	10.50
44.	सरगुजा	10.27
45.	झाबुआ	8.04
	जिलेवार कुल व्यय	274.76
	संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर व्यय	7.54
	प्रशिक्षण सामग्री, आदि के निर्माण पर व्यय	17.00
	कुल व्यय	299.30

तमिलनाडु में वेल्लोर थान्थाई पेरियार इन्जीनियरिंग कालेज

[अनुवाद]

1785. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में वेल्लोर थान्थाई पेरियार इन्जीनियरिंग कालेज की कब स्थापना हुई थी;

(ख) क्या इसे सरकार की मंजूरी मिली है; और

(ग) क्या कालेज छात्रों को दाखिला देने के बारे में विद्यमान मानदंडों का पालन करता है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) वेल्लोर स्थित थान्थाई पेरियार राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के अस्थाई अनुमोदन के साथ शैक्षिक वर्ष 1990-91 से आरम्भ किया गया है।

(ग) जी, हां।

वेल्लोर इन्जीनियरिंग कालेज में छात्रों की संख्या

1786. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में वेल्लोर इन्जीनियरिंग कालेज में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या कितनी थी,

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों में इस कालेज में छात्रों की संख्या में कोई कमी आई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) वेल्लोर इन्जीनियरी कालेज में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या क्रमश: 714 और 180 है। कालेज की छात्र संख्या में वर्ष 1990-91 के दौरान कमी आई है क्योंकि चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के छात्रों ने वेल्लोर में नये आरम्भ किये गये थन्थाई पेरियार राजकीय प्रौद्योगिक संस्थान में दाखिला ले लिया है।

हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

1787. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से हथकरघा वस्त्रों का आयात करते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा वस्त्रों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) सरकार हथकरघा वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारत विश्व के अधिकांशत: सभी देशों को सूती हथकरघा फैब्रिक का निर्यात कर रहा है। भारत के सूती हथकरघा उत्पादों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया प्रमुख बाजार हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिक तथा मेड अप्स के निर्यात निम्नोक्त अनुसार रहे हैं :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1987-88	253.91
1988-89	283.87
1989-90	341.86

सरकार सूती हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिनमें शामिल हैं, व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसंधान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना तथा प्रचार सामग्री का वितरण, प्रमुख बाजारों के मेलों में भाग लेना, क्वालिटी में सुधार करना तथा निर्यात प्रोत्साहन की मंजूरी देना आदि।

हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र

1788. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सेलम स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा धीमी निर्यात वृद्धि और हथकरघा वस्त्रों की कम उठान के कारणों का पता लगाने के लिए कोई तकनीकी अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में प्रदर्शन प्रशक्षिण केन्द्रों को स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) संस्थान ने मदुरै और करूर क्षेत्र में करघा पूर्व और करघा पश्चात् के लिए मौजूदा हथकरघों और प्रारम्भिक उपस्करों के आधुनिकीकरण का सुझाव दिया है ।

(ख) और (घ) तमिलनाडु में स्थित बुनकर सेवा केन्द्रों तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ।

पटसन विकास निधि

1789. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन विकास निधि योजना के लिए अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शेष धनराशि को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) विशेष पटसन विकास निधि के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अभी तक किए गए आबंटन और रिलीज की गई राशि के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम		आबंटन	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	पटसन कृषि विकास कार्यक्रम	25.00	18.00
2.	भारतीय पटसन निगम तथा उसकी सहकारी खरीद एजेंसियों को सहायता	10.00	2.08

1	2	3	4
	3. उत्पाद विविधीकरण तथा अनुसंधान व विकास सहायता	10.00	7.41
	4. पटसन उद्योग में कामगारों के लाभार्थ योजना		
	(1) बन्द पड़ी मिलों से जुड़ी श्रमिक पुनर्वास योजना	10.00	0
	(2) आधुनिकीकरण से जुड़ी श्रमिक पुनर्वास योजना	22.50	0
	(3) आधुनिकीकरण से जुड़े पी.एफ. तथा ई.एस.आई. के सम्बन्ध में कामगारों की बकाया राशि का आंशिक भुगतान	10.00	2.40
	(4) पटसन उद्योग के फालतू कामगारों के लिए प्रशिक्षण तथा बैंक वित्त योजना	5.00	0
	कुल	98.50	29.81

(ख) विशेष पटसन विकास निधि के अन्तर्गत योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं जिनके लिए निधियों की रिलीज पिछली रिलीज का उपयोग सुनिश्चित करने के बाद मांग के आधार पर की जाती हैं। विशेषकर उद्योग में कामगारों के लाभार्थ योजनाओं के लिए निधियों का उपयोग प्रत्याशित स्तर तक नहीं किया गया है। बन्द पड़ी मिलों में श्रमिक पुनर्वास की योजना इसलिए क्रियान्वित नहीं कीजा सकी क्योंकि मिलों को सरकार की ओर से बन्द किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती और कुछ मिलों की यह प्रवृत्ति रही है कि वे कुछ अन्तराल के लिए बन्द हो जाती है तथा कुछ समय बाद पुनः चालू हो जाती है। आधुनिकीकरण के कारण छंटनी किए गए श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि किसी भी कामगार को फालतू घोषित करने के लिए किसी पैकेज की स्वीकृति नहीं दी गई है। इस प्रकार फालतू कामगारों के लिए प्रशिक्षण तथा बैंक वित्त पोषण योजना अभी शुरू नहीं हो पाई है।

केन्द्रीय विद्यालय हल्दिया में दाखिला

1790. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हल्दिया स्थित केन्द्रीय विद्यालय ने विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है हालांकि दाखिले तथा तत्सम्बन्धी सुविधाओं की पूरी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के लाभ के लिए उक्त केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध गुंजाइश और तत्सम्बन्धी सुविधाओं का पूरा उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अस्पतालों में हड़ताल

[हिन्दी]

1791. **श्री शिवशरण वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1991 के दैनिक "जनसत्ता" में "अस्पतालों में हड़ताल और धरने में मरीज परेशान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रोगियों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल के कर्मचारी 18-2-91 से 23-2-1991 तक हर रोज सवेरे 9.00 बजे से 11.00 बजे तक हड़ताल पर बैठते थे। इस अवधि के दौरान यह सुनिश्चित करने के उपाय किए गए थे कि रोगियों का इलाज किया जाए और उन्हें यथासंभव कम से कम असुविधा हो।

बसन्त गांव में अनाधिकृत निर्माण

[अनुवाद]

1792. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसन्त गांव, नई दिल्ली-57 में 1985 में कुछ अनाधिकृत निर्माण हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और अनाधिकृत निर्माण को गिराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिसम्बर, 1985 में सूचित किया था कि बसन्त गांव में स्थल का निरीक्षण किया गया था और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तथापि, कतिपय प्रशासनिक समस्याओं के कारण गिराने की कार्यवाही नहीं की गई थी। जुलाई, 1987 में बसन्त गांव को दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में अन्तरित कर दिया गया था। चूंकि दिल्ली नगर निगम दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सका और इसने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नये सिरे से कारंवाई आरम्भ की है और दिल्ली नगर निगम की नीति के अनुसार अनाधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिए आदेश पारित किए। दिल्ली नगर निगम द्वारा गिराने की कार्यवाही करने से पूर्व प्रभावित पार्टी ने इस आशय का रोकादेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना गिराने की कारंवाई न की जाय। आदेश के कानूनी पहलू की जांच के पश्चात् दिल्ली नगर निगम ने लोक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है तथा आवश्यक नोटिस जारी कर दिए हैं।

दिल्ली में सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली

1793. **श्री नन्द लाल मीणा :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को शहरी परिवहन नीति के सम्बन्ध में जिम्मेदारी सौंपी गई है; यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) दिल्ली में शहरी परिवहन और सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली को चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) भारत सरकार की दिनांक 30-10-86 की एक अधिसूचना द्वारा शहरी परिवहन पद्धतियों की आयोजना एवं समन्वय का विषय शहरी विकास मन्त्रालय के विद्यमान विषयों में शामिल किया गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में जन-परिवहन पद्धति के लिए एक तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रेल इण्डियन टैक्नीकल तथा इकानोमिक सर्विसिज लिमिटेड (आर आई टी ई एस) को कार्य सौंपा था। राइट्स ने अध्ययन रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को सौंप दी है। शहरी विकास मन्त्री तथा रेल मन्त्री के बीच हुई बैठक सहित कई बैठकों में राइट्स द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार किया गया। इन बैठकों के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के वित्त पोषण के लिये निधियों तथा संसाधनों की उपलब्धता सहित रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण लम्बित रहने तक दिल्ली प्रशासन को परियोजना के लिये, विशेषकर, प्रस्तावित कॉरीडोर में भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक उपायों सहित प्रारम्भिक कदम उठाने चाहिये। प्रस्तावित पद्धति के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा परियोजना पर भावी कार्यवाही करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही का प्रबोधन करने के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता में एक जांच समिति का भी गठन किया गया है।

मानव अंगों की बिक्री

1794. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानव अंगों की बिक्री बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मानव अंगों की बिक्री रोकने के लिये कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) सरकार को मालूम है कि देश में मानव अंगों की बिक्री में वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) सरकार प्रतिरोपण के प्रयोजन हेतु मानव अंगों और टिशुओं को निकालने को विनियमित करने हेतु एक व्यापक कानून बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मेडिकल कालेजों का विस्तार

1795. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ मेडिकल कालेजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या अगले वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में किन्हीं कालेजों के विस्तार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कालेजों के नामों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने देश के पांच जोनों में पांच चिकित्सा संस्थानों को उनके कुछ विभागों का दर्जा बढ़ाने हेतु चुनने के लिए एक समिति नियुक्त की है। केरल में किसी चिकित्सा कालेज के विकास/उन्नयन सम्बन्धी आगे की कार्रवाई इस समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

पुनर्वास कालोनियों के लोगों को स्वामित्व अधिकार

[हिन्दी]

1796. **श्री तारीफ सिंह** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी पुनर्वास कालोनियों के लोगों को स्वामित्व अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इसके मापदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या प्रत्येक पुनर्वास कालोनी में जनसंख्या के आधार पर पार्कों तथा सार्वजनिक शौचालयों जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) भारत सरकार ने पट्टाधिकार प्रदान करने का निर्णय सितम्बर, 1980 में लिया था। तथापि, आबंटितियों से प्रत्युत्तर नगण्य रहा क्योंकि बहुत कम आबंटितियों ने निर्धारित परिमापन प्रभारों की अदायगी की है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) से (ङ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पुनर्वास कालोनियों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है और सुविधाएं विद्यमान जनसंख्या के आधार पर नहीं हैं। तथापि, जहां कहीं भी संभव है, विद्यमान सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है और यह एक सत् प्रक्रिया है।

विवरण

पुनर्वास कालोनियों के प्लाटों/टेनामेन्टों के आबंटितियों को पट्टाधिकार के अन्तरण के लिए शर्तें

(i) आबंटितियों द्वारा प्लाटों/टेनामेन्टों की पूर्ण लागत के भुगतान पर, जो 26 वर्ग गज के प्लाट के लिए 1250 रुपए (एक हजार दो सौ पचास रुपये) तक सीमित हों, नीचे दिये गये उप-पैरा (ii) के अनुसार अन्तरण पर प्रतिबन्ध की शर्त पर स्वामित्वाधिकार प्रदान किया जाय।

(ii) आबंटितियों को स्वतन्त्र रूप से प्लाटों के अन्तरण का अधिकार नहीं होगा। तथापि, उन्हें अदा की गई लागत की प्राप्ति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्लाटों को लौटाने की छूट होगी।

(iii) प्लाटों/टेनामेन्टों की लागत को एकमुश्त रूप में वसूल किया जाय किन्तु किस्तों में भुगतान करने की वरीयता देने वालों के मामलों में 15 वर्ष की एकसमान अवधि नियत की जाए।

(iv) 15 मार्च, 1970 के पश्चात् आबंटितियों द्वारा भुगतान किया गया किराया प्लाटों/टेनामेन्टों की लागत के प्रति समायोजित किया जाय। आबंटी, पट्टाधिकार के अन्तरण से पूर्व किराये के बकाये, यदि कोई हो, का भुगतान करे।

(v) उनसे प्लाटों/टेनामेन्टों की वसूलनीय लागत पर 5 प्रतिशत की एकसमान दर से ब्याज वसूल किया जाय। किस्तों की अदायगी में निरन्तर चूक की स्थिति में स्वामिस्वाधिकार को रद्द करने और बेदखली की व्यवस्था होनी चाहिए।

(vi) आबंटितियों से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से भूमि किराया वसूल किया जाना चाहिये।

दिल्ली में अस्पताल

1797. **श्री तारीफ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ नये अस्पतालों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितने और इन अस्पतालों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसाई चौधरी) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा खोले जा रहे अस्पतालों के नाम

क्र० सं०	अस्पताल का नाम	प्रगति की स्थिति
1	2	3
1.	100 पलंगों वाला संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी	भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया बहिरंग रोगी विभाग अंतरंग जन आपाती चिकित्सा सेवा शुरू कर दी गई है।

1	2	3
2.	100 पलंगों वाला राव तुलाराम अस्पताल, जफ्फरपुर	निर्माण कार्य दिसम्बर, 1991 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। बहिरंग रोगी विभाग सेवा शुरू कर दी गई है।
3.	100 पलंगों वाला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर	निर्माण कार्य चल रहा है।
4.	100 पलंगों वाला अस्पताल, जहांगीरपुरी	निर्माण कार्य चल रहा है।
5.	100 पलंगों वाला अस्पताल, मैदानगढ़ी	प्राकलन तैयार करने और निर्माण कार्य तभी शुरू होगा जब दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि के इस्तेमाल के परिवर्तन को अधिसूचित करेगा और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा।
6.	100 पलंगों वाला अस्पताल, पूठ खुर्द	
7.	100 पलंगों वाला अस्पताल, सिरसपुर	
8.	100 पलंगों वाला अस्पताल, रघुवीरनगर	निर्माण कार्य का प्राकलन तैयार किया जा रहा है।
9.	500 पलंगों वाला अस्पताल, रोहिणी	भवन योजना तैयार करने के लिए वास्तुविद् की नियुक्ति करने सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है।

महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

[अनुवाद]

1798. **श्री दत्तात्रेय देशमुख** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने नवोदय विद्यालय हैं, ये यहां कब-कब खोले गए तथा विद्यालय-वार छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन नवोदय विद्यालयों के संचालन और कार्यनिष्पादन की कोई पुनरीक्षा की गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पुनरीक्षा रिपोर्ट में नवोदय विद्यालय के संचालन में कोई सुधार करने का सुझाव दिया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) महाराष्ट्र में अब तक उन्नीस नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। जिलों के नाम, जिन शैक्षिक वर्षों में इन्हें स्थापित किया गया था उनका ब्यौरा तथा उनमें दाखिल विद्यार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

महाराष्ट्र में अब तक खोले गए नवोदय विद्यालयों की सूची और उनके खोले जाने का वर्ष

क्र० सं०	स्कूल का नाम	विद्यालयों की स्थापना की तारीख	30-4-1990 तक की स्थिति के अनुसार छात्रों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अमरावती	1985-86	423
2.	नागपुर	1986-87	340
3.	बुलंदा	,,	355
4.	लटूर	,,	337
5.	गढ़चिरोली	,,	336
6.	नान्देद	,,	343
7.	उस्मानाबाद	,,	353
8.	अहमदनगर	1987-88	288
9.	बीद	,,	280
10.	थाणे	,,	240
11.	धुले	,,	278
12.	जलगांव	,,	280

1	2	3	4
13.	नासिक	1987-88	279
14.	भान्द्रा	"	282
15.	वर्धा	"	262
16.	यावतमल	"	258
17.	जालना	"	266
18.	परभानी	"	289
19.	चन्द्रपुर	"	269

धागा मिलों के लिए विश्व बैंक ऋण

1799. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में धागा मिलों की स्थापना हेतु ऋण देने की सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की कुल राशि कितनी है और यह ऋण किन शर्तों पर दिये जाएंगे;

(ग) क्या महाराष्ट्र में अमरावती जिले में दरयापुर स्थित सहकारी धागा मिल विश्व बैंक ऋण पाने वाली मिलों में से एक है;

(घ) यदि हां, तो उक्त मिल को कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया हैं और यह ऋण किस प्रकार वितरित किया जाएगा; और

(ङ) महाराष्ट्र में विश्व बैंक सहायता प्राप्त धागा मिलों ने कितनी प्रगति की है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां । विश्व बैंक/एन सी डी सी-III एग्रो इण्डस्ट्रीज परियोजना के अन्तर्गत ।

(ख) कुल 77.12 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया जिसमें से राज्य सरकार को इक्विटी अंशदान के रूप में 20.50 करोड़ रुपए का ऋण तथा एकक के लिए सहकारी बैंक को ऋण के रूप में शेष 56.62 करोड़ रुपए । इसकी शर्तें विवरण के रूप में संलग्न हैं ।

(ग) जी, हां । दरियापुर की परियोजना भी 6 कताई एककों में से एक है जिसे विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से अनुमोदित किया गया था ।

(घ) 13.30 करोड़ रुपए का कुल ऋण जो निम्नलिखित रूप में है :—

इक्विटी भागीदारी के लिए राज्य सरकार को 3.15 करोड़ रुपए का ऋण सहकारी बैंक के जरिए 10.15 करोड़ रुपए का आवधिक ऋण ।

(ङ) महाराष्ट्र में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त छ: कताई परियोजनाओं में से वर्धा स्थित एक परियोजना ने पहले ही वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन कार्य आरम्भ कर दिया है । माल जिले के पुसद में दूसरी परियोजना का कार्य अन्तिम चरण में है । वास्तव में यह प्रायोगिक तौर पर पहले ही आरम्भ कर दी गई है और निकट भविष्य में इसके वाणिज्यिक पैमाने पर आरम्भ होने की आशा है । अन्य चार परियोजनाएं अर्थात् अकोट, दरियापुर, जालना तथा वर्धा (इन्दिरा) स्थापना के अग्रिम चरण में हैं । ऐसी आशा है कि ये चार परियोजनाएं अब से 2½ वर्ष के भीतर चालू हो जाएंगी ।

विवरण

विशेष शर्तें – पत्र सं० एन सी डी सी 16-2-87-टैक्स
दिनांक 13-4-1988

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक सुनिश्चित करेगा कि :—

1. राज्य सरकार सोसायटी को 882.45 लाख रु० (आठ सौ बियासी लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र) की हिस्सा पूंजी प्रदान करने पर सहमत है ।

2. (क) सोसायटी अपने सदस्यों से हिस्सा पूंजी के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत जुटाएगी ।

(ख) सोसायटी में राज्य सरकार के एक हिस्से को चुका कर सोसायटी अपनी हिस्सा पूंजी में वृद्धि करेगी । यह कुल निवेश के 10 प्रतिशत तक होगा जिसकी वार्षिक दर कुल निवेश के 1 प्रतिशत के बराबर होगी जो कि प्रचालन के 5 वें वर्ष से आरम्भ होगा । इस संबंध में सोसायटी से एक वचन बद्धता ली जाएगी ।

3. सोसायटी के उपनियमों को निम्नोक्त को लागू करने की दृष्टि से समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा :—

(क) सोसायटी की परियोजना की अनुमानित लागत को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को लगभग 1000 लाख रुपये तक बढ़ाएगी ।

(ख) सोसायटी के प्रचालन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए और इस क्षेत्र में मौजूदा सहकारी मिल की सीधी सदस्यता से बचा जाए और कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाए ।

(4) उन्हें एक प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए जो केवल सदस्यों का नामांकन करे तथा हिस्सा पूंजी जुटाने का काम करेगा।

5. सोसायटी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में भी वचन दे :

(क) परिणाम और क्षमता के साथ परियोजना को कार्यान्वित करना जिसमें सुदृढ़ तकनीक, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्तरों को ध्यान में रखना।

(ख) रिकार्ड और लेखों में आपसी सामंजस्य बनाए रखना; उचित लेखों के व्यवहार को बनाए रखना, परियोजना के संबन्ध में प्रचालनों, संसाधन और व्यय का रख रखाव।

(ग) कार्यान्वयन अभिकरण के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार मशीनों एवं उपस्कर और सिविल कार्यों की अधिप्राप्ति। परियोजना परामर्श और बैंक तथा राज्य सरकार के साथ सम्बन्ध।

(घ) निगम/राज्य सरकार/बैंक से प्रदत्त सहायता में से सभी वस्तुओं और सेवाओं को वित्त प्रदान करना ताकि उसका प्रयोग केवल परियोजना को पूरा करने के लिए हो। ऋण सहायता की शर्तों के उल्लंघन के मामले में निगम का प्रस्ताव वापस ले सकता है और शेष ऋण को ब्याज सहित वसूल कर सकता है।

(ङ) जोखिम के प्रति इस प्रकार के बीमा के लिए जिम्मेवार बीमाकर्त्ता से सम्पर्क बनाए रखना। इस प्रकार की राशि सुदृढ़ व्यापार व्यवहार के साथ संगत होगी और उपरोक्त पर बिना किसी सीमा के इस प्रकार के बीमा वस्तुओं के अधिग्रहण, परिवहन और वितरण के लिए जोखिम भरी दुर्घटना शामिल होगी।

(च) सोसायटी बैंक को अपनी परिसम्पति पर पहला प्रभार देगी।

(छ) विश्व बैंक/निगम अथवा बैंक इस प्रकार की सभी सूचना प्रदान करना जिसके बारे में उनके द्वारा अनुरोध किया जाए और सोसाइटी की प्रशासनिक, प्रचालन और वित्तीय स्थिति और परियोजना से लाभ प्राप्त करना।

(ज) आर्थिक आश्रयों के साथ इस प्रकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना मूल्य निर्धारण दल को दिखाए गए स्थान से परियोजना का स्थान बदलना।

6. सोसाइटी निगम के परामर्श और पूर्व अनुमति से अन्तिम रूप से तैयार किए गए संगठन चार्ट के अनुसार प्रमुख स्थानों पर कर्मचारियों को नियुक्ति करेगी।

7. सोसाइटी प्रतियोगिता आधार पर मिल के निर्माण एवं प्रचालन की अवधि के दौरान विशेष रूप से इसके मध्य एवं उच्चस्तरों पर नियुक्तियां करेगी जिसमें वस्त्र और प्रबन्ध के कार्यशील

क्षेत्र अर्थात्, उत्पादन, बिपणन, कार्मिक, वित्त और लागत लेखा आदि के क्षेत्र से सम्बन्धित शिक्षित व्यवसायी शामिल होंगे।

8. बैंक परियोजना की प्रगति की मानीटरिंग करेगा और निगम द्वारा अपेक्षित इस प्रकार के अन्तरालों पर परियोजना के चालू होने के पश्चात् प्रचालन निष्पादन पर निगम को मानीटरिंग रिपोर्ट प्रदान करेगा।

9. सोसाइटी इस स्वीकृति के जारी होने के एक महीने के अन्दर अपने सलाहकार के परामर्श से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पी ई आर टी चार्ट को अन्तिम रूप देगी। आवधिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी और परिवर्तन तथा परिवर्तनों की आवश्यकता से निगम को अवगत कराया जाएगा।

10. परियोजना का कार्यान्वयन व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार पूरा किया जाएगा।

11. सोसाइटी उस समय तक बिहित प्राफोर्मा में जून, सितम्बर, दिसम्बर, मार्च को समाप्त हुई तिमाहियों के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट निगम को देगी जब तक कि परियोजना पूर्णरूप से प्रचलित नहीं होती है। इस प्रकार की अन्य रिपोर्ट जो कि समय-समय पर विहित की जाएगी परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् भी भेजी जाएगी।

12. सोसाइटी मूल रूप से अनुमोदित उत्पाद मिश्रण का पालन करेगी और निगम की पूर्व सहमति के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

13. सोसाइटी अपने उपजकर्त्ता सदस्यों और सहकारिताओं से कपास (बिनौला) खरीदेगी।

14. सोसाइटी वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करेगी और हथकरघा और विद्युत करघा बुनकरों और उनके सहकारिताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित कर उन्हें यार्न की बिक्री के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।

15. सोसाइटी सिविल कार्यों के लिए वास्तुकारों, ठेकेदारों की नियुक्ति करने तथा परियोजना और मशीनों के लिए आदेशों को अन्तिम रूप देने में निगम का सहयोग करेगी।

16. सोसाइटी वस्तुओं की खरीद तथा परियोजना के लिए सेवाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए खरीद संबन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगी।

17. सोसाइटी परियोजना के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त की जाने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निगम द्वारा इससे संबंधित ऋण की प्रक्रियाओं में से वित्त पोषण को प्रेरित करेगी।

18. (क) सोसाइटी तैयार हो जाने पर निगम को तुरंत ही इसकी योजना विनिर्देशन, रिपोर्ट संविदा दस्तावेज तथा परियोजना के लिए निर्णय तथा अधिप्राप्ति अनुसूची तथा उससे

संबन्धित कोई संशोधन सामग्री, अथवा इसके सोसयटी में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगी जिसके लिए निगम द्वारा उसे उचित रूप से अनुरोध किया गया हो।

(ख) सोसाइटी (I) रिकार्ड तथा रिकार्ड के लिए पर्याप्त रखरखाव करेगी तथा परियोजना (इससे उत्पन्न होने वाली इसकी लागत आएगी लाभों सहित) की प्रगति की मानीटरी करेगी, ऋण प्राप्ति में से वित्तपोषित सामानों तथा सेवाओं को अभिज्ञात करेगी तथा परियोजना में उसके प्रयोग का उल्लेख करेगी। (II) निगम के प्रतिनिधियों को समर्थ करेगी सुविधाओं तथा निर्माण दौरे तथा ऋण और सम्बन्धित रिकार्डों और दस्तावेजों की प्रक्रियाओं में से वित्त घोषित माल की जांच करने के लिए बैंक तथा विश्व बैंक को परियोजना में शामिल किया गया है और (III) ऐसी सभी जानकारी सोसाइटी बैंक और निगम को नियमित रूप से प्रस्तुत करेगी जिसके लिए परियोजना की लागत आर उचित स्थान इससे होने वाले लाभ ऐसी प्रक्रियाओं का व्यय, ऐसी प्रक्रियाओं में वित्तपोषित माल तथा सेवाओं के लिए निगम उचित रूप से अनुरोध करेगा।

(ग) ऋण से प्राप्त आय में से वित्तपोषित की जाने वाली सामग्री, कार्यों अथवा सेवाओं के लिए किसी संविदा के मिलने पर निगम उसका नाम तथा पार्टी की राष्ट्रीयता का प्रकाशन करेगा जिसे कि संविदा दी गई हो। इसमें संविदा की कीमत का उल्लेख भी किया जाएगा।

(घ) परियोजना के पूरे हो जाने के बाद तुरन्त ही लेकिन किसी भी हालत में आखरी तारीख के बाद छः माह से अधिक नहीं अथवा ऐसी आखिरी तारीख जिसके लिए सोसाइटी और बैंक के बीच इस उद्देश्य के लिए सहमति व्यक्त की जाए, सोसाइटी बैंक तथा निगम को एक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेगी। यह रिपोर्ट ऐसी विस्तृत होगी जिसके लिए निगम परियोजना के निष्पादन तथा आरंभिक प्रचालन, इसकी लागत और इससे मिले तथा मिलने वाले लाभों पर विस्तृत जानकारी के लिए अनुरोध करेगा।

(ङ) सोसाइटी निगम, बैंक और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को समर्थ करेगी ताकि वे इस समझौते के अन्तर्गत सोसाइटी की बाध्यताओं के निष्पादन से सम्बन्धित सोसाइटी की सभी परियोजनाओं, स्थापना, स्थान, कार्यो, बिल्डिंगों, सम्पत्ति, उपस्कर, रिकार्ड तथा दस्तावेजों की जांच कर सकें।

19. सोसाइटी श्रमिक तथा पूंजी गहन उत्पादन प्रौद्योगिकी के बीच उचित संतुलन बनाने की ओर ध्यान देते हुए आधुनिक मशीनों की स्थापना करती है। समकक्ष आकार की कताई मिलों में मौजूदा श्रमिक बल में भी पर्याप्त रूप से कटौती हो जाएगी। संयत्र में पृथक उपस्करों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए परियोजना प्राक्कलनों में प्रावधान किया जाएगा।

20. सोसायटी राज्य सरकार/बैंक/निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई नई परियोजना शुरू नहीं करेगी या एकक का विस्तार या उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

21. सोसायटी द्वारा स्वयं या अन्य किसी कारण वंश परियोजना के तकनीकी प्रबंधन में किसी प्रकार के पर्याप्त परिवर्तन करने तथा परियोजना के वित्तीय पहलू पर विचार किये जाने की स्थिति में सोसायटी प्रस्तावित परिवर्तन करने से पहले राज्य सरकार, बैंक तथा निगम से परामर्श करेगी।

22. सोसायटी अपने लेखा वर्ष की समाप्ति पर अपने लेखाओं को अन्तिम रूप देती है लेकिन यह कार्य 6 महीने के बाद नहीं किया जाता तथा सोसाइटी अपने लेखाओं की, विधिवत लेखा परीक्षा कराने के बाद वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति के साथ तत्काल निगम को प्रस्तुत करेगी।

23. सोसायटी पृथक् लेखा भी बनाए रखेगी जिसमें निम्नलिखित निर्दिष्ट होगा :—

(1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत यदि कोई है, उसकी ओर जमा राशि।

(2) राज्य सरकार द्वारा कपास पर खरीद कर, यार्न पर बिक्रीकर आदि के भुगतान की छूट दिए जाने तथा/अथवा अन्य सुविधा जैसे छूट राहत अथवा उगाहों सम्बन्धी लेखा।

होम्योपैथी के डाक्टरों को वेतनमान

1801. **श्री मान्धाता सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथी में केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् नामक स्वायत्त संस्था, देश के विभिन्न भागों में औषधालय चला रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इन औषधालयों में डाक्टरों के रूप में कार्य कर रहे रिसर्च फैलो और सहायक अनुसंधान अधिकारियों के ग्रेड क्या हैं;

(घ) क्या उपरोक्त श्रेणियों को दिए गए वेतनमान राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों के ग्रेडों से काफी कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(च) क्या सरकार की इन विसंगति को दूर करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो इन विसंगतियां को कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय म उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सी०सी०आर०एच०) अनुसंधान उद्देश्यों के लिए देश के विभिन्न भागों में 51 संस्थान/यूनिटें चला रही है।

(ग) जूनियर रिसर्च फैलो प्रथम दो वर्षों के दौरान 1000/- रु० प्रति माह और तृतीय वर्ष के दौरान 1200/- प्रति माह सीनियर रिसर्च फैलो 1200/- रु० प्रति माह की समेकित राशि प्राप्त कर रहे हैं। सहायक अनुसंधान अधिकारियों को 2000-3500 रु० का वेतनमान एवं सामान्य भत्ते दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो दोनों को सीमित कार्यकाल के आधार पर नियुक्त किया जाता है और इन्हें समेकित राशि दी जाती है। इसलिए उनके पारिश्रमिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे चिकित्सकों से तुलनीय नहीं है। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में सहायक अनुसंधान अधिकारियों के वेतनमान से बहुत कम नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें

1802. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा क्षेत्र के लिए किन-किन मदों को आरक्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस क्षेत्र के लिए कुछ और मदें आरक्षित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केवल हथकरघा क्षेत्र में ही उत्पादन के लिए कुल 22 मदें आरक्षित एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। फिर भी मामला न्यायाधीन है।

(ख) इस स्तर पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

तालिका

हथकरघा द्वारा उत्पादन हेतु आरक्षित क्षेत्र

1	2	3
1.	साड़ी	साड़ी सफेद अथवा विरंजित अथवा कुछ रंगे अथवा अतिरिक्त में अथवा अतिरिक्त बाने के साथ रंगे हुए सूत से बुना हुआ ऐसा कपड़ा है, जिसमें निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं :—

1	2	3
		(1) इसे बार्डर (पल्लू) और/अथवा रंगीन सूत अथवा सफेद (ग्रे) अथवा विरंजित सूत अथवा जारी अथवा अन्य धात्विक/धातु की तह चढ़े सूत अथवा इन सभी के मिश्रित सूत के शीर्ष भाग की बुनाई की विलक्षणता में पहचाना जा सकता है।
		(2) इसकी चौड़ाई 70 से. मी. से 140 से. मी. (किनारे सहित) के बीच होती है।
		(3) इसकी लंबाई 2.5 मी. से 9.5 मीटर के बीच होती है।
		(4) इसे सामान्यत: देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग नामों से प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है और
		(5) इसे किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित सूत अथवा दोनों के किसी मिश्रण में निर्मित किया जाता है।
		(6) जो साड़ियां 100 प्रतिशत सिंथेटिक सूत अर्थात पॉलि-यस्टर नाइलोन सूत आदि अथवा इनके किसी मिश्रण से तैयार की जाती है उनके लिये ये आदेश लागू नहीं होंगे।
		(7) जो मिश्रित अथवा संयोजित साड़ियां 45 प्रतिशत (भार में) से अधिक मानव निर्मित फाइबर यार्न (विस्कोस यार्न सहित) से कृत्रिम अथवा मान निर्मित रेशे/यार्न के मिश्रण से तैयार की जाती है उनके लिए यह नियम लागू नहीं होंगे।
		बोर्डर (किनारा)
		बोर्डर को रेशम, जारी तथा अन्य किसी धात्विक/धातु की तह, चढ़े धागे सहित सफेद, विरंजित, चिकने और/अथवा रंगीन धागे से लंबाई में किनारे के बिल्कुल समीप बुने गए कपड़े के मुख्य भाग से अलग बुने किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1	2	3
		हैंडिग/क्रास बोर्डर/पल्लू इसको रेशम, कृत्रिम रेशम, जारी अथवा अन्य किसी धात्विक धातु की तह चढ़े धागे सहित सफेद, विरंजित चिकने अथवा रंगीन धागे से चौड़ाई में बुने गए कपड़े के मुख्य भाग से अलग बुने गए किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । स्पष्टीकरण अतिरिक्त ताने/अतिरिक्त धागे की परिभाषा इस प्रकार है । ताने के सिरे/बाने के पिक्स का वह समूह जो कपड़े के मुख्य भाग को बनाने में भाग लिये बिना डिजायन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है । अतिरिक्त ताने के सिरे/बाने के पिक्स बुनाई के दौरान अतिरिक्त हील्डस, डोबी, जैकार्ड अथवा किसी अन्य साधन अथवा यंत्रावली के माध्यम से सम्मिलित किये जा सकते हैं ।
2.	कोटा डोरिया साड़ी	कोटा डोरिया साड़ी सफेद अथवा विरंजित बुना हुआ सादा कपड़ा है जिसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं हैं :— (1) इसे पूर्ण रूप से सूती अथवा सूती प्रधानता के साथ-साथ किसी अन्य रेशे के मिश्रण से तैयार किया जाता है । (2) इसमें ताने अथवा बाने और दोनों धागों को खचाखच भरकर डोरी का रूप दिया जाता है अथवा विभिन्न काउंटों के धागे का प्रयोग करके ताने अथवा बाने का और धारीदार नमूना बनाया जाता है । (3) इसकी (किनारे सहित) चौड़ाई 90 से. मी. से 140 से. मी. के बीच होती है । (4) इसकी लंबाई 5 मीटर से 8.5 मीटर के बीच होती है और (5) इसे सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है ।

1	2	3
3.	बांधन और रंजित साड़ी और रंजित सामान	बांधन और रंजित कपड़ा, सूत को विभिन्न रंगों में रंग कर व प्रत्येक रंग के सूत की ताने-वार और बाने-वार गांठ लगाकर बनाया जाता है। इसे किसी भी रेशे अथवा रेशों को मिलाकर बानाया जाता है।
4.	धोती	धोती बोर्डर और बोर्डर में अधिक ताने सहित एक अथवा विरंजित सफेद सादा बुना हुआ कपड़ा है। इसकी संयुक्त विशेषताएं इस प्रकार हैं :— (1) इसे किसी भी प्रकृतिक रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे (सिंथेटिक सहित) अथवा दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। (2) इसके बुने हुए बोर्डर और/अथवा शीर्ष में, सफेद अथवा रंगीन सूत अथवा जरी अथवा कोई अन्य धात्विक/धातु की तह चढ़े सूत अथवा इन सबके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। (3) इसकी (किनारे सहित) चौड़ाई 70 से.मी. से 140 से.मी. के बीच होती है। (4) इसकी लंबाई 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच होती है और (5) इसे सामान्यतः इसी नाम से जाना जाता है। (क) जो धोतियां 100 प्रतिशत सिंथेटिक सूत अर्थात पॉलि-एस्टर, नाइलोन सूत आदि अथवा इनके किसी मिश्रण से तैयार की जाती है उनके लिए ये आदेश लागू नहीं होंगे। (ख) जो मिश्रित अथवा संयोजित साड़ियां 45 प्रतिशत (भार में) से अधिक मानव निर्मित फाइबर यार्न जो (विस्कोस यार्न सहित) से कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे/यार्न के मिश्रण से तैयार की जाती है उनके लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे।

1	2	3
		बोर्डर (किनारा) बोर्डर को रेशम, कृत्रिम रेशम, जरी अथवा अन्य किसी धात्विक/धातु की तह चढ़े धागे सहित सफेद विरंजित, चिकने और/अथवा रंगीन धागे से लंबाई में और किनारे के बिल्कुल समीप बुने गए कपड़े के मुख्य भाग से अलग बुने गए किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हैंडिंग/क्रास बोर्डर इसको रेशम, कृत्रिम रेशम, जरी अथवा किसी धात्विक/धातु की यह तह चढ़े धागे सहित सफेद, विरंजित, चिकने अथवा रंगीन धागे से चौड़ाई में बुने गए कपड़े के मुख्य भाग से अलग बुने गए किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण अतिरिक्त ताने/अतिरिक्त बाने की परिभाषा इस प्रकार है :— ताने के सिरे/बाने के पिक्स का वह समूह जो कपड़े के मुख्य भाग को बनाने में भाग लिये बिना डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त ताने के सिरे/बाने के पिक्स बुनाई के दौरान अतिरिक्त हील्डस डाबी, जैकार्ड अथवा किसी अन्य साधन अथवा यंत्रावली के माध्यम से सम्मिलित किये जा सकते हैं।
5.	गमछा और अंग वस्त्र	(क) गमछा गमछा एक ऐसा कपड़ा है जिसे शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे तौलिया व सिर को ढकने के काम में भी लिया जाता है। इसे सफेद अथवा विरंजित अथवा दोनों के मिश्रित केवल सूती सूत से ढीली बुनाई से तैयार किया जाता है इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :— (1) इसकी चौड़ाई 70 से. मी. से 95 से. मी. के बीच होती है।

1	2	3
		(2) इसकी लम्बाई 1 मीटर से 1.62 मीटर के बीच होती है ।
		(ख) अंग वस्त्र :
		अंग वस्त्र सफेद अथवा विरंजित एक ऐसा कपड़ा है जिसके कपड़े और बोर्डर में अतिरिक्त ताने पर सादी बुनाई की जाती है । इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) इसे किसी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित रेशे रेशम सहित (स्पन रेशम को छोड़कर) अथवा इसके मिश्रण से तैयार किया जाता है ।
		(2) इसके बुने हुए बोर्डर अथवा/और शीर्ष में सफेद अथवा रंगीन सूत अथवा जरी अथवा कई अन्य धात्विक/धातु की तह चढ़े सूत अथवा इन सब के मिश्रण का प्रयोग होता है ।
		(3) किनारे सहित इसकी चौड़ाई 70 से. मी. से 100 से. मी. के बीच होती है ।
		(4) इसकी लंबाई 1.5 मीटर से 3.00 मीटर के बीच होती है और
		(5) सामान्यतः इसे इसी नाम से जाना जाता है ।
6.	लुंगी	लुंगी एक चारखानों के डिजाइन वाला रंगीन धागों से सादी बुनाई किया गया कपड़ा है जो टुकड़ों में मिलता है । इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं ।
		(1) इसे किसी भी प्राकृतिक रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे रेशम रेशे सहित (स्पन रेशम को छोड़कर अथवा) दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है ।
		(2) इसमें बोर्डर हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता ।

1	2	3
		(3) इसकी चौड़ाई 70 से. मी. से 140 से. मी. के बीच होती है। (4) इसकी लंबाई टुकड़ों में 1.5 मी. से 2.5 मी. के बीच होती है और (5) इसे सामान्यत: लुंगी, सरोगत, कैलिज मुट्न बचखानाज और पथ्योडि जैसे विभिन्न नामों में जाना जाता है। जो लुंगी 100 प्रतिशत सिंथेटिक सूत अर्थात पोलि-एस्टर, नाइलोन सूत आदि अथवा इसके किसी मिश्रण से तैयार की जाती है उनके लिये ये आदेश लागू नहीं होंगे।
7.	कमीज का कपड़ा	कमीज का कपड़ा एक ऐसा कपड़ा है जो सफेद अथवा रंगीन सूत द्वारा चारखानों के डिजाइन में पूर्ण रूप से सूत से बनाया जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं। (1) इसे निरन्तर लम्बाई में तैयार किया जाता है और (2) इसकी चौड़ाई 70 से. मी. से 130 से. मी. के बीच होती है।
8.	क्रेप वस्त्र	क्रेप एक ऐसा वस्त्र है जिसे ताने अथवा बाने दोनों में अथवा सामान्य एंठे गए सूत के मिश्रण में अच्छी तरह से एंठे हुए सूती धागे द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :— (1) इसे निरंतर लंबाई में तैयार किया जाता है। (2) इसकी सतह सिलवट वाली सिकुड़न वाली अथवा दानेदार होती है। (3) इसे सफेद अथवा विरंजित अथवा रंगीन किस्मों में तैयार किया जाता है और (4) इसकी चौड़ाई 70 से. मी. से 130 से. मी. के बीच होती है।

1	2	3
9.	तौलिए :	तौलिया बोर्डर अथवा शीर्ष सहित कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे सादी चटाई टुइल, छत्ते, हक-बेक अथवा इन सबके मिश्रण से बुना जाता है। जिसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :— (1) इसे सूत अथवा सूत के मिश्रण के साथ अन्य रेशों को मिलाकर तैयार किया जाता है। (2) इसे अलग-अलग आकारों में तैयार किया जाता है। (3) यह सफेद अथवा रंगीन हो सकता है और (4) जैकार्ड पर तैयार किए गए तौलिए सुंदर डिजाइन वाले हो सकते हैं। (5) मेट बुनाई के साथ तैयार किया गया तौलिया सामान्यत: केरल में झरझा थोरथू और तमिलनाडू में झरझो फूंडू नाम से जाना जाता है।
10.	खेस पलंग की चादर बैक कवर पलंग पोस और (दीवारदरी सहित) साज/सज्जा का सामान	खेस एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा है जिसे सफेद अथवा विरंजित अथवा रंगीन सूत के साथ सादा अथवा धारियों में चारखाने वाले डिजाइनों में डबल क्लॉथ बुनाई जिसमें काउंटों की सीमा ताने में 2/17 एस. से 2/22 एस और बाने में 8 एस. से 12 एस. होती है में बुना जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :— (1) इसे पूर्ण रूप से सूती, कृत्रिम रेशम अथवा इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है। (2) इसकी चौड़ाई 75 से. मी. से 225 से. मी. के बीच होती है। (3) इसकी लंबाई 1.50 से. मी. से 2.8 मीटर के बीच होती है। (4) सामान्यत: इसे इसी नाम से जाना जाता है।

1	2	3
		(ख) पलंग के चादर :
		पलंग की चादर कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे बोर्डर में लंबाईवार और चौड़ाईवार रंगीन सूत से बुना जाता है। और इसे पलंग पर बिछाया जा सकता है और इसमें पलंग की चादरें शामिल हैं। इनकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
		(1) इसे पूर्ण रूप से सूती, कृत्रिम रेशम अथवा इसके मिश्रण से तैयार किया जाता है।
		(2) इसे साटन सहित, डावी अथवा जैकार्ड सहित अथवा रहित बुनाइयों के मिश्रण से तैयार किया जा सकता है।
		(3) इसकी चौड़ाई 110 से. मी. से 155 से. मी. के बीच होती है।
		(4) इसकी लंबाई 1.5 मीटर से 2.8 मीटर के बीच होती है और
		(5) इसे सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है।
		(ग) बैड कवर :
		बैड-कवर एक ऐसा कपड़ा है जिसे सफेद अथवा विरंजित अथवा रंगीन धागों से वनस्पतीय अथवा ज्यामितीय डिजाइनों में चारखानों बोर्ड और अथवा शीर्ष सहित अथवा रहित अथवा रंगीन बुना हुआ होता है। बैड जब प्रयोग में न लाया जा रहा हो तो उसे ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) इसे पूर्ण रूप से सूती कृत्रिम रेशम अथवा इसके मिश्रण से तैयार किया जाता है।
		(2) इसे साटन सहित, डाबी अथवा जैकार्ड सहित अथवा रहित बुनाइयों के मिश्रण से तैयार किया जा सकता है।

1	2.	3
		(3) इसकी चौड़ाई 75 से. मी. से 225 से. मी. के बीच होती है।
		(4) इसकी लंबाई 1.5 मीटर से 2.8 मीटर के बीच होती है और
		(5) इसे सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है।
		(घ) पलंग पोस :
		पलंग पोस एक ऐसा कपड़ा है जिससे सफेद अथवा विरंजित रंगीन धागे से स्ट्रपों सहित अथवा रहित अथवा चारखानों अथवा वनस्पतीय अथवा ज्यामितीय डिजाइनों में बोर्डर और/अथवा शीर्ष में उभरी आकृतियों में बुना जाता है। बैड को बाहर से ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) इसे पूर्ण रूप से सूती, कृत्रिम रेशम अथवा इसके मिश्रण से तैयार किया जाता है।
		(2) इसे साटन सहित, डाबी अथवा जैकार्ड सहित अथवा रहित बुनाईयों के मिश्रण से तैयार किया जा सकता है।
		(3) इसकी चौड़ाई 75 से. मी. से 225 से. मी. के बीच होती है।
		(4) इसकी लंबाई 1.50 मीटर से 2.8 मीटर के बीच होती है और
		(5) इसे सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे "कैंडल विक" के नाम से भी जाना जाता है।
		(ङ) (दीवार दरी सहित) साज सज्जा का सामान (दीवार दरी सहिब साज-सज्जा का सामान एक ऐसा कपड़े

1	2	3
		का टुकड़ा है जिसे सफेद अथवा विरंजित अथवा रंगीन धागे से और दोहरे कपड़े की बुनाई अथवा पीक बुनाई में बुना जाता है इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) इसे पूर्ण रूप से सूती, कृत्रिम रेशम अथवा इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है।
		(2) इसकी चौड़ाई 75 से. मी. से 225 से. मी. के बीच होती है।
		(3) इसे निरंतर लंबाई में तैयार किया जाता है।
		(4) इसका प्रयोग साज-सज्जा के लिये किया जाता है।
11.	टेबल क्लोथ टेबल मैट और नेपकिन्स।	इसे या तो विरंजित अथवा रंजित धागे से किसी भी पद्धति से बुना जाता है और इसे पूर्ण रूप से सूती अथवा कृत्रिम रेशम अथवा इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
		(1) इसे अलग-अलग आकारों में तैयार किया जाता है।
		(2) इसके किनारे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते।
		(3) इसके चारों तरफ बुने हुए बोर्डर होते हैं और
		(4) इसे सामान्यत: टेबल क्लाथ, टेबल मैट और नेपकिन जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है।
12.	डस्टर और बस्ता	डस्टर एक ऐसा कपड़ा है जिसे मोटे धागे से, 10 एस काउंट से अधिक नहीं।
		(10 एस. तक रिसल्टेंट काउंट सहित) सादे अथवा ट्विल रूप से बुना जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
		(1) इसे पूर्ण रूप से सूत से तैयार किया जाता है।

1	2	3
		(2) इसके सभी तरफ बोर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ।
		(3) इसे अलग-अलग आकारों में तैयार किया जाता है । और यह निरंतर लंबाई में हो सकता है और
		(4) इसका प्रयोग झाड़ने और बस्ता बनाने के लिए किया जाता है ।
13.	चादर	चादर का अर्थ ऐसे कपड़े के टुकड़े से है जिसका शाल की तरह शरीर ढकरने के लिए प्रयोग किया जाता है । इसे सफेद विरंजित अथवा रंगीन सूत अथवा मिश्रित धागे से तैयार किया जाता है । इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं ।
		(1) इसे चारखाने अथवा स्ट्रैप पद्धति से बुना जाता है । इसमें पूर्वोत्तर भारत में बोर्डर और क्रास बोर्डर सहित अलंकारित डिजाइनों में तैयार मेखला अथवा फेनेक चादर भी शामिल हैं ।
14.	जामाकालम दरी	यह एक ऐसा कपड़ा है जिसका प्रयोग फर्श ढकने के लिए दरी अथवा टुररेट के रूप में किया जाता है । इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) इसे तैयार करने के लिए ताने और बाने दोनों 4 एस से 12 एस की रेंज के बहुत मोटे रिजल्टेंट काउंट का प्रयोग किया जाता है ।
		(2) इसे सादी अथवा टुइल इनके संशोधनों सहित, बुनाई में अथवा सादी और टुइल दोनों की मिश्रित बुनाई में अथवा वेल्वेट तकनीक में अथवा शनील तकनीक में बुना जाता है ।
		(3) इसे सफेद अथवा विरंजित अथवा रंजित सूती अथवा कृत्रिम रेशमी अथवा ऊनी धागे सहित दोनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है इसे दोनों रंग में तैयार किया जाता है ।

1	2	3
		(4) इसमें अतिरिक्त ताना अथवा अतिरिक्त बाना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
		(5) किनारों के सिरों को मोटा दोहरा करके मोटे किनारे प्राप्त किए जाते हैं और यही इसकी विशेषताएं हैं।
		(6) इसे अलग-अलग आकारों में बनाया जाता है और इसे सामान्यत: अलग-अलग क्षेत्रों में जामाकालम, दरी, टुररेट, आदि जैसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
15.	बक्रम कपड़ा	बक्रम कपड़ा एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा है जिसे मोटे धागे से बुना जाता है। शर्ट, कोट, आदि के कालरों में पेंडिंग अथवा लाइनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) इसे सूत, ऊन, जूट, अथवा मिश्रण से तैयार किया जाता है और
		(3) इसे ताने और वाने में 8 एस से 12 एस के काउंटों में तैयार किया जाता है।
16.	मशरू कपड़ा	मशरू कपड़ा रेशमी अथवा रेयन ताने और सूती बाने सहित साटिन में बना हुआ एक प्रकार का कपड़ा है। रंगीन स्ट्रिमें इनकी विशेषताएं हैं।
17.	लोरीड पिक	सभी लोरीड कपड़ा सूती में तैयार किया जाता है और इसकी संपुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) क्रमश: 36 और 32 से कम रीडों और पिकों सहित ग्रुप-3 में कपड़ा,
		(2) क्रमश: 40 और 36 से कम रीडों और पिकों सहित ग्रुप 4.5 और 6 में कपड़ा,

1	2	3
		(3) क्रमश: 44 और 40 से कम रीडों और पिकों सहित ग्रुप 7 और ऊपर में कपड़ा,
		(4) इस दिशा में इनके लिए कुछ भी लागू नहीं होगा :—
		(क) धोती और साड़ी
		(ख) सुसीज
		(ग) मच्छरदानी का कपड़ा
		(घ) लम्बा कपड़ा
		(ङ) जालीदार कपड़ा
		(च) रंजित और छपा हुआ कपड़ा और
		(छ) कोटि वस्त्र ।
		स्पष्टीकरण :
		ऊपर उल्लिखित अभिव्यंजना ग्रुप तथा ग्रुपों का अर्थ नीचे अनुसूची में विशेष कृत कपड़ा ग्रुप अथवा ग्रुपों में हैं ।
		स्पष्टीकरण
		रीड्स और पिक्स अभिव्यंजना का अर्थ क्रमश: प्रति इंच सिरे और प्रति इंच पिक्स से है ।

अनुसूची

ग्रुप	मूलभूत काउंट		अनुज्ञेय काउंट	
	ताना	बाना	ताना	बाना
1	2	3	4	5
1	14	10	9-14	9-12
2	14	14	12-16	13-16
3	20	20	17-21	17-24

1	2	3	4	5
4	22	30	22-25	25-35
5	30	30	26-36	26-34
6	30	40	35-42	35-42
7	40	40	35-42	35-42

1	2	3
18.	रेशम	(क) किसी भी द्रव्यात्मक पद्धति जिसमें भार में 25 प्रतिशत से अधिक शुद्ध रेशम हो अथवा बोर्डर/पल्लू सहित अन्य रेशों के मिश्रण से बनी सभी साड़ियों जिसमें बोर्डर पल्लू अथवा वस्त्र के अन्य किसी भाग में अतिरिक्त ताना अथवा अतिरिक्त बाना हो अथवा न भी हो। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
		(1) इसे बोर्डर (पल्लु) और/अथवा रंगीन सूत अथवा सफेद (ग्रे) अथवा विरंजित सूत अथवा जरी अथवा अन्य धात्विक/धातु की तह चढ़े सूत अथवा इन सभी के मिश्रि तसूत के शीर्ष भाग की बुनाई की विलक्षणता में पहचाना जा सकता है।
		(2) इसकी चौड़ाई 70 से. मी. से 140 से. मी. (किनारे सहित) के बीच होती है।
		(3) इसकी लंबाई 2.5 मीटर से 9.6 मीटर के बीच होती है।
		(ख) किसी भी द्रव्यात्मक पदार्थ जिसमें भार में 25 प्रतिशत से अधिक शुद्ध रेशम हो अथवा बोर्डर/शीर्ष सहित अन्य रेशों के मिश्रण से बनी सभी रेशम की साड़ियां जिसमें बोर्डर शीर्ष अथवा वस्त्र के अन्य किसी भाग में अतिरिक्त बाना हो अथवा न भी हो। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1	2	3
		(1) इसके बुने हुए बोर्डर और अथवा शीर्ष में ग्रे अथवा विरंजित अथवा रंगीन सूत अथवा जरी अथवा कोई अन्य धात्विक/धातु के तह चढ़े सूत अथवा इन सबके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है ।
		(2) इसकी (किनारे सहित) चौड़ाई 70 से. मी. से 140 से. मी. के बीच होती है ।
		(3) इसकी लंबाई 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच होती है ।
		नोट (क) जोरजेट, सिफोन और क्रेप साड़ी और धोतियां जब कपड़े के मुख्य भाग में अविरंजित (ग्रे) रेशम के धागे के प्रयोग से बनाई गई हो और बोर्डर पल्लू में अतिरिक्त ताने और अतिरिक्त बाने सहित अथवा कपड़े के किसी भी मुख्य भाग में (बोर्डर पल्लू सहित) जारी धात्विक सूत अथवा अन्य किसी रंगीन रेशे, का प्रयोग केवल अतिरिक्त ताने या अतिरिक्त बाने का प्रयोग किया गया हो उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे ।
		(ख) स्पन सिल्क के प्रयोग से तैयार की गई साड़ियों और धोतियों के लिए ये आदेश लागू नहीं होंगे ।
		बोर्डर (किनारा)
		बोर्डर को रेशम, कृत्रिम, रेशम, अथवा अन्य किसी धात्विक/धातु की तह चढ़े धागे सहित सफेद विरंजित चिकने/अथवा रंगीन धागे से लम्बाई में किनारे के बिल्कुल समीप बुने गए कपड़े के मुख्य भाग से अलग बुने गए किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।
		हैंडिग/क्रास बोर्डर/पल्लू,
		इसका रेशम, कृत्रिम रेशम, जरी अथवा अन्य किसी धात्विक/धातु की तह चढ़े धागे सहित सफेद, विरंजित, चिकने अथवा रंगीन धागे से चौड़ाई में बुने कपड़े मुख्य भाग से अलग बुने गए किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।

1	2	3
		स्पष्टीकरण :— अतिरिक्त ताने/अतिरिक्त बाने की परिभाषा इस प्रकार है—ताने के सिरे/बाने के पिक्स का वह समूह जो कपड़े के मुख्य भाग को बनाने में भाग लिये बिना डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त ताने के सिरे बाने के पिक्स बुनाई के दौरान अतितिक्त डील्ड्स, डोबी जैकार्ड अथवा किसी अन्य साधन अथवा यंत्राली के माध्यम से सम्मिलित किये जा सकते हैं।
19.	कंबल अथवा कंबली	ऊनी कंबल अथवा कंबली की रेशेदार सतह होती है और इसे ऊन के बने मोटे कपड़े से माईलिंग और रेंजिग द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :— (1) ऊनी कंबल अथवा कंबली हाथ से कते, मिल के कते, बदतरीन ऊन अथवा किसी मिश्रण धागे से साटे, स्ट्रिम अथवा चारखाने के डिजाइनों में तैयार किया जाता है। (2) इसे औसत 34 माईकोन की उन और परिष्कृत की मोटी ऊन जिसका वजन 300-450 ग्राम वर्ग मीटर है के प्रयोग से तैयार किया जाता है। (3) शाडी ऊनी ताने के प्रयोग से तैयार की गई कंबली इसमें शामिल नहीं होगी।
20.	बेरक कंबल	बेरक कंबल औसत 34 माईकोन और उससे मोटे ऊनी धागे से बना रेशेदार सतह वाला मोटा कपड़ा है जिसमें माईलिंग और रेंजिग द्वारा तैयार किया जाता है इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं : (1) ऊनी कंबल हाथ से कते, मिल से कते, प्राकृतिक सफेद/काली ऊन के ऊनी धागे अथवा रेशों के साथ इस ऊन को मिलाकर तैयार किया जाता है और

1	2	3
		(2) इसे किसी भी आकार और बुनाई में तैयार किया जाता है ।
		(3) शाडी ऊनी यार्न से निर्मित बेरक कंबल पर यह आदेश लागू नहीं होंगे ।
21.	शाल, लोई, मफलर, पंखी आदि	शाल एक ऐसे कपड़ा का टुकड़े है जिसे बदतरीन अथवा ऊनी अथवा कैशमीलान अथवा अन्य किसी रेशे से बुना जाता है । महिलाओं अथवा पुरुषों द्वारा अपने शरीर को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है । इसे कंधे के ऊपर ओढ़ा जाता है और इसमें कोई सिलाई प्रक्रिया निश्चित नहीं है । इसमें संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :
		(1) इसे किसी भी रेशे के प्रयोग से डिजाइनों में तैयार किया जाता है जिसमें अतिरिक्त बाना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ।
		(2) इसे किसी भी प्रकार के ऊनी धागे, बटतरीन धागे अथवा मिश्रित धागे और इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है ।
		(3) इसे किसी भी धागे के काउंट से तैयार किया जाता है ।
		(4) इसे किसी भी लंबाई, चौड़ाई और वजन में तैयार किया जाता है और
		(5) इसे सामान्यतः इसी नाम से जाना जाता है ।
		शाल में लोई, पंखी के साथ-साथ मफलर भी शामिल हैं । इसमें कुल्लू, किमसुरी, कनी, पशमीना, घोरी, लिराचू (तिब्बती) सोर्प, आदि परम्परागत शालें भी शामिल हैं ।
22.	ऊनी कपड़ा	यह एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा है जिसे 100 प्रतिशत शुद्ध ऊनी धागे से तैयार किया जाता है । इसके कोट, जैकेट और पहनने के कपड़े बनाए जाते हैं । इसकी संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं ।

1	2	3
		(1) इसे ताने और बाने में 7 एन. एम. से 9 एन. एम. काउंट से तैयार किया जाता है।
		(2) इसे किसी भी लम्बाई और चौड़ाई से तैयार किया जाता है।
		(3) इसे चारखाने अथवा स्ट्रिप डिजाइन में तैयार किया जाता है और
		(4) इसे टुइल बुनाई में तैयार किया जाता है।
		(संख्या डी. सी. एच. एन्फोर्स/1(2)/86)

परिवार नियोजन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता

1803. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) "छोटा परिवार अपनाओं अभियान" को बढ़ावा देने में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) योजना के अन्तर्गत 653.00 करोड़ रुपये तथा 675.00 करोड़ रुपये की धनराशि वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आबंटित की गई है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान स्वयसेवी एजेंसियों को केन्द्र सरकार द्वारा 352.51 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। वर्ष 1990-91 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्वयंसेवी एजेन्सियों को अब तक 184.29 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई।

रंगीन वस्त्रों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करना

1804. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुनकर परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए रंगीन वस्त्रों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केवल हथकरघा पर उत्पादन के लिए मदों का आरक्षण उत्पादन आधार पर किया जाता हैं। इस समय केवल हथकरघा पर उत्पादन के लिए ही 22 मदें आरक्षित की गई है फिर भी, यह मामला न्याय के निर्णय अधीन है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

"आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना पर किया गया व्यय

1805. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सहायता के "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" का कार्यान्वित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) योजना को सफलता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 28 फरवरी, 1991 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में 488.83 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य शिक्षण अध्ययन उपस्कर की व्यवस्था के लिए अभी तक 345067 प्राथमिक स्कूलों को शामिल किया गया है तथा एकल शिक्षक स्कूलों में 91871 शिक्षकों के अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत शामिल 50% से अधिक प्राथमिक स्कूलों को अनिवार्य शिक्षण अध्ययन उपस्करों की आपूर्ति की गई है। एकल शिक्षक स्कूलों में 63517 (69.36%) शिक्षक नियुक्त किए गए हैं।

केरल में कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान के वितरण में देरी

1806. **प्रो० पी० जे कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विभिन्न कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान के वितरण में अत्यधिक देरी होती है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्र कालेजों को, जिनमें केरल राज्य के कालेज भी शामिल हैं, इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विकास अनुदान प्रदान किए जाते हैं। आयोग के सचिवालय द्वारा इन प्रस्तावों की जांच कर लेने के बाद सामान्यतया किसी कालेज को अनुदान प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि उस कालेज ने उसी उद्देश्य के लिए संस्वीकृत पूर्व अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र, परीक्षित लेखो विवरण और अन्य सम्बद्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हों। वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सामान्यतया अनुमोदित अनुदान देने में कोई विलम्ब नहीं होता बशर्ते कि कालेजों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त हो जाएं। इसमें वि०अ०आ० की सम्पूर्ण संसाधन स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के वास्ते विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से अनुरोध किया है कि वे संपूर्ण प्रलेखन सहित अपने प्रस्ताव भेजें। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान देने की कार्यविधि में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से, अब आयोग ने विश्वविद्यालयों के माध्यम से लघु अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन को विकेन्द्रीकृत कर दिया है और प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों को सामूहिक रूप से अपनी सिफारिशों के लिए आयोग के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। कालेजों में शिक्षक शिक्षावृत्ति योजना को भी विश्वविद्यालय स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

"लोधी रोड स्कूल में जहरीला दूध पीने से दो सौ बच्चे बीमार"
शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

1807. **श्री शिव शरण वर्मा**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
प्रो० के० वी० थामस
: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1991 के दैनिक "जनसता में" लोधी रोड स्कूल में जहरीला दूध पीने से दो सौ बच्चे बीमार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों के 200 से अधिक उच्चों ने दिनांक 21-2-91 को वितरित सोयाबिन दूध पीने के बाद चक्कर आने और पेट दर्द की शिकायत की थी। प्रभावित वच्चों को सफदरजंग हास्पिटल ले जाया गया। लगभग 200 बच्चों के इन दुर्घटना में शिकार होने की सूचना मिली है। लगभग 15 मामलों के जांच के लिए हास्पिटल के वार्ड में भेजा गया और बाकी बच्चों को मुक्त कर दिया गया। आखिरकार बाकी बच्चों को भी मुक्त कर दिया तथा सम्बद्ध अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सावधानियां बरती हैं :—

(क) सोयाबिन दूध का वितरण शीघ्र ही रोक दिया गया।

(ख) लोधी रोड स्थित नई दिल्ली नगर पालिका हास्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक को विद्यार्थियों की उचित चिकित्सा सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है।

(ग) सोयाबिन दूध की आगे आपूर्ति रोक दी गई है।

(घ) दूध का नमूना रासायनिक जांच के लिए ले जाया गया है।

(ङ) एक वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले की छानबीन करने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलोर में दुर्व्यवस्था

[अनुवाद]

1808. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलोर में भारी दुर्व्यवस्था होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की वर्तमान स्थिति की जांच-पड़ताल की है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है, और

(घ) उपर्युक्त संस्थान की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) बंगलौर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान में व्याप्त किसी प्रकार के कुप्रबन्ध का उदारण भारत सरकार के नोटिस में न तो लाया गया है अथवा न ही कोई है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

संमेकित जनजाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत जारी किया गया खाद्यान्न कोटा

1809. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारें केन्द्रीय पूल से जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के बारे में से केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार समेकित जनजाति विकास परियोजना के लिए कुछ कोटा निर्धारित करती हैं;

(ख) यदि नहीं तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में उन राज्य सरकारों को कोई नये मार्गनिर्देश जारी किए गए हों तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1990 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की योजना के अधीन वितरण करने के लिए विशिष्ट मात्राएं निश्चित की हैं, लेकिन इनमें बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के राज्य शामिल नहीं है जिनसे इस सम्बन्ध में अभी तक पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है । चूंकि किसी भी राज्य द्वारा लापरवाही करने का कोई विशिष्ट मामला नोटिस में नहीं आया है, इसलिए कोई नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

खाद्य तेलों का उत्पादन और आयात

[हिन्दी]

1810. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में आवश्यक खाद्य तेलों का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान खाद्य तेलों की पैदावार और खपत क्या रही;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया; और

(घ) राज्य-वार देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत स्वदेशी तेल का उपयोग कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तेल वर्ष की गणना नवम्बर से अक्तूबर तक की जाती है। विगत तीन तेल वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख मीटर टन में)

वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर)	उत्पादन	खपत*
1	2	3
1987-88	37.67	55.84
1988-89	48.50	52.23
1989-90	47.22	53.29

*देशीय उत्पादन और आयात के कुल योग को खपत के रूप में लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा निम्नलिति है :—

तेल-वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर)		मात्रा (मी० टन में)
1	2	3
1987-88	—	18,19,301
1988-89	—	3,72,623
1989-90	—	6,07,363

(घ) देश की समूची आबादी द्वारा देशी और आयातित तेलों का उपभोग किया जाता है। अलग से प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

1811. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विचाराधीन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में बरेली सहित ये प्रस्तावित कार्यालय कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) भौगोलिक परिस्थितियां, प्रशासनिक सहूलियत परिवहन और संचार सुविधा तथा वित्तीय लागत को ध्यान में रखते हुए जब और जैसे आवश्यक समझा जाता है केन्द्रीय विद्यालयों का पुनः समूहीकृत किया जाता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा फिलहाल बरेली स्थित एक केन्द्रीय कार्यालय सहित कोई नया क्षेत्रीय कार्यालय न खोलने का निर्णय लिया गया है।

मुम्बई में गन्दी बस्तियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

1812 **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई महानगर निगम ने गन्दी बस्तियों के पुनर्वास बाजारों के वाणिज्यिकीकरण आदि के क्षेत्र में गैर सरकारी पार्टियों को शामिल करने की दृष्टि से एफ० एस० आई० को दुगुना करने का प्रस्ताव क्या है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भीड़-भाड़, जिसके कारण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न होती हैं, को कम करने हेतु उपर्युक्त मार्गनिर्देश जारी करने का है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वृहद बम्बई की विकास योजना के एक भाग के रूप में विकास नियंत्रण विनियमन स्वीकृत करते समय सरकार ने मलिन बस्ती विकासार्थ नियम स्वीकृत किये हैं। इस नियम के उद्धरण संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें भीड़-भाड़ के कारण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होने की आशा नहीं है। इस सम्बन्ध में मार्गनिर्देशन जारी करने के लिये भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

"मालिकों/विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों के माध्यम से मलिनबस्ती निवासियों के पुनर्वास" के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वृहद बम्बई के प्रारूप नियंत्रण विनियमन 33 (10) में निम्ननिखित प्रावधान हैं :—

गणना की गई मलिनबस्तियों या ऐसी मलिनबस्तियां जिनकी संरचनायें और जिनके निवासियों के नाम उस भूमि के मालिकों/विकासकर्ताओं, जिस पर ऐसी मलिनबस्तियां स्थापित हुई हैं या ऐसे मलिनबस्ती निवासियों की सहकारी आवास समितियों द्वारा 1985 की मतदाता सूची में दर्ज है, के पुनंविकास या पुनंसंरचना के लिए आयुक्त की विशेष अनुमति द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार प्रत्येक मामले में 2.5 तक कुल फर्शी क्षेत्र सूचकांक की अनुमति दी जा सकती है। प्रत्येक योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मलिनबस्ती निवासियों को उपलब्ध कराये जाने वाले टेनामेंटों का आकार, लागत, जिस पर वे प्लाट तथा अनाधिकृत टेनामेंट पर उपलब्ध कराये जाने हैं, जिन्हें सम्बन्धित विनियमनों में निर्धारित निर्देशनों के अनुसार मालिक/विकासकर्ता मलिनबस्ती निवासियों/अन्य क्षेत्रों से आये परियोजना से प्रभावित लोगों आदि को बसा/पुनर्वासित कर सकते हैं।

रूड़की विश्वविद्यालय में वैदिक गणित

1813. डा० ए० के पटेल
श्री शंकर सिंह वाघेला } : क्या मानव ससाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूड़की विश्वविद्यालय (सिविल इन्जीनियरिंग विभाग) में वैदिक गणित पर कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान ने वैदिक गणित का प्रयोग करके किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास किया है;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास संस्थान द्वारा विस्तृत वैदिक गणित कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास करने तथा वैदिक गणित पर विभिन्न कार्यों में अग्रणी कार्य करने हेतु एक एजेंसी के रूप में रूड़की विश्वविद्यालय की सेवाओं का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की वैदिक गणित विशेषज्ञ समिति की समीक्षा और मंजूरी के आधार पर रूड़की विश्वविद्यालय (सिविल इन्जीनियरिंग विभाग) को वैदिक गणित सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयुक्त सहायता देने का विचार है ?

मानव ससाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, रूड़की विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग

विभाग के एक रीडर ने वैदिक गणित में कुछ कार्य किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पालीनामिनल मल्टीप्लीकेशन के लिए एलोगरीथम; मैट्रिक्स के विभाजन तथा विपरिवर्तन को वैदिक गणित का उपयोग करके विकसित किया था और मानक एलौगरीथम से तुलना की गई थी। तथापि विस्तृत वैदिक गणित कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान द्वारा कोई भी व्यापक कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। रूड़की विश्वविद्यालय में वैदिक गणित को प्रोन्नत करने का कोई भी प्रस्ताव वि० अ० आ० के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं और चावल का भण्डार

[हिन्दी]

1814. **श्री कपिल देव शास्त्री : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय गेहूं और चावल का कितना भण्डार है और वर्ष 1990 और 1991 के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं और चावल अन्य देशों को निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का भण्डार 4 से 5 वर्ष से अधिक पुराना है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र, जाखल और शाहबाद के गोदामों में खाद्यान्नों का भण्डार तीन वर्ष से अधिक पुराना है और यह मनुष्य के खाने योग्य नहीं रह गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1-2-91 को स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल का क्रमश: 53.10 लाख मीटरी टन और 99.41 लाख मीटरी टन स्टाक था।

1990 और जनवरी से फरवरी, 1991 तक के दौरान, खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम को निर्यात करने के लिए क्रमश: 70,743 मीटरी टन और 51,804 मीटरी टन के स्टाक की सुपुर्दगी की गई।

1990 के दौरान, जनवरी, 1990 में कम्बोडिया को 5,000 मीटरी टन चावल की मात्रा उपहारस्वरूप दी गई। 1991 में, फरवरी से मार्च, 1991 के दौरान सोवियत रूस को 20,000 मीटरी टन चावल उपहार स्वरुप दिया जा रहा है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास पंजाब और हरियाणा में स्थित अपने गोदामों में 4-5 साल पुराने गेहूं का कोई स्टाक नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के पास पंजाब (19,230 मीटरी टन) और हरियाणा (1,641 मीटरी टन) में स्थित अपने गोदामों में चार साल अथवा उससे अधिक पुराने चावल का मामूली स्टाक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए शिक्षकों का स्थानांरण

[अनुवाद]

1815 **डा० सुधीर राय**
श्री मान्धाता सिंह
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यायल संगठन के चेयरमैन ने स्थानान्तरण मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ स्थानान्तरण करने के आदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार स्थानान्तरित विभिन्न वर्गों के शिक्षकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानान्तरण का विरोध किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष ने निम्नलिखित स्थानान्तरणों के लिए आदेश दिया है : —

पी० जी० टी० : 4

टी० जी० टी० : 9

पी० आर० टी० 3

विविध : 1

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की ओर से एक पत्र की साइक्लोस्टाईल प्रति प्राप्त हुई है जिसमें स्थानान्तरण सूची का विरोध किया गया है।

ये केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये स्थानान्तरण किये हैं ।

पेप्सी परियोजना

1816. **फूल चन्द वर्मा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी परियोजना की लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस ओर अधिक ध्यान दिया गया है और इससे परियोजना की लागत में किस प्रकार वृद्धि हुई है;

(ग) परियोजना के प्रत्येक भाग की स्थापित क्षमता कितनी है और यह औद्योगिक लाइसेंस और उनके द्वारा औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए जाने के लिए दिए गये आवेदन में दिखाई गई क्षमता से कम क्यों है और लागत में वृद्धि के कारण क्या हैं;

(घ) क्या विदेशी विनिमय मुद्रा दर में अन्तर के कारण विविध परि-सम्पतियों की लागत में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो कहां और कितनी ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी आशय पत्र में निर्धारित शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मूल आवेदन-पत्र में परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 22 करोड़ रु० थी । बाद के वर्षों में परियोजना की विभिन्न स्तरों पर संवीक्षा के दौरान और सरकार द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न शर्तों के अनुपालन में कम्पनी को विभिन्न उपस्करों की क्षमता, बुनियादी सुविधाओं और दूसरे सहायक साज-सामान में वृद्धि करनी पड़ी । निर्यात वायदों को देखते हुए कम्पनी को अपने उत्पादों और पैकिंग आदि की गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों का भी अनुपालन करना पड़ा । सामान्य मुद्रास्फीति के अलावा पिछले 4 वर्षों में रुपये की तुलना में डालर के मूल्य में वृद्धि भी कर दी गई । वित्तीय सहायता के लिए नवम्बर, 1989 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को प्राप्त आवेदन-पत्र के अनुसार कम्पनी ने परियोजना की अनुमानित लागत 62.50 करोड़ रुपये लगाई थी । परन्तु परियोजना की लागत के विस्तृत मूल्यांकन के दौरान अन्ततः यह लागत 68.50 करोड़ रुपये हो गई ।

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लाइसेंसाधीन और संस्थापित क्षमताओं से सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है :—

	क्षमता	
	लाइसेंसाधीन	संस्थापित
1	2	3
क. प्रसंस्कृत आलू/खाद्यान्न	8000 मी० टन	8986 मी० टन
ख. मृदु पेय सांद्रण	20000 यूनिट	20000 यूनिट
ग. प्रसंस्कृत फल/सब्जी उत्पाद	12000 मी० टन	12507 मी० टन

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है कम्पनी अपनी परियोजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय संस्थान के पास पहुंचे उससे पहले ही पिछले चार वर्षों में रुपये की तुलना में डालर के मूल्य में वृद्धि कर दी गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय सहायता के लिये कम्पनी के वित्तीय संस्थान के पास पहुंचने के बाद विविध स्थाई परिसम्पत्तियों के अधीन अनुमानों को मूल्यांकन के दौरान 1749 लाख रुपये से घटाकर 1720 लाख रुपए कर दिया गया।

11.15 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

बर्ड्‌स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्‌स लिमिटेड, कलकत्ता और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् मद्रास वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बर्ड्‌स जूट एक्सपोर्ट्‌स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2209/91]

(3) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2210/91]

(5) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2211/91]

(6) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2212/91]

दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये सख्या एल० टी० 2213/91]

11.17 म० पू०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दो तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.17½ म० पू०

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के दिनांक 19 अक्तूबर, 1990 के संकल्प संख्या एफ० 1-2/90 पी० एन० (डी दो), जो उसके अनुबन्ध की मद संख्या 5 (एक) के साथ पढ़ा जाए, के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसा रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करे।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इस सरकार की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गयी है, आप प्रधान मन्त्री जी को बुलवाइये। हमने सुना है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनका स्टेटमेंट भी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के दिनांक 19 अक्तूबर, 1990 के संकल्प संख्या एफ० 1-2/90 पी० एन० (डी दो), जो उसके अनुबंध की मद संख्या 5 (एक) के साथ पढ़ा जाए के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सैफुद्दीन चौधरी।

क्या वह उपस्थित हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मद संख्या-5 भी थी, जो प्रधान मन्त्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य के बारे में थी। वक्तव्य क्यों नहीं दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : इस का समय 12.30 म०प० का रखा गया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, जब सभी मदों के समय को बदला गया है, तो इसी के अनुसार समय-सारणी में भी परिवर्तन जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई मद पहले ही निपट जाती

तो उस स्थिति में वक्तव्य को छोड़ दिया जाता । अतः, परम्परानुसार, यदि किसी मद के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे पहले नहीं रखा जा सकता । मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री सचिवालय को सभा की कार्यसूची की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिये, कि आपको 12 बजे तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वक्तव्य देने का आपका समय हो गया है । अतः उन्हें अवश्य ही वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवन्त सिन्हा

अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिए जाएंगे ।

(व्यवधान)

11.20 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे ।

स० अतिन्दर पाल सिंह ।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मद संख्या 8 अनुदान की अनुपूरक मांग (सामान्य) के बारे में है और श्री यशवन्त सिन्हा को विवरण प्रस्तुत करना है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री राम नाईक : वह उपस्थित न भी हों, तो भी कोई अन्य मन्त्री ऐसा कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि कोई भी मंत्री ऐसा नहीं कर रहा है, मैं अगली मद ले रहा हूं ।

श्री राम नाईक : श्रीमन्, यह एक महत्वपूर्ण मद है । हम समझ सकते हैं कि प्रधान मन्त्री के उपप्रधान मन्त्री से अच्छे सम्बन्ध नहीं है, अतः उन्होंने इसके लिये उन्हें प्राधिकृत नहीं किया है । लेकिन जहां तक मद संख्या 8 का सम्बन्ध है, कोई भी मन्त्री विवरण प्रस्तुत कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप कह रहे हैं, उसे मैं महसूस कर रहा हूं ।

[हिन्दी]

लेकिन सवाल यह है कि जब मन्त्री नहीं है और कोई दूसरे मन्त्री खड़े नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। जो आपका पाइंट है, वह मैं ले रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अगली मद ले ली है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : श्रीमन्, आपका निर्णय क्या है ?···(व्यवधान)····

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स फॉर ग्रान्ट्स तो पेश करनी ही है।····**(व्यवधान)**····

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभा के सामने केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का ही विषय है, सभा में जितने भी दल अभी उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी राय वक्तव्य कर दी है, अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 362 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त की जाए। अगर सभा समापन प्रस्ताव की मंजूरी दे देती है, तो हम समापन के बारे में निर्णय कर सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमन्, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह आपके विशेषाधिकार क्षेत्र में है।··**(व्यवधान)**····

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, नियम 362 इस प्रकार है :

> "किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा "कि अब प्रश्न रखा जाए" और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा : "कि अब प्रश्न रखा जाए।"

मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियों में, इस नियम का प्रयोग इसका दुरुपयोग होगा, क्योंकि कुछ सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और यह आपके विशेषाधिकार में है। अतः, मेरा निवेदन है कि जो सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, आप कृपया उनका नाम पुकारें।

श्री चित्त बसु (बारसात) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, क्या आपका भी वही प्रश्न है ?

श्री चित्त बसु : जी हां, नियम 362 बिल्कुल स्पष्ट है। यह बिल्कुल आपके संतुष्टि पर निर्भर करता है कि कहीं इस नियम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि

[अनुवाद]

इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा।

श्री चित्त बसु : हां, यहां इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। उपयुक्त चर्चा के अधिकार पर कोई रुकावट नहीं लगाई जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम अनुचित उत्तर की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : तकरीबन सभी बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : 12 घन्टे इसके लिये है, जिनमें से सिर्फ 4 घन्टे ही गये हैं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : इसलिए सदस्यों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि सभी अपनी राय प्रकट कर चुके हैं। जहां तक अधिकारों के दुरुपयोगों का सम्बन्ध है कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है और इस बारे में निर्णय ले सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभी लोग नहीं बोले हैं। यह गलत कथन है। मैं इसका विरोध करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है इसलिए हम समापन प्रस्ताव की मांग करते हैं।

अन्तिम मुद्दा कार्य मंत्रणा समिति के बारे में है जिसने इस विषय पर वाद-विवाद के लिए समय निश्चित किया। अभी वह समय समाप्त नहीं हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति सर्वोच्च संस्था नहीं है। यह सभा अपने विवेक से कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय को कम कर सकती है।

इसलिए मेरा यह कहना है कि आप सभा की भावना जानते हैं और बेहतर यही होगा कि समय कम कर दिया जाए और तत्काल इस प्रस्ताव पर मतदान कराया जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, समापन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आप अनुमति दें। जैसे कि सभा के समक्ष यह बात पहले ही लाई जा चुकी है कि यह आपके विवेकाधिकार में है कि आप समापन प्रस्ताव को अनुमति दें या नहीं। इसको अनुमति देने से पूर्व आप इस बात पर विचार कर लें कि क्या इससे सदस्यों के वाद-विवाद करने के अधिकार का उल्लघन होता है या नहीं। मेरा निवेदन है कि इस पर समुचित बहस नहीं हुई है। जिस माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सभी सदस्य बोल चुके हैं, वह बिल्कुल गलत है। मुझे विश्वास है कि आपके पास वक्ताओं की लम्बी सूची है और मैं वहाँ बैठा अपना निवेदन करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम केवल सरकार को ही सम्बोधित नहीं कर रहे हैं। महोदय, इस माननीय सभा में पूरे राष्ट्र को संबोधित किया जाता है और राष्ट्र की स्थिति बताई जाती है।

मेरा आपसे पहला अनुरोध है कि अपने विवेकधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको उस विषय पर समापन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे इस विषय पर समुचित बहस नहीं हो पायेगी।

मेरा दूसरा निवेदन यह है, जिसे कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि विपक्ष बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में······ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपके माध्यम से इस माननीय सभा में हम राष्ट्र की स्थिति के बारे में राष्ट्र को सम्बोधित कर रहे हैं। विपक्ष हमें सभा में राष्ट्र को राष्ट्र की स्थिति स्पष्ट करने से रोक रहा है। यह विपक्ष का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है **(व्यवधान)**

मुझे विश्वास है कि आप उनके दबाव में नहीं आएंगे। आप यह प्रस्ताव विशेष स्वीकार नहीं करें और हमें राष्ट्र को राष्ट्र की स्थिति बताने की अनुमति दें। जबकि सरकार स्वयं लड़खड़ा रही है लेकिन राष्ट्र लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मजबूत है। हमें राष्ट्र को सम्बोधित करना है और उसे सम्बोधित करने का अभी अवसर भी है। यह अनुत्तरदायी विपक्ष इस सभा में इस अवसर को समाप्त कर रहा है मेरी सरकार अथवा विपक्ष के साथ सहमति अथवा असहमति हो सकती है।

लेकिन मेरा इस सभा का और इस सभा के प्रत्येक सदस्य का यहां से राष्ट्र को सम्बोधित करने और उसे बताने का जो अधिकार है कि राष्ट्र के आने वाले दिन अत्यन्त कठिन होंगे, उससे वे वंचित रह जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि नियमानुसार आपको प्राप्त विवेकाधिकार के अन्तर्गत इस समापन प्रस्ताव की अनुमति न दें। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे मजबूरन इसका विरोध करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हम विद्यमान स्थिति की वास्तविकता की उपेक्षा कर सकते हैं। यहां तक कि माननीय वित्त मंत्री भी अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित नहीं है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार तब तक रह सकती है जब तक कांग्रेस समर्थन करे और ऐसा उन्होंने कई बार कहा। 'बिल्कुल ठीक' है। यही वास्तविक स्थिति है और उन्होंने यही राजनीति चुनी है। प्रधान मंत्री बने रहने के लिए उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलते रहना चाहिए। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ चर्चा कर चुके हैं। सभी मुख्य दल अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। कांग्रेस-आई भी अपने विचार प्रकट कर चुकी है। लेकिन वे यहां अपने और वक्ताओं को भाषण के लिए कहने के लिए उपस्थित नहीं है। जिन लोगों ने अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं, उनके पास असीमित समय नहीं है। शायद श्री जी० एम० बनातवाला को तीन मिनट का ही समय मिला।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : वह यह समय ले चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बोल चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : दुर्भाग्यवश, आपने समय दे दिया। अब वह आपके समय में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें 20 मिनट तक बोलने दीजिए। मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन वाद-विवाद की कोई सीमा होती है। कल यह कहा गया था कि जब तक कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिया गया समय समाप्त नहीं होगा कोई समापन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा चाहे सभी वक्ता उस पर बोल चुके हों। यह कैसे हो सकता है? यदि स्थिति की वास्तविकता का पता लगाने के लिए कोई सही निर्णय लेना है तब बात को बढ़ाने से क्या लाभ है? राष्ट्र को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हम भी राष्ट्र को ही सम्बोधित कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस देश के प्रधानमंत्री की मध्यस्थता की प्रतीक्षा करते रहेंगे? ऐसा कब तक होगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं। स्थिति यही है। इसलिए नियमों का अथवा बहस करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह एक आवश्यक प्रस्ताव है जिसे प्रस्तुत किया गया है और इस पर मतदान होना चाहिए। कृपया इसे स्वीकार किया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आपके विवेकाधिकार का मामला है और मैं अनुरोध करता हूं कि नियम 362 का शब्दानुसार पालन किया जाए। उदाहरण के तौर पर आपने यह प्रश्न उठाया है कि इस बहस के लिए 12 घंटे का समय दिया गया था और यह अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए इस पर बहस चलती रहनी चाहिए। मैं आपके समक्ष कुछ विरोधाभासों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्री जी० एम० बनातवाला ने कहा कि वे नहीं बोले हैं। संभवतः एक अथवा दो सदस्य नहीं बोले होंगे लेकिन मैं यह प्रश्न व्यवस्था के प्रश्न द्वारा उठाना चाहता हूं। मान लीजिए कार्य मंत्रणा समिति ने 12 घंटे का समय दिया है। सभी वक्ताओं ने अपने भाषण दे दिए हैं। दो अथवा तीन सदस्य जो पहले छूट गए थे, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त कर दिए और यदि 12 घंटे का समय पूरा नहीं हुआ तब आपका क्या यह कहना है कि वह 12 घंटे पूरे करने के लिए हमें दो अथवा तीन दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी और उसके बाद प्रधान मंत्री उत्तर देंगे? मैं समझता हूं कि एक अथवा दो वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हों। मैं नहीं जानता कि श्री बनातवाला का यह कहना है कि क्योंकि 12 घंटे का समय निश्चित किया गया था और केवल उन्होंने ही विचार व्यक्त नहीं किए हैं और 8 घंटे शेष हैं इसलिए वह 8 घंटे तक बोल सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इस स्थिति में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस मुद्दे से सहमत हूं। वह परिस्थिति के मुताबिक काम करते हैं। वह अपना रवैया भी बदलते रहते हैं। मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। वह आने वाली स्थिति में कह सकते हैं "मैं समापन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।" वह ऐसा कर सकते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि नियम को यान्त्रिक रूप में न लें। अगर 12 घंटे हैं और यदि एक या दो वक्ताओं को अभी भी बोलना है तो हम इस पर ऐतराज नहीं करेंगे। अगर इन वक्ताओं को बोलने का समय दिया जाता है तो विपक्ष के नेता ऐतराज नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद इस बात पर जोर मत दीजिए कि 12 घण्टे पूरे किए जाते हैं और इसलिए समापन प्रस्ताव संचालित नहीं होना चाहिए। इसलिए यह तो नियमों के अनुकूल ही है और यह भी तथ्य है कि 12 घण्टे पूरे नहीं हुए हैं, अगर केवल एक वक्ता बचा हुआ है तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यह ध्यान में रखें कि वह बल्कि 8 घण्टे न ले ले और फिर प्रधान मन्त्री उत्तर दें। यह भाषण पूरा हो और इसके बाद समापन प्रस्ताव कार्यान्वित हो। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, अगर हमें 8 घण्टे तक मि० बनातवाला को सुनना पड़ा तो हम सब बेहोश हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपका टाइम है, मैं आपको बुलाऊंगा। मि० कुण्डू।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समरेन्द्र कुन्डू जी, अगर आपको कुछ नई बातें कहनी हैं तो उन्हें व्यक्त कर सकते हैं।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : नियम 362 से सम्बद्ध खण्ड को मौजूदा स्थिति के परिपेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। इसे स्थिति की सम्पूर्णता से पृथक नहीं किया जा सकता। इस स्थिति की सम्पूर्णता क्या है ? स्थिति की सम्पूर्णता यह है कि सरकार को आदेश प्राप्त नहीं है क्योंकि कांग्रेस (आई) इसका समर्थन नहीं कर रही है। मैं यह समस्या आपके सामने रखता हूं। आप आठ घण्टे का वाद-विवाद कर सकते हैं। उसके बाद अगर कांग्रेस (आई) सरकार के समर्थन के लिए नहीं आती तो इस मुद्दे पर देश की कितनी अवमानना होगी। एक मुद्दा तो यह है। इस सन्दर्भ में नियम का पाठन यह सुझाव देता है····

अध्यक्ष महोदय : कुण्डू जी, कृपया अपने व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर आइए।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं श्री बनातवाला से अनुरोध करता हूं कि वह "गैर-जिम्मेदाराना विपक्ष" शब्द वापस ले लें। विपक्ष तो बहुत ही सतर्क और सक्रिय है और केवल मुद्दे की बात करता है। विपक्ष की भूमिका सरकार का पर्दाफाश करना और उसे अपदस्थ करना है। (व्यवधान) अब, हम सरकार का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस नियम 362 (1) को लेते हैं, इसमें कहा गया है :

> "किसी प्रस्ताव के किए जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा" कि अब प्रश्न रखा जाए" और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा····"

मैं यह कहता हूं कि यह प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग नहीं है। यह प्रस्ताव उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्या यह प्रस्ताव उचित वाद-विवाद का उल्लंघन है ? अब सरकार के पास कोई आदेश नहीं है। उचित वाद-विवाद क्या है ? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सरकार के पास कोई आदेश नहीं है। फिलहाल, अध्यक्ष महोदय यह समझें कि समापन प्रस्ताव सही है और फिर मतदान होना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है····(व्यवधान)

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। क्यों ? क्योंकि आप हमारा मत पहले ही सुन चुके हैं। यहां पर सरकार कल से अल्पमत में है। इस सन्दर्भ में हमें देखना होगा कि क्या यह वाद-विवाद एक उचित वाद-विवाद है, क्या उचित वाद-विवाद के अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ है। अधिकांश वक्ता

बोल चुके हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान सम्बन्धित नियमों अर्थात् नियम 362 से नियम 365 की ओर आकर्षित करता हूं। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि आप इस बारे में सभा की सहमति ले सकते हैं कि क्या सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद को जारी रखने के लिए तैयार है। इस प्रकार आप सभा की सहमति ले सकते हैं। इसके लिए आप पूर्णतया सक्षम हैं। इस वाद-विवाद को जारी रखने के औचित्य पर गौर करने के बाद आप सभा का मत जान सकते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो बोलने वाले हैं, उनको तो बुलाऊंगा न।

[अनुवाद]

श्री मानी भट्टाचार्य : सभा की सहमति से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यह मेरा अनुरोध है.... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने स्वनिर्णय का उपयोग न करने का निश्चय किया है और इस मामले को सभा की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया है कि इस वाद-विवाद का समापन हो या न हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मामले पर निर्णय लेने का कार्य सभा पर छोड़ दें। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य बांकुरा) : आप सभा का मत लेकर प्रस्ताव स्वीकृत करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो मेरे पास नाम हैं, मैं उनको बुला लेता हूं। हम को लगता है— आडवाणी जी मानेंगे। मधु जी का वही प्वाइंट है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं मानूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितना टाइम देंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ बाबू, क्या ये अनन्तकाल के लिए बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी दलों के लिये निश्चित समय निर्धारित किया हुआ है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभा को यह जानने का अधिकार है कि वक्ताओं की जो सूची आपके सामने हैं, उनमें कितने वक्ता हैं और क्या वे अलग-अलग दलों के है····**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तीन-चार स्पीकर्स हैं, उसके बाद प्रधान मंत्री जी बोलेंगे। जो हाउस में हैं, मैं उनको बुलाऊंगा उनके बाद प्रधान मंत्री जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री जी तो आखिर में बोलेंगे।····**(व्यवधान)**····

अध्यक्ष महोदय : हमको लगता है, इसमें हम समय क्यों बर्बाद करें। जो वक्ता हैं मैं उनको बुला लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितने वक्ता हैं ?

अध्यक्ष **महोदय** : तीन चार वक्ता हैं और प्रधान मंत्री जी को मिलाकर पांच हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप समय निश्चत कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, एक बजे जबाव दे दीजिए या साढ़े बारह बजे जवाब दे दीजिए। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, सदन की और अध्यक्ष जी की अनुमति चाहिए। अध्यक्ष जी मुझे जब जवाब देने के लिए कहेंगे, मैं जबाव दे दूंगा। कौन-कौन लोगों को बुलायेंगे, यह आपकी मर्जी है, आपका जुरिस्डिक्शन है। आप जिसको चाहिए, बुलाइए। मुझे जब उत्तर देना होगा, तो मैं उत्तर दे दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, समय यहां तय हो जाए कि प्रधान मंत्री जी सवा बारह बजे जवाब देंगे, तो सभी सदस्य यहां सदन में रहेंगे। आप आधे घण्टे में जिन-जिन सदस्यों को बुलाना चाहें, बुला लें।

अध्यक्ष महोदय : हमको लगता है कि साढ़े बारह बजे तक हो जाएगा। तीन-चार वक्ता हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मानवेन्द्र सिंह बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि वह यहां नहीं है, मैं श्री बनातवाला को बोलने के लिये बुलाता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण क्या आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे ?

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, देश को स्वतन्त्रता मिलने के बाद से अब तक ऐसी असाधारण और विकट स्थिति में संसद की बैठक नहीं हुई थी जैसा कि आज घटित हो रहा है। यह असाधारण स्थिति जिसके कारण आज संसद की बैठक हुई है, एकदम स्पष्ट है। देश की पूरी राजनीति अस्त-व्यस्त है। विपक्ष सरकार को गिराने के लिए अधीर है। और प्रमुख सहयोगी दल अपने उस कर्त्तव्य से पीछे हट गया है, जिसका उसने वचन दिया था। मुझे पू ा विश्वास है कि राष्ट्र इस असाधारण स्थिति पर विचार करेगा तथा अपना निर्णय देगा।

देश की स्थिति बहुत ही कठिन है। हम यह पाते हैं कि साम्प्रदायिक तनाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। हाल की हिंसा की घटनाओं से यह बात जाहिर हो गई है कि विशेषकर अल्पसंख्यकों के जानमाल की सुरक्षा करने में केन्द्र तथा राज्य सरकारें पूरी तरह असफल रही हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्रप्रदेश, सभी स्थानों पर प्रशासन निरीह दर्शक बनी रही, जबकि कानून लागू करने वाला तंत्र प्रत्येक स्थानों पर पूरी तरह साम्प्रदायिक दिखा रहा था।

उदाहरण के लिए अलीगढ़ में दंगाइयों पर नियंत्रण करने से पुलिस ने इंकार कर दिया। यहां तक कि पुलिस वाले हड़ताल पर चले गये क्योंकि वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति के तथा मुसलमान समर्थक थे। पी० ए० सी० के० विरुद्ध मुसलमानों के प्रति खुलेआम भेदभाव बरतने की कई शिकायतें मिली हैं। यह एक ऐसा तथ्य है, जिसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता।

मैं यहां बताना चाहता हूं कि 1977 में जनता पार्टी के शासन के दौरान एक ऐसे गृहमंत्री द्वारा पी०ए०सी० में तत्कालीन जनसंघ के लोगों को नियुक्त किया गया था, जो स्वयं उस पार्टी के नेता थे। इसलिए हमारे पास ऐसी पी. ए. सी. थी, जिसका बड़ी साम्प्रदायिक शक्तियों से सम्बन्ध

रहा है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की सुरक्षा का जो वचन दिया था, वह खोखला साबित हुआ है।

इस समय में इन दुखद घटनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ऐसे पुलिस और गुप्तचर तंत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देता हूं, जिसमें अल्प संख्यकों का प्रतिनिधित्व अधिक हो इस मामले में और देरी नहीं की जानी चाहिये। यदि यह सरकार बनी रहती है या नई सरकार आती है, तो उसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण के लिये केन्द्र और राज्य पर समान जिम्मेवारी डालने के वास्ते संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा।

साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा उन्हें अनुगृहीत राशि और मुआवजा देने के लिए वैधानिक स्कीमें बनानी होंगी। ऐसी वैधानिक स्कीमों की अनुपस्थिति में हमें बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर हुए जान-माल की हानि को सरकारी एजेन्सियों और पुलिस द्वारा ठीक से रिकार्ड नहीं किया गया। दूसरे स्थानों पर—उदाहरण के लिये महाराष्ट्र में, हम मुख्यमंत्री से उन लोगों के लिये अनुग्रह राशि और मुआवजा देने की घोषणा करने की लगातार मांग करते रहे हैं, जिन्हें साम्प्रदायिक दंगों में नुकसान हुआ है। लेकिन कोई घोषणा नहीं की गई है। मुम्बई में जोगेश्वरी के मामले में हमने कई बार मुख्यमंत्री श्री शरद पवार से कहा है और उन्हें अभ्यावेदन भी दिया है, लेकिन ऐसी कोई अखिल भारतीय नीति न होने के कारण मुख्यमंत्री ने जोगेश्वरी तथा अन्य स्थानों पर हिंसा से पीड़ित लोगों के लिये अनुग्रह राशि और मुआवजा की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिये साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों को अनुग्रह राशि देने और मुआवजा उपलब्ध कराने के लिये एक वैधानिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

मैं यहां प्रेस कौंसिल आफ इंडिया के एक निर्णय का भी उल्लेख करना चाहता हूं। प्रेस कौंसिल आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के चार हिन्दी समाचार-पत्रों की, अयोध्या विवाद के मुद्दे पर साम्प्रदायिक रिपोर्टें छापने पर निन्दा की है। लेकिन उनकी निंदा किया जाना और उन पर मात्र सेंसर लगाना ही पर्याप्त नहीं है। इस बारे में सरकार क्या कर रही है? उग्र साम्प्रदायिक अभियान से सम्बद्ध होने के आरोप में जिन चार समाचार-पत्रों के विरुद्ध प्रेस कौंसिल आफ इंडिया ने सेंसर लागू किया था उन पर क्या कार्यवाई की गई है?

मैं बहुत ही संक्षेप में बाबरी मस्जिद रामजन्म भूमि जैसा उलझे हुए, विवादास्पद संवेदनशील मुद्दे का उल्लेख करूंगा। मेरा यह कहना है कि 22 दिसम्बर 1949 तक, करीब 425 वर्षों तक वहां नमाज पढ़ी जाती थी और उसके बाद जब हाल में वह विवाद पैदा हुआ तो गुमराह करने वाली रिपोर्टें सामने आने लगी। वर्तमान स्थिति में इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?

मैं सभा और देश का गांधी जी के कथन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं महात्मा गांधी के संकलित रचनाओं के—भाग 10 पृष्ठ संख्या 140-145 से, दिनांक 80 नवम्बर 1947 की प्रार्थना सभा में उनके द्वारा कही गई बातों को उद्धृत कर रहा हूं।

> "......जिन्होंने मूर्तियों की स्थापना की है, उनका यह कर्त्तव्य है कि वे प्रातः ही उन मूर्तियों को उठाकर जहां चाहें अन्य स्थान पर स्थापित कर दें। मस्जिदों में इस प्रकार

मूर्तियों की स्थापना करना मस्जिद की पवित्रता को नष्ट करना और मूर्तियों का भी अपमान करना है।"

गांधी जी ने यह टिप्पणी किसी अन्य घटना के संबंध में की होगी, लेकिन यह वर्तमान विवाद में भी समान रूप से लागू होती है।

इस सम्मानित सभा और पूरे राष्ट्र के सामने मैं यह कहता हूं कि इस समस्या का ऐतिहासिक और पुरातात्विक निदान ढूंढ़ना बेकार है। इतिहास राम के अस्तित्व के दावे को भी गम्भीर चुनौती देता है—तब उनकी जन्मभूमि की बात करना तो और भी दूर की बात है। कई मस्जिदों और तीर्थस्थलों के बारे में भी ऐसे विवाद उठाए गए हैं। इसका एक ही समाधान है कि सभी धार्मिक स्थलों को देश की आजादी से पूर्व, यानि 15 अगस्त, 1947 से पूर्व की, स्थिति में यथावत सुरक्षित बनाए रखने के लिये कानून बनाया जाए।

पिछली लोकसभा में मुझे इस सभा में ऐसे ही विधेयक को पुर: स्थापित करने का अवसर मिला था। महोदय, आज जनता में शांति और साम्प्रदायिक सद्‌भावना स्थापित करने के लिए कानून बनाने का समय आ गया है।

मंडल आयोग के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर न्यायालय में विचार किया जा रहा है। जब मंडल आयोग पर न्यायालय में विचार किया जा रहा है, तो मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। जब आरक्षण का उद्देश्य समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है, तो किसी भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण नीतिसे अलग नहीं किया जा सकता है। डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अल्पसंख्यकों के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमे मुसलमानों के पिछड़ेपन की असंतोषजनक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में, उक्त रिपोर्ट में इस बात पर बल देते हुए कि उच्च शैक्षिक संस्थाओं और सेवाओं में सभी स्तरों पर मुसलमानों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, समिति ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सेवाओं में भी आरक्षण देने का विशेष रूप से उल्लेख किया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट का समर्थन और इसका यथाशीघ्र कार्यान्वियन सुनिश्चित करते समय हमें इस बात पर भी बल देना चाहिए कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, तो मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुसार निश्चित आरक्षण दिया जाए। यह देखकर बड़ा कष्ट होता है कि समूची रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के सामने जो समस्याएं हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि सरकार अल्पसंख्यकों का कल्याण करने की बात करती है। अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में सरकार का भी ऐसा ही दृष्टिकोण है। अल्पसंख्यकों के बारे में इस 15 सूत्री कार्यक्रम को जोर-शोर से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

हमें देखते है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। यहां मैं उस चुनौती का उल्लेख करना चाहता हूं जो दो अंकों में मुद्रास्फीति से पैदा हो रही है। दुर्भाग्यवश दो अंकों की इस मुद्रा-स्फीति से स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में और बिगड़ गयी है। यदि हम दो अंकों की मुद्रास्फीति का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 1989 में आवश्यक वस्तुओं

मूल्यों में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और 1990 में 13.5 प्रतिशत की। इसी प्रकार ईंधन, बिजली और लुबरीकेंटों के मूल्यों में 4 प्रतिशत की और 1090 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

हमें आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया जा रहा है, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सात पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं; इसके बावजूद हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में समानता का पूरी तरह अभाव है हम यह देखते हैं कि इतने समय के बावजूद 40%लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार 33 प्रतिशत ऐसे परिवार थे, जिनमें एक भी व्यक्ति शिक्षित नहीं था। 62 प्रतिशत लोग शुद्ध पेयजल और 74 प्रतिशत लोग बिजली की सुविधा से वंचित थे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, पर्याप्त समय है, कृपया आगे मेरी बात सुनिए।

चोरी-छिपे टेलीफोन सुनने तथा निगरानी रखने आदि के मुद्दों पर सभा में बहुत अधिक उत्तेजना फैली है। समाचार पत्रों में सी० बी० आई० रिपोर्ट के प्रकाशित अंशों से मैं समझता हूं कि चोरी-छिपे मेरे भी टेलीफोन सुने जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत घृणित बात है। यह स्वतन्त्रता और सभ्य समाज पर कलंक है। चोरी-छिपे टेलीफोन सुनने जैसी अन्य बातों का प्रधान मंत्री महोदय द्वारा निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन पर कार्यवाही करने की भी आवश्यकता है जिन्होंने ऐसे गैर-कानूनी कार्य करने का आदेश दिया है। उन्हें तत्काल दंड दिया जाना चाहिए। दूसरे, इस देश के प्रत्येक नागरिक के गोपनीयता संबंधी अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए और उचित प्रशासनिक आदेश दिए जाने चाहिए।

मैं कुछ शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर जो इस समय बड़ी विकट है, बोलना चाहूंगा; फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

12.00 **मध्याह्न**

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इराक-कुवैत युद्ध अमानवीय और क्रूरता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इराक को कुवैत छोड़ देना चाहिए था। कुवैत पर इराकी आक्रमण की निंदा अवश्य की जाए, लेकिन कुवैत की स्वतन्त्रता का तात्पर्य इराक के विनाश से नहीं है। युद्ध को अनिवार्य बताना एक बहुत बड़ा धोखा देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश उपनिवेशवाद के बारे में अपनी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करने और दिखावटी रूप से कुवैत की सम्प्रभुता की रक्षा करते हुए तेल क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाने के वास्ते बेचैन थे। अब यह स्पष्ट हो गया है और सबको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट और उनकी बगदाद वार्ता से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध टालने की बहुत सम्भावना थी और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भी यह स्वीकार किया था कि कुवैत से इराकी सेनाओं की वापसी के बारे में उनका दृष्टिकोण हठीला नहीं था और वह शान्ति के प्रयासों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तैयार थे.........**(व्यवधान)**

परन्तु दुर्भाग्यवश युद्ध जारी रहा। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि सोवियत शान्ति प्रस्ताव को सही अवसर नहीं दिया गया।। इराक ने यह सब स्वीकार कर लिया था, परन्तु अमेरिका ने इसका जबाव जमीनी लड़ाई के लिए अन्तिम चेतावनी के रूप में दिया। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका ने अपनी शक्ति के उन्माद का खुलकर प्रदर्शन किया है। नागरिक ठिकानों पर जोरदार बमवर्षा करके जघन्य अपराध किया गया है। हम सहयोगी सेनाओं द्वारा किए गये अत्याचारों के प्रति आंखें मूंदे नहीं रह सकते। उनकी समान रूप से निंदा की जानी चाहिए, चाहे इराक हो अथवा इस्राइल अब युद्ध समाप्त हो गया है। कुवैत स्वतंत्र हो गया है। हम कुवैत की जनता को बधाई देते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसे में, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि शान्ति की और युद्ध के मुआवजों की बातें इराक के विनाश और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर नहीं की जानी चाहिए। कुवैत और इराक का पुनर्निर्माण सभी राष्ट्रों के लिए समान चिंता के विषय होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, वे तो बेचैन हैं। कम से कम आपको तो अधीर नहीं होना चाहिए। कृपया मुझे बोलने के लिए थोड़ा और समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं अधीर नहीं हो रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : पश्चिमी शक्तियों को यथाशीघ्र वहां से हट जाना चाहिए और और इस्लामी देशों तथा क्षेत्रीय शक्तियों को वहां शान्ति स्थापित करने का अवसर देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान जो हथियार और पैट्रियट इस्राइल को दिए गये थे, उन्हें वापिस लिया जाए। यह बात निंदनीय है कि अमेरिका इस्राइल को भी इस बहाने काफी सहायता देना चाहता है कि युद्ध में इसका बहुत नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य सभ्य राष्ट्रों के समक्ष इजरायल स्वयं दोषी है। अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बिना किसी देरी के उसी तत्परता और दृढ़ता जो उसने इराक के मामले में दिखाई थी, दिखाते हुए इजरायल द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों को खाली कराना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की भी आवश्यकता है जिससे कि कोई भी राष्ट्र चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इसका उपयोग न कर सके।

मैं इस लड़खड़ाती सरकार से और समूचे राष्ट्र से यह कहूंगा कि खाड़ी युद्ध में भारत की भूमिका बहुत निराशाजनक रही है। पश्चिम एशिया कि दुखद घटना के समय भी राष्ट्र असमंजस की स्थिति में रहा। हमारे द्वारा किए गए शांति प्रयास न केवल बहुत कमजोर थे और देरी से किये गये बल्कि वह निष्प्रभावी भी थे सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के रक्षा विमानों को पुनः ईंधन दिया गया जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

मैं अपने उन निर्वासित देशवासियों की आवश्यकताओं के बारे में कहना चाहूंगा, जिन्हें युद्ध की स्थिति में खाड़ी क्षेत्र के देशों को छोड़ने पड़ा। आज जब वह इन खाड़ी राष्ट्रों में अपने काम पर वापिस जाना चाहते हैं, तब उन्हें उनकी पासपोर्ट संबंधी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इन निर्वासित व्यक्तियों से कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों से उन्हें निकालने में जो खर्चा आया है, वह पहले उसे अदा करें। इस मामले पर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि पासपोर्ट संबंधी सुविधाओं को फिर से बहाल किया जाये।

जहां तक प्रत्येक व्यक्ति जिसे खाड़ी क्षेत्र के किसी देश से निकालना पड़ा हो, उस पर आये खर्च की वसूली का सम्बन्ध है, तो इस सम्बन्ध में लोगों की सुविधा अनुसार कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जितने ज्यादा लोगों के पासपोर्ट का नवीनीकरण हो सकेगा और उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी, उतने ही विदेश जाकर देश के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे।

युद्ध में बरबाद खाड़ी क्षेत्र के राष्ट्रों में पुनर्निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं उनमें भारत की भूमिका के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों में अतिविशिष्ट परिस्थितियां बनी हुई हैं। अत: यह आवश्यक है कि किसी एक दल के हितों को ध्यान में रखने के स्थान पर व्यापक राष्ट्रीय हितों का दृढ़ता पूर्वक सामना किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे अपने विचार रखने के लिए अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, आज देश की एकता और अखंडता को सांप्रदायिक और विघटनकारी तत्वों से खतरा है। हमारी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। मैं आज इस संकट की घड़ी में देश की जनता का ध्यान दूरदर्शिता और विवेक की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस संकट के मौके पर, जबकि जम्मू-कश्मीर में, पंजाब में; असम तथा तमिलनाडू में जो हिंसक और विघटनकारी तत्वों और उग्रवादियों ने वहां संविधान के अनुसार जो व्यवस्था चल रही थी उसको चलने देने में बड़ी कठिनाई पैदा की। हमारी बाध्यता थी कि संविधान के तहत और कानून-व्यवस्था के लिए हम वहां राष्ट्रपति शासन लागू कराके विधान सभाओं को सस्पेंड करें तो इसके मुताबिक यह किया गया है। आज जम्मू-कश्मीर में, पंजाब में और देश के अन्य भागों में आतंकवादियों से हम चिन्तित हैं। उन आतंकवादियों को भी एक मौका दिया गया कि देश की मुख्य धारा में उनको शामिल करने के लिए उनसे बातचीत की जाए और ये बातचीत का दरवाजा भी खोल दिया गया। हर प्रयास किया गया है कि जो उग्रवादी तत्व हैं जो विघटनकारी तत्व हैं, उनसे भी बातचीत की जाए और बातचीत करके एक लोकतांत्रिक और एक विचार-विमर्श के द्वारा समस्याओं का हल किया जा सकता है, इसमें उनको सम्मिलित किया जाए। इतना ही नहीं, पंजाब की तरह जम्मू-काश्मीर

और असम की समस्याओं का सर्वमान्य हल निकालने के लिए यह प्रयास किया गया है। केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं का मिल कर एक सर्वमान्य हल निकालें जिससे कि लोकतांत्रिक परम्परा, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक पद्धति इस देश में चल सके और केवल लोकतांत्रिक पद्धति, बल्कि समाजवादी जो हमारी कल्पना है, उसको हम स्वीकार कर साकार रूप दें सकें और जो हमारी धर्मनिरपेक्षता, जो हमारी एक मुख्य समाजवादी और लोकतांत्रिक संस्था का आधार रही है. हम उसका अनुपालन, उस का पोषण कर सकें। इतना ही नहीं, मैं आपका ध्यान राष्ट्रपति की उन बातों की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने सच कहा है कि एक राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है और विकास कार्य के लिए ससाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष की स्थापना करने की आवश्यकता है। उस दिशा में भी जो प्रयास सरकार ने किया है वह पता नहीं राजनीतिक दलों को कैसा प्रतीत हो रहा है; अपोजीशन के लोग हैं, हम समझते हैं कि वह भी हमारी इस राय से सहमत होंगे कि आज इस देश में कोई एक दल नहीं बल्कि आज सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि किस तरह से राष्ट्र में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी विचार को चलाया जाए। इतना ही नहीं, अखण्डता की रक्षा और राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में, राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में देश की एकता और हमारी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। उद्योगों को भी संकठित करने और गतिशील बनाने की आवश्यकता है। हमारे यहां सांप्रदायिक सामंजस्य बिगड़ा है। हमारी सरकार ने धार्मिक नेताओं से भी एक बातचीत चलाई है और इस दिशा में एक नयी पहल की है। औद्योगिक तथा दूसरे क्षेत्रों में भी हमारे मजदूरों की मेहनत, हमारी जनसंख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उनके कठिन परिश्रम पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है तथा सभी सामाजिक हलचलों के बीच देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी अपील है कि देश के हित में आन्तरिक मतभेदों को भुलाकर हम एकजुट हो जायें। हमारी सरकार ने पाकिस्तान और चीन से भी सम्बन्ध सुधारने का एक प्रयास किया है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा अभी हमारे मित्र बनातवाला जी कह रहे थे, उन्होंने इराक के मसले को उठाया और कुवैत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में बातें कहीं, परन्तु हमारी सरकार ने अपनी फौज वहां नहीं भेजी जबकि पाकिस्तान गवर्नमैंट ने अपनी फौज वहां भेजी थी। इसके अलावा अन्य कई मित्र राष्ट्रों ने अपनी-अपनी फौजों को वहां भेजा था। इराक सदा से हमारा मित्र देश रहा है, इसलिये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसके खिलाफ फौजी शक्ति का इस्तेमाल न करें और हमने ऐसा ही किया। जिस परम्परा की नींव आपके पूर्वजों ने डा ी थी, उसी परम्परा का निर्वाह हमने भी किया और अपनी फौज नहीं भेजी। हमारी नुकसान करने की कोई नियत नहीं थी बल्कि हम यह जरूर चाहते थे कि कुवैत स्वतंत्र हो और कुवैत की स्वतंत्रता के बाद जो मुनासिब कार्यवाही आवश्यक हो उसे किया जाये। इसीलिये हमारे प्रतिनिधि ने वहां जाकर इस बात की कोशिश की कि दवाइयां और हर प्रकार की सम्भव सहायता इराक की हो सके की जाये और युद्ध में इराक की जो बर्बादी हुई है, उस निर्माण के लिये, उसके पुनर्निर्माण की दिशा में हम पहल करें। इन शब्दों के साथ मैं सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)** अरे सुन तो लो, सत्यनाश तो कर दिया। **(व्यवधान)** महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उसके प्रति सदन में आये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में एक मूल बात यह कही है कि आज हमारा देश उस कगार पर खड़ा है। जिसमें आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर देश के निर्माण में जुटें और जो विघटनकारी शक्तियां आज देश में पैदा हो गयी हैं, उनके खिलाफ लड़ें। मुझे वह दिन याद है जब देश की जनता ने अपना बहुमत जनता दल में व्यक्त किया था जो उस समय एक विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आयी थी। देश की जनता ने अपना बहुमत जनता दल को दिया था और राष्ट्र के जनमत का आदर करते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी थी। इसके साथ-साथ, मुझे वह दिन भी याद है कि जब हम लोग चुनावों में जाते थे तो लोग हमसे कहते थे कि सन् 1977 की कहानी दोबारा मत दोहरा देना····**(व्यवधान)**···मगर ऐसी आशाएं थीं कि शायद देश के जनमत ने अपना जो निर्णय दिया था, जनता दल के वरिष्ठ नेताओं के हाथ में, जैसा हमारे यहां एक देशी कहावत है कि "दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है," लैफ्ट एण्ड राइट की दौड़ में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस सब को भूल गये कि देश के जनमत ने उन्हे यहां क्या आदेश देकर भेजा था।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अब इन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी याद आ रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : क्या आपने जनता के आदेश का पालन किया या आप भी भूल गये। **(व्यवधान)**

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : वे भूल गये कि जनता के सामने उन्होंने क्या वायदे किये थे। **(व्यवधान)**

आप लोगों को नहीं मालूम, मगर मुझे अपने इलैक्शन, अपने चुनाव के बारे में सब कुछ याद है।

श्री राजवीर सिंह : आप किस पार्टी से जीत कर आये थे। **(व्यवधान)**

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : जब मैं मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह मेरे यहां चुनाव सभा में आये थे।

यह निर्णय लिया गया था कि मथुरा शहर की विधान सभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को दी जायेगी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मथुरा विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। पालियामेंट्री बोर्ड में हमने यह निश्चय किया था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सामलात सभा मथुरा केन्द्रीय सभागार में करनी है। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने साफ मना

किया कि मैं उस सभा में नहीं जाऊंगा। मानवेन्द्र सिंह हार जायें, तो क्या होता है, हम को तो सारे राष्ट्र को देखना है। सारे राष्ट्र में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वह संसद्-सदस्य था जो कि सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जुड़ा था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पाल आर० मंथेव (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह समय नष्ट कर रहे हैं। वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं अपितु दल के आन्तिरक मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। यदि उन्हें नियम नहीं मालूम तो उन्हें नियम पढ़ लेने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : वहां पर, मंच, से चुनाव सभा में बोलने के लिये उन्होंने मना किया और कहा कि हम बी० जे० पी० के साथ चुनाव सभा नहीं करेंगे। उसका परिणाम हुआ कि हमारे यहां पथराव हुआ और यह बी० जे० पी० वालों ने किया। हमने बैठकर तालमेल किया और किसी तरह अपनी सीट निकाल ली। मगर क्या मैं विश्वनाथ प्रताप जी से पूछ सकता हूं कि सरकार चलाने के लिये, प्रधान मंत्री की कुर्सी के लिये भीख क्यों मांगी और क्यों 9 महीने तक सरकार चलाई? जब अपनी कुर्सी के लिये भीख मांगी और 9 महीने सरकार चलायी, तो फिर मूल्य की राजनीति कहां चली गयी ? उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही थी, वह व्यवस्था का परिवर्तन कहाँ चला गया ? यह मूल्य-बेस्ड पॉलिटिक्स कहां चली गयी ? जब उनको प्रधान मंत्री बनना था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी बेवकूफ बनाया, उन्होंने सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के सामने भी झोली पसारी और उनकी जनता दल के जो वरिष्ठ नेता थे, उनसे अनमन बनी रही। उनसे बार-बार आग्रह किया गया कि वे पार्टी के प्रधान मंत्री पद से त्यागपत्र देकर पार्टी का अध्यक्ष बनें और किसी वरिष्ठ नेता को राष्ट्रीय मोर्चा का प्रधान मंत्री बनने दें। तब उन्होंने कुर्सी की पॉलिटिक्स के पीछे उस प्रस्ताव को त्याग दिया और जनता दल विभाजित हो गया।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक दृष्टि से देश 50 साल पीछे चला गया। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी। आज तक देश में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी विश्वनाथ जी के जमाने में हुई। इसका मुख्य कारण सरकार की अस्थिरता और एक प्रधान मंत्री द्वारा अपना वादा पूरा न करना तथा राजनीतिक मतभेद उभरना रहा है। इसके अलावा उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो मिला, तो उनको लगा कि वह पार्टी अपना समर्थन वापस लेने जा रही है जिसके कारण उनमें अस्थिरता बनी रही। इसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों की सलाह पर माननीय देवीलाल जी को मंत्रिमण्डल से निकाल दिया। तब उनको लगा कि मेरी कुर्सी खतरे में है, आगे चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस लेना चाहती है, तो उन्होंने राम मंदिर का झगड़ा शुरू कर दिया।

उधर मुसलमान भाइयों से कहा कि हम मस्जिद को नहीं टूटने देंगे इधर बी० जे० पी० को कहा कि तुम मन्दिर का निर्माण करो। उन्होंने इसी बीच में जब यह सोचा कि पार्टी टूटने वाली है, हमारी कुर्सी जाने वाली है तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जल्दबाजी में लागू किया। इसके पीछे गरीब लोगों के हित का मकसद नहीं था, इसके पीछे हरिजनों का मकसद नहीं था, पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग का नहीं था। यदि कमजोर वर्ग का हित होता तो और जातियों के भी कमजोर वर्ग को उसमें शामिल किया जाता। कमजोर वर्ग, हरिजन और पिछड़े वर्ग की परवरिश कांग्रेस पिछले 40-42 सालों से करती आ रही थी। उसमें शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, बालमीकि, हरिजन और अन्य कौमें थीं। मगर उसमें वोट का मकसद था कि हिन्दू वोटों का बंटवारा किस तरह किया जाए। बैकवर्ड, हरिजन, पिछड़े लोगों को मंडल कमीशन पर किस तरह विभाजित किया जाए। और मुसलमानों को राम जन्मभूमि के नाम पर किस तरह अपने साथ लिया जाए। उसके बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बी० जे० पी० को यह लगा कि हिन्दू वोट विभाजित हो रहा है, मैं माननीय नेता आडवाणी जी का आदर करता हूं, जब उन्होंने यह देखा कि इस व्यक्ति ने हिन्दू वोट विभाजित कर दिए तो वे रथ में सवार हो गए और उन्होंने सारे देश में परिक्रमा शुरू कर दी। उसके जन्मदाता श्री वी० पी० सिंह और आडवाणी जी हैं। सारे देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि हिन्दू, मुसलमान से लड़ने लगा, हिन्दू हिन्दू से लड़ने लगे, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लड़ने लगे, देश में क्रान्ति का स्वरूप उत्पन्न हो गया। यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह सब कुछ श्री वी० पी० सिंह ने किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से पिछड़े, हरिजन और दलितों को प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया और जब श्री वी० पी० सिंह ने उनकी बात की तो कहते हैं कि उन्होंने यह सब कुछ किया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री के. मानवेन्द्र सिंह : सारे देश में ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कत्लेआम होने लगे। पंजाब की समस्या सुलझाई नहीं गई, तामिलनाडू के मुख्य-मंत्री लिटे के साथ वहां पर आतंकवादियों के साथ सौदा करने लगे, प्रधानमंत्री उनको शय देने लगे। बिहार में हरिजनों के साथ खुला तांडव होने लगा, वहां पर पुलिसकर्मी भी मारे जाने लगे, पंजाब में धधकती आग और धधकने लगी, आसाम में बार-बार कहने पर भी कोई निर्णय नहीं लिए गए। इसमें उनकी राजनीति थी, उनका अपना हित था कि जाति और धर्म के नाम पर देश को बांट दिया जाए। देश सर्वोपरि नहीं रहा, उनके वोट सर्वोपरि रह गए, प्रधान मंत्री की कुर्सी सर्वो-परि रह गई। सारे देश का विकास कार्य ठप्प हो गया। एक अस्थिरता की सरकार के इस वाता-वरण से देश को कितना नुकसान हुआ इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सारे देश के व्यक्तियों

की, जनता की भावनाओं को धूमिल कर दिया। उस समय ऐसा वातावरण था कि जो हमने वायदे किये थे। (व्यवधान)

श्री के. मानवेन्द्र सिंह : जो हमने जनता के सामने वायदे किये थे कि हम ग्रामीण विकास की योजनायें लायेंगे, गरीब लोगों के दस हजार के कर्जे माफ करेंगे, शहरी विकास करेंगे और बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे.... (व्यवधान) .. इस देश की जनता की सारी आशाओं को इन लोगों ने धूमिल कर दिया। आप कुर्सी के लालच में... (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र सिंह जी, अभी आप बैठिये। वसुदेव आचार्य जी व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि साढ़े बारह बजे प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई देंगे। आप प्राइम मिनिस्टर को जवाब देने के लिये बुलाए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठ जायें। मानवेन्द्र जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री के. मानवेन्द्र सिंह : उस समय ऐसा वातावरण सारे देश में था। कुर्सी के भूखे चुनावों की मांग कर रहे थे। जाति और धर्म की राजनीति करने वालों ने इस देश को बांटने की कोशिश की। जब देश इस घृणा की आग में जल रहा था तब माननीय चन्द्रशेखर जी को प्रधान मंत्री की शपथ दिलायी गई। कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में चन्द्रशेखर जी को समर्थन देने की घोषणा की। विपक्ष भी इस बात को भली प्रकार जानता है। माननीय चन्द्रशेखर जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद इस देश की जनता ने एक राहत की सांस ली।

श्री के. सी. त्यागी : कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए विरोध किया.... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, क्या यह जरूरी है कि आप बोलते जायें ?

श्री के. मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अन्त में यही कहूंगा कि आज जो देश में वातावरण व्याप्त है, जो देश में एक घृणा का वातावरण व्याप्त है, वह इन लोगों की ही देन है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में देश की जनता आपको सब कुछ बता देगी। धर्म की राजनीति में सना हुआ राम जन्म भूमि का मन्दिर, वोटों की राजनीति में सना हुआ मंडल कमीशन, ये जो आपकी ठेकेदारी है, ये अब नहीं चलेगी। देश की जनता समझदार है और वह इनको भविष्य में सब कुछ बता देगी। जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है उसी प्रकार से वोटों की राजनीति करने वालों, धर्म की राजनीति से देश को

बांटने वालों और कुर्सी से चिपके रहने की राजनीति करने वालों को देश की जनता सब कुछ बता देगी और भविष्य में उनको बर्दाश्त नहीं करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नन्दू थापा (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे कुछ टिप्पणी करनी हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से राष्ट्र को गलत संदेश मिला है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब कश्मीर, असम और देश के कुछ अन्य भागों में दंगों और साम्प्रदायिकता के उल्लेख से राष्ट्र और उसके लोगों की गलत छवि बनी है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। यह सभी नकारात्मक पहलू है और मैं तो यह कहूंगा कि इस अभिभाषण में केवल नकारात्मक पहलुओं का ही उल्लेख किया गया है। जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नागरिकों में मेल-मिलाप की भावना की कमी और असामंजस्य की तस्वीर प्रस्तुत की गई है परंतु, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। राष्ट्र को और भी संदेश दिये जा सकते थे और उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रमुखता दी जा सकती थी। उदाहरण के लिए सिक्किम और देश के कुछ अन्य राज्य हैं जो कि सबसे शांत राज्य हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव के अलावा सिक्किम और अन्य जगह अपराधों की दर भी सबसे कम है। कई राज्यों में किसी प्रकार का कोई साम्प्रदायिक या धार्मिक तनाव नहीं है। अतएव कुल मिलाकर राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र और उसके लोगों की बहुत गलत छवि प्रस्तुत की गई है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की भी मांग है। इन मांगों में एक मुख्य मांग नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की है। इस भाषा को शामिल किये जाने की मांग 50 के दशक से ही की जाती रही है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा की सरकारों द्वारा यह मांग की जाती रही है। देश में नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी करीब एक करोड़ है। इस भाषा को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गयी है और यह सिक्किम राज्य की राजभाषा भी है। स्नातकोत्तर स्तर तक भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा भी इस भाषा को मान्यता दी गयी है। हिंसा का रुख अपनाये बिना ही नेपाली भाषा बोलने वाले भारतीय लोगों ने प्रजातांत्रिक रूप में और शान्तिपूर्ण तरीके से यह मांग की है। इस सन्दर्भ में सरकार को ज्ञापन दिये गये हैं और सरकार के पास शिष्ट मंडल भेजे गये हैं। लेकिन प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से की गई इस मांग का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। महोदय, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर की गई इन आलोचनात्मक टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, हमारे संविधान के ये तीन मूल खम्भे हैं लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में संविधान बनाते समय डा० भीमराव अम्बेडकर ने यही सपना देखा था ? इस देश में जनतंत्र मजबूत हो रहा है कि नहीं; मैं पूछना चाहता हूं ।

आज कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, असम में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है पाण्डिचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यह इस बात का सबूत है कि ज्यों-ज्यों हमारे देश में आजादी की तारीखें बढ़ती गईं, इस देश में राष्ट्रपति शासन के माध्यम से जनतंत्र मजबूत होगा ? मेरी समझदारी साफ है कि जिनके हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए थी, उन्हीं के हाथों में सत्ता गई है । जनतंत्र का यह नियम है कि जनशक्ति जिसके हाथ में है, उसके हाथों में राजसत्ता जानी चाहिए लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज अल्पमत के हाथ में सत्ता है और सारी राजसत्ता, मनी, मीडिया और माफिया के हाथों में गई है । इतने दिनों की आजादी के बाद सारे चुनाव मनी, मीडिया और माफिया के माध्यम से जीतते हैं । इस बारे में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें····(**व्यवधान**) यह नहीं है कि कैसे इस देश में जनतंत्र मजबूत होगा ।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में जो कमाने वाले हैं, सत्ता उन्हीं के हाथों में जानी चाहिए थी लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जो देश की दौलत कमाते हैं, कच्चा माल पक्का माल बनाते हैं; सारी चीजों को बनाते हैं, आज सारी धनशक्ति उनके हाथों में नहीं है, कमाने वालों के हाथों में नहीं है । सारी धनशक्ति टाटा के हाथ में है, बिड़ला के हाथ में है, डालमिया के हाथ में है । गोयनका के हाथ में है, धीरूभाई अम्बानी के हाथ में है । यह धनशक्ति जब कि किसानों के हाथों में जानी चाहिए थी, गरीबों के हाथ में जानी चाहिए थी, मजदूरों के हाथ में जानी चाहिए थी, कमाने वालों के हाथ में जानी चाहिए थी । देश की जनता के हाथ में जानी चाहिए थी, लेकिन देश के जो पन्द्रह प्रतिशत पूंजपति हैं, वे इस सारी धनशक्ति को अपने हाथ में समेटे हुए हैं । इस पर राष्ट्रपति का अभिभाषण बिल्कुल मूक है कि कैसे इस देश की धनशक्ति का वितरण गरीबों के हाथों में किया जाए । मेरा मानना यह है कि देश के कमाने वालों के हाथ में जब तक धनशक्ति नहीं जाएगी, तब तक इस देश में समाजवाद नहीं आएगा और समाजवाद लाने के लिए जरूरी है कि श्रमशक्ति की महत्ता को माना जाए । जो श्रम करने वाले लोग हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको महत्व दिया जाए, लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, उनके हाथों में धनशक्ति है ।

एक बात मैं धर्म-निरपेक्षता के बारे में कहना चाहता हूं । डा० बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में राष्ट्रीय संस्कृति का विकास होना चाहिए । आज नारा लगाया जाता है :

"हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान, कहां से आए मुसलमान,
मारो इनकी जान, नहीं तो भेजो पाकिस्तान ।"

एक नारा यह भी लगाया जाता है :

"बाबर की औलाद को एक धक्का और दो,
मुसलमान के दो ही स्थान— कब्रिस्तान और पाकिस्तान।"

जब इस देश का पंजाबी खड़ा होता है, तो दूसरे लोग नारा लगाते हैं—

"बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की"

जब मेनका गांधी अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव में खड़ी थीं, तो राजीव गांधी ने नारा लगवाया था—"बेटी है सरदार की देश के गद्दार की।" जब इस देश में मुसलमान खड़ा होता है तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है और जब इस देश में पंजाबी खड़ा होता है तो उसको खालिस्तानी कहा जाता है। जब इस देश के लोग गरीब मजदूर किसान, दलित, पीड़ित, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग किसी नेता के पीछे खड़े होते हैं तो उनको जात-बिरादरी वाला कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं, क्या इस देश की तकदीर कुछ लोगों के हाथों से ही लिखी जाएगी। मेरा कहना यह है कि जिन्होंने इस देश में राजे बनकर, रजवाड़े बनकर, सामन्त बनकर, जमींदार बनकर, ठेकेदार बनकर और हिन्दू व्यवस्था में सवर्ण बनकर हमारे समाज का शोषण कर लिया है, आज वही लोग सत्ता के गलियारों में बैठे हुए है और तिकड़म कर रहे हैं। मेरी मानना है कि इस देश में जो स्थिति बन रही है, उससे न तो देश मजबूत हुआ है और न देश में जनतन्त्र मजबूत हुआ है, न देश में यहां धर्म निरपेक्षता मजबूत हुई और न देश में समाजवाद मजबूत हुआ—यह देश के लिए बहुत ही कलंक की बात है। हमारा देश अंधकार की तरफ चला जा रहा है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दो शब्द मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कहना चाहता हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए संविधान में 22.5 प्रतिशत आरक्षण किया गया है, लेकिन आज वह आरक्षण पूरा नहीं है, जिन लोगों की जनसंख्या इस देश में 3.5 प्रतिशत है सवर्ण जाति के लोगों की, वे आज बिना आरक्षण के सत्ता के गलियारों में बैठने के कारण, राज सत्ता में प्रधान मंत्री होने के कारण, 1952 से लेकर 1990 तक जो स्थिति रही है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। साढ़े तीन प्रतिशत लोग सत्ता में बैठने के कारण उनकी सत्तर प्रतिशत की ठेकेदारी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में साढ़े चार प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो खेती को लेकर बैठे हुए हैं। पांच प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके हाथों में उद्योग धन्धे हैं और पांच प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं, जिनके हाथों में देश की जमीन चली गई है। ऐसी स्थिति में कहां जाएगा किसान का बेटा, कहां जाएगा मजदूर का बेटा और कहां जाएगा कमाने वालों का बेटा। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में सत्ता में बैठने वालों ने बेइमानी की है। इस देश में सही मायनों में सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं। आजादी के पहले जिनकी नौकरियों 35 प्रतिशत थीं, वे आज 0,5 प्रतिशत हो गई हैं। क्या कारण हैं? मिलिट्री में उनकी

कोई भरती नहीं, जिनको शंका की निगाह से देखा जाएगा, यह देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यह देश 85 करोड़ की आबादी वाला देश है, इस देश में हम हिन्दू नहीं, मुसलमान नहीं, इसाई नहीं, सिक्ख नहीं, हम एक मां के बेटे हैं, भारत मां के बेटे हैं। सारे लोगों को रोटी-कपड़ा और मकान, स्वाभिमान और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पैदा होते ही कोई बाबा का बेटा हो, कोई बाबू का बेटा हो, कोई बनिए का बेटा है, इस देश में सम्मान मिलता है, तो ऊंची जाति के आधार पर मिलता है। कोई पैदा होते ही अनुसूचित जाति का बेटा, गरीब का बेटा, मेहतर का बेटा हो जाता है और पैदा होने के बाद अपमान मिलता है। जब तक इस अपमान की दीवार को नहीं गिराया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में कानून बनाने से भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मेरा कहना है कि हम एक मां के बेटे हैं, यह देश हमारा है, यह धरती हमारी है, हमें किसी को जाति के आधार पर बांटना नहीं चाहिए। हमें राष्ट्रीय संस्कृति का विकास करना है, इसलिए जब सारे लोगों की राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में साझीदारी होगी, तभी यह देश बनेगा। मेरा कहना है कि इस देश में औरतें भी पचास प्रतिशत हैं, लेकिन देश में औरतों की स्थिति भी क्या है? सारी जिन्दगी यहां औरतों को काम करना पड़ता है जिनकी पढ़ाई-लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस देश में ऐसी औरतों की संख्या साढ़े चार परसेंट है, जब तक उनको राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक जीवन में सम्मान नहीं दिया जाएगा, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक यह देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। बच्चों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं—इस देश में आठ-आठ साल के बच्चे काम करते हैं, वे कोयला बीनते हैं या इस तरह के छोटे-मोटे काम करते हैं, उनको पढ़ाई-लिखाई का अवसर नहीं मिलता है। हमारे देश के जो नौजवान हैं अगर उनके बारे में हमारी सरकार या हमारा समाज नहीं सोचेगा तो देश आगे बढ़ने वाला नहीं है।

दोहरी शिक्षा नीति के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ बच्चे हमारे देश में पैदा होते ही दून स्कूल और पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और कुछ बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अगर इस देश में सब बच्चों को एक समान पढ़ने का मौका नहीं दिया गया इस समाज में शिक्षा प्रणाली ठीक प्रकार से नहीं बनाई गई तो आज नहीं तो कल परसों, हमारे बच्चे जो दुनिया का इतिहास पढ़ रहे हैं, रूस की क्रान्ति पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रान्ति पढ़ रहे हैं और सारे देश की क्रान्तियां पढ़ रहे हैं उनसे परिवर्तन होने वाला है। वे भाग्य और भगवान पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। आज भाग्य और भगवान में विश्वास करने वाला जमाना लद गया।

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे समाज को अशिक्षित, अपंग, अनपढ़ बना करके, अन्धविश्वास के माध्यम से मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के माध्यम से समाज को गिराने का काम कर रहे हैं, वे स्वर्ग-नरक की परिभाषा, मान्यता गलत ढंग से बनाए हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यदि हमारे समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला है, उसमें परिवर्तन आ रहा है तो हमें उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में सामाजिक और राजनीति की लड़ाई के लिए अनुसूचित जाति के लोग खड़े हो रहे हैं, पिछड़ी जाति के लोग खड़े हो रहे हैं, तो

उनको कुछ लोग अपनी धन-शक्ति के आधार पर दबाने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि आज हमारे समाज के बढ़ते हुए कदम को कोई नहीं रोक सकता है। आज अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोग समान रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में साझेदारी चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनको उनके अधिकार देने का प्रयास नहीं किया गया तो वे इसके लिए विद्रोह करेंगे और वर्तमान स्थिति चलने वाली नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से गारन्टी होनी चाहिए कि कैसे इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों और अगर इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था गिर जाएगी। डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आने वाले जमाने में अगर सब लोगों को समान सामाजिक अधिकार नहीं दिए गए तो इस संविधान के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। (**व्यवधान**) जहां तक अंतरराष्ट्रीय मामले की बात है मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को अपनी परम्परा निभानी चाहिए। ईराक ने हमेशा हमारा साथ दिया था, वह हमेशा हमारी मदद करता था कम से कम हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें ऐसा मौका मिला था जब कि अंतरराष्ट्रीय जगत में मानवता का हनन हो रहा था, अमेरीका जो दुनिया का चौधरी है, वह सारे देश में चौधराहट स्थापन करके सारे देश को पीछे धकेलना चाहता था। उसके जहाजों में तेल दे करके हमारे देश ने अन्तर्राष्ट्रीय नीति का, अपनी विदेश नीति का और जो अपने दोस्त (मित्रों) की नीति है उसके साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज सारी दुनिया के लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसमें हमें अडिग रहना चाहिए था। ऐसे मौके पर यदि हम कुवैत का साथ नहीं देते तो हमें अमेरीका का साथ भी नहीं देना चाहिए था। इस लिए अगर सारे देश को एक बनाना है तो सब लोगों को स्वाभिमान, सम्मान ईज्जत देनी चाहिए। दुनिया में जो क्रान्तियां हुई हैं, वे केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए नहीं हुई हैं, ये सारी क्रान्तियां स्वाभिमान और सम्मान ईज्जत के लिए हुई हैं। आज हमारा समाज स्वाभिमान और ईज्जत की लड़ाई लड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले जमाने में सबको सम्मान स्वाभिमान, ईज्जत दी जाय और यह बातें राष्ट्रपति के भाषण में नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

12.50 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं वर्ष 1990-91 के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2214/91]

12.50½ म० प०

देश में संवैधानिक संकट के बारे में

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, 7 नवम्बर, 1990 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद हिन्दुस्तान की राजनीति का जो नया अध्याय शुरू हुआ, ऐसा लगता है कि उस अध्याय का अन्त भी निकट है।

अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही बहस में भाग नहीं ले रहा हूं, एक बहुत सीमित विषय पर आपकी अनुमति से बोल रहा हूं और वह यह कि कल प्रातःकाल से लगातार जो संकट खड़ा हुआ है, उस संकट के कई रूप हैं। वैसे तो वह संकट इतना गहन था कि अगर विपक्ष चाहता तो इस अध्याय की परिसमाप्ति कल ही हो जाती, किन्तु विपक्ष ने सोच विचार कर कांग्रेस पार्टी को इस बात का अवसर दिया, इस बात को पहचानने का कि उनका आचरण आज की परिस्थिति में और जिन परिस्थितियों में इस सरकार का गठन हुआ, वह सरासर गैर-जिम्मेदाराना है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी जो अभी भी सदन में देश की सबसे बड़ी पार्टी है देश के चार प्रांतों में जिसका शासन है, वर्तमान केन्द्र सरकार भी उनकी ही कृपा पर अवलंबित है, वह पार्टी सर्वेलेंस जैसे मुद्दे को लेकर देश के लिए इतना गंभीर संकट पैदा कर रही है। आखिर यह सर्वेलेंस किसने शुरू किया। राजनीतिक विपक्षी दलों के नेताओं का या अपने ही दल के जो लोग हैं, जिनकी निष्ठा पर उनको विश्वास नहीं है, उनका सर्वेलेंस वर्षों से यही पार्टी करती आई है, इस पार्टी की सरकारें करती आई हैं, आज भी जहां पर इस पार्टी का शासन है, वहां सरकारें यही काम करती रहती हैं, तो इसको इतना बड़ा इशू बना देना, यह कहना कि जिन-जिन लोगों ने वहां पर सर्वेलेंस किया, उस पार्टी के नेता के मकान पर, उसके लिए अगर उचित राजनीतिक कीमत नहीं दी गई तो हम इस सरकार को खत्म कर देंगे और वह भी सीधे तरीके से नहीं। अगर यही मत था तो जाकर राष्ट्रपति जी को कह देते कि हमने वचन दिया था कि हम इस सरकार को चलाएंगे, लेकिन हमने इस सरकार के कार्यकलाप को देखा है, उसके कारण हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह सरकार रहने के लायक नहीं है, इसलिए हम समर्थन वापस लेते हैं। हमसे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमने जब समर्थन वापिस लिया तो इस बेढंगे रूप से, बेइमानी से वापिस नहीं लिया, सीधे तौर पर वापिस लिया, लेकिन यह सोचना कि समर्थन हम वापिस नहीं लेंगे, लेकिन यह सरकार गिरनी चाहिए, उनकी शिकायत हमसे भी है, विपक्ष से कि कल आपने सरकार क्यों नहीं गिराई।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस संकट में एक बात गैर-जिम्मेदाराना आचरण कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार है। दूसरी बात राष्ट्रपति को दिए हुए वचन

का भंग है, वचन-भंग के वे अपराधी हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस सदन को मौका मिले और वह जाकर जनता से फिर से जनादेश प्राप्त करे, इनकी इच्छा यह है कि यह सरकार जाए और हम इनके स्थान पर आकर बैठें। (**व्यवधान**)

दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि उनके साथ-साथ सरकार में बैठे हुए कुछ लोग भी हैं, जिनके भाषण अभी मैं सुन रहा था, वे भी शायद इनके साथ भागीदार होने को तैयार हों। (**व्यवधान**)

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस संसद के ऊपर जवाबदारी है, इस संसद के ऊपर जवाबदारी यह है कि 31 मार्च तक इस संसद ने सरकार को कुछ रुपया-पैसा खर्च करने का अधिकार दिया है, 31 मार्च के आगे उसने अधिकार नहीं दिया है, इसी कारण कल जब हम बैठे थे विपक्ष के लोग, उनके सामने हमने इस संकट के अलग-अलग पहलू रखे कि यह संकट केवल राजनीतिक नहीं है, यह संवैधानिक संकट भी है और इस संकट के वित्तीय पहलू भी हैं और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मानता हूं प्राय: विपक्ष की ओर से भी यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक संकट का निराकरण यह सरकार कैसे करती है, यह जानकारी तो सरकार को होगी और लगता है कि सरकार तो जाएगी, लेकिन जहां तक संवैधानिक और वित्तीय संकट है, उसका निराकरण करने के लिए राष्ट्रपति को हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, हम सारे के सारे सहयोग देने को तैयार हैं, इस राजनीतिक संकट के बावजूद भी और राजनीतिक संकट के जो अपराधी हैं सबसे बड़े, वे इस राजनीतिक संकट का लाभ लेकर सरकार में आएं, इसका हम विरोध करेंगे और राष्ट्रपति जी को भी कहेंगे। लेकिन आज संसद के सामने लेखानुदान रखा गया है, "वोट ऑन अकाऊंट" रखा गया है....(**व्यवधान**) आज सदन के सामने रेलवे बजट अंतरिम रखा गया है और इसके अलावा सदन को पंजाब, काश्मीर, तमिलनाडु, असम और पांडिचेरी जैसे पांच प्रदेशों के बजट को पास करना है। ये पांचों प्रान्त ऐसे हैं जिनका बजट ठीक प्रकार से पास हो। इसके गंभीर परिणाम हैं और बहुत सेन्सीटीव इश्यू हैं और इसीलिए कल दिन भर हम बहुत चिंतित थे। हम चाहते तो सरकार चली जाती। विपक्ष का सबसे बड़ा काम न केवल सरकार को एक्सपोज करना है लेकिन सरकार को डिपोज करना है और जो भी अरलियर अपोरचुनिटी मिले तो उससे उसकी छुट्टी करवाना है। यह हमारा दायित्व है....(**व्यवधान**) हमने सोचा कि शायद चौबीस घंटों में बुद्धिमता आ जाए, समझ आ जाए और यह सर्वेलेंस ऐसा है और मैं इस पक्ष का हूं और सारा विपक्ष इस पक्ष का है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। वायर टैपिंग और पोस्टल इंटरसेप्शन नहीं होना चाहिए। हमने प्रधान मन्त्री को उस दिन कहा था कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कानून व्यवस्था की जाए। इसको इश्यु बनाकर यह आचरण करेंगे तो मैं इसको बहुत गंभीर अपराध मानता हूं। समर्थक पार्टी और सत्ता पार्टी को समझना चाहिए। जिस दिन सारी बहस हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं चन्द्रशेखर जी को व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। कुछ उन्हें कटपुतली कहते हैं। वे कठपुतली नहीं बनेंगे।

[**अनुवाद**]

> **"लेकिन कठपुतली को नचाने वाला बने रहने की कांग्रेस पार्टी की लालसा बहुत बलवती होगी।"**

[हिन्दी]

वे कठपुतली को नचाने वाले बने रहें और जैसा चाहें वैसा करें। यह उनके मन में लालसा बनी रहेगी।

[अनुवाद]

"चन्द्र शेखर जी के लिए यह एक स्थायी दुविधा बनी रहेगी। यदि वे एक कठपुतली की तरह कार्य करने हेतु सहमत हो जाते हैं तो इसका परिणाम सरकार के लिए और साथ ही साथ देश के लिए हानिकारक होगा और यदि वे एक कठपुतली की तरह कार्य करने से इन्कार कर देंगे तो उनकी सरकार गिर सकती है। मैं उनसे सिर्फ यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि उनकी सरकार गिर जाती है तो क्या उन्हें शीघ्र ही कठपुतली बन जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।'

[हिन्दी]

मैं आशा करता हूं कि आज के इस अवसर पर भी वे कठपुतली का काम नहीं करेंगे और उचित-अनुचित-जवाब देंगे। जहां तक मेरी पार्टी और विपक्ष का सवाल है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मई के महीने में राष्ट्रपति शासन पंजाब में समाप्त होगा और राष्ट्रपति शासन को अगर एक्सटेंड करना है और इलेक्शन वहां पर नहीं करवाना है तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन भी आवश्यक हो सकता है जिसके लिए शायद कांग्रेस पार्टी भी सम्मिलित हो तभी हो सकता है। यह पहलू ऐसा है जिसके बारे में लगता है कि कांग्रेस पार्टी विचार भी नहीं करती। हम विचार करते हैं और हम इस संदर्भ में जाकर के राष्ट्रपति को कहने वाले हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है और संवैधानिक जितनी आवश्यकताएं हैं और देनदारियां हैं वे संवैधानिक हों या वित्तीय हों तो उनकी पूर्ति हम करने को तैयार हैं। जहां तक आज की राजनीतिक अवस्था का सवाल है वह इतनी अनिश्चित और अस्थिर है जितनी हिन्दुस्तान के चालीस साल के जीवन में पहले कभी नहीं रही। अनिश्चितता और अस्थिरता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाए और हिन्दुस्तान की जनता को नया जनादेश देने का अवसर दिया जाए। इतना निवेदन करते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि प्रधान मन्त्री इस वेदना और पीड़ा को समाप्त करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो० मधु दण्डवते जी बोलेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं उस बात का स्मरण करना चाहूंगा जो मैंने उस समय कही थी जब इस सभा में मेरे सहयोगी और मित्र श्री चन्द्र शेखर जी ने विश्वास मत की मांग की थी। तब मैंने उन्हें विभिन्न नेताओं को प्राप्त विरासत के बारे में बताया

था उन्हें स्मरण कराया था कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को आश्वासन दिया था कि 'हम आपको समर्थन देंगे।" और माननीय राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह से एक महीने के अन्दर विश्वास मत प्राप्त कर लेने के लिए कहा था तथा जिस दिन सभा में चौधरी चरण सिंह जी को विश्वास मत प्राप्त करना था। उसी दिन सुबह श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा कर दी थी कि "हम अपना समर्थन वापस लेते हैं।"

1.00 म० प०

मैंने श्री चन्द्र शेखर को स्मरण कराया था कि श्रीमती गांधी के पुत्र का व्यवहार भी इससे भिन्न नहीं होगा क्योंकि जिनका वे समर्थन कर रहे हैं उनके साथ विश्वासघात करने का रवैया उन्हें भी विरासत में मिला है। (व्यवधान) जैसी कि उम्मीद है वे इस सरकार को गिरा देना चाहते हैं। लेकिन इस सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की हिम्मत उनमें नहीं है। चाहे इस सभा में अथवा बाहर यह घोषणा करने का साहस उनमें नहीं है कि 'हम समर्थन वापस लेते हैं।" वास्तव में उन्होंने श्री राजीव गांधी के निवास स्थान पर निगरानी किये जाने का मुद्दा उठा लिया है। इस मुद्दे पर उन्होंने सभा का बहिष्कार किया है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रक्रिया के नियमों का अध्ययन किया है। वे जानते हैं कि जब वे इस सभा से बाहर रहेंगे तो सभा की स्थिति इस प्रकार की हो जायेगी कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव भी अस्वीकृत हो सकता है और इसके फलस्वरूप सरकार में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और यह सरकार गिर जायेगी। लेकिन सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की हिम्मत उनमें नहीं है। उन्होंने निगरानी किए जाने का मुद्दा उठा लिया है। मैं जो पहले कह चुका हूं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन निगरानी किये जाने के प्रश्न का कोई नैतिक अधिकार क्या श्री राजीव गांधी को है ?

महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस सभा में 9 अगस्त 1988 को प्रश्नकाल के दौरान मैंने राजनीतिज्ञों के टेलीफोन टेप किये जाने सम्बन्धी प्रश्न को उठाया था। मेरे पास 9 अगस्त 1988 के लोक सभा वाद-विवाद की प्रकाशित रिपोर्ट के अंश हैं। उस समय मेरे प्रश्न के उत्तर में श्री राजीव गांधी ने, जो कि आज निगरानी किये जाने के मुद्दे को उठा कर नैतिक बल अपना रहे हैं, कहा था :

"मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे दूं कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी राजनीतिज्ञ का टेलीफोन टेप नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे दूं....."

इस शब्द के बाद व्यवधान उत्पन्न हुआ था। महोदय मैंने टेलीफोन टेप किये जाने सम्बन्धी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सत्यापित प्रतिलिपि आपको दी है। उसमें यह कहा गया है :

"यह पाया गया है कि निम्नलिखित राजनीतिज्ञों के टेलीफोनों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई अवधि के दौरान टेप किया गया है..."

उन्होंने 12 नामों की सूची दी है और उन्होंने 56 व्यक्तियों के नामों को परिशिष्ट एक और दो में दर्शाया है जिसमें कांग्रेस पार्टी के सदस्य, विपक्ष के सदस्य, सत्तारूढ़ दल के सदस्य, मंत्री मंडल के सदस्य और अन्य कई सदस्य हैं। जब श्री राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे तो इस सरकार ने इन टेलीफोनों को टेप किया था। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने इस तरह के सभी अनैतिक कार्य किये थे। आज उन्होंने वर्तमान सरकार को चुनौती देने की धृष्टता की है कि हम हरियाणा सरकार के गुप्तचरों द्वारा न० 10, जनपथ की निगरानी कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से वह सब किया जा रहा है। वे बहुत ही चतुराई से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन वे अविश्वास प्रस्ताव लाना नहीं चाहते हैं। अब वे इस प्रकार से यह कार्यवाही कर रहे हैं।

महोदय, मैं एक संवैधानिक मुद्दा और एक संवैधानिक संकट का उल्लेख करना चाहता हूं। चाहे हम सत्तारूढ़ दल के हों अथवा विपक्ष के, हम भी इस बात से चिन्तित हैं कि कहीं संवैधानिक एवं आर्थिक संकट न उत्पन्न हो जाए। हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितना कि कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है। इसलिए जहां हमने सरकार, श्री राजीव गांधी तथा वे मुद्दे जो हमने उठाए थे उनके सम्बन्ध में एक मजबूत दृष्टिकोण अपनाया है, उसी के साथ-साथ हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होने देंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम यह पाते हैं कि वित्तीय कार्य संबन्धी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में भारत की संचित निधि से पहली अप्रैल को कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती। उस स्थिति में इस सरकार विशेष के निर्धनतम कर्मचारी को भी भुगतान नहीं किया जा सकता। हम यह संकट नहीं चाहते हैं हम नहीं चाहते कि देश के निर्माण कार्य ठप्प हो जाएं; हम नहीं चाहते कि विकास कार्य ठप्प हो जाए। इसलिए बिना कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए संविधान तथा देश के प्रति निष्ठा रखते हुए हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाएंगे तथा राष्ट्रपति जी को यह बताएंगे कि हम संविधान की रक्षा करने, उसका संरक्षण करने, उसमें उल्लिखित प्रावधानों के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। केवल इसी आधार पर हमने अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। जहां तक वर्तमान संकट का सम्बन्ध है, मैं तो यही दोहराऊंगा कि जिस दिन उस कांग्रेस पार्टी के समर्थन से यह सरकार बनी थी जिसकी नेकनीयती का प्रमाण चौधरी चरण सिंह के शासनकाल के दौरान मिल चुका था, अतः यह सब कुछ होना ही था। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार ही ऐसा हो गया है। सम्भवतः वे ही दल जिन्होंने इसको सहयोग दिया था तथा अल्पमत सरकार का गठन किया था वे ही इसके जिम्मेवार थे। यही सब बातें मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान अपने संक्षिप्त भाषण में कहना चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल चुका हूं। मैं उत्पन्न राजनैतिक मुद्दों पर बोल रहा हूं। इस समय मैंने जो भी पूर्वानुमान लगाया था वही अब सत्य हो गया है। इस प्रकार से मुझे दुःख भी हो रहा है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए एक राजनैतिक मांग से सहयोग लेने का निर्णय करते समय श्री चन्द्र शेखर जैसा समझदार तथा विवेकशील व्यक्ति यह नहीं समझ सका तथा

यह पूर्वानुमान नहीं लगा सका कि इसका परिणाम क्या होगा। यह स्थिति है। बात सिर्फ यह है कि कांग्रेस (आई) में न तो जनता का सामना करने का साहस है तथा न ही सरकार बनाने का उसमें साहस है। उन्होंने राष्ट्रपति को यह सूचना दे दी थी कि वे सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि वे जनादेश के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। परन्तु वे ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे जिसमें अन्य दलों द्वारा जनादेश की अवहेलना की जाए। उस जाल में श्री चन्द्र शेखर तथा अन्य हमारे अच्छे मित्र फंस गए।

आज हम यह देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु सरकार की बर्खास्तगी, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रत्यक्ष प्रहार जैसे अनेक गलत कार्यों को करने के लिए ही इस सरकार को लाई थी। पांडिचेरी विधान सभा भंग हो गई है तथा अब राज्यपालों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है तथा यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में भी स्वयं को पृष्ठभूमि में रखकर उन्होंने इस सरकार को चलाने की कोशिश की थी। हमारे राजनीतिक स्वरूप को गम्भीर क्षति पहुंचाई गई है। हमने इस प्रकार की सरकार की कमजोरियों को देखा है। परन्तु कम से कम इस सरकार के पास संख्यात्मक रूप से जनादेश का आभास तो होना ही चाहिए था जो इस सरकार के पास कभी नहीं था। जनता दल, जिसके श्री चन्द्रशेखर जो सदस्य थे, उसके साथ भी यही अन्तर था। वह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण ही गिर गयी थी जिसका उन्होंने वचन दिया था। अब हम उस घटना के बाद से सिर्फ तीन माह के अन्दर ही फिर वैसा ही दूसरा अवसर देख रहे हैं। इस समय कांग्रेस (आई) दल जिसने इस देश को चलाया है तथा जिसने लगभग चार दशकों तक इस देश पर शासन किया था, उसी दल ने इस देश को पूर्ण विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां जनता गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता में रह रही है। इस देश में बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे उनमें सरकार बनाने का साहस नहीं है, बल्कि उन्होंने इस अवसर का उपयोग किया है। आज उनका पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस (आई) की यही भूमिका रही है। वित्तीय कार्यों को पूरा करने के मामले में उन्होंने रंचमात्र भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई और उससे पहले ही उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। वे इस देश, इस सभा तथा इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार किया है।

जहां तक हमारा सवाल है, हमने यह घोषणा कर दी थी कि इस सरकार को इस्तीफा देना ही चाहिए। हमारी यही नीति है क्योंकि इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक, संवैधानिक तथा राजनैतिक अधिकार नहीं है। यह सरकार उस राजनैतिक दल की शुभकामनाओं पर चल रही थी जो इतने गैर-जिम्मेदाराना ढंग से कार्य कर सकती है जैसा कि हमने पूर्वानुमान लगाया था। हम मध्यावधि चुनाव चाहते हैं। हम इस शून्य को भरने के लिए किसी भी प्रकार का अपवित्र गठबन्धन नहीं चाहते हैं। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यदि सरकार बनाने के लिए सदस्यों की खरीद-फरोख्त का फिर कोई दूसरा प्रयास किया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे।

हम इसे प्रकाश में लाने का प्रयत्न करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की सर्वोच्च संस्था वही गलती नहीं करेगी जो पहले की जा चुकी है। हम उनसे निवेदन करेंगे। भाजपा ने

अपना समर्थन खुलेआम परन्तु एक आड़ लेकर वापस लिया है । इससे उनके राजनैतिक इरादों का पता चलता है ।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस (इ) के नेता ने सच्चाई से या छल से—सच्चाई के मुकाबले ज्यादा छल से— सत्ता में आने के लिए सभा के कुछ सदस्यों के साथ पहले ही कोई तालमेल कर लिया है । मैं उस ओर के अपने मित्रों से केवल यह निवेदन कर सकता हूं कि उन्होंने गलती कर ली है और देश को पुनः धोखा न दें । इसलिए वे कम से कम यह देखें कि उनके तथा कथित मित्रों ने कैसा व्यवहार किया है । उन्होंने थोड़ी देर बाद सब सीखा है । इसलिए यदि ऐसी सरकार बनाने का प्रयास किया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे । हम दृढ़ता से इसका विरोध करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अपने साथियों द्वारा दिए गए भाषण का पूरी तरह से समर्थन करते हुए, मैं केवल यही कहना चाहता हूं । मेरी मन में दो विचार हैं—या तो श्री चन्द्र शेखर पर तरस खाऊं ··(**व्यवधान**)····आप जो कहना चाहते हैं उसे सुनने के पश्चात् ही मैं निर्णय करूंगा कि आपको बधाई दूं अथवा नहीं ।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे सत्य का सामना करना पड़ता है । आज श्री चन्द्र शेखर सत्य का सामना कर रहे हैं । इसलिए मैं कल्पना कर सकता हूं कि वे कैसा महसूस कर रहे होंगे । मेरे विचार में उन्होंने जानते-बूझते हुए एक खतरा उठाया था जब वे प्रधान मन्त्री बने थे । उन्होंने यह खतरा उठाया था क्योंकि वे जानते थे कि पहले उन्होंने और उनके मित्रों ने उस जनमत की अवहेलना की थी जो उन्हें पिछले आम चुनावों में जनता ने दिया था । यह जनमत कांग्रेस-विरोधी लोकमत था । वे दल जिन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में पिछली सरकार बनाई थी, उनके अपने राजनैतिक और सैद्धान्तिक मतभेद हो सकते हैं किन्तु वे सब इस सभा में कांग्रेस-विरोधी लोकमत के आधार पर आए थे । किन्तु हमारे ये मित्र जो उसी दल का एक हिस्सा थे, जब उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें सत्ता में वापस आने का अवसर मिल रहा है, उन्होंने इस लोकमत की अवहेलना की और आगे बढ़कर कांग्रेस को अपना लिया जिनके विरुद्ध लोगों ने उन्हें इस सभा में चुना था ।

वह इसे अच्छी तरह से जानते थे । इसके बावजूद उन्होंने यह खतरा उठाया । तब उन्होंने अपने दल में विभाजन कर दिया और श्री राजीव गांधी और उनके दल के साथ एक समझौता कर लिया जिससे कि वे कुछ समय तक सत्ता में रह सकें । मैं जानता हूं कि अब वे बहुत क्षुब्ध होंगे; मैं इसे समझ सकता हूं । किन्तु मैं इस की आलोचना नहीं करना चाहता । उन्हें इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है । मेरे विचार में यदि श्री चन्द्र शेखर एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें सत्ता से दूर कर दिया । केवल वे ही शायद इस बात को भूल गए हैं कि एक अन्य सज्जन भी थे जिनकी महत्वाकांक्षा और भी अधिक है जो पर्दे के पीछे छिपे हैं । उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी थी ।

अब यह नाटक, जो पिछले दो दिन से खेला जा रहा है, समाप्त होने वाला है। हर व्यक्ति इस नाटक में खोया हुआ है। देश बर्बाद होने वाला है। इन दिनों में किसी ने भी गम्भीरता से देश के आर्थिक संकट, वित्तीय संकट मूल्य वृद्धि, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इत्यादि पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा करने की परवाह नहीं की है। इस सभा में अब हमें समय ही नहीं मिलता है कि हम लोगों की ज्वलंत समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक बहस कर सकें। यह दु:ख की बात है कि हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जब सबको यही चिन्ता है—कि कैसे सरकारें बनायें; कैसे सरकारों को हटायें, सरकारों की पुन: स्थापना और विभिन्न प्रकार की सौदेबाजियों, सदस्यों की खरीद-फरोख्त करना, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुटबन्दी कर सके। महोदय, मुझे इस बात की शंका है है कि हमने अपने देश के इतिहास में पहले कभी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के ऐसे संकट का सामना नहीं किया है जैसा हमने पिछले वर्ष किया है। अब क्या किया जा सकता है ? मैं नहीं जानता कि श्री चन्द्र शेखर क्या कहने वाले हैं।

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : आप सुनेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब आप बोलेंगे, तो मैं अवश्य सुनूंगा। मैं यहां सुबह से बैठा हुआ हूं और आपका भाषण सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

मैं उनसे सहानुभूति व्यक्त नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने यह विपत्ति स्वयं बुलाई है।

किन्तु, मैं यह अवश्य कहूंगा कि मुझे बताया गया है कि आप जिन मित्रों पर भरोसा करते हैं वे बाहर लॉबी में बैठकर इस सभा की चौकसी कर रहे हैं, उनके नेता के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है उनका किसी प्रकार का नैतिक स्तर नहीं है और जो चौकसी के निपुण रहे हैं और उन्होंने अब इस घटना का राई से पहाड़ बना दिया है। मैं मानता हूं कि यह एक गम्भीर घटना है। मेरे विचार में, यदि इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार है तो हरियाणा सरकार को बख्शने का कोई प्रश्न नही है। हर सम्भव तरीकों से इसकी निन्दा की जानी चाहिए। किन्तु यह कोई आधार नहीं है जिस पर श्री राजीव गांधी, श्री चन्द्र शेखर से अपनी बातें मनवाएं, जैसाकि हमें बताया गया है कि, वे ऐसा कर रहे हैं कि जब तक उनकी शर्तों के अनुसार हरियाणा सरकार या हरियाणा के मुख्य मन्त्री, या हरियाणा के गृह मन्त्री के विरुद्ध राजनैतिक कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक उन्हें सन्तुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि श्री चन्द्र शेखर ने उन शर्तों, अपमानजनक शर्तों, को स्वीकार नहीं किया है। कम से कम यदि उन्होंने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया है, तो मैं इस पर उन्हें बधाई देता हूं।

अब, हम अपने देश के राजनैतिक विकास की एक नई अवस्था पर आ रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। उन्होंने एक साथ मिलकर ऐसी अस्थिरता, सरकारी अस्थिरता और राजनैतिक अस्थिरता लाने की कोशिश की है जैसा हमारे देश ने पहले कभी नहीं जाना है। देश को

बचाने के लिए हम सब को मिल कर सोचना होगा और एक हो कर देश को इससे बचाना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, सिर्फ घरेलू मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम एक बहुत निराशाजनक समय से गुजरे हैं। उस अवसर पर भी, श्री राजीव गांधी— उनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें थोड़ा बिलम्ब हो गया—ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए विश्व मंच पर आने का प्रयास किया। उन्होंने एक निष्फल प्रयास किया।

अब, देश है, संसद हैं और इस देश की जनता भी है। वही लोग हैं और वही देश है जो पिछले 45 वर्षों से कितने ही संकटों में, परीक्षाओं में कठिनाइयों में, दृढ़ खड़ा रहा है। और जब कई विदेशी बड़ी-बड़ी पुस्तकों में लिखा करते थे कि भारत खण्डित होगा ही, यह टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा और विश्व के मानचित्र से अदृश्य हो जाएगा और इसका अस्तित्व लुप्त हो जाएगा, तब भी हम लोग बचे रहे। मुझे विश्वास है कि उस देश के महान लोग और इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं इस देश को बचाए रखने में सफल होंगी और सभी कष्टों और विपत्तियों के बावजूद, कुछ महत्वाकांक्षी राजनैतिज्ञों द्वारा अपनाए जा रहे इस राजनैतिक हथकंडों के बावजूद वे इस देश को बचाए रखने में सफल होंगे। किन्तु हमने इसमें सहयोग देने से इन्कार कर दिया है। जहाँ तक वाम-पन्थी दलों का सम्बन्ध है हमने एक स्थिर नीति पर चलने का प्रयास किया है, हो सकता है कि हमने कभी कुछ भूलें की हों। हम इस तरह के तुच्छ हथकण्डों, इस तरह की चालों, इस तरह की साजिशों, पर्दे के पीछे से षड्यन्त्रों में शामिल नहीं हो सकते. इनका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीतियां नहीं है कुछ भी नहीं है।

यह सिर्फ एक नेता की पसन्द और नापसन्दगी का प्रश्न है, कि सत्ता में आने के लिए आप किसका समर्थन चाहते हैं, या किसका समर्थन नहीं चाहते। यह एक खतरनाक खेल है जो हमारे देश की एकता को पूर्णतः खत्म कर देगा। इसलिए, महोदय, मैं आशा करता हू कि हमारे देश का यह पूरा प्रकरण अब समाप्त होने वाला है। हमारे देश के संघ के संसद के लोगों के सभी स्वस्थ और लोकतांत्रिक तत्त्व इकट्ठे होंगे और परीक्षा की इस घड़ी में देश को बचाएंगे। राष्ट्रपति के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं नहीं जानता कि वह क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं। हमें याद है कि श्री राजीव गांधी ने उनसे स्पष्ट कहा था एक बार नहीं बल्कि कई बार—कि यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि मैं श्री चन्द्र शेखर को आंशिक या आधे मन से समर्थन दूं या अनियमित रूप से समर्थन दूं अथात् कभी मैं समर्थन दूंगा और कभी नहीं दूंगा। ऐसा होने का कोई मतलब नहीं हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को स्पष्ट आश्वासन दिया था। उन्होंने उनको सरकार बनाने दी। "बिना किसी शर्त के हम बाहर से उनका समर्थन करेंगे।" कांग्रेस दल ने कहा था। अब उन्होंने क्या किया है ? अब वे क्या कर रहे हैं ? और अगर उन्होंने दो दिन तक सदन का बहिष्कार किया है तो यह सदन का अपमान है। (व्यवधान) इसलिए, मैं सोचता हूं कि श्री गांधी यह सोच रहे है कि वे लोगों को जाकर यह बता सकेंगे कि, आप देख लीजिए, हमने समर्थन वापस नहीं लिया हम सिर्फ सदन से बाहर गए है; हमने सदन का बहिष्कार किया है; और बहिष्कार एक वैध संसदीय कदम है और हमारी अनुपस्थिति में इन विपक्षी लोगों ने इट्ठ होकर इ सरकार के खिलाफ मतदान कर इसे

गिरा दिया है और इसलिए हमारा दोष नहीं है। यह चाल है। मैं कहता हूं कि इस देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे इस तरह के तर्क से बहकावे में आ जाएंगे। वे भली भांति समझ चुके हैं कि या तो यह सरकार अपने आप इस्तीफा दे या खुद चली जाए, अन्यथा इसे तब तक इस सदन में हराया नहीं जा सकता जब तक कि कांग्रेस दल समर्थन वापस लेकर ऐसी स्थिति को संभव नहीं बनाता। ये लोग ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही यह सरकार बनाई है। और एक तुच्छ तरीके से उन्होंने इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। इसलिए, महोदय, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। अंत में, मैं श्री चन्द्र शेखर को सहानुभूति के शब्द कहना चाहता हूं। श्री चन्द्र शेखर। **(व्यवधान)** क्या आप इसे नहीं चाहते? **(व्यवधान)**····

श्री चन्द्र शेखर : मैं यह चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शायद 'सहानुभूति' शब्द थोड़ा अधिक सरक्षण देने वाला लगता है। **(व्यवधान)** वह कई वर्षों से मेरे मित्र हैं।

मैं उन्हें जानता हूं।

श्री चन्द्र शेखर : एक अच्छे शब्द का सदैव स्वागत किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इस प्रकार के लोगों पर मित्र बनाने के लिए विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है। आपको ऐसे लोगों को समझना चाहिए। आप को लोगों के चरित्र का अनुमान करना चाहिए। आप इतने वृद्ध व्यक्ति नहीं हुए हैं कि आपके पास समय ही नहीं बचा। आप इस प्रकार अपनी महत्वकांक्षाओं को क्यों त्याग रहे हैं? आपके साथ जो सज्जन बैठे हैं वे ऐसा करें तो मैं समझ सकता हूं।

[हिन्दी]

ताऊ जी की उम्र तो काफी हो गई है। ताऊ जी कभी-कभी सोचते होंगे कि अब तो समय कम है, जो कुछ करना है अभी कर लो, लेकिन आपकी उम्र तो इतनी नहीं है। आपको जरूरत नहीं थी। आपको इतना इम्पेशेण्ट होने की क्या जरूरत थी?

[अनुवाद]

कृपया भविष्य में अपने अधैर्य पर नियंत्रण रखें क्योंकि यह पुन आपको ऐसी मुसीबत में फंसा सकती है। इसलिए, मैं यही कहना चाहता हूं। हम सब एकजुट होकर इस देश को बचाने का प्रयत्न करें। इन सब बजटों का क्या होगा; मैं नहीं जानता। खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं बचेगा। रेलवे नहीं चल सकती। 31 मार्च के बाद रेलवे के पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। रेलवे मंत्री वहां बैठे हैं। उन्होंने एक बड़ा लेखानुदान प्रस्तुत किया है। इसका क्या फायदा है? और कश्मीर और पंजाब में स्थिति बदतर है। इसलिए, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। संकट का यह संवैधानिक अंश,

यह वित्तीय भाग सिर्फ एक ही दल की सिरदर्दी नहीं है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र और देश के हितों से संबंधित है। अब प्रत्येक को गम्भीरता से सोचना होगा कि ऐसा उपाय कैसे ढूंढ़ा जाए जिससे कि संकट का वह अंश सुलझाया जा सके—कम से कम थोड़े से समय के लिए, जब तक कि हम एक स्थिर आधार के साथ बेहतर स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए, हम सहयोग देने के लिए तैयार है। और श्री आडवाणी जी ने यह कहा है कि अगर कोई ऐसा सुझाव दे सके जिससे कि समस्या के इस पहलू का समाधान निकल सके, तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि देश की अर्थ व्यवस्था, वित्त तथा सारे देश को दांव पर लगा कर छोटे-मोटे दल-गत लाभ नहीं उठाने चाहिए। इस विषय में हम अपनी भूमिका को पूरी तरह निभायेंगे। इस टिप्पणी के साथ विचाराभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री नानी भट्टाचार्य (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, व्यापक तौर पर मैं अपने सहयोगियों के विचारों से सहमत हूं तथा मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता परन्तु, एक बात सत्य सिद्ध हुई है। पिछले डेढ़ साल से, विशेषकर पिछले दो तीन महीनों से देश के लोग क्या देख रहे हैं? कांग्रेस के लोगों ने संसदीय लोकतत्र को एक ढोंग बना दिया है। संसदीय लोकतंत्र के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। महोदय, आप जानते हैं कि यह सरकार किस तरह अस्तित्व में आई है। यह सरकार कांग्रेस की बनाई हुई है। कांग्रेस ने संसदीय लोकतंत्र के सभी नियमों तथा प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। आप जानते हैं कि इस सरकार की लोगों के प्रति कोई वचनबद्धता नहीं है। श्री चन्द्र शेखर यह जानते है कि वह लोगों के प्रति इससे अधिक उत्तरदायी नहीं हैं जितने कि वह राष्ट्रीय मोर्चा का अंग होते हुए थे। यह सर्वविदित है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बातों को दोहराईए नहीं। अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री नानी भट्टाचार्य : पहली बात तो यह है कि संसदीय लोकतंत्र एक ढोंग बन गया है। दूसरे, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, जो मेरे सहयोगियों ने कहा है। मेरे विचार में श्री चन्द्रशेखर तथा उनके साथी जो दूसरी तरफ बैठे है; उन्होंने जो कुछ हुआ है, उससे सबक सीखा होगा तथा वे यह समझ गए होंगे कि कांग्रेस की चालों ने उन्हें कहां पहुंचा दिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू।

श्री चित्त बसु (बारसात) : सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री चन्द्रशेखर जी से कुछ बातें कहना चाहूंगा जिनके साथ एक लम्बे समय तक कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। कुछ समय के लिए उन्हें अपने किए का हिसाब चुकाना होगा। महोदय, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास राजनैतिक सूझबूझ है, देश के लोगों के लिए संघर्ष करने की जिसकी प्रवृत्ति रही है, जिसने अपनी जिन्दगी का अधिकांश भाग सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में लगा दिया, वह जिंदगी के एक मोड़ पर महत्वाकांक्षा का शिकार बन गया। प्रत्येक राजनीतिज्ञ की कुछ महत्वाकाक्षाएँ होती हैं। मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं करता। परन्तु, उनकी महत्त्वाकांक्षा उस सच्चाई तथा सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी जिनका उन्होंने सारी जिन्दगी पालन किया। महोदय, अभी भी उन्हें इस सारे घटनाक्रम से

एक सीख लेनी चाहिए तथा कुछ बातों का मोह छोड़ना चाहिए। जहां तक कांग्रेस के समर्थन का प्रश्न है, जिस पर उनकी सरकार टिकी हुई थी; मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अब तक उनका मोह भंग हो चुका होगा। धोखा देना और विश्वासघात करना कांग्रेस (इ) और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से परम्परा रही है। मुझे आशा है कि कांग्रेस (इ) और इसके नेता श्री राजीव गांधी ऐसा वे अन्तिम बार कर पाएंगे। परन्तु देश को यह भली भांति जानना चाहिये कि श्री राजीव गांधी ने किस प्रकार विश्वासघात किया है। दो दिन के नाटक से इस राजनैतिक पार्टी की गैर जिम्मेदाराना स्थिति स्पष्ट हो गई है। वे अपना समर्थन सीधे वापस लेने के बजाए राजनैतिक मतभेद पर ले सकते थे। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश, संसद और सभी देशवासियों को दांव पर लगा दिया है।

आपको यह भली-भांति मालूम होना चाहिये और मुझे यह जानकर खुशी है कि प्रधान मंत्री अभी भी निश्चित रूप से यह कहेंगे कि उन्होंने एक कठपुतली के तरह कार्य नहीं किया है अथवा श्री चन्द्रशेखर में कठपुतली की तरह कार्य करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने हमेशा ही राजनैतिक प्रभाव का विरोध किया है, चाहे वह किसी भी पक्ष का क्यों न हो। यह उनके जीवन का आदर्श है। यद्यपि, उन्होंने एक कठपुतली की तरह कार्य नहीं किया है परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करने, इसकी विधान सभा को भंग करने तथा बिहार के राज्यपाल को बर्खास्त करने के निर्णय उन्होंने कैसे लिये। आज की राजनैतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही नहीं है कि यह कार्य कांग्रेस (इ) अथवा इसके अध्यक्ष के कहने पर किया गया है। यदि वे यह स्वीकार नहीं करते कि यह एक कठपुतली की तरह कार्य करना नहीं है, तो फिर यह और क्या हो सकता है। क्या उनकी अंतरात्मा यह कहती है कि ऐसा करना आवश्यक व लोकतांत्रिक था तथा हमारे देश संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप था।

इस सरकार का पहले ही हट जाना बेहतर था। यह सरकार यदि पहले गिर जाती, तो यह देश, हम सब और संसदीय लोकतंत्र के हित में होता।

जब हम यह चाहते हैं कि यह सरकार हटनी चाहिये, तो मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यह नहीं चाहते कि श्री राजीव गांधी अनुचित तरीके से सत्ता में आए। जो राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो गई है उसे लोकप्रिय जनादेश के द्वारा सुधारा जा सकता है। यदि लोकप्रिय जनादेश नहीं मिलता है, तो मेरे विचार से दल बदलुओं और बेईमानों को बढ़ावा मिलेगा और ऐसी अवांछनीय परम्पराएं फलती-फूलती रहेंगी। स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के लिये आज केवल एक ही रास्ता है कि नया जनादेश प्राप्त किया जाए। अन्यथा, मेरे विचार में जोड़-तोड़ तथा सौदेबाजी से बनने वाली सरकारें देश में अस्थिरता की स्थितियां पैदा करेंगी। इसलिए, हम लोग जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें लोगों के समक्ष जाकर पुनः लोकमत प्राप्त करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए ताकि स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो सके। अन्तः में मैं कहना चाहूंगा कि निश्चय ही, कतिपय संवैधानिक और वित्तीय समस्याएं हैं। हम जिम्मेदार सांसद है तथा हमारा दायित्व है कि हम इन समस्याओं का समाधान करें।

जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है, वर्तमान समस्या का हल निकालने के लिए हम पूरा सहयोग देंगे, जिससे कि सरकार अपना कार्य ठीक तरह से कर सके।

---

1. 35 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव —जारी

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही थी। मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि बहुत से सदस्यों की बातों को मैं नहीं सुन पाया। कई सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और देश के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में जिक्र किया। मैं सब समस्याओं की चर्चा करना न आवश्यक समझता हूं, न उचित, क्योंकि, कई बार उन समस्याओं के बारे में इस सदन में चर्चा हो चुकी है लेकिन कुछ मौलिक सवाल जो उठाये गए हैं, उनके सदर्भ में मैं दो चार शब्द ही कहना चाहूंगा।

मैं सबसे पहले तो उन सवालों को लेना चाहूंगा, जो माननीय श्री रामकृष्ण यादव ने उठाये। यद्यपि वह अन्तिम वक्ता थे, लेकिन उन्होंने मौलिक सवाल उठाये, मानव मर्यादा के सवाल, गरीबी, पीड़ा और भूख के सवाल, जो सवाल हमारे देश के सवाल हैं।

आजादी की लड़ाई के बाद हमने जो संविधान बनाया, उसमें मानव मर्यादा की हमने प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिया। हमने यह भी कहा कि हमारी जनशक्ति ही सबसे बड़ी सम्पदा है और उसी के सहारे हम इस को बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने हमको कहा कि श्रम की प्रतिष्ठा करना अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम एक नया भारत नहीं बना सकेंगे। इन सवालों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा और ध्यान देना चाहिए था, पहले भी, लेकिन दुख है कि इन सवालों पर हम ध्यान नहीं दे सके लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सवालों की ओर संकेत नहीं किया गया। जब राष्ट्रपति ने पुनर्निर्माण के लिए विशेष कोष बनाने की बात कही तो उसके पीछे भावना निहित थी कि करोड़ों लोगों की जनशक्ति को, बाहों की ताकत को हम इस धरती पर लगाकर एक रचना का नया पर्व बनायें। हमने यह भी कहा कि रचनावाहिनी के जरिये करोड़ों युवकों और युवतियों को देश की गरीबी, भूख, निरक्षरता, विषमता को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाय, क्योंकि, यही सम्पदा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति दे सकती है।

श्री रामकृष्ण यादव ने एक बात कही कि हमारा दुर्भाग्य है कि हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति में जहां अनेक उदात्त भावनाएं हैं, अनेक रूढ़ियों के कारण, जाति के नाम पर हमारे देश में हरिजन और आदिवासी, हमारे पिछड़े लोग, इनके साथ समता का व्यवहार नहीं होता, उनके

मन में एक पीड़ा है, उनके मन में एक दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए उनकी भावनाओं को समझकर उनको समाज में विशेष अवसर देने का काम करना होगा।

हमारे देश में पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़ी जातियों के आते हैं और गरीबी भी उनके पल्ले पड़ी है इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्होंने यह भी सवाल उठाया, और कई अन्य सदस्यों ने उठाया कि भारत में हमेशा हमने सब धर्मों का आदर किया, समभाव से देखा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में मैं कहूं, साम्प्रदायिकता का सवाल हमारे देश में एक बड़ा सवाल बन गया है और हमारे देश में धर्म के नाम पर भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। कोई धर्म, कोई मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता। इस संसद् में हमने बार बार इस संकल्प को दोहराया है कि सभी धर्मों को हम साथ लेकर चलेंगे। उस दिशा में काम करने की जरूरत है।

बेरोजगारी का सवाल हमारे देश के सामने है। जो दौलत है, हाथों की ताकत, उसका इस्तेमाल नहीं होता और इसीलिए पहले कहा गया था कि हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार मानेंगे लेकिन मौलिक अधिकार मानने के साथ-साथ काम के नये अवसर बनाने होंगे और काम के नये अवसर यदि बनाने हैं तो सीमित साधन हमारे देश में हैं, उन साधनों का उपयोग हमें सोच समझकर करना होगा। जो सीमित साधन हैं, वैभव के लिए उनका इस्तेमाल हो या बेबसी मिटाने के लिए इस्तेमाल हो यह बात हमें तय करनी पड़ेगी। हमने तो यही कहा था, राष्ट्रपति जी ने यह कहा था कि वैभव और बेबसी के बीच में जो खाई है, इसको मिटाने के लिए हमें नए कदम उठाने पड़ेंगे। हमें किसी के वैभव से कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर बेबसी के इलाके में उम्मीद का एक नया चिराग जलाना है तो वैभव के लोगो को थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये नीतियां इस देश में बनानी पड़ेंगी और इसीलिए योजना की बात हमारे देश में उठाई गई। सन् 1950 में योजना आयोग बना, हमारे पुराने मित्र और नेता यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने यह कहा था, योजना आयोग की बातें नहीं की गई। अगर उन्होंने देखा होगा, तो हमने कहा था उस भाषण में, 31 मार्च तक आठवीं योजना का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। हम योजना को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं. नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। सीमित साधनों में बड़े देश की आकांक्षाओं को पूरा करना है तो योजना की प्राथमिकता देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उसी हिसाब से योजना आयोग ने काम किया है इन पिछले दिनों में और आज भी वह काम कर रहा है।

हमारे माननीय मित्र, श्री सोमनाथ चटर्जी, ने बार-बार श्रमशक्ति के सवाल गरीबी के सवाल और बेकारी के सवालों को उठाया। हम समझते हैं कि अगर बेकारी नहीं मिटेगी तो उससे मन में संताप पैदा होगा। गरीबी स्वयं में एक अभिशाप है, लेकिन मन का संताप, जो बेकार के मन में पैदा होता है, वही समाज को तोड़ देता है और समाज में उच्छृंखलता पैदा हो जाती है। कुछ मित्रों ने असम के बारे में, पंजाब के बारे में और काश्मीर के बारे में सवाल उठाए। मैं आभारी हूं, नेता विरोधी दल, आडवाणी जी का, कि उन्होंने इन सवालों की अहमियत को समझा है। पंजाब में हमारी

बराबर कोशिशों के बावजूद भी स्थिति अभी सामान्य नहीं है। आज भी वहां पर कत्ल हो रहे हैं, लेकिन हमने बराबर एक ही यह प्रयास किया कि यह मौत का माहौल बन्द करो। आपसी बातचीत के जरिए इस समस्या का हल करो और मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले तीन महीनों में, मैं यह नहीं कहता हूं कि हालात बदल गए हैं, लेकिन तनाव में जरूर कमी हुई हैं और हमने वह कोशिश की तथा उस हालात को हम और आगे बढ़ाना चाहते थे। हम यह नहीं कहते कि धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया है। न मैंने कभी यह वायदा किया था, न आज यह कह रहा हूं, मैं मानता हूं—

"माना कि हम चमन को गुलजार न कर सके।
कुछ खार तो हम कर सके, गुजरे जिधर से हम।।"

हम चमन को गुलजार नहीं कर सके, जिस रास्ते से हम गुजरे उस रास्ते में भले ही हमारे पैरों में काटे आए हों, लेकिन हमने रास्ते के कांटे कम किए हैं। हमारे भाई इन्द्रजीत गुप्त जी ने हमें सलाह दी, सलाह सही सलाह थी, उन्होंने यह कहा कि चन्द्र शेखर जी को सोचना चाहिए। मैं कहता हूं—मैं जरूर सोचता हूं और मैं जानता हूं किस पर विश्वास करूं और किस पर न करूं, कभी इधर से और कभी उधर से, अनुभव एक जैसा ही होता है, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं जब देश पर संकट है, जिस संकट का जिक्र एक-एक सदस्य ने किया है, तो क्या इस संकट का सामना करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम देश में आत्म विश्वास और आपसी विश्वास का माहौल बनायें और एक-दूसरे पर आस्था रखें। हम यह नहीं कहते कि कोई आदमी पूरी शक्ति रखता है, पूरी क्षमता रखता है। मैंने बहुत लोगों से कुर्बानी के सबक सीखे हैं। हमारे कई मित्रों ने कहा कि आकांक्षाओं को दबाकर रखना चाहिए, एम्बिशन में अंधा नहीं हो जाना चाहिए। जब मैं यह उन लोगों से सुनता हूं, जो एम्बिशन पूरा करने के लिए कई बार मेरे दरवाजे पर आकर कह चुके हैं, तो मुझे दुःख होता है, तकलीफ होती हैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं.....(व्यवधान).....क्योंकि इस सदन के जरिए मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि यह पर्सनल-एम्बिशन नहीं है, यह व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। अगर देश में संकट में हम जरूर विश्वास का माहौल बनाना चाहते थे और अगर वह हमारी गलती है, तो उससे हमारे लोगों को प्रसन्नता हो जाती है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर किसी ने धोखा दिया है, तो दुनिया में एक महापुरुष नहीं है, जिसको धोखा न हुआ हो। धोखा देना बुरा है, धोखा खाना बुरा नहीं है। हमने धोखा किसी को नहीं दिया है, न इधर के लोगों को दिया है और न उधर के लोगों को दिया है। धोखा देने वाले अगर बार-बार प्रयास करते हैं और बार-बार मैं धोखा खाता हूं, तो मैं इनको अपने जीवन की उपलब्धि मानता हूं। मुझे एक बात आडवाणी जी ने या किसी और मित्र ने या इन्द्रजीत गुप्त जी ने कही या कहा जाएगा कि दोनों ने कही, विरोधी पार्टियों की ओर से सरकार गिर गई। अगर सरकार जाती है तो विरोधी पार्टियों की ओर से नहीं जाएगी, सरकार जाएगी उनकी वजह से जो हमारे समर्थक लोग हैं। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम? लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष की आलोचना मैं समझ सकता हूं, विरोधी पक्ष की ओर से आक्रमण को मैं समझ सकता हूं, लेकिन समर्थन देने वाली पार्टी की

निष्क्रियता, अक्षमता और उसकी गैर-हाजिरी ये इतिहास की एक निराली घटना है (व्यवधान) जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन नए मानदंड बन रहे हैं। आप यह मत समझिए कि मैं गुस्से में हूं हमारे कई मित्र कह रहे थे कि मैं गुस्से में हूं दुःख में हूं न मैं गुस्से में हूं और न मैं दुख में हूं। मित्रों के मुताबिक तो मैं किसी पद पर पहुंचने लायक था ही नहीं, जो इधर बैठे हुए हैं, जो बड़े ऊंचे पदों पर सरकार में थे, उनकी योग्यता, क्षमता, कुर्बानी और बलिदान ऐसा था कि उनके लिए आरती उतर रही थी सत्ता की कि बार-बार आओ। हमको तो कभी किसी ने पूछा नहीं और पहला मौका मिल गया, मैं उसमें कूद पड़ा। अगर यह कहने में आपको संतोष है तो कम से कम अपने मन की अनर्गल भावना से आप अपने छोटेपन को दिखा सकते हो, मेरे व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर सकते हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि 1968-69 से पहले 1962 में पहली बार मैं पार्लियामेंट में आया और 1990 तक अगर मैं अपनी भावनाओं को दबा कर रख सकता था तो 1990 में भी दबा करके रखता और उसी की वजह से नहीं दबा सका, जिसका जिक्र हमारे माननीय आडवाणी जी ने किया है। मैं समझता हूं कि देश के सामने संकट है, देश खतरे में जा रहा है। जो संवैधानिक खतरा आज आडवाणी जी बता रहे थे, मैं समझता हूं मेरी समझ गलत हो सकती है, मेरा निर्णय गलत हो सकता है। लेकिन मैं समझता था कि देश को रसातल में ले जाने की जो साजिश हो रही है उस साजिश को मैं रोकूंगा, जितनी मेरी शक्ति है। मैं कोई इतिहास का आखिरी व्यक्ति नहीं हूं, इतिहास के आखिरी व्यक्ति तो वे पैदा हुए हैं जिसके साथ राजनीति शुरू होती है और राजनीति का अन्त होता है। मैं तो उन लोगों में से हूं जो समझते हैं कि गांधी जी नहीं रहे, जयप्रकाश नहीं रहे तो यह देश चल रहा है, तो चन्द्र शेखर के बिना भी यह देश चलेगा। कुछ लोग मूल्यों वाले लोग हैं जिनके बिना यह देश नहीं चल पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कोशिश की, उस कोशिश से क्या हुआ, क्या नतीजा निकला उसका यह देश और दुनिया निर्णय करेगी और उसका निर्णय हुआ है, इस देश के अन्दर भी और दुनिया के अन्दर भी। मैं अपने दोस्तों से यह कहना चाहूंगा कि कई लोगों ने जिक्र किया, न केवल देश के अन्दर संकट है, गरीबी, भूख-प्यास, बेकारी, साम्प्रदायिक उन्माद का पिछड़ों और गरीब आदिवासियों और हरिजनों के दिलों में एक बुरे एहसास का, बस दुनिया में एक ऐसी ताकतें उभर रही हैं जो शान्ति के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। यहां पर खाड़ी युद्ध का जिक्र किया मैं उसके बारे में तफसील में कह चुका हूं, मैंने सोच-समझ कर निर्णय किया और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम पहले पेलस्टिन की आजादी के पक्ष में हैं लेकिन हम यह कभी नहीं समझ सके कि पेलस्टिन को आजाद कराने के लिए कुवैत के ऊपर अधिकार करना भी जरूरी है, अगर कोई तर्क शास्त्र हो, तो उस तर्क शास्त्र के पण्डित लोग ही उसको जानें। आज भी इराक के मामले में जिस दिन से युद्ध बन्द हुए, भारत अकेला देश है दुनिया में जो इराक के साथ खड़ा है। वहां की संरचना का काम, पुनर्रचना का काम, वहां के विकास का काम, वहां की जनता के दिल में होना चाहिए। आज पहली बार जब हिन्दुस्तान से मदद मांगी गई तो हिन्दुस्तान ने पहली बार पहल की कि कुवैत की पूरी तरह से हम मदद करेंगे और उसी तरह से इराक को भी हम मदद करेंगे; उसकी पुनर्रचना के लिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि किसी क्षेत्र की, किसी इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी उस इलाके के लोगों की है। कोई बाहर की ताकत आ करके वहां पर पुलिस का काम करे, इसको न हमने स्वीकार किया है और न आगे हम स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन कुछ खुदाई खिदमतगार हैं, जो हर समय पहुंच जाते हैं, हर जगह पर और वे ये कहने लगते हैं कि हम ही दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा इस सदन के तमाम सदस्यों से, विदेश नीति केवल कोरी कल्पना नहीं है, विदेश नीति कोई कविता की उड़ान नहीं है, विदेश नीति इस देश के हितों की रक्षा के लिए एक हथियार है, साधन है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए राष्ट्र के हितों की रक्षा सर्वोपरि है और उस राष्ट्र के हितों की रक्षा करते हुए हम अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

मैं उस बारे में जाना नहीं चाहता, हम लोगों को एक परनिन्दा की आदत पड़ गई है, आत्म-ग्लानि की आदत पड़ गई है हम मर गये, कोई नहीं पूछ रहे हैं, हम दुनिया में पीछे हट गये, कहां हट गये, 85 करोड़ के देश को कौन पीछे हटायेगा, थोड़ा आत्मविश्वास रखें। प्रधान मंत्री की नहीं, यह यह देश के 85 करोड़ लोगों की शक्ति है, अगर हमें अमरीका की जरूरत है तो अमरीका को भी हमारी मदद की जरूरत है। थोड़ी-सी बात पर हाथ-पांव फूल गये, अमरीका के गुलाम हो गये। गुलामी जब दिमाग में भरी हुई होती है यो जुबान से बराबर वह निकलती है और कोई बात नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की एक बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का हमें इस्तेमाल करना चाहिए चाहे चीन हो, या पाकिस्तान हो, या ईरान हो। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया के सब राष्ट्रों ने भारत की भूमिका की प्रशंसा की है। और कुछ खुदाई-खिदमतगार हैं जिनको चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ता है, अगर सूरज की रोशनी में किसी चिड़िया को दिखाई नहीं देता तो सूरज की रोशनी का कोई दोष नहीं, चिड़िया की आंख का दोष है। यही मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

हमको और आपको निर्णय करना पड़ेगा कि भारत किस ओर जाना चाहता है, भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भारत इन ताकतों का पिछलग्गू बना रहेगा, वह किसी का पिछलग्गू नहीं है, हमारी स्वतंत्र पर-राष्ट्र नीति है, हम गुट-निरपेक्ष के सिद्धांतों को मानते हैं, हम पिछड़े, विकासशील देशों के साथ एका बनाये रखना चाहते हैं और मैं अपने मित्रों को अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत की जनता हर समय जहां उपनिवेशवाद होगा, जहां शोषण होगा, जहां शांति का हनन होगा वहां दबे हुए लोगों के साथ अपनी आवाज हम मिलायेंगे, यही हमारी नीति है, इसे हम ज्यों का त्यों बनाये रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की बात की गई। यह भी कहा गया कि कठपुतली की सरकार है और कहा गया कि इस कठपुतली की सरकार ने निर्णय लिये और निर्णय तो कोई मालूम नहीं हुए, एक तमिलनाडू का निर्णय है जिस पर बड़ी चर्चा होती है। पांडिचेरी भी और जोड़ दीजिए। पांडिचेरी की जो हालत है वह आप अखबारों में पढ़ लीजिए, अगर मेरी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं

है। मैं यहां पांडिचेरी के बजाय तमिलनाडू की बात करता हूं। इस सदन के अन्दर, इस सदन के अन्दर ही नहीं, बल्कि इस सदन के पहले वाले सत्र में मैंने विरोधी नेताओं से आपसी व्यक्तिगत बातचीत में जहां हमारे मित्र बैठे हुए थे उस समय मैंने कहा था, जब हमसे कहा गया कि आप एक विश्वास दिलाइये कि आप तमिलनाडू सरकार को भंग नहीं करेंगे, उस समय मैंने कहा चूंकि आप हमसे पूछ रहे हैं मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं अगर तमिलनाडू की सरकार अपना रास्ता नहीं बदलेगी तो मुझे उसको भंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जायेगा **(व्यवधान)**

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह बात नहीं कही थी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने जब तमिलनाडू का सवाल उठाया आपने निश्चित तरीके से आश्वासन दिया था कि मैं तमिलनाडू की सरकार को भंग नहीं करना चाहता हूं यह आपने स्पष्ट कर दिया था, अब आप चाहें तो बदल सकते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : मैंने यह नहीं कहा कि नहीं करूंगा, मैंने कहा कि भंग करने के लिए पहले सौ बार सोचूंगा, इतनी बुद्धि हमारी है। फर्क यह पड़ता है कि मुझे भंग करना पड़ा इसलिए मैंने भंग की।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : कांग्रेस ने जो आपसे कहा वह आपने किया।

श्री चन्द्र शेखर : मैं इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहता, न इन विवादों की वजह से उन बातों को कहना चाहता हूं जिनसे लगे तमिलनाडू की सरकार को भंग करना पड़ा। दूसरे सदन का रिकार्ड है, वहां पर विपक्ष के नेता गुरूपदस्वामी जी माननीय दण्डवते जी की पार्टी के नेता हैं उनके वक्तव्य को उठाकर पढ़ लीजिए कि मैंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। मैं ऐसी बात नही कहता हूं कि जो एक जगह पर एक हो और दूसरी जगह पर दूसरी हो। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, इस सदन में भी हमारा समर्थन कर रही थी। मैं यह नहीं कहता कि उस पार्टी की मैं कोई बात नहीं मान सकता, लेकिन हर बात मानने के पीछे कोई मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन करके किसी की कोई बात मानने के लिए मैं विवश नहीं हूं। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की मर्यादा ऐसी है जिस मर्यादा को ध्यान में रखकर कई बार समझौते करने पड़ते हैं। पिछले दो-तीन दिन में जो हुआ इसी सदन मे, इसी सदन में ही नहीं, दूसरे सदन में भी जो हुआ, आडवाणी जी ने कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। इससे अशोभनीय और दुखद बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन उन बातों को मैं चुपचाप सुनता रहा और उसका एक ही कारण था कि अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में चर्चा हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि इस चर्चा को बीच में रोककर कोई बात कहूं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि न मैं कोई तालमेल बैठा रहा था और न मैं सुलह

समझौता कर रहा था। मैं अपनी बात जानता हूं कि मुझे कहां जाना है। मैं जानता हूं कि किस समय क्या कदम उठाने हैं। अगर सहयोग मिलता है तो स्वागत। अगर सहयोग नहीं मिलता है तो उनकी मरजी क्योंकि वे हमारे अधिकार में नहीं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सोचना जरूर चाहिए कांग्रेस पार्टी को। दो कांस्टेबल चले गए, इसके लिए भारत के संविधान को खतरे में डाल देना, इस संसद को इस हालत में पहुंचा देना, इसलिए जैसी जिसकी बुद्धि होगी वैसे ही इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता था। बुद्धि के अनुरूप सभी लोग अपना काम करेंगे। उधर से भी कुछ लोग कहते हैं कठपुतली है तो भी अपनी बुद्धि के अनुसार बोलते हैं। कठपुतली को कठपुतली ही दिखाई पड़ेगी। वे नहीं जानते हैं कि कभी-कभी छोटा हनुमान लंका को दहन कर देता है हनुमान छोटा होकर के भी······(व्यवधान) इसलिए यह गलतफहमियां निकाल दीजिए। सवाल व्यक्तियों का नहीं है। सवाल व्यक्तियों के विश्लेषण का नहीं है। सवाल देश की परिस्थितियों और देश की समस्याओं का है। इन समस्याओं पर हमें और आपको आज नहीं तो कल मिलकर देखना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं विरोध पक्ष के सभी नेताओं को, जिन्होंने कहा है कि संवैधानिक संकट को समाप्त करने के लिए वे सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि सहयोग से कोई रास्ता निकलेगा। मुझे विश्वास है कि इस संकट को मिटाने में आपका सबका सहयोग मिलेगा। मैं एक बात नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं। यह सही है कि राजनीतिक वास्तविकता है और संसदीय राजनीतिक वास्तविकता गणित की वास्तविकता है जिसमें अंक गणित को बदला नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस पार्टी यहां मौजूद नहीं है, वे पता नहीं है··· (व्यवधान) मैं जानता नहीं कि उनका समर्थ है या नहीं। लेकिन आज उनका जो आचरण है, मैं विचार के बारे में नहीं बल्कि आचरण के बारे में कह रहा हूं कि आचरण पर रहकर के मैं इस सरकार को नहीं चला सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अभी राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के इस सरकार का त्याग-पत्र देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बाद इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। यह राष्ट्रपति महोदय पर निर्भर करता है कि वे क्या निर्णय लेंगे। मैंने अपने सहयोगियों से सलाह ली है और हम इस निर्णय पर कल ही पहुंचे थे कि इस सदन को चलाने की कोई मान्यता, कोई आवश्यकता नहीं। मेरा निर्णय है कि सरकार इस्तीफा दे रही है। मैं आपसे कहता हूं कि सदन की परम्पराओं के अनुसार मेरे त्याग-पत्र की इस घोषणा के बाद इस सदन की कार्यवाही एक मिनट नहीं चल सकती। यह सदन स्थगित करने का मैं आपसे औपचारिक रूप से अनुरोध करता हूं कि सरकार जब नही है तो सदन नहीं चल सकता। मैं अभी जाकर के राष्ट्रपति महोदय को त्याग-पत्र देता हूं और अपने मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि कोई दाव-पेच की राजनीति इधर से नहीं होगी, उधर से न हो तो ज्यादा अच्छा है। हम सब मिलकर स्पष्ट राजनीति की ओर आगे बढ़े यही मेरी कामना है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी की सदन में त्याग-पत्र देने की घोषणा से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखना निष्फल हो गया है और अब

सदन की आज की कार्यसूची में उल्लिखित अन्य कोई भी कार्य नहीं किये जा सकते। अतः मैं सभा को कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित करता हूं।

2.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 मार्च, 1991/16 फाल्गुन, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सम्राट प्रेस, बी-88, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020